



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
(राजस्व क्षेत्र)

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



रिपोर्ट 20- 06 - 2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है



उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या-1

उत्तर प्रदेश सरकार - वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या-1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं0-1

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
प्राककथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय—I: सामान्य		
कार्यपालिक सारांश		1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1.1	3
बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	1.2	4
मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रह की लागत	1.3	5
पाँच वर्ष से अधिक बकाये का कुल राजस्व के बकाये के सन्दर्भ में विश्लेषण	1.4	5
संवीक्षा / कर निर्धारण के बकाये	1.5	6
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभाग का प्रत्युत्तर	1.6	6
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.7	7
आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विभागों का प्रत्युत्तर	1.8	8
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुश्रवण – सारांशीकृत स्थिति	1.9	9
राज्य आबकारी विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण	1.10	9
लेखापरीक्षा योजना	1.11	10
लेखापरीक्षा का प्रभाव	1.12	11
अध्याय—II: बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
कार्यपालिक सारांश		13
कर प्रशासन	2.1	15
प्राप्तियों का रुझान	2.2	15
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	2.3	16
प्रति व्यापारी बिक्री, व्यापार आदि की लागत	2.4	16
कर निर्धारण हेतु बकाए मामले	2.5	16
संग्रह की लागत	2.6	17
लेखा परीक्षा के प्रभाव	2.7	17
वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली (एक समीक्षा)	2.8	19
लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.9	46
कर का अनारोपण / कम आरोपण	2.10	46
क्रय कर का अनारोपण	2.11	54
अर्थदण्ड / व्याज का अनारोपण	2.12	55
प्रवेश कर का अनारोपण	2.13	61
केंद्रीय में गलत करमुक्ति/छूट	2.14	61
राज्य विकास कर का अनारोपण	2.15	64
अपूर्ण सूचना होने पर भी वाद को डीम्ड घोषित किया जाना	2.16	66
व्याज का प्रभारित न किया जाना	2.17	67
कर की दर की गलत अनुमन्यता	2.18	70

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना	2.19	71
कर की वापसी के द्वारा अनुचित वित्तीय लाभ	2.20	72
गलत / मिथ्या आई0टी0सी0 के दावे के मामले	2.21	74
जमा की पुष्टि न होना	2.22	77
केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति	2.23	80
आदेश के बावजूद इनपुर टैक्स क्रेडिट का सत्यापन न किया जाना	2.24	81
कपड़े की बिक्री पर कर का प्रावधान न होना	2.25	82
अध्याय-III: राज्य आबकारी		
कार्यपालिक सारांश		83
कर प्रशासन	3.1	85
प्राप्तियों का रुझान	3.2	85
राजस्व बकाये का विश्लेषण	3.3	85
संग्रह की लागत	3.4	86
आन्तरिक लेखापरीक्षा	3.5	86
लेखा परीक्षा के प्रभाव	3.6	86
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	3.7	89
नई आबकारी नीति एवं उसका राजस्व पर प्रभाव	3.8	89
अर्थदण्ड का अनारोपण	3.9	107
अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण परिहार्य व्यय	3.10	108
अध्याय-IV : वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कार्यपालिक सारांश		109
कर प्रशासन	4.1	111
प्राप्तियों का रुझान	4.2	111
राजस्व बकाये का विश्लेषण	4.3	111
संग्रह की लागत	4.4	112
आन्तरिक लेखापरीक्षा	4.5	112
लेखा परीक्षा के प्रभाव	4.6	112
मोटर यान अधिनियम/विभागीय आदेशों का अनुपालन न किया जाना	4.7	114
निजी/कृषि कार्य हेतु पंजीकृत वाहनों का वाणिज्यिक उपयोग	4.8	116
टाटा मैजिक वाहन की सीटिंग क्षमता कम ग्रहण किये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण	4.9	118
वाहनों के बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालन के कारण राजस्व की वसूली न होना	4.10	119
स्कूल वाहनों पर परमिट शुल्क का वसूल न किया जाना	4.11	120
दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न होने का प्रभाव	4.12	121
अधिक भार का परिवहन करने वाले वाहनों पर शास्ति का अनारोपण	4.13	122
परमिट के नियम और शर्तों के उल्लंघन के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण	4.14	123

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
जब्त वाहनों से न/कम वसूली किया जाना	4.15	124
बकाये की वसूली हेतु निगरानी एवं अनुश्रवण क्रियाविधि का अभाव	4.16	125
तीन माह से अधिक समर्पित वाहनों के सम्बन्ध में कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना	4.17	126
अध्याय-V : स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस		
कार्यपालिक सारांश		127
कर प्रशासन	5.1	129
प्राप्तियों का रुझान	5.2	129
आन्तरिक लेखापरीक्षा / आन्तरिक नियंत्रण	5.3	131
लेखा परीक्षा के प्रभाव	5.4	131
विकसित क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनारोपण	5.5	133
स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.6	134
तथ्यों को छिपाने से सम्पत्ति का अवमूल्यांकन	5.7	136
भूमि प्रयोग के अनियमित परिवर्तन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.8	137
भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत किये गये मूल्यांकन में अनियमिततायें	5.9	138
भूमि के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.10	140
30 वर्षों से अधिक अवधि के निष्पादित पट्टे	5.11	141
विकासकर्ता अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क का आरोपण	5.12	142
अलाभकारी व्यय	5.13	148
अध्याय-VI: अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ		
कार्यपालिक सारांश		140
लेखापरीक्षा का प्रभाव	6.1	151
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	6.2	151
अनुज्ञापन शुल्क की वसूली न किया जाना	6.3	152
रख—रखाव प्रभार जमा न किया जाना	6.4	153
ईट भट्टा मालिकों से रायल्टी व ब्याज का न वसूल किया जाना	6.5	153
ईट मिट्टी का निकाला जाना	6.6	155
अवैध खनन पर खनिज मूल्य का न/कम आरोपण	6.7	157
रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	6.8	158
अनधिकृत उत्खनन	6.9	159
अधिनियम/नियमों के साथ शासनादेशों का अनुरूप न होना	6.10	161
शुल्क/अतिरिक्त शुल्क की वसूली न किया जाना	6.11	162
परिशिष्टियाँ		167-201

प्राक्कथन

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व क्षेत्र की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा परिणामों का प्रस्तुतीकरण है जिसमें बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस तथा अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामलों में वे मामले हैं जो वर्ष 2012–13 में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामले, जिन्हें विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखा परीक्षा सम्पादित की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में “वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली” विषयक एक समीक्षा सहित 49 प्रस्तर सम्प्रिलित हैं, जिनमें कर, शुल्क ब्याज एवं शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण आदि से सम्बन्धित ₹ 427.93 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। शासन/विभागों ने ₹ 103.91 करोड़ धनराशि की लेखा परीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 2.05 करोड़ की वसूली कर ली गई है कुछ मुख्य आपत्तियाँ नीचे वर्णित हैं:

I. सामान्य

वर्ष 2011–12 के ₹ 1,30,869.70 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2012–13 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,45,903.99 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹ 58,098.36 करोड़ को सम्प्रिलित करते हुये राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 71,068.34 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 74,835.65 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग ₹ 57,497.86 करोड़ और सहायक अनुदान ₹ 17,337.79 करोड़) थी। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का 49 प्रतिशत ही उगाह सकी।

(प्रस्तर 1.1)

दिसम्बर 2012 तक निर्गत किये गये 10,808 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 6,305.36 करोड़ की धनराशि के 30,694 प्रस्तर जून 2013 के अन्त तक लम्बित थे।

(प्रस्तर 1.6.1)

वर्ष 2012–13 के दौरान बिक्री व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, खनन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों के 1,285 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में 6,373 मामलों से सम्बन्धित ₹ 2,045.28 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण एवं अन्य कमियों के मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 496 मामलों में ₹ 3.35 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के मामले स्वीकार किये जिनमें से 359 मामलों में ₹ 1.24 करोड़ की वसूली की गई।

(प्रस्तर 1.12.3)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

“वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली” की समीक्षा एवं विभाग की हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2009 में प्रारम्भ हुये कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त भी नीतियों, नियामों व प्रक्रियाओं को अभी भी विकसित किया जा रहा है, बदलाव प्रबन्धन नियंत्रण पर्याप्त नहीं हैं और आपदा पूरक एवं सतत व्यवसाय योजना नहीं हैं।

(प्रस्तर 2.8.7.1, 2.8.7.2)

- करयोग्य माल को लेकर राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों के बारे में कोई तंत्र न होने से जब्ती के मामलों में सन्निहित माल के मूल्य में 14,632 मामलों के ₹ 557.67 करोड़ से 30 मामलों के ₹ 1.53 करोड़ तक की गिरावट हुई।

(प्रस्तर 2.8.7.5)

- फार्म 38 (आयात के लिये घोषणा पत्र) के आन लाइन डाउन लोडिंग से राजस्व हानि के जोखिम को बढ़ावा मिला।

(प्रस्तर 2.8.7.6)

- विभाग की सचल दल इकाइयों में अपर्याप्त जनशक्ति, निष्क्रिय नियंत्रण कक्षों एवं उपकरणों की अनुपलब्धता आदि ने प्रवर्तन शाखा की सचल दल इकाइयों के दुर्बल कार्य संचालन में योगदान किया।

(प्रस्तर 2.8.8, 2.8.8.2)

- सचल दल इकाइयों के एक वर्ष में 23 दिनों से 287 दिनों तक कार्य न करने के परिणामस्वरूप माल के अनधिकृत आवागमन को खोजा नहीं जा सका।

(प्रस्तर 2.8.8.1)

- अधिनियम का उल्लंघन करके जारी किये गये परिपत्र के परिणामस्वरूप ₹ 32.37 करोड़ की प्रतिभूति की कम वृस्ती हुई।

(प्रस्तर 2.8.8.4)

- पंजीकृत व्यापारियों के जब्ती मामलों की निगरानी की कमी से ₹ 39.64 करोड़ की प्रतिभूति की कम वृस्ती हुई।

(प्रस्तर 2.8.8.5)

- कर की गलत दर लगाये जाने, कम दर लगाने, माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं कर के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 16.92 करोड़ के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.10)

- प्रवेश कर के विलम्ब से राजकोष में जमा पर ₹ 26.71 करोड़ का ब्याज अप्रभारित था।

(प्रस्तर 2.17.2.1)

- इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत/झूठे दावों की खोज न करने से ₹ 14.99 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के उत्क्रमण, अर्थदण्ड के अनारोपण एवं ब्याज का मामला बना।

(प्रस्तर 2.21)

III. राज्य आबकारी

भारत में निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा के अधिकतम खुदरा मूल्य के निर्धारण में एक रूपता न होने से सरकार को अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क के रूप में ₹ 481.20 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 3.8.7.1)

छीजन की त्रुटिपूर्ण अनुमन्यता के परिणामस्वरूप देशी मदिरा के थोक विक्रेताओं की ₹ 111.57 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

(प्रस्तर 3.8.7.2)

विभाग द्वारा नियमों का पालन करने में विफल रहने से सरकार को बेसिक अनुज्ञा शुल्क व प्रतिभूति जमा के रूप में ₹ 53.68 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 3.8.8.1)

मार्च में न्यूनतम प्रतिभूति मात्रा के कम उठान के फलस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ के आबकारी शुल्क की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.8.8..3)

शीरे से अल्कोहल के कम उत्पादन से ₹ 736.49 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.8.10)

नियमों के उल्लंघन पर प्रतिभूति जमा को जब्त न किये जाने से ₹ 47.74 करोड़ का कम राजस्व प्राप्त हुआ।

(प्रस्तर 3.8.12)

IV. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

अप्रैल 2011 से अगस्त 2012 तक की अवधि में कम सीटिंग क्षमता ग्रहण किये जाने के कारण छ: सभागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में 723 वाहनों पर ₹ 16.75 लाख कम कर आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 4.9)

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि में 12 सभागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय से सम्बन्धित 3,706 वाहन अधिक भार ढो रहे थे, पर ₹ 2.97 करोड़ की शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 4.13)

मई 2011 से अक्टूबर 2012 तक की अवधि में तीन माह से अधिक समर्पित 753 वाहनों के सम्बन्ध में 11 सभागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में ₹ 87.55 लाख का कर/अतिरिक्त कर वसूल नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.17)

V. स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

विकास क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 11.87 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

(प्रस्तर 5.5)

सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप ₹ 3.47 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस कम आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 5.6 से 5.10 तक)

VI. अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

मनोरंजन कर विभाग में चार कार्यालयों के 122 मामलों में ₹ 5.47 लाख के लाइसेन्स फीस की वसूली नहीं हुई और दो कार्यालयों के 13 मामलों में ₹ 5.53 लाख के अनुरक्षण प्रभार को जमा नहीं किया गया।

(प्रस्तर 6.3 एवं 6.4)

22 जिला खनन कार्यालयों में 1,655 ईंट भट्ठा स्वामियों से वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक ₹ 10.22 करोड़ की रायल्टी ब्याज की वसूली नहीं हुयी।

(प्रस्तर 6.5)

अप्रैल 2009 से फरवरी 2013 तक की अवधि में 13 जिला खनन कार्यालयों के 1,400 ईंट भट्ठा स्वामियों से ईंट के लिये मिट्टी की अवैध निकासी के लिए ₹ 30.75 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 6.6.1)

जुलाई 2003 से मार्च 2012 के दौरान जिला खनन अधिकारी सोनभद्र के कार्यालय में खनिजों के अनधिकृत उत्खनन पर उत्खनित खनिज के मूल्य ₹ 7.08 करोड़ और ₹ एक लाख के अर्थदण्ड को नहीं वसूला गया।

(प्रस्तर 6.9.1)

अप्रैल 2003 एवं मई 2013 की अवधि के दौरान दो जिला खनन कार्यालयों में बिना खनन योजना के नवीनीकरण कराये खनिज की खुदाई करने के फलस्वरूप ₹ 18.82 करोड़ के खनिज मूल्य की वसूली नहीं हो सकी।

(प्रस्तर 6.9.2)

बाट एवं माप विभाग में तीन मामलों में अर्थदण्ड के अतिरिक्त ₹ 8.50 लाख की फीस/अतिरिक्त फीस की वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 6.11)

कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में क्या मुख्यांकित किया

इस अध्याय में हमने राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का रुझान, बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रत्युत्तरता, विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की स्थिति, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन, लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयों पर सरकार/विभागों द्वारा कार्यवाही करने की प्रक्रिया, निरीक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित प्रस्तरों की स्थिति, राज्य आबकारी विभाग की विभिन्न लेखापरीक्षाओं में सरकार को की गई संस्तुतियों, जो कि विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गई थी एवं लेखापरीक्षा के प्रभाव को प्रस्तुत किया है।

राज्य सरकार की प्राप्तियों का रुझान

उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान सम्मिलित हैं।

वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत राजस्व ₹ 71,068.34 करोड़ था जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। शेष 51 प्रतिशत प्राप्तियों की राशि ₹ 74,835.65 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुई।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों का अनुपालन न होना

दिसम्बर 2012 तक जारी 10,808 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 30,694 प्रस्तरों जिनमें निहित राशि ₹ 6,305.36 करोड़ थी जून 2013 तक अनुपालन के अभाव में लम्बित थे।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर विभागाध्यक्षों से प्रथम उत्तर प्राप्त होना आवश्यक था परन्तु मार्च 2013 तक निर्गत 1,147 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (जून 2013)। उत्तरों के प्राप्त नहीं होने से निरीक्षण प्रतिवेदनों की अधिक लम्बित संख्या इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित त्रुटियों, चूकों और अनियमितताओं को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई धनराशि की बहुत कम वसूली

वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शासन/विभागों ने ₹ 1,437.76 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से केवल ₹ 36.19 करोड़ (2.52 प्रतिशत) की वसूली दिसम्बर 2013 तक की गई थी।

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

वर्ष 2012–13 में हमने पाया कि केवल तीन विभागों¹ द्वारा 61 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें की गई जिसमें ₹ 1.46 करोड़ धनराशि के 300 प्रस्तर तय किये गये, जबकि अन्य विभागों द्वारा विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिये कोई पहल नहीं की गई।

यह संस्तुति की जाती है कि शासन सामयिक रूप से सभी विभागों की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करे ताकि लम्बित प्रस्तरों का शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण किया जा सके।

हमारा निष्कर्ष

वर्ष 2012–13 की अवधि के दौरान ₹ 2,045.28 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के लेखापरीक्षा प्रेक्षण निर्गत किये गये। शासन/विभागों द्वारा ₹ 3.35 करोड़ के 496 मामले स्थीकार किये गये व 359 मामलों में ₹ 1.24 करोड़ वसूले गये।

पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिये बकाया राजस्व राशि कुल लम्बित राशि का 60.70 प्रतिशत था। सरकार बकाये की त्वरित वसूली सुनिश्चित करने का प्रयास करे।

सरकार लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रत्युत्तर में प्रभावी प्रक्रिया लागू करने के लिए शीघ्र एवं उपयुक्त कदम उठाये एवं उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करे जिन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदनों/आलेख प्रस्तरों के उत्तर तय समय सीमा पर नहीं भेजे और समयबद्ध तरीके से राजस्व बकाये की वसूली के लिये कार्यवाही नहीं की।

विभाग कम से कम स्थीकृत मामलों में निहित धनराशि की वसूली के लिये समुचित कदम उठायें।

¹ वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन तथा राज्य आवकारी विभाग।

अध्याय-I

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं सहायक अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी ऑकड़े सारणी क्रमांक 1.1 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व						
• कर राजस्व	28,658.97	33,877.60	41,355.00	52,613.43	58,098.36	
• करेतर राजस्व	6,766.55	13,601.09	11,176.21	10,145.30	12,969.98	
योग	35,425.52	47,478.69	52,531.21	62,758.73	71,068.34	
2. भारत सरकार से प्राप्तियाँ						
• विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग	30,905.72	31,796.67	43,218.90	50,350.95	57,497.86 ²	
• सहायक अनुदान	11,499.49	17,145.59	15,433.65	17,760.02	17,337.79	
योग	42,405.21	48,942.26	58,652.55	68,110.97	74,835.65	
3. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (1 + 2)	77,830.73	96,420.95	1,11,183.76	1,30,869.70	1,45,903.99	
4. 3 से 1 की प्रतिशतता	46	49	47	48	49	

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,45,903.99 करोड़) का, विगत वर्ष के 48 प्रतिशत के विरुद्ध 49 प्रतिशत था। 2012–13 की प्राप्तियों का शेष 51 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।

1.1.2 सारणी क्रमांक 1.2 वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 की अवधि में उगाहे गये कर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

सारणी क्रमांक 1.2

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 पर 2012-13 में वृद्धि अथवा कमी (-)	2011-12 पर वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	बिद्री, व्यापार आदि पर कर (0040)	17,482.05	20,825.18	24,836.52	33,107.34	34,870.16	1,762.82	05.32
2.	राज्य आबकारी (0039)	4,720.01	5,666.06	6,723.49	8,139.20	9,782.49	1,643.29	20.19
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क (0030)	4,138.27	4,562.23	5,974.66	7,694.40	8,742.17	1,047.77	13.62
4.	वाहनों पर कर (0041)	1,124.66	1,403.50	1,816.89	2,375.86	2,992.92	617.06	25.97
5.	माल एवं यात्रियों पर कर (0042)	266.49	271.05	241.69	4.81	1.04	(-) 3.77	(-) 78.38
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क (0043)	216.72	272.16	357.00	458.20	484.91	26.71	05.83
7.	भू-राजस्व (0029)	549.28	663.14	1134.16	490.68	804.64	313.96	63.98
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (0045)	140.58	193.34	245.15	312.46	385.08	72.62	23.24
9.	होटल प्राप्तियाँ (0023)	20.91	20.94	25.44	30.46	34.95	4.49	14.74
	योग	28,658.97	33,877.60	41,355.00	52,613.41	58,098.36	5,484.95	10.43

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

² विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2012–13 के वित्त लेखों में लघु शीर्ष द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखों का विवरण संख्या-11, देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में बहुत लेखा शीर्षक 'अ— कर राजस्व' के अन्तर्गत—0020—निगम कर, 0021—निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028—आय और व्यय पर अन्य कर, 0032—धन पर कर, 0037—सीमाकर, 0038—संघीय उत्पाद शुल्क, 0044—सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क—राज्यों के समुदायित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के ऑकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

अनुरोध (सितम्बर 2013) के उपरान्त भी भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2013)।

1.1.3 सारणी क्रमांक 1.3 वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 की अवधि में उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

सारणी क्रमांक 1.3

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 पर 2012-13 में वृद्धि अथवा कमी (-)	2011-12 पर 2012-13 में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	विविध सामान्य सेवाएँ (0075)	1,698.79	8,075.13	5,120.67	4,035.23	4,494.11	458.88	11.37
2.	ब्याज प्राप्तियाँ (0049)	963.87	603.66	689.32	789.22	1,186.41	397.19	50.33
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन (0406)	271.92	271.29	280.34	285.88	332.08	46.20	16.16
4.	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (0853)	427.31	604.97	653.39	593.28	722.13	128.85	21.72
5.	सहकारिता (0425)	26.46	16.39	9.38	9.78	11.99	2.21	22.60
6.	विविध ³	2,499.74	3,203.40	3,711.37	3,484.40	5,535.76	2,051.36	58.87
7.	अन्य ⁴	878.46	826.25	711.74	947.51	687.50	(-)260.01	(-) 27.44
	योग	6,766.55	13,601.09	11,176.21	10,145.30	12,969.98	2,824.68	27.84

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

अनुरोध (सितम्बर 2013) के उपरान्त भी भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2013)।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता

वर्ष 2012–13 के लिये कर एवं करेतर राजस्व के मुख्य शीर्षों के सम्बन्ध में बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता को सारणी क्रमांक 1.4 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 1.4

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिक्षय अथवा कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
क. कर राजस्व					
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर (0040)	38,492.18	34,870.16	(-) 3,622.02	(-) 9.41
2.	राज्य आबकारी (0039)	10,068.28	9,782.49	(-) 285.79	(-) 2.84
3.	स्टाप एवं निवाचन शुल्क (0030)	9,308.00	8,742.17	(-) 565.83	(-) 6.08
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	3,093.90	2,993.96	(-) 99.94	(-) 3.23
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क (0043)	411.00	484.91	73.91	17.98
6.	भू-राजस्व (0029)	299.96	804.64	504.68	168.25
7.	वर्तुओं और सेताओं पर अन्य कर एवं शुल्क (0045)	348.34	385.08	36.74	10.55
8.	होटल प्राप्तियाँ (0023)	35.38	34.95	(-) 0.43	(-) 01.22
ख. करेतर राजस्व					
9.	विविध सामान्य सेवाएँ (0075)	3,264.23	4,494.11	1,229.88	37.68
10.	ब्याज प्राप्तियाँ (0049)	924.36	1,186.42	262.06	28.35
11.	वानिकी एवं वन्य जीवन (0406)	353.93	332.08	(-) 21.85	(-) 6.17
12.	अलौह उत्थनन एवं धातुकर्म उद्योग (0853)	954.00	722.13	(-) 231.87	(-) 24.31
13.	सहकारिता (0425)	11.25	11.99	0.74	06.58

³ विविध में निम्नलिखित प्राप्तियाँ सम्भिलित हैं:

मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, पुलिस, फसल पालन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, सड़क एवं सेतु, लोक निर्माण आदि।

⁴ अन्य में निम्नलिखित प्राप्तियाँ सम्भिलित हैं:

अन्य विविध सेवाएँ, लाभार्थी एवं लोक सेवा आयोग, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, परिवार कल्याण, जलाधार्पति एवं जल-मल निकासी, आवास, शहरी विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क, श्रम एवं रोजगार आदि।

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता का विस्तार (-) 24.31 प्रतिशत एवं 168.25 प्रतिशत रहा।

अनुरोध (सितम्बर 2013) के उपरान्त भी भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2013)।

1.3 मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रह की लागत

मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सन्दर्भ में वर्ष 2012–13 के दौरान उनके संग्रह पर किये गये व्यय एवं सकल व्यय के सापेक्ष ऐसे व्यय की प्रतिशतता एवं वर्ष 2011–12 में संग्रह पर हुये व्यय की अखिल भारतीय प्रतिशतता का औसत सारणी क्रमांक 1.5 में उल्लिखित है:

सारणी क्रमांक 1.5

राजस्व शीर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता	(₹ करोड़ में) 2011–12 का अखिल भारतीय संग्रह की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	34,870.16	430.31	1.23	0.83
राज्य आबकारी	9,782.49	116.88	1.19	2.98
स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	8,742.17	237.57	2.72	1.89
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	2,993.96	95.45	3.19	2.96

उपरोक्त सारणी यह इंगित करती है कि राजस्व शीर्ष "बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क एवं वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर" के अन्तर्गत संग्रह पर हुये व्यय की प्रतिशतता गत वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी। विभागों को इस मामले को देखने और संग्रह की अधिक लागत को कम करने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता है। हम "राज्य आबकारी" राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत गत वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से न्यून होने पर सराहना करते हैं।

1.4 पाँच वर्ष से अधिक बकाये का कुल राजस्व के बकाये के सन्दर्भ में विश्लेषण

विभागों⁵ द्वारा प्रतिवेदित कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों के बकाये की 31 मार्च 2013 तक की स्थिति ₹ 23,573.67 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 14,310.37 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक के थे, सारणी क्रमांक 1.6 में दर्शित है:

सारणी क्रमांक 1.6

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 तक के बकाये	(₹ करोड़ में) 31 मार्च 2013 तक पाँच वर्ष से अधिक पुराने बकाये
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	22,850.53	14,256.01
2.	राज्य आबकारी	54.06	48.51
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	586.67	उपलब्ध नहीं
4.	वाहनों पर कर	53.83	उपलब्ध नहीं
5.	मनोरंजन कर	28.58	5.85
	योग	23,573.67	14,310.37

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग एवं परिवहन विभाग के पास पाँच वर्षों से अधिक पुराने बकाये का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।

पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया सकल बकाये का 60.70 प्रतिशत था।

⁵ वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन एवं मनोरंजन कर विभाग

हम संस्तुति करते हैं कि बकाये की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिये सरकार समुचित प्रयास करे।

1.5 संवीक्षा/कर निर्धारण के बकाये

उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा 3 के अनुसार कर निर्धारण की समय सीमा किसी कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के तीन वर्ष के लिये निर्धारित की गई है।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचित करा गया, वाणिज्यिक कर से सम्बन्धित कर निर्धारणों का व्यौरा, जैसा कि 31 मार्च 2013 को था, सारणी क्रमांक 1.7 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 1.7

वर्ष के आरम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान कर निर्धारण के लिये योग्य हुये मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान निस्तारित किये गये मामलों की संख्या	वर्ष के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या
1,84,052	4,58,225	4,95,505	1,46,772

विभाग को चाहिये कि वह लम्बित कर निर्धारण के मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर ले।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभाग का प्रत्युत्तर

निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सरकारी विभागों के संव्यवहारों और रखे गये महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच हेतु महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश (एओजी०) द्वारा सरकारी विभागों का समयावधिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए जब स्थल पर समाधान नहीं हो पाता, तो निरीक्षण कार्यालयों के अध्यक्षों सहित उनके उच्चतर अधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आपत्तियों पर कमियाँ एवं त्रुटियों को सुधार कर कार्यालयाध्यक्षों/शासन के प्रारम्भिक उत्तर के साथ अनुपालन आख्या महालेखाकार को भेजना अपेक्षित होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

1.6.1 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा प्रेक्षण

दिसम्बर 2012 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की हमारी समीक्षा से पता चला कि जून 2013 के अन्त तक 10,808 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 6,305.36 करोड़ धनराशि के 30,694 प्रस्तर लम्बित थे, विगत दो वर्षों के तदनुरूपी आँकड़ों के साथ विवरण सारणी क्रमांक 1.8 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 1.8

क्रम सं०	विवरण	2011	2012	2013
1.	निस्तारण के लिये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	10,349	11,538	10,808
2.	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	25,501	28,455	30,694
3.	सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	4,445.39	5,234.12	6,305.36

वर्ष 2013 तक लम्बित प्रस्तरों का आयु-वार विवरण सारणी क्रमांक 1.9 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 1.9

क्रम सं०	विवरण	10 वर्ष तक पुराने	11 से 20 वर्ष पुराने	20 वर्ष से अधिक पुराने	योग
1.	निस्तारण के लिये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	6,751	2,945	1,112	10,808
2.	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	22,986	5,951	1,757	30,694
3.	सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	5,399.73	862.10	43.53	6,305.36

30 जून 2013 को लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के ब्यौरे एवं उनमें सन्निहित धनराशियों के ब्यौरे सारणी क्रमांक 1.10 में वर्णित हैं:

सारणी क्रमांक 1.10

क्रम सं०	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	वर्ष जिनसे प्रेक्षण सम्बन्धित हैं
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर प्रवेश कर सहित	4,854	16,796	2,582.71	1984-85 से 2012-13
2.	राज्य आबकारी	1,169	2,315	335.17	1984-85 से 2012-13
3.	वाहनों पर कर	1,066	3,871	805.30	1984-85 से 2012-13
4.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	2,803	5,445	332.23	1984-85 से 2012-13
5.	विद्युत शुल्क	177	222	171.89	1988-89 से 2012-13
6.	मनोरंजन कर	162	272	12.65	1997-98 से 2012-13
7.	वानिकी एवं वन्य जीवन	515	1,406	1,590.92	2003-04 से 2012-13
8.	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	62	367	474.49	2010-11 से 2012-13
योग		10,808	30,694	6,305.36	

1.6.2 लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन

मार्च 2013 तक निर्गत 1,147 निरीक्षण प्रतिवेदनों जिनके प्रथम उत्तर कार्यालयाध्यक्षों से उनके निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर प्राप्त हो जाने थे, नहीं प्राप्त हुये थे।

निरीक्षण प्रतिवेदनों का लम्बित रहना इस तथ्य को इंगित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों ने महालेखाकार द्वारा निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित कियियों, त्रुटियों तथा अनियमितताओं पर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी।

शासन को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का त्वरित तथा उपयुक्त प्रत्युत्तर हेतु एक प्रभावकारी प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। साथ ही साथ निर्धारित समयावधि में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रेक्षणों का उत्तर न भेजने तथा समयबद्ध तरीके से लम्बित मांगों की वसूली नहीं करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने की हम अनुशंसा करते हैं।

1.7 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों प्रतिवेदनों के प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति, अनुश्रवण एवं शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार विभिन्न अवधियों के दौरान लेखापरीक्षा समितियों का गठन करती है। वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा समितियों की बैठकें एवं निस्तारित प्रस्तरों के विवरण सारणी क्रमांक 1.11 में वर्णित हैं:

सारणी क्रमांक 1.11

विभाग का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	तथ किये गये प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	निरीक्षण प्रतिवेदनों की अवधि जिनसे सम्बन्धित प्रस्तर तथ किये गये
वाणिज्य कर	32	262	0.88	1995–96 से 2012–13 तक
स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	24	06	0.02	2010–11
राज्य आबकारी	05	32	0.56	1996–97 से 1998–99 से 2002–03 एवं 2009–10 से 2012–13 तक
योग	61	300	1.46	

राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करने के प्रयासों की हम सराहना करते हैं।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के अतिरिक्त, नीचे दर्शाये गये विवरणानुसार मौके पर की गई वार्ता तथा विभागों से प्राप्त उत्तरों के माध्यम से वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 11.12 करोड़ के 552 प्रस्तर निस्तारित किये गये जिनका ब्यौरा सारणी क्रमांक 1.12 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 1.12

विभाग का नाम	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्य कर	426	4.79
स्टाम्प एवं निबन्धन	30	0.24
राज्य आबकारी	73	5.32
परिवहन	05	0.13
भू-राजस्व	07	0.44
भू-तत्व एवं खनिकर्म	02	0.19
मनोरंजन कर	09	0.01
योग	552	11.12

अनिस्तारित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के शीघ्र निस्तारण के लिये यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा समितियाँ नियमित रूप से मिलें और निस्तारण के लिये लम्बित सभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1.8 आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर सभी विभागों को छ: सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देने के लिये वित्त विभाग ने निर्देश निर्गत किये थे। आलेख प्रस्तरों को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा परिणामों पर उनका ध्यान आकर्षित करने तथा छ: सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिये अनुरोध करते हुए महालेखाकार के माध्यम से हमने अद्वैत शासकीय पत्र भेजे। विभाग से उत्तर न प्राप्त होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समिलित प्रत्येक प्रस्तरों के अन्त में निश्चित रूप से दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन में समिलित 55 आलेख प्रस्तरों एवं एक समीक्षा (48 प्रस्तरों में समेकित एवं एक समीक्षा) को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अद्वैत शासकीय पत्र के माध्यम से जुलाई 2013 में अग्रसारित किया गया था। सम्बन्धित विभागों के सचिवों ने समीक्षा एवं 53 आलेख प्रस्तरों के उत्तर भेजे, जबकि वाणिज्य कर विभाग के 2 आलेख प्रस्तरों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुश्रवण – सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चित प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों और समीक्षाओं पर, चाहे वह लोक लेखा समिति (लो०ले०स०) द्वारा परीक्षण हेतु लिए गये हों या न लिये गये हों, विभाग द्वारा स्वतः कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। पूर्व में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत, वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 169 प्रस्तरों/समीक्षाओं में से 87 आलेख प्रस्तरों/समीक्षाओं पर कोई भी व्याख्यात्मक टिप्पणी नवम्बर 2013 तक हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थीं। वर्ष 2007 के पश्चात् अवशेष व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण सारणी क्रमांक 1.13 में वर्णित हैं:

सारणी क्रमांक 1.13

प्रतिवेदन का वर्ष	विधायिका के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/समीक्षाओं की संख्या	प्रस्तरों/समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हो चुकी हैं	प्रस्तरों/समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं
2007–08	17 फरवरी 2009	16	14	2
2008–09	28 जनवरी 2010	13	9	4
2008–09 (राज्य आबकारी विभाग पर स्टैण्ड अलोन प्रतिवेदन)	5 अगस्त 2011	29	29	0
2009–10	08 अगस्त 2011	20	13	07
2010–11	30 मई 2012	35	17	18
2011–12	16 सितम्बर 2013	56	0	56
योग		169	82	87

कृत कार्यवाही की टिप्पणी/प्रतिवेदन भेजे जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावधान हैं कि इन्हें लोक लेखा समिति की बैठकों के छः माह के अन्दर सूचित किया जाना चाहिये। किन्तु, विभागों द्वारा अभी तक संसूचित नहीं किया गया है।

1.10 राज्य आबकारी विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं के क्रम में, एक विभाग से सम्बन्धित पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी समीक्षाओं तथा प्रस्तरों में उठाये गये मुख्य बिन्दुओं पर शासन/विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गयी है।

अनुवर्ती प्रस्तरों 1.10.1 से 1.10.2 में राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित विगत छः वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मामले एवं वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर चर्चा की गयी है।

1.10.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले छः वर्षों के दौरान जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों और मार्च 2013 तक की उनकी स्थिति का विवरण सारणी क्रमांक 1.14 में वर्णित हैं:

सारणी क्रमांक 1.14

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान बढ़ि			वर्ष के दौरान निस्तारण			अन्त शेष			(₹ करोड़ में)
	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	
2007-08	773	1,135	399.21	65	90	49.16	68	92	42.90	770	1,133	405.47	
2008-09	770	1,133	405.47	69	111	14.98	45	72	10.73	794	1,172	409.72	
2009-10	794	1,172	409.72	87	190	26.51	45	69	12.99	836	1,293	423.24	
2010-11	836	1,293	423.24	79	171	119.00	55	112	4.21	860	1,352	538.03	
2011-12	860	1,352	538.03	190	567	246.02	35	74	17.27	1,015	1,845	766.78	
2012-13	1,015	1,845	766.78	120	320	47.83	11	49	1.04	1,124	2,116	813.57	

वर्ष 2008-09 के दौरान जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों जिनमें ₹ 49.99 करोड़ की धनराशि निहित थी, लेखापरीक्षा समिति की 19 बैठकों में निस्तारित किये गये।

1.10.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्यांकित बिन्दुओं पर शासन/विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन

1.10.2.1 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों की स्थिति, इसमें से विभाग द्वारा स्वीकार किये गये मामले तथा वसूल की गई धनराशियों का विवरण सारणी क्रमांक 1.15 में वर्णित हैं:

सारणी क्रमांक 1.15

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का वर्ष	सम्मिलित किये गये प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों में निहित धनराशि	स्वीकृत प्रस्तरों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तरों की धनराशि	वसूल की गई धनराशि (31.12.2013 तक)
2007-08	2	1.26	01	0.76	0.26
2008-09	29	1,344.56	09	4.24	3.93
2009-10	03	1.44	0	0	0
2010-11	11	1.03	05	3.04	0.52
2011-12	08	12.08	02	0.49	0.12
योग	53	1,360.37	17	8.53	4.83

पूर्वगामी सारणी यह दर्शाती है कि प्रस्तरों की स्वीकृति अत्यन्त न्यून है। स्वीकृत प्रस्तरों की वसूली मात्र 57 प्रतिशत है।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग कम से कम स्वीकृत प्रस्तरों में सन्निहित धनराशियों की वसूली सुनिश्चित करे।

1.11 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पूर्व रुझान, अन्य मापदण्डों एवं राजस्व की स्थिति के अनुसार उच्च, मध्य एवं लघु जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम के विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें कर प्रशासन व शासकीय राजस्व के महत्वपूर्ण मामले जैसे बजट अभिभाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों में अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की रूपरेखा, लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव सम्मिलित रहता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 2,581 इकाइयाँ लेखापरीक्षण हेतु उपलब्ध थीं, जिनमें से 1,285 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। विस्तृत विवरण सारणी क्रमांक 1.16 में दर्शित हैं:

सारणी क्रमांक 1.16

क्रम संख्या	विभाग का नाम	लेखापरीक्षण योग्य इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
1.	वाणिज्य कर	1,643	616
2.	राज्य आबकारी	296	148
3.	परिवहन	72	72
4.	मनोरंजन कर	72	24
5.	स्टाम्प एवं निबंधन	425	352
6.	भू-तत्व एवं खनिकर्म	73	73
	योग	2,581	1,285

योजना बनाते समय उच्च जोखिम वाली इकाइयों को मध्यम एवं न्यून जोखिम वाली इकाइयों पर प्राथमिकता दी गई।

उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त ‘वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली’ पर एक समीक्षा भी की गयी है।

1.12 लेखापरीक्षा का प्रभाव

1.12.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक के हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अवनिर्धारण, कर के कम आरोपण/अनारोपण, राजस्व हानि, मांग उठाने में विफलता आदि के ₹ 3,517.44 करोड़ के मामले प्रतिवेदित किये गये थे। सम्बन्धित विभागों ने नवम्बर 2013 तक ₹ 1437.76 करोड़ के मामले स्वीकार किये व ₹ 36.19 करोड़ की वसूली की। स्वीकृत व वसूल किये गये मामलों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वार व्यौरा सारणी क्रमांक 1.17 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 1.17

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	(₹ करोड़ में) वसूल की गई धनराशि (31.12.2013 तक)
2007-08	1,035.85	927.83	12.83
2008-09	109.07	12.23	2.28
2008-09 (राज्य आबकारी विभाग पर स्टैण्ड अलोन प्रतिवेदन)	1,344.56	4.24	3.93
2009-10	69.51	8.77	3.18
2010-11	100.50	46.28	11.37
2011-12	857.95	438.41	2.60
योग	3,517.44	1,437.76	36.19

स्वीकृत मामलों में वसूली अत्यन्त न्यून (2.52 प्रतिशत) है।

सन्निहित धनराशियों, विशेषतः स्वीकृत मामलों में, की त्वरित वसूली के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.12.2 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

हमारे वर्ष 2007–08 से 2011–12 के 5,492 निरीक्षण प्रतिवेदनों में अवनिर्धारण, कर के अनारोपण/कम आरोपण, अर्थदण्ड के अनारोपण एवं अन्य कमियों के 18,912 मामले प्रतिवेदित थे, जिनमें ₹ 3,763.83 करोड़ की धनराशि सन्निहित थी। सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के ₹ 31.35 करोड़ जिनमें 2,501 मामले निहित थे स्वीकार किया। विभागों ने 1,371 मामलों में ₹ 15.72 करोड़ वसूल किये। लम्बित प्रतिवेदनों का व्यौरा सारणी क्रमांक 1.18 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 1.18

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	निहित राजस्व की धनराशि	स्वीकृत धनराशि	की गई वसूली (31.12.2013 तक)
1.	वाणिज्य कर	2,578	11,022	2,084.95	17.93	2.48
2.	राज्य आबकारी	1,169	2,315	335.17	2.65	2.65
3.	परिवहन	347	2,034	694.75	10.13	10.13
4.	स्टाम्प एवं निबन्धन	1,336	3,174	174.47	0.54	0.46
5.	भूतत्व एवं खनिकर्म	62	367	474.49	0	0
योग		5,492	18,912	3,763.83	31.25	15.72

1.12.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क तथा कर एवं करेतर प्राप्तियों से सम्बन्धित 1,285 इकाइयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जाँच में ₹ 2,045.28 करोड़ के अवनिर्धारण / कर के कम आरोपण एवं अन्य कमियों के 6,373 मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 496 मामलों में ₹ 3.35 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों आदि के मामले स्वीकार किये एवं 359 मामलों में ₹ 1.24 करोड़ वसूल किये।

यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में ‘‘वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली’’ पर एक समीक्षा को मिलाकर 49 प्रस्तर हैं जो कर, शुल्क, ब्याज तथा अर्थदण्ड आदि के अनारोपण / कम आरोपण, से सम्बन्धित हैं जिनमें सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 427.93 करोड़ है। शासन / विभागों ने ₹ 103.91 करोड़ की धनराशि की आपत्तियाँ स्वीकार की हैं, जिसमें से ₹ 2.05 करोड़ वसूल किये गये। शेष मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)। इने मामलों की चर्चा अनुवर्ती अध्याय-II से VI में की गई है।

कार्यपालिक सारांश

<p>इस अध्याय में हमने क्या मुख्यांकित किया है</p> <p>कर संग्रहण में वृद्धि/कमी</p> <p>प्रवर्तन शाखा की कमजोर कार्य प्रणाली</p> <p>निरीक्षण प्रतिवेदनों 2012–13 के अनुपालन की स्थिति</p> <p>हमारा निष्कर्ष</p>	<p>इस अध्याय में हमने “वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की कार्य प्रणाली” पर एक समीक्षा एवं ₹ 149.94 करोड़ के निर्दर्शी मामले दर्शाये गये हैं। यह हमारे अभिलेखों की नमूना जॉच में पाए गए प्रेक्षणों से लिए गए हैं व वैट के कम आरोपण प्रवेश कर का कम/अनारोपण अर्थदण्ड के अनारोपण, घोषणा प्रपत्रों पर अनियमिता के कारण कम करारोपण एवं कर की दर के त्रुटिपूर्ण आरोपण से सम्बन्धित है।</p> <p>पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्तियों में ₹ 1762.82 करोड़ की वृद्धि (5.32 प्रतिशत) हुई विभाग की वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों के विरुद्ध ₹ 3622.52 करोड़ (9.4 प्रतिशत) कम थीं।</p> <p>विभाग की प्रवर्तन शाखा (प्र0शा0) में सचल दल (स0द0) इकाइयाँ और विशेष अनुसंधान शाखाएँ (वि0अनु0शा0) शामिल हैं। हमने प्र0शा0 की कार्यप्रणाली में अनेक कमियाँ देखी, जो कि “वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली” की समीक्षा में चित्रित हैं।</p> <p>हमने वर्ष 2012–13 के दौरान 616 वाणिज्य कर कार्यालयों में 1,17,213 मामलों में से 54,141 मामलों के कर निर्धारण एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जॉच की एवं गलत कर की दर और त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण का अनारोपण/कम आरोपण, प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण त्रुटिपूर्ण कर मुक्ति आदि के ₹ 778.39 करोड़ के 3589 मामले पाये। विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के ₹ 2.94 करोड़ के 438 मामले स्वीकार किए। विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान 316 मामलों में ₹ 89.26 लाख की वसूली की।</p> <p>विभाग को प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है जिससे हमारे द्वारा पायी गई कमियों एवं प्रणालीगत कमजोरियों से भविष्य में बचा जा सके।</p> <p>हमारे द्वारा इंगित कर के अनारोपण/कम आरोपण, घोषणापत्रों पर त्रुटिपूर्ण आरोपण आदि के मामलों पर, विशेषकर उन मामलों में, जिनमें हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया गया है की वसूली हेतु त्वरित कार्यवाही के पहल की भी आवश्यकता है।</p>

अध्याय-II

बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 कर प्रशासन

व्यापार कर (व्या०क०) राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है (दिसम्बर 2007 के पश्चात इसे वाणिज्य कर के रूप में जाना गया) जो कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व (₹ 58,098.36 करोड़) के 60 प्रतिशत (₹ 34,870.16 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। वाणिज्य कर का आरोपण 31 दिसम्बर 2007 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 (उ०प्र०व्या०क० अधि०) के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों, तत्पश्चात उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 (उ०प्र०म०स०क० अधिनियम) 1 जनवरी 2008 से प्रभावी, के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। प्रवेश कर का आरोपण उत्तर प्रदेश माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के प्रावधानों और तत्पश्चात बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय बिक्री कर के आरोपण का विनियमन केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (क०बि०क० अधि०) के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अनुसार किया जाता है।

प्रमुख सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। वाणिज्य कर विभाग का सम्पूर्ण नियंत्रण कमिश्नर वाणिज्य कर (क०वा०क०) उत्तर प्रदेश में निहित है, जिनका मुख्यालय लखनऊ में है। उनकी सहायता 104 एडीशनल कमिश्नरों, 157 ज्वाण्ट कमिश्नरों, ज्वा०क० 494 डिप्टी कमिश्नरों (डि०क०) 964 असिस्टेन्ट कमिश्नरों एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारियों (वा०क०अ०) द्वारा की जाती है।

2.2 प्राप्तियों का रुझान

विगत वर्षों 2008-09 से 2012-13 की अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ ही उसी अवधि में व्यापार कर/वैट की वास्तविक प्राप्तियों का विवरण सारणी क्रमांक 2.1 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.1

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता आधिक्य (+) कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों में वास्तविक व्या०क०/मू०स०क० का प्रतिशत
2008-09	19,705.00	17,482.05	(-) 2,222.95	(-) 11.28	28,658.97	61.00
2009-10	20,741.27	20,825.18	(+) 83.91	0.40	33,877.60	61.47
2010-11	26,978.34	24,836.52	(-) 2,141.82	(-) 7.94	41,355.00	60.06
2011-12	32,000.00	33,107.34	(+) 1,107.34	3.46	52,613.43	62.93
2012-13	38,492.18	34,870.16	(-) 3,622.02	(-) 9.41	58,098.36	60.02

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित लेखे।

2012-13 में बिक्री, व्यापार आदि से संग्रह में गत वर्ष की तुलना में 5.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर का विस्तार (-) 11.28 प्रतिशत एवं 3.46 के मध्य रहा।

विभाग ने बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता के विशिष्ट कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

हम संस्तुति करते हैं कि सरकार बजट अनुमानों को यथार्थ बनाने का प्रयत्न करे जिससे अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता कम हो सकें।

2.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को ₹ 22,850.53 करोड़ का राजस्व बकाया था, जिसमें से ₹ 14,256.01 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित था। वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक के लंबित राजस्व बकाए का विवरण सारणी क्रमांक 2.2 में दिखाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का आरम्भिक रहतिया	बकाया का अंतिम रहतिया
2008-09	11,081.94	15,389.85
2009-10	15,389.85	16,453.30
2010-11	16,453.30	16,665.41
2011-12	16,665.41	18,960.28
2012-13	18,960.28	22,850.53

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

31 मार्च 2013 को बकाया ₹ 22,850.53 करोड़ के बारे में विभाग ने बताया कि ₹ 1,730.04 करोड़ के भू राजस्व के बकाए की वसूली के लिए प्रमाणित माँग पत्र निर्गत किए गए, ₹ 4,566.12 करोड़ न्यायालय एवं शासन द्वारा स्थगित किए गए थे, ₹ 489.86 करोड़ की बकाया की वसूली सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी विभागों से थी। ₹ 1,166.26 करोड़ की वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों से सम्बन्धित थे, राज्य के ट्रान्सपोर्टरों पर ₹ 51.78 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र थे, ₹ 1579.44 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित है। ₹ 13,267.03 करोड़ के शेष बकाए के मामले में की गई विनिर्दिष्ट कार्रवाई के बारे में विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई।

2.4 प्रति व्यापारी बिक्री, व्यापार आदि पर कर की लागत

प्रति व्यापारी वैट पर वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि के दौरान आयी लागत का विवरण सारणी क्रमांक 2.3 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.3

वर्ष	व्यापारियों की संख्या	सकल संग्रह (₹ करोड़ में)	संग्रह पर व्यय (₹ करोड़ में)	प्रति व्यापारी लागत (₹ में)
2010-11	5,94,695	24,836.52	391.45	6,582.37
2011-12	6,42,645	33,107.34	440.89	6,860.55
2012-13	7,08,636	34,870.16	416.18	5,872.97

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

2.5 कर निर्धारण हेतु बकाए मामले

उत्तर प्रदेश संवर्धित कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा 3 के अनुसार कर निर्धारण के लिए समय सीमा कर अवधि समाप्त होने के बाद से तीन वर्ष की अवधि तक है।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कर निर्धारण के मामले, अतिरिक्त मामले जो कि वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु प्राप्त हुए, वर्ष के दौरान निस्तारित मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु अवशेष मामलों का विवरण सारणी क्रमांक 2.4 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक रहतिया	कर निर्धारण हेतु प्राप्त मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में बकाया मामले	कालम 4 के सापेक्ष कॉलम 6 का प्रतिशत
2008-09	9,38,667	5,33,358	14,72,025	9,50,313	5,21,712	35.44
2009-10	5,21,712	1,83,378	7,05,090	6,92,704	12,386	1.76
2010-11	12,386	5,44,458	5,56,844	5,50,802	6,042	1.09
2011-12	6,042	6,54,378	6,60,420	4,76,368	1,84,052	27.87
2012-13	1,84,052	4,58,225	6,42,277	4,95,505	1,46,772	22.85

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कर निर्धारण हेतु बकाये मामलों का प्रतिशत 1.09 से 35.44 के मध्य है।

विभाग द्वारा बकाए मामलों का कर निर्धारण निर्धारित समय में किया जाना चाहिए।

2.6 संग्रह की लागत

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान बिक्री व्यापार आदि पर कर से सकल संग्रह, संग्रह पर किए गए व्यय और ऐसे व्यय की सकल संग्रह पर प्रतिशतता सकल संग्रह पर किए गए व्यय के सुसंगत पिछले वर्ष की सुसंगत अखिल भारतीय प्रतिशतता को सारणी क्रमांक 2.5 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह पर संग्रह की लागत की प्रतिशतता	पिछले वर्ष की अखिल भारतीय प्रतिशतता
2008-09	17,482.05	272.54	1.56	0.83
2009-10	20,825.18	358.43	1.72	0.88
2010-11	24,836.52	406.65	1.64	0.96
2011-12	33,107.34	440.89	1.33	0.75
2012-13	34,870.16	430.31	1.23	0.83

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित लेखे।

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से अधिक है।

हम शासन से संग्रह लागत कम करने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाने की संस्तुति करते हैं।

2.7 लेखा परीक्षा के प्रभाव

2.7.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) के अनुपालन की स्थिति:

हमने वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में प्रतिवेदनों के माध्यम से कर के अनारोपण/कम आरोपण, कर की वसूली न होना/कम वसूली, कर का कम आरोपण/राजस्व हानि, अनियमित छूट, टर्नओवर का छिपाव, कर की गलत दर का लागू किया जाना, गणना की त्रुटि आदि के ₹ 1,560.51 करोड़ के 10,987 मामलों को इंगित किया। इनमें से विभाग/शासन ने 1,843 मामलों में ₹ 17.93 करोड़ की लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया था तथा अब तक 732 मामलों में ₹ 2.48 करोड़ की वसूली हो चुकी थी। विवरण सारणी क्रमांक 2.6 में दर्शाया गया है।

सारणी क्रमांक 2.6

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकार की गई धनराशि	वसूल की गई धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि		मामलों की संख्या	धनराशि
2007-08	489	1,210	1,191.14	124	0.51	114
2008-09	591	1,967	64.65	202	5.60	128
2009-10	685	2,711	77.32	559	7.13	112
2010-11	892	2,648	94.73	436	1.63	148
2011-12	615	2,451	132.67	522	3.06	230
योग	3,272	10,987	1,560.51	1,843	17.93	732
						2.48

2.7.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13):

वर्ष 2012–13 के दौरान 616 वाणिज्य कर कार्यालयों के कर निर्धारण और अन्य अभिलेखों के 1,17,213 मामलों में से 54,141 मामलों की नमूना जाँच में कर का अनारोपण/कम आरोपण और अन्य अनियमतताओं के ₹ 778.39 करोड़ के 3,589

मामले पाए गए, जो निम्नखिलित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं और जिन्हें सारणी क्रमांक 2.7 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.7

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली (एक समीक्षा)	1	73.20
2.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण कम आरोपण	711	75.47
3.	कर का अनारोपण/कम आरोपण	334	54.67
4.	अनियमित कर मुक्ति का दिया जाना	326	18.45
5.	माल की दर का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	301	8.50
6.	माल का गलत वर्गीकरण	4	0.08
7.	केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित अनियमितताएँ	56	3.21
8.	गणना की त्रुटि	14	16.96
9.	टर्नओवर पर कर लगने से छूट जाना	11	0.09
10.	अन्य अनियमितताएँ	1,831	527.76
योग		3,589	778.39

वर्ष 2012–13 के दौरान विभाग ने 438 मामलों में ₹ 2.94 करोड़ के अविधारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 8,000 का एक मामला वर्ष 2012–13 में इंगित किया गया था तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान 316 मामलों में ₹ 89.26 लाख की वसूली की।

“वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली” पर एक समीक्षा एवं कुछ निदर्शी मामले जिनमें कि ₹ 149.94 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

2.8 वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली

प्रमुख अंश

- वर्ष 2009 से कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ करने के बावजूद नीतियाँ, नियम एवं कार्यविधियाँ अभी तक विकसित की जा रही हैं। परिवर्तन प्रबन्धन नियंत्रण के साधन अपर्याप्त हैं तथा आपदा प्रबन्धन (डिसास्टर मैनेजमेन्ट) एवं सतत कार्य-योजना का अभाव है।

(प्रस्तर 2.8.7.1, 2.8.7.2)

- प्रान्त से होकर गुजरने वाले कर योग्य माल के पारामन सम्बन्धी जांच/सूचना तकनीक के अभाव के फलस्वरूप अधिग्रहण के मामलों की संख्या क्रमशः 14632 से घटकर 30 तथा आच्छादित धनराशि ₹ 557.67 करोड़ से घटकर ₹ 1.53 करोड़ रह गयी।

(प्रस्तर 2.8.7.5)

- फार्म-38 (आयात हेतु घोषणा पत्र) को संव्यवहार का विवरण भरे बिना आनलाइन डाउनलोड करने के प्रावधान से राजस्व क्षति का जोखिम बना।

(प्रस्तर 2.8.7.6)

- अपर्याप्त जनशक्ति, असंचालित नियन्त्रण कक्ष एवं उपकरणों की अनुपलब्धता प्रवर्तन शाखा में सचल दल इकाईयों के दुर्बल संचालन का कारण रही।

(प्रस्तर 2.8.8, 2.8.8.2)

- सचल दल इकाईयों वर्ष में 23 दिनों से 287 दिनों तक असंचालित रहीं जिसके परिणामस्वरूप माल के अनधिकृत परिवहन की जांच नहीं की जा सकी।

(प्रस्तर 2.8.8.1)

- अधिनियम का उल्लंघन करके परिपत्र निर्गत किये जाने के परिणाम स्वरूप ₹ 32.37 करोड़ की जमानत राशि कम वसूल हुई।

(प्रस्तर 2.8.8.4)

- पंजीकृत व्यापारियों से सम्बन्धित अभिग्रहण के मामलों की निगरानी की कमी के फलस्वरूप ₹ 39.64 करोड़ की जमानत राशि कम वसूल हुई।

(प्रस्तर 2.8.8.5)

2.8.1 प्रस्तावना

वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की शक्तियाँ उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-13 ए, 28, 28 'ए', 28 'बी' सपठित व्यापार कर नियमावली के नियम 83 और नियम 87 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (उ0प्र0 वैट) 2008 की धारा 45 से 52 तक तथा सपठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 52 से 59 तक में दिये गये प्रावधानों से संचालित होती हैं। चेक पोस्ट (अगस्त 2008 से अगस्त-2009 के मध्य समाप्त), सचल दल (स0द0) इकाई एवं विशेष अनुसंधान शाखा (वि0अनु0शा0) प्रवर्तन शाखा के अंग हैं जो कि करापवंचन को रोकने के लिए कार्य करती है।

प्रदेश की सीमाओं से लगे महत्वपूर्ण स्थानों पर 83 जांच चौकियाँ माल के प्रान्त बाहर से परिवहन की जांच के लिए उत्तरदायी थीं। सचल दलों की तैनाती माल के परिवहन के दौरान करापवंचन को रोकने के लिए की गयी है।

छियालीस वि0अनु0शा0 इकाईयों की स्थापना करापवंचन के मामलों की जांच हेतु की गयी थी। यह वि0अनु0शा0 इकाईयाँ अपने क्षेत्र में कर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण वस्तुओं

के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने, व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन हेतु अपनायी गयी कार्य प्रणाली जैसे— अनियमित प्रान्तीय एवं अन्तर्प्रान्तीय बिक्री, स्टाक ट्रान्सफर, माननीय न्यायालयों के निर्णयों की गलत व्याख्या, कर का भुगतान न किया जाना आदि के लिये उत्तरदायी हैं। विशेष अनुसंधान शाखाओं का कार्य करापवंचन की रोकथाम हेतु आवश्यकतानुसार गोपनीय सर्वेक्षण एवं व्यापारियों/ट्रान्सपोर्टरों के व्यापार स्थलों/गोदामों की जांच¹ करना है।

उत्तर प्रदेश में वैट अधिनियम दिनांक 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया। शासन द्वारा वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान दो चरणों में सभी 83 जांच चौकियां समाप्त कर दी गयी। जांच चौकियों की समाप्ति के पश्चात माल के बिना उचित अभिलेखों के प्रान्त के अन्दर एवं प्रान्त बाहर से माल के संचालन से करापवंचन की रोकथाम हेतु सचल दल इकाइयाँ ही एक मात्र साधन हैं। जून 2008 में सचलदल इकाइयों की संख्या 55 से बढ़ाकर 150 कर दी गयी²।

हमने ‘वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली’ पर एक समीक्षा की जिसमें वैट प्रणाली के पश्चात, जिसमें जांच चौकियों की समाप्ति के पश्चात एवं वैट अधिनियम, उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रों में कमियां उजागर हुईं।

2.8.2 संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, निगरानी एवं नियंत्रण प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कर विभाग का सम्पूर्ण रूप से नियंत्रण एवं निर्देशन का दायित्व, कमिशनर–वाणिज्य कर, में निहित है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्यों के कुशल निष्पादन के उद्देश्य से विभाग को 20 जोनों में विभाजित किया गया है। पुनः ये जोन 45 संभागों में विभाजित हैं। मुख्यालय स्तर पर प्रवर्तन शाखा की कार्यावाही की निगरानी एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर द्वारा की जाती है। ज्याइंट कमिशनर (ज्वा० कमि०) (वि०अनु०शा०) एवं ज्याइंट कमिशनर (स०द०) इनके सहायक हैं। फील्ड में जोन स्तर पर प्रवर्तन शाखा की गतिविधियों का नियंत्रण/निगरानी एडीशनल कमिशनर ग्रेड–2 (वि०अनु०शा०) द्वारा की जाती है। ज्याइंट कमिशनर (वि०अनु०शा०) उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। संभाग स्तर पर डिप्टी कमिशनर (डि०कमि०) (वि०अनु०शा०) इकाई के प्रभारी होते हैं तथा असिस्टेन्ट कमिशनर (असि०कमि०) एवं वाणिज्य कर अधिकारी (वा०क०अ०) उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। कुल 144 सचल दल इकाईयाँ³ असि०कमि० (सचल दल) के अधीन कार्यरत हैं। सचल दल इकाइयाँ सम्बन्धित संभाग के ज्वा०कमि० (वि०अनु०शा०) को प्रतिवेदित करती हैं। विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी (आई०टी०) शाखा मुख्यालय स्तर पर ज्वा० कमि० (आई०टी०) के अधीन है जिन्हें एक डिप्टी कमिशनर (आई०टी०), एक असि०कमि० (आई०टी०) एवं सहायक कर्मी सहायता प्रदान करते हैं।

2.8.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिगत की गई थी कि क्या :

- अधिनियम के प्रावधानों, विज्ञप्तियों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अनुपालन अनुकूल ढंग से किया गया था।
- करापवंचन रोकने में वि०अनु०शा० एवं सचल दल इकाईयों की दक्षता एवं प्रभावकारिता।
- प्रवर्तन शाखा में कम्प्यूटरीकरण का प्रभाव।
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता।
- प्रवर्तन शाखा में जनशक्ति का उपयोग।

¹ उ०प्र० वैट अधिनियम की धारा 45 एवं व्यापार कर अधिनियम की धारा–28 ए एवं 28 बी के अन्तर्गत।

² विज्ञप्ति संख्या–क०नि०४–१०८०/११–२००८–४००(३५)/११ दिनांक 10 जून, 2008 द्वारा।

³ 1 जनवरी, 2013 को 150 स्थीकृत सचल दल इकाईयों के विरुद्ध।

2.8.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

समीक्षा के विषय हेतु लेखा परीक्षा के मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से व्युत्पन्न किये गये:

- उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 एवं उनके अधीन बनायी गयी नियमावलियाँ
- वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी प्रवर्तन मैन्युअल
- शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत विज्ञप्तियां एवं परिपत्र।

2.8.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं कार्य पद्धति

हमने अप्रैल 2012 और मार्च 2013 के मध्य समीक्षा सम्पादित की एवं वर्ष 2008–09 से 2011–12 की अवधि आच्छादित की। लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र विभाग की प्रवर्तन शाखा के अभिलेखों की जांच तक सीमित था। हमने कमिशनर वाणिज्य कर, 35 सचल दल⁴ इकाईयों एवं 14 जोनों⁵ से सम्बन्धित 19 डिप्टी कमिशनर (वि0अनु0शा0)⁶ कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच की।

जिन जोनों में उक्त सचल दल इकाइयां कार्यरत थीं, उनसे सम्बन्धित डिकमिं (वि0अनु0शा0) का चयन भी लेखापरीक्षा हेतु किया गया। इसके अतिरिक्त 17 सचल दल इकाईयों⁷ एवं 3 वि0अनु0शा0 जोनों⁸ से हमने वर्ष 2008–09 से 2011–12 अवधि की सूचनाएं एकत्र कीं। नवम्बर 2012 में विभाग के साथ प्रारम्भिक विचार गोष्ठी आयोजित की गयी थी जिसमें विभाग को लेखा परीक्षा के उद्देश्य एवं कार्य पद्धति से भिज्ञ कराया गया। समीक्षा के परिणाम विभाग एवं शासन को जुलाई 2013 में अग्रेषित किये गये थे। समापन विचारगोष्ठी सितम्बर 2013 में आयोजित की गयी जिसमें एडीशनल कमिशनर ने विभाग का तथा सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर ने शासन का प्रतिनिधित्व किया। विभाग/शासन के प्रत्युत्तरों को सम्बन्धित प्रस्तरों में सम्मिलित कर लिया गया है।

2.8.6 अभिस्वीकृति

लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाओं तथा अभिलेखों को उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए हम वाणिज्य कर विभाग का आभार प्रकट करते हैं।

लेखापरीक्षा के परिणाम

2.8.7 सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

विभाग द्वारा पारगमन घोषणापत्रों (टी.डी.एफ.)⁹ एवं फार्म-38¹⁰ के क्रमशः व्यापारी/ट्रान्सपोर्टरों द्वारा आनलाइन डाउनलोड करने की पद्धति (जुलाई 2009 एवं सितम्बर 2009) आरम्भ की गयी।

⁴ असिंकमिं (स०द०-२) आगरा, असिंकमिं(स०द० १ एवं २) बरेली, असिंकमिं (स०दल) बुलन्दशहर, असिंकमिं (स०द० १,४,५ एवं ६) गोतमबुद्धनगर, असिंकमिं, (स०द० १,२,३ एवं ४) गाजियाबाद, असिंकमिं(स०द० २ एवं ३) गोरखपुर, असिंकमिं (स०द० १ एवं २) झासी, असिंकमिं (स०द० १,२ एवं ३) कानपुर, असिंकमिं (स०द० १.) लखनऊ, असिंकमिं(स०द० १ एवं ४) मधुरा, असिंकमिं (स०द० २,४, एवं ५) मेरठ, असिंकमिं (स०द० २,३ एवं ५) मुरादाबाद, असिंकमिं (स०द० १,३ एवं ५) सहारनपुर, असिंकमिं (स०द०) मुगलसराय स्थित वाराणसी असिंकमिं स०द० ७ चौलाली स्थित वाराणसी, असिंकमिं (स०द०-२) जैवनपुर-चौलाली स्थित वाराणसी।

⁵ आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झासी कानपुर-१ एवं २, लखनऊ-१ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी-१ डिकमिं (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी आगरा, डिकमिं (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी बरेली, डिकमिं (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी गोरखपुर, डिकमिं (वि0अनु0शा0) संभाग झासी, डिकमिं (वि0अनु0शा0) संभाग ए, सी एवं बी कानपुर, डिकमिं (वि0अनु0शा0) संभाग मधुरा, डिकमिं (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी मेरठ, डिकमिं (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी मुरादाबाद, डिकमिं (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी सहारनपुर, डिकमिं (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी वाराणसी।

⁶ असिंकमिं(स०द०) १,३,४,५,६,७ एवं ८ आगरा, असिंकमिं(स०द०) ९,१०,११ एवं १२ कानपुर, असिंकमिं(स०द०) २,३,४, एवं ५ लखनऊ, असिंकमिं(स०द०) २ एवं ३ मधुरा।

⁷ गाजियाबाद-२, लखनऊ-२, वाराणसी-२।

⁸ टी.डी.एफ.ऐसे वाहन के ड्राइवर अथवा स्थानी द्वारा वाहन में लेदे माल का विवरण भरकर साथ रखे जाने वाला अभिलेख है जो प्रान्त बाहर से उत्तर प्रदेश में होते हुए अन्त प्रान्त को जाना हो। यह इस बात के प्रणालयस्वरूप होता है कि वाहन में लदा माल उ.प्र. में बिक्री के लिए नहीं ले जाया जा रहा है। आनलाइन डाउनलोडिंग परिपत्र सं. चेक पोस्ट-२५८/वाणिज्य कर दिनांक 27 जुलाई 2009 से आरम्भ हुई।

⁹ फार्म-38 एक आयत घोषणा पत्र है जो कि पंक्तीकृत व्यापारियों द्वारा बिक्री हेतु प्रान्त बाहर से माल मंगाते समय वाहन के साथ लेकर चलना होता है। आनलाइन डाउनलोडिंग परिपत्र सं. चेक पोस्ट- फार्म-38 व्यवस्था/0910045/वाणिज्य कर, दिनांक 28 अगस्त, 2009 द्वारा सितम्बर 2009 में आरम्भ की गयी।

वैट अधिनियम के अनुसार (1 जनवरी, 2008 से प्रभावी) सूचना प्रौद्योगिकी को प्रारम्भ करने के लिए कम्प्यूटरीकरण का कार्य मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) के सहयोग से आरम्भ किया गया। उक्त को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार द्वारा पत्र¹¹ दिनांक जून, 2010 द्वारा समयावधि भी निश्चित की गयी थी तथा सीमा के अनुसार निम्नलिखित कार्य दिसम्बर 2010 तक पूर्ण किये जाने थे :

- (i) एप्लीकेशन के प्रयोग हेतु तैयार होने पर किसी स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा जांच एवं सर्टिफिकेशन जैसे—मानकीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एस.टी.व्यू.सी.) की व्यवस्था।
- (ii) लम्बी अवधि तक विद्युत आपूर्ति बाधा, बाढ़, भूकम्प, वायरस हमला आदि की स्थिति में भी सिस्टम का 24×365 दिवस निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने हेतु आपदा प्रबन्धन योजना।

क्योंकि जाँच चौकियों के कार्यों का भाग विभाग के कम्प्यूटराइज्ड आनलाइन सिस्टम द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था, हमने टी.डी.एफ. सिस्टम की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा निष्पादित की। हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

2.8.7.1 टी.डी.एफ. डाटाबैंक की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

त्वरित निर्णय लेने, करापवंचन रोकने एवं परिणामतः वृहत्तर राजस्व संचरण के लिए सुदृढ़ प्रबन्धन सूचना तंत्र (एम.आई.एस.) उपलब्ध कराने एवं सूचकीय सक्षमता के उद्देश्य से बेहतर निर्णय लेने के लिये एन.आई.सी. लखनऊ द्वारा प्रान्त बाहर से उत्तर प्रदेश होते हुए अन्य प्रान्त को माल ले जाने के लिए बहती/ट्रान्जिट डिक्लरेशन फार्म (टी.डी.एफ.) के आनलाइन इश्यू/डाउनलोडिंग हेतु साफ्टवेयर विकसित किया गया। एन.आई.सी. द्वारा विकसित साफ्टवेयर फ्रन्ट में जावा सर्वर पेजों से युक्त एवं बैक एन्ड में आरेकल आर.डी.बी.एम. (रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेन्ट) सिस्टम से युक्त था। सभी विभागीय कार्यालयों का अपना स्वयं का लोकल एरिया नेटवर्क है तथा वे कमिशनर कार्यालय में वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) – भारत संचार निगम लिमिटेड की (64 के.बी.पी.एस.) लीज्ड लाइन द्वारा केन्द्रीय सर्वर से जुड़े हैं।

अंसंगत एवं परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने, कार्य योजना के सुसंगत सूचना प्रौद्योगिकी होने एवं समयबद्धता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक सूत्रबद्ध एवं अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी नीति का होना आवश्यक है।

हमने निर्गत/ डाउनलोडेड टी.डी.एफ. के डाटाबैंक की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि क्या विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल एवं

नीति विद्यमान है, प्रणाली की आवश्यकतानुसार विशिष्टियां (एस.आर.एस.) अभिलिखित हैं, टी.डी.एफ. का रखा गया डाटा विश्वसनीय है तथा केन्द्रीकृत डाटा का प्रभावकारी एम.आई.एस. हेतु मुख्यालय पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

ऑकड़ों की शुद्धता, पूर्णता एवं समेकता (इन्टीग्रिटी) की जांच के उद्देश्य से लेखापरीक्षा द्वारा कम्प्यूटर पर आडिटिंग टूल आईडिया (इन्टरैकिट डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड एनालिसिस) की सहायता से टी.डी.एफ. के डाटाबैंक का विश्लेषण किया गया। विभाग द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2010 से 16 दिसम्बर 2012 अवधि तक के ही ऑकड़े उपलब्ध कराये जा सके। इनका विश्लेषण आई.टी.सपोर्ट सिस्टम की दक्षता एवं प्रभावकारिता तथा आई.टी.कन्ट्रोल्स की विद्यमानता एवं पर्याप्तता की जांच हेतु किया गया।

¹¹ एफ नं0 एस-31013/2/2010-एस.ओ./(एस.टी.) दिनांक 24/06/2010

हमने पाया कि विभाग द्वारा आईटीसिस्टम के कार्यान्वयन, सुरक्षा, परिवर्तन प्रबन्धन-नियन्त्रण (यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी उत्पाद के सम्बन्ध में परिवर्तन नियंत्रित एवं समन्वित रूप में लागू किये जाते हैं), बैकअप डाटा का भण्डारण, आपदा निवारण एवं सतत कार्य योजना हेतु नीतियां निर्धारित नहीं की गयी थी। इन बिन्दुओं की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन ने बताया (सितम्बर, 2013) कि विभाग की आईटी पद्धति के आलोक में नीतियां एवं कार्यात्मक ढांचा (फ्रेमवर्क) विकसित किये जा रहे हैं।

उत्तर से पुष्टि होती है कि नीतियां, नियम एवं कार्यविधि विकसित नहीं थे और अभी तक विकास की अवस्था में हैं।

2.8.7.2 आपदा प्रबन्धन एवं सतत कार्य योजना

हमने देखा कि आपदा के तत्काल बाद की जाने वाली कार्यवाही की रूपरेखा दर्शाते हुए (ताकि आँकड़ों के प्रसंस्करण (प्रासैसिंग) की कार्यवाही तत्काल पुनः आरम्भ की जा सके), कोई आपदा निवारण एवं सतत कार्य योजना ही नहीं थी। डाटाबेस बैकअप का रखरखाव एन.आई.सी. द्वारा वृद्धि के (इन्क्रीमेन्टल) आधार पर किया जाता है जबकि प्राकृतिक अथवा तकनीकी आपदा की स्थिति में डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण डाटाबेस का बैक-अप विभागीय भवन से इतर किसी अन्यत्र स्थान पर भी रखा जाना चाहिये। मुख्य संरूपण (कनफिगरेशन) उपकरणों जैसे-हार्डवेयर, साफ्टवेयर, कार्मिक एवं अन्य सम्पत्तियां जो आपदा की स्थिति में आईटी कार्यों की निरन्तरता हेतु आवश्यक थे, की पहचान करके उन्हें अभिलेखीय रूप में नहीं रखा गया था।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन द्वारा बताया गया (सितम्बर 2013) कि डाटा बैकअप योजना भवन स्थित एन.आई.सी. के स्टेट डाटा केन्द्र में ट्रेप-ड्राइव एवं हार्डडिस्क में रखा जा रहा है। आपदा-प्रबन्धन योजना एवं कार्यविधि विकसित किये जा रहे हैं।

उक्त से यह स्पष्ट है कि शासन द्वारा दिसम्बर, 2010 तक पूर्ण किये जाने वाले आपदा प्रबन्धन योजना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

हम संस्तुति करते हैं कि आपदा प्रबन्धन एवं सतत कार्य योजना को स्थापित किया जाय।

2.8.7.3 इनपुट एवं वैलीडेशन नियन्त्रण

इनपुट नियन्त्रणों को लागू करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सिस्टम में फीड किये गये डाटा पूर्ण, विशुद्ध एवं निर्धारित मानदण्डों को पार करते हैं। यह आँकड़ों की संगतता के मुद्दे को भी इंगित करता है। सिस्टम का डिजाइन एवं संचालन फीडेड डाटा से विशिष्ट आँकड़ों को अलग करने हेतु पर्याप्त होना चाहिये। इनपुट नियन्त्रण एवं निष्पत्ता (वैलीडेशन) जांच में कमी की स्थिति में ट्रांजिट पास के निर्गमन में त्रुटियां होने एवं सम्बन्धित डाटा भण्डार नकली आँकड़ों पर आधारित होने की संभावना रहती है।

डाटाबेस की शुद्धता, पूर्णता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डाटा एन्ट्री के दौरान सभी संभावित एप्लीकेशन कन्ट्रोल लागू किये गये हों। यह नियन्त्रण सुनिश्चित करते हैं कि प्रासैसिंग हेतु प्राप्त डाटा विशुद्ध, पूर्ण, वैध, सही तथा अधिकृत हैं एवं डाटा हस्तान्तरण बिना फील्ड्स के दोहराव के उचित प्रकार से किया गया है तथा सिस्टम में डाटा एन्ट्री के समय सभी फील्ड सही प्रकार से भर दिये गये हैं।

सिस्टम की संरचना एवं संचालन इनपुट से आँकड़ों को पकड़ने हेतु पर्याप्त होना चाहिए। इनपुट नियन्त्रण एवं वैलीडेशन जांच में कमी की स्थिति में ट्रांजिट पास के निर्गमन तथा सम्बन्धित डाटाबैंक में त्रुटियां होने की संभावना रहती है।

हमने दिनांक 11 फरवरी 2010 से 16 दिसम्बर 2012 के दौरान

निकाले / डाउनलोड किये गये

₹ 98,11,54,740.90 करोड़ धनराशि से

आच्छादित 1,04,62,126 ट्रांजिट पासों की जांच की और पाया कि डाउनलोडेड ट्रांजिट पासों की संख्या फरवरी 2010 की 4,726 की संख्या के सापेक्ष बढ़कर मार्च 2012 में 4,10,189 हो गयी।

टी.डी.एफ. के डाटाबैंक की जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि 6,50,971 मामलों में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रविष्टियां जैसे— माल का विवरण, वजन एवं इकाई, स्वामी का नाम, प्रस्थान का प्रान्त, गन्तव्य प्रान्त आदि रिक्त थीं। पुनः अनेक मामलों में माल का मूल्य, बिल्टी नम्बर, बिल नम्बर, आदि में ‘शून्य’ अंकित किया गया था। विवरण सारणी क्रमांक 2.8 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 2.8

क्र.सं.	फील्ड	फील्ड विवरण खाली/शून्य	मामलों की संख्या
1	चेसिस नम्बर	खाली	6662
2	प्रस्थान का प्रान्त		5748
3	माल का विवरण		32490
4	गन्तव्य प्रान्त		35976
5	इंजिन नम्बर		6661
6	स्वामी		6023
7	माल की मात्रा एवं संख्या		36006
8	ट्रान्सपोर्टर का नाम		18997
9	माल का मूल्य		70878
10	बिल्टी नम्बर		371154
11	बिलों की संख्या		60376

हमारे द्वारा डाटाबेस के विश्लेषण में पाया गया कि आगे फील्ड्स में असत्य/अवास्तविक आंकड़े भरे गये थे जैसा कि सारणी क्रमांक 2.9 में अंकित है।

सारणी क्रमांक 2.9

क्र.सं.	फील्ड	फील्ड का विवरण	मामलों की संख्या
1	प्रवेश एवं निकास का दिनांक	सही प्रारूप ¹² में उपलब्ध नहीं	19,400
2	निकास का दिनांक	प्रवेश के दिनांक से भी पहले ¹³ की भरी हुई	35
3	निकास का दिनांक	निकास का दिनांक प्रवेश के दिनांक से चार दिन से भी कम के थे	38,60,760
4	वाहन संख्या एवं ट्रान्सपोर्टर	एक ही दिन में एक ही वाहन के लिए कई टी.डी.एफ. डाउनलोड करना	7,93,593

समापन गोष्ठी के दौरान (सितम्बर 2013) विभाग ने बताया कि वेबसाइट सीक्योरिटी आडिट के बाद गलत दिनांक फार्मेट के सम्बन्ध में सापेक्ष विवरण एवं त्रुटियों का निराकरण कर लिया गया है। विभाग ने आगे बताया कि एकसेल टेबिल फार्मेट में डाटा कन्वर्जन के फलस्वरूप डाटा की तिथि में बदलाव हो सकता है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि परिणाम “आईडीया”¹⁴ द्वारा निकाले गये हैं और फील्ड में कोई कन्वर्जन नहीं है क्योंकि “आईडीया” सापेक्ष विवरण बिना किसी डाटा कन्वर्जन के डाटाबैंक का विश्लेषण करता है।

चार दिन से कम अवधि के लिए तथा एक दिवस में एक ही वाहन के लिए कई ट्रांजिट पास डाउनलोड किये जाने के सम्बन्ध में विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर वाहन पांच से छः घण्टे में पुनः माल को लादकर आ सकते हैं। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि उक्त क्रमांक 3 एवं 4 पर दिये गये मामलों में गन्तव्य स्थान 390 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर था जहां से एक अथवा दो दिवस में वापसी यात्रा सम्भव नहीं थी।

¹² प्रदेश में प्रवेश एवं प्रदेश से निकास का दिनांक डीडी/एमएम/वाईवाईडीवाई के प्रारूप में अर्थात् 02/11/2012 होना चाहिये।

¹³ कोई भी वाहन प्रदेश में प्रवेश से पूर्व नहीं निकल सकता जैसे— प्रवेश तिथि 17.04.2010 जबकि निकास तिथि 11.04.2010 अतः प्रवेश का दिनांक निकास से पूर्व ही होना चाहिये।

¹⁴ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रमाणित अन्तर्राष्ट्रीय आडिट दूल।

2.8.7.4 ऑनलाइन टी.डी.एफ. सिस्टम की दुर्बलताएँ

व्यापार कर अधिनियम की धारा 28 एवं वाणिज्य कर अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में माल के अनियमित आयात एवं उसको लेखों में दर्ज न करने, कर के अपवर्चन को रोकने के उददेश्य से प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ लगने वाली सीमाओं पर महत्वपूर्ण स्थानों पर जाँच चौकियाँ स्थापित की गयी थीं। जाँच-चौकियाँ निम्न के लिए उत्तरदायी थीं:

- आयात घोषणा पत्रों (फार्म-38) की जाँच एवं पृष्ठांकित करके, कर योग्य माल के अनधिकृत प्रवेश को रोकना।
- प्रान्त बाहर से माल लेकर उत्तर प्रदेश में होते हुए अन्य प्रान्त को माल लेकर जाने वाले ट्रान्सपोर्टर/वाहन स्वामियों को ट्रांजिट पास (बहती) जारी करना।
- निकास जाँच चौकी पर ट्रांजिट पास खारिज करना।

घोषणापत्र (फार्म-38) के आनलाइन डाउनलोडिंग की वैकल्पिक व्यवस्था क्रमशः जुलाई¹⁷ 2009 एवं सितम्बर¹⁸ 2009 में प्रारम्भ की गयी। नयी पद्धति में 19 बिन्दुओं पर सूचना¹⁹ वाहन इंचार्ज/ट्रान्सपोर्टर द्वारा आनलाइन भरनी होती है। वांछित सूचना भरने के पश्चात 14 अंकों की स्वउत्पादित आई.डी.संख्या सहित टी.डी.एफ. आनलाइन जारी होता है। इस टी.डी.एफ. की प्रति लेकर वाहन इंचार्ज प्रदेश से होकर निकलने के लिए अनुमत्य था। टी.डी.एफ. प्रवेश की तिथि से चार दिनों के लिए मान्य था और यह माना जाता था कि इस अवधि के अन्दर वाहन उत्तर प्रदेश के बाहर निकल जायेगा। 46 जाँच चौकियों की समाप्ति एवं आनलाइन टी.डी.एफ. डाउनलोड करने की पद्धति लागू करने के मध्य 12 माह का अन्तराल था। इस अन्तराल की अवधि के दौरान उन क्षेत्रों के मार्ग जिनमें जाँच चौकियां समाप्त कर दी गयी थीं, किसी टी.डी.एफ. से आच्छादित नहीं थे।

हमने देखा कि स0द0इकाई/जोन/मुख्यालय स्तर पर डाउनलोड की गयी टी.डी.एफ. के विश्लेषण/अनुश्रवण हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी थी। पुनः ऐसा कोई इलेक्ट्रानिक सिस्टम भी लागू नहीं किया गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य प्रान्त के गन्तव्य हेतु आया माल वास्तव में प्रदेश से बाहर चला गया है। हमने यह भी पाया कि यद्यपि टी.डी.एफ. चार दिन के लिए मान्य है किन्तु इस तथ्य के बावजूद कि प्रवेश एवं निकास के स्थानों के मध्य की दूरी के

1 जनवरी 2008 से 0प्र० वैट अधिनियम लागू किया गया। उस समय पड़ोसी राज्यों से लगी सीमाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण स्थानों पर 83 जाँच चौकियाँ कार्यरत थीं।

2008-09 एवं 2009-10 के दौरान सभी जाँच चौकियाँ दो चरणों— 46 जाँच चौकियाँ¹⁵ जून 2008 में तथा 37 जाँच चौकियाँ¹⁶ जुलाई 2009 में समाप्त कर दी गयीं।

व्यापारी/ट्रान्सपोर्टर द्वारा ट्रांजिट डिक्लरेशन फार्म (टी.डी.एफ.) एवं आयात

¹⁵ अछेरा, अमरपुर, अम्बावाय, भगवन्तपुरा, बांगरा, बिस्मार्गंज, बादशाहीबाग, भोपुरा, भोयापुर, चखनी, चन्दियार, देवरी मउरानीपुर, दुंगरवाला, दुमचाड़ी, डी-एल चौराह, गोवर्धन, हथिनीकुण्ड, इन्द्रपुरी, झुप्पा, ग्राम खुनवा, कम्हरीरा, कोडली बांगर, कुलेशरा, कुआगांव, महाराजपुर, मकनपुर, मरैना, मोहपुर, मरवारी चौराहा, मावाटाड़ा, नगलांबिच (नन्वागांव), नरायण नाला, नरैनी चौराहा, पतवाड़ी, रेन नगर, रायपुरी, रामपुर बुजुर्ग, साहिबाबाद (कड़कड़ पुल), समउर, सौख, समसाबाद, सीतापुर, सुआवाला (सुतपुरी), टी.पी.नगर, लीलाकोठी, विप्रवाली।

¹⁶ अमरिया, अमटाड़ा, ओडमोड़, बारा, बम्ही, भागुडाला, भरीली, भूराहिंडी ग्राम, बड़कला, बड़ी, चौखटा, झमण्ड गंज, फलेहपुर, सीकरी, गोरीफन्टा, गोरीपुर, हरीनगर, आई.सी.डी.नैप्ला, केराना, कोडिया, कोशलगंज, लोनी, मझोला, मसौरा, मोहननगर (मोहनगर एक्सटेंशन सहित), मुगरा, नीबतपुर, रक्सा, रुपईदिया, सैयां, शाहजहांपुर, शीनगर, सोनीली, तमकुईराज, ताकुरद्वारा, ऊरी, विजयनगर।

¹⁷ परियन सं.— चैक पोस्ट—फार्म-38 व्यवस्था कर दिनांक 27 जुलाई 2009।

¹⁸ परियन सं.— चैक पोस्ट—फार्म-38 व्यवस्था कर दिनांक 09/10/05 /वाणिज्य कर दिनांक 28 अगस्त 2009।

¹⁹ (i) वाहन के प्रश्नान का स्थान (ii) गन्तव्य का स्थान (iii) वाहन नम्बर (iv) चैरिस नम्बर (v) इंजिन नम्बर (vi) ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं पता (vii) वर्तमान पता जैस कि वाहन की इश्योरेन्स पालिसी में दिया गया हो (viii) वाहन स्थानी का नाम व पता (ix) प्रदेश के अन्दर मार्ग का विवरण (x) प्रदेश में प्रवेश का सम्भावित दिनांक (xi) प्रदेश से निकास का सम्भावित दिनांक (xii) विलिंग्यों की कुल संख्या (xiii) बिलों की कुल संख्या (xv) नगों की कुल संख्या (xv) माल का मूल्य (अंकों में) (xvi) माल का मूल्य (अंकों में) (xvii) माल का विवरण (xviii) माल का वजन (xix) प्रिंटिंग (सर्वर का आई.पी.एड्रेस)।

दृष्टिगत (जहां एक ही दिन में कई फेरे संभव न हों) एक ही दिन में एक ही वाहन हेतु कई ट्रांजिट पासों का निर्गमन रोकने हेतु सिस्टम में कोई प्रावधान विद्यमान नहीं था।

राजस्व हित के दृष्टिगत ट्रांजिट पासों (टी.डी.एफ.) का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हमने वर्ष 2010 से 2012 के मध्य डाउनलोड किये गये 1,04,62,126 ट्रांजिट पासों में से 99,000 के आंकड़ों की नमूना जाँच एवं विश्लेषण किया और पाया कि:

- 3,605 व्यापारियों ने अपना माल सड़क मार्ग से एक प्रान्त से अन्य प्रान्त को वाया उत्तर प्रदेश 44,318 टी.डी.एफ. के द्वारा प्रेषित किया। यह हमारे द्वारा विश्लेषण किये गये 99,000 टी.डी.एफ. का 44.77 प्रतिशत थे। उक्त में एक ही वाहन के द्वारा समान प्रेषण के लिए उत्तर प्रदेश में समान मार्ग एवं उन्हीं प्रवेश तथा निकास मार्गों से होते हुए डाउनलोड की जाने वाली टी.डी.एफ. की संख्या पाँच से 569 तक थी। जबकि एक प्रान्त से अन्य प्रान्त में क्रेता को माल सुपुर्द करने तक पूर्ण यात्रा हेतु मात्र एक ट्रांजिट पास ही आवश्यक होता है। हमने देखा कि इस तथ्य के बावजूद कि यह घटनाक्रम वर्ष 2010 से 2012–13 तक निरन्तर जारी था तथा 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 (मई 2012 तक) के दौरान क्रमशः 425,486 एवं 36 ट्रांजिट पास डाउनलोड किये गये, किन्तु विभाग द्वारा इस विसंगति की जाँच नहीं की गयी।
- 3,605 व्यापारियों में से 27 व्यापारियों ने ₹ 133.60 करोड़ मूल्य के माल का प्रेषण एक प्रान्त से अन्य प्रान्त को 911 ट्रांजिट पास डाउनलोड करते हुए घोषित किया। हमने देखा कि इनमें से प्रत्येक वाहन द्वारा प्रथम टी.डी.एफ. दूसरी टी.डी.एफ. में दर्शायी गयी प्रवेश तिथि से एक या दो दिन पहले डाउनलोड की गयी थी। यह भी देखा गया कि यात्रा प्रारम्भ एवं गन्तव्य²⁰ स्थान के मध्य दूरी इतनी अधिक थी कि जाने एवं वापसी की दूरी एक अथवा दो दिन में तय नहीं की जा सकती है। स्पष्टतः एक या दो दिन बाद डाउनलोड की गयी द्वितीय टी.डी.एफ. का भौतिक रूप से उचित उपयोग सम्भव नहीं है।

पाँच व्यापारियों ने अपने माल के परिवहन हेतु 15 वाहनों के लिए बहुसंख्या में टी.डी.एफ. डाउनलोड की। यह टी.डी.एफ. एक ही दिनांक को समान वाहन के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों से माल का लदान करके भिन्न प्रान्तों के अलग-अलग प्रवेश एवं निकास के स्थानों से होते हुए जाने के लिए डाउनलोड की गयी थीं। जबकि एक वाहन किसी प्रान्त में एक स्थान से किसी अन्य प्रान्त में विशिष्ट स्थान पर सुपुर्दगी हेतु उत्तर प्रदेश में एक ही प्रवेश एवं निकास के स्थान से होते हुए, प्रस्थान के लिए ही लोड किया जा सकता है।

- यह भी उजागर हुआ कि दो ट्रान्सपोर्टरों ने एक ही वाहन हेतु समान प्रवेश एवं निकास की तिथियों के लिए बहुसंख्या में ट्रांजिट पास (टी.डी.एफ.) डाउनलोड किये। यह क्रिया 12 ट्रान्सपोर्टरों द्वारा अपनायी गयी।
- हमने यह भी देखा कि विभाग की आई.टी.शाखा द्वारा राजस्व के हित में उक्त को ढूँढ़ निकालने एवं सचल दलों तथा विओनुओशाखाओं को, विश्लेषण एवं वांछित कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।
- हमने विभाग की सूचना प्रबन्धन तंत्र वेबसाइट के प्रतिसत्यापन में पाया कि टी.डी.एफ. का डाटा वेबसाइट पर आटोमैटिकली अपडेट न होकर दिन में मैन्यूअली दो बार²¹ अपलोड किया जाता था। केवल दिन में दो बार टी.डी.एफ. के डाटा की अपलोडिंग के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्रों जैसे—आगरा, बुलन्दशहर,

²⁰ उदाहरणतः— अहमदाबाद (गुजरात) से विराट नगर (नेपाल), अलरसा (गुजरात) से धूलिया (पोबंगाल), भिवांडी (महाराष्ट्र) से काठमाण्डू (नेपाल), इन्दौर (मध्यप्रदेश) से दलसिंह सराय (बिहार), लुधियाना (पंजाब) से कटक (उडीसा), परवानू (हिमाचल) से पटना (बिहार) से पुणे (महाराष्ट्र) एवं सताना (मध्यप्रदेश) से गिरीजीह (झारखण्ड)।

²¹ 07.54 पूर्वाह्न एवं 01.54 अपराह्न।

गाजियाबाद, झांसी, मथुरा आदि की सचल दल इकाईयों के प्राधिकार क्षेत्र से वाहनों के माल खाली कर वापस निकल जाने का जोखिम तथा प्रवर्तन शाखा द्वारा ऐसे वाहनों की जांच कर उन्हें पकड़ने में असमर्थता फलित होती है। यह तथ्य फील्ड की प्रवर्तन इकाईयों द्वारा भी स्वीकार किये गये।

समापन गोष्ठी के दौरान (सितम्बर 2013) विभाग ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित समस्त आनलाइन एप्लीकेशंस से संबंधित सूचना प्रबन्धन रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा विभागीय अधिकारियों को आवंटित यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड के द्वारा उन्हें रोलबेस एवं संकलित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। डाउनलोड की गयी टी.डी.एफ. की रिपोर्ट वाहनवार, दिनांकवार, प्रान्तवार, प्रवेश एवं निकास बिन्दुवार तथा वस्तुवार विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों द्वारा स्थल पर ही एस.एम.एस. के माध्यम से भी टी.डी.एफ. का सत्यापन किया जा सकता है।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि विभाग द्वारा हमारे द्वारा इंगित किये गये मामलों की जांच एवं विश्लेषण नहीं किया गया और न वाहनों के बिना जांच किये निकल जाने की संभावना से बचने के लिये, सचल दल इकाईयों द्वारा पकड़े गये वाहनों से प्रतिसत्यापित ही कराया गया। पुनः एस.एम.एस. द्वारा टी.डी.एफ. के सत्यापन की पद्धति भी तभी कारगर है जबकि वाहन सचल दलों द्वारा की जा रही जांच में आ जावे अन्यथा टी.डी.एफ. का डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के पूर्व ही करापर्वंचन के उद्देश्य से प्रदेश में प्रवेश किये हुए वाहन के माल खाली कर वापस जाने का जोखिम बना रहता है।

2.8.7.5 प्रान्त से कर योग्य माल के ट्रांजिटिंग हेतु उचित आश्वासन प्रणाली का अभाव

उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 28बी एवं उ0प्र0व्यापार कर नियम 87 तथा उ0प्र0वैट की धारा 52* तथा नियम 58** के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 50 की उपधारा (1) में सन्दर्भित माल को एक प्रान्त से लाकर, अन्य प्रान्त में गन्तव्य को ले जाने के लिए ड्राइवर या वाहन का इंचार्ज जब उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है तो अपने साथ ऐसे अभिलेख रखेगा तथा ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो कमिशनर के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें।

ड0प्र0 वैट अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत शासन को ऐसे स्थानों पर जांच चौकी अथवा बैरियर स्थापित करने की शक्ति प्राप्त थी जिन्हें वह उचित समझे। यह प्रावधान विज्ञप्ति संख्या 1230(2)/79-V-1-09-1 को 21/2009 दिनांक 27 अगस्त 2009 द्वारा समाप्त कर दिया गया।

* विज्ञप्ति संख्या— क0नि0-2-1980/xi दिनांक 27 अगस्त 2009 द्वारा संशोधित

** विज्ञप्ति संख्या— क0नि0 2-241/xi दिनांक 4 फरवरी 2010 द्वारा संशोधित

हमने ‘‘प्रान्त से होकर गुजरने वाले प्रेषण वास्तव में प्रान्त से निकल गये हैं’’, हेतु विभागीय तन्त्र में विकसित प्रणाली की अनुपलब्धता के प्रभाव का विश्लेषण किया और पाया कि मात्र छ: जोनों²² में वर्ष 2007–08 से 2008–09 के मध्य निकास चौकियों पर बहती खारिज न कराने के 14632 मामले थे जिनसे आच्छादित माल का मूल्य ₹ 4448.60 करोड़ था। उ0प्र0व्यापार कर एवं वैट अधिनियम के प्रावधानानुसार उक्त मामलों में ₹ 557.67 करोड़ कर आरोपित किया गया। 2008–09 (जुलाई 08 से आगे) से 2011–12 के मध्य अवैध/ टी.डी.एफ. से अनाच्छादित पकड़े गये मामलों की संख्या घटकर मात्र 30 रह गयी जिसमें आच्छादित माल एवं कर प्रभाव क्रमशः ₹ 1.53 करोड़ एवं ₹ 1.04 करोड़ था जो कि सारणी क्रमांक 2.10 में दर्शाया गया है:

अवैध/ टी.डी.एफ. से अनाच्छादित पकड़े गये मामलों की संख्या घटकर मात्र 30 रह गयी जिसमें आच्छादित माल एवं कर प्रभाव क्रमशः ₹ 1.53 करोड़ एवं ₹ 1.04 करोड़ था जो कि सारणी क्रमांक 2.10 में दर्शाया गया है:

²² शेष सात जोनों द्वारा अंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये जबकि कानपुर-1 द्वारा विवरण (निरंक) दर्शाया गया।

सारणी क्रमांक 2.10

(₹ लाख में)

क्र0सं०	जोन	खारिज न करायी गयी टी.डी.एफ.		सचल दल इकाईयों द्वारा पकड़े गये मामले			
		अवधि: 2007–08 से 2008–09		जुलाई 2008 से 2011–12			
		खारिज न करायी गयी बहतियों की संख्या	बुल धनराशि	कर की राशि जो जमा नहीं की गयी	अवैध/बिना टी.डी.एफ. के मामले	कुल धनराशि	कर की राशि जो जमा नहीं की गयी
1	आगरा	शून्य	शून्य	0.43	शून्य	शून्य	शून्य
2	अलीगढ़	11,003	3,932.53	1,730.31	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3	झासी	575	3,321.13	985.37	18	93.31	79.65
4	कानपुर-II	शून्य	शून्य	शून्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5	सहारनपुर	3,049	4,37,564.09	53,050.7	12	60.07	24.02
6	वाराणसी-I	05	41.77	0	0	0	0
	योग	14,632	4,44,859.52	55,766.81	30	153.38	103.67

नोट : अनुपलब्ध = उपलब्ध नहीं कराये गये।

उक्त से यह स्पष्ट है कि सचल दल इकाईयाँ, जॉच चौकियों का पूर्ण विकल्प नहीं थीं। यह प्रान्त में माल की अवैध अनलोडिंग के मामलों को रोकने में उतनी प्रभावी नहीं हो पायी।

जांच चौकियों द्वारा 2007–08 से 2008–09 तक मैन्युअली जारी की गयी बहतियों एवं 2009–10 से 2011–12 के बीच डाउनलोड की गयी टी.डी.एफ. के आंकड़े सारणी क्रमांक 2.11 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.11

वर्ष	जारी बहतियों/टी.डी.एफ. का माध्यम	जारी बहतियों/टी.डी.एफ. की संख्या	वृद्धि/कमी	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
2006–07	मैन्युअली	17,99,323	—	—
2007–08	मैन्युअली	20,10,480	2,11,517	11.76
2008–09	मैन्युअली	19,74,896	(-) 35,944	(-) 01.79
2009–10 (सितम्बर 2009 से मार्च 2010)	आनलाइन	21,68,181	1,93,285	09.79*
2010–11	आनलाइन	37,19,217	17,44,321	88.32
2011–12	आनलाइन	42,90,260	5,71,043	15.35

नोट: अप्रैल 2009 से अगस्त 2009 की अवधि में मैन्युअली जारी बहतियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

* यह वृद्धि मात्र सात माह की अवधि में थी।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007–08 से 2008–09 के दौरान जब मैन्युअली बहती निर्गत की जाती थी तो वृद्धि 11.76 प्रतिशत थी। यहां तक कि 1.79 प्रतिशत की कमी आयी। आनलाइन टी.डी.एफ. जारी की पद्धति आरम्भ करने पर (दिनांक 01 सितम्बर 2009 से) मात्र छ: माह की अवधि में 9.79 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। यहां तक कि वर्ष 2010–11 में इसमें 88.32 प्रतिशत का उछाल आया। जबकि फार्म 38 की डाउनलोडिंग में कोई विशेष वृद्धि नहीं देखी गयी जो कि सारणी क्रमांक 2.12 से स्पष्ट है:

सारणी क्रमांक 2.12

(संख्या लाख में)

वर्ष	फार्म 31/38 की संख्या (छपे/मैन्युअली निर्माता)	वर्ष	फार्म 38 की संख्या मैन्युअली निर्माता एवं व्यापारियों द्वारा डाउनलोडेड
2006–07	7.50	2009–10	48.31
2007–08	43.80	2010–11	18.48
2008–09	34.05	2011–12	37.65
योग	85.35	योग	104.44

टी.डी.एफ.की संख्या में असामान्य वृद्धि पड़ोसी राज्यों में व्यापारियों की संख्या में हुई वृद्धि से भी समर्थित नहीं है। हमने आगे पाया कि व्यापार कर अधिनियम²³ के अन्तर्गत जारी मैनुअल के प्रावधानानुसार बहतियों की संख्या में असामान्य वृद्धि/कमी के

²³ आयत हेतु घोषणापत्र- फार्म-31 एवं फार्म-38 क्रमशः उप्रव्यापार कर अधिनियम की धारा 28 ए (1), उप्रव्यापार कर नियम 1948 के नियम 83 (4)(ए) (i) एवं उप्रव्यापार कर अधिनियम की धारा 50 तथा उप्रव्यापार कर नियम 2008 के नियम 54 (3) में यथापरिमापित फार्म जिसमें प्रान्त में आयतित, कर योग्य माल का नाम, मूल्य, परिमाण आदि घोषित किया जाता है।

²⁴ उप्रव्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत कमिशनर, व्यापार कर के प्राधिकार से जारी "व्यापार कर सहायता केन्द्र/सचल दल मैनुअल" के अध्याय 2 के उप प्रस्तर 11 (1) 3 के अनुसार।

विश्लेषण हेतु डिप्टी कमिश्नर (जाँच चौकी) उत्तरदायी थे, किन्तु वैट के अन्तर्गत निर्गत मैनुअल में ऐसा कोई समतुल्य प्रावधान नहीं किया गया है।

हमने अन्य प्रान्तों में टी.डी.एफ. के डाटा की जांच की पद्धति का अध्ययन किया और पाया कि गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखण्ड और असम राज्यों में जाँच-चौकियां अभी भी अस्तित्व में हैं। बिहार में, जहां जाँच चौकियां नहीं थीं, यह पद्धति जून 2011 से प्रारम्भ की गयी है। कर्नाटक में टी.डी.एफ. के सत्यापन की विशिष्ट पद्धति 1 जुलाई 2011 से प्रारम्भ की गयी है।

समापन विचारगोच्छी के दौरान (सितम्बर 2013) शासन ने स्वीकार किया कि टी.डी.एफ. पद्धति में खामियां करापवंचन का कारण रहीं और बताया कि टी.डी.एफ. की आड़ में सुनियोजित ढंग से किये जा रहे करापवंचन को रोकने के लिए विभाग द्वारा 03 सितम्बर²⁵ 2013 को नयी व्यवस्था लागू की गयी है।

हम यह संस्तुति करते हैं कि विभाग प्रान्त में नियत प्रावधानों का स्वैच्छिक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रवेश एवं निकास के स्थानों पर व्यापारियों की सुविधा के लिए सूचनाओं के संग्रहण हेतु तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एक प्रान्त से अन्य प्रान्त में गन्तव्य हेतु वाहन पर लादा गया माल वास्तव में उत्तर प्रदेश से निकल गया है तथा कर अपवंचन पर रोक लगेगी।

2.8.7.6 संव्यवहार का विवरण आनलाइन भरे बिना फार्म-38 (आयात हेतु घोषणापत्र) डाउनलोड किया जाना।

उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 50 तथा उ0प्र0वैट नियमबली 2008 के नियम 54(1) के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी जो प्रान्त बाहर से प्रदेश के अन्दर ऐसी मात्रा, माप अथवा मूल्य का कर योग्य माल जैसा कि इस सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाये, लाने/आयात करने का इच्छुक हो तो यथाविहित रीति से कर-निर्धारण अधिकारी से निर्धारित आयात घोषणा पत्र (फार्म-38) प्राप्त करेगा अथवा यथाविहित रीति से विभागीय बैंक से डाउनलोड करेगा।

06 जुलाई 2009 की बैठक में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि फार्म डाउनलोडिंग के पूर्व संव्यवहार का विवरण आनलाइन भरना व्यापारी के लिये अनिवार्य होगा।

फार्म-38 आनलाइन डाउनलोडिंग की सुविधा 01 सितम्बर 2009 से प्रारम्भ की गयी। तदनुसार अह व्यापारी डाउनलोडिंग का दिनांक एवं फर्म का विवरण भरकर आनलाइन फार्म-38 डाउनलोड कर सकता है। फार्म-38 को डाउनलोडिंग की दिनांक से तीन माह के अन्दर प्रयोग किया जा सकता है। फार्म-38 के प्रयोग का विवरण उपभोग किये जाने के सात दिन के अन्दर आनलाइन देना होगा।

हमने देखा कि शासन²⁶ द्वारा लिए गये निर्णयानुसार संव्यवहार का विवरण जैसे—वस्तु का नाम, परिमाण, मूल्य, विक्रेता व्यापारी का नाम व पता भरना अनिवार्य था, तो भी कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा जारी परिपत्र²⁷ में यह कहा गया कि व्यापारी केवल स्वयं का विवरण जैसे—डाउनलोडिंग का दिनांक, निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम तथा स्वयं व्यापारी का नाम एवं पता भरकर फार्म-38 डाउनलोड किया जा सकता है। व्यापारी को शेष संव्यवहार का विवरण जैसे—वस्तु का नाम, परिमाण, मूल्य, विक्रेता व्यापारी का नाम व पता फार्म-38 के प्रयोग की

²⁵ परिपत्र सं0— सचिव दल-ट्रॉजिट पास-2013-14 / 1341 / 1314041 दिनांक 3.09.2013।

²⁶ बैठक दिनांक 06 जुलाई 2009।

²⁷ परिपत्र सं0— चेक पोस्ट-फार्म-38 व्यवस्था/0910045 / वाणिज्य कर दिनांक 28 अगस्त 2009।

सूचना उसे तीन माह के भीतर प्रयोग करने के सात दिन के अन्दर आनलाइन उपभोक्ता (यूटीलाईजेशन) प्रपत्र भरते समय देने की सुविधा प्रदान की गयी। इस प्रकार संव्यवहार का विवरण विभाग को प्रतिसत्यापन हेतु फार्म-38 डाउनलोडिंग के तीन माह एवं सात दिन के बाद ही उपलब्ध हो सकेगा। कमिशनर, वाणिज्य कर का अगस्त, 2009 का परिपत्र, शासन द्वारा जुलाई 2009 में लिए गये निर्णय से भिन्न था। अनिवार्य प्रविष्टियों जैसे— वस्तु का नाम, परिमाण, मूल्य, विक्रेता व्यापारी का नाम व पता न भरने के फलस्वरूप तीन माह सात दिन की अवधि में एक ही फार्म का कई बार प्रिन्ट लेकर प्रयोग करने का जोखिम उत्पन्न हो गया।

जब जाँच चौकियाँ अस्तित्व में थीं तो फार्म-38 जाँच चौकी पर प्रान्त में प्रवेश के समय पृष्ठाकित किया जाता था। यह पृष्ठाकित उसी फार्म के दुबारा प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाता था। डाउनलोड किये जाने वाले फार्म-38 की अनिवार्य प्रविष्टियों को न भरने सम्बन्धी नियन्त्रण की यह कमी स्पष्टतः लेखाओं से बाहर माल को प्रान्त में विक्रय हेतु लाने तथा अन्ततोगत्वा विभाग/शासन को राजस्व क्षति का जोखिम उत्पन्न करती है। डाउनलोड किये गये फार्मों के प्रयोग की सूचना प्रयोग के सात दिन के अन्दर आनलाइन देनी थी। हमने यह भी पाया कि डाउनलोड किये गये फार्मों में से 15.33 प्रतिशत से 19 प्रतिशत के उपभोग की सूचना दी ही नहीं गयी थी। विवरण सारणी क्रमांक 2.13 में दिये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.13

वर्ष	डाउनलोड किये गये फार्म-38 की कुल संख्या	प्रस्तुत उपभोग	अन्तर
2009–10	46,533	शून्य	46,533
2010–11	18,48,298	15,60,832	2,87,466
2011–12	37,64,719	31,87,381	5,77,338
2012–13	44,96,865	36,41,038	8,55,827

विभाग ने उत्तर में बताया (मई 2013) कि सिस्टम लागू करने के पूर्व कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के सिस्टम का अध्ययन किया गया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि गुजरात तथा कर्नाटक की प्रणाली भिन्न है एवं परिवहन किये जा रहे माल के संव्यवहार का पूर्ण विवरण उसके परिवहन के पूर्व भरा जाना अनिवार्य है साथ ही उसका सत्यापन जाँच चौकी के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाता है। क्योंकि प्रान्त में जाँच चौकियाँ विद्यमान नहीं हैं, फार्म-38 के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक कड़े एप्लीकेशन नियंत्रण की आवश्यकता है।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग शासन द्वारा जुलाई 2009 में फार्म-38 की डाउनलोडिंग पर लिए गये निर्णय के अनुक्रम में संव्यवहार के विवरण को अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान बनाने पर विचार कर सकता है।

2.8.7.7 बार-बार पकड़े जाने वाले अपराधियों की पहचान एवं अपंजीकृत व्यापारियों को पकड़ना

उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) सपठित धारा-3 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी जिसका वार्षिक कर योग्य व्यापारावर्त ₹ पांच लाख है, कर का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा तथा विहित प्रारूप एवं रीति से, निर्धारित पंजीयन प्रभारी द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा। उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 54 (1)(7) के प्रावधानान्तर्गत यदि पंजीयन हेतु दायी व्यापारी बिना पंजीयन प्राप्त किये व्यापार करता है तो व्यापार की गयी अवधि में ₹ 100 प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड के भुगतान का दायी होगा।

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश के कर प्रशासन के कम्प्यूटरीकरण हेतु भारत सरकार ने पत्र संख्या— एफ नं0

एस-31013 / 2 / 2010-एस .ओ./ (एस.टी.), दिनांक 24 जून 2010 द्वारा मिशन मोड प्रोजेक्ट के लिए ₹ 58.40 करोड़ लागत की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की कि यह सुनिश्चित कर लिया

जाये कि महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में वाणिज्य कर विभाग द्वारा आवश्यक साफ्टवेयरों का निर्माण नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इन्कारपोरेट (निक्सी)के सहयोग से कराया गया।

हमने विभाग की कम्प्यूटरीकरण कार्यवाही का अध्ययन किया और पाया कि विभाग की प्रवर्तन शाखा के कार्यों से सम्बन्धित कोई भी विशिष्ट माड्यूल²⁸ विकसित नहीं किया गया था। हमने 25 सचल दल इकाईयों के अभिलेखों की जाच की ओर देखा कि 151 अपंजीकृत व्यापारी जो कि ₹ पांच लाख से अधिक मूल्य का करयोग्य माल ले जाते हुए पकड़े गये थे, का विवरण वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि में सचल दल इकाईयों द्वारा रखे जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख पंजी²⁹ -5 में दर्ज था। यद्यपि वांछित जमानत/अर्थदण्ड/कर ₹ 6.54 करोड़ की उनसे वसूली की गयी थी किन्तु ऐसी कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वही व्यापारी/ट्रान्सपोर्टर एक वर्ष के दौरान एक या अधिक बार पकड़े गये थे। हमने यह भी पाया कि 1946 मामलों³⁰ में से 123 मामले ऐसे थे जिनमें वाहन एक से अधिक बार पकड़े गये थे, उनसे आच्छादित माल का मूल्य ₹ 4.35 करोड़ था तथा ₹ 1.41 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित किया गया था किन्तु बार-बार अपराध करने वालों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही हेतु सूचना संकलित करने की कोई युक्ति विद्यमान नहीं थी। यदि साफ्टवेयर में ऐसा कोई माड्यूल विकसित किया गया होता तो विभाग को इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करायी जा सकती थी।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग ऐसे प्रवर्तन साफ्टवेयर माड्यूल के निर्माण पर विचार कर सकता है जिससे ₹ पांच लाख एवं अधिक के प्रेषण पर करापवंचन करते हुए पकड़े जाने वाले व्यापारियों की पहचान की जा सके तथा उसमें बार बार अपराध करने वाले व्यापारियों की पहचान तथा आंकड़े रखने का भी प्रावधान हो। इस प्रकार के व्यापारियों के पंजीयन एवं न्यूनतम अर्थदण्ड के प्रावधान पर भी विचार किया जाना चाहिए।

2.8.8 सचल दल इकाईयों की कार्यप्रणाली

उत्तर प्रदेश के अन्दर एवं उत्तर प्रदेश से होते हुए निर्धारित प्रपत्रों³¹/सूचना से अनाच्छादित एवं अपंजीकृत से सम्बन्धित माल के परिवहन के दौरान करापवंचन को रोकने के लिए सचल दल इकाईयों की स्थापना की गयी है। असिस्टेन्ट कमिश्नर (स0द0) अपनी सचल दल इकाईयों के प्रभारी होते हैं। उनका मुख्य उत्तरदायित्व उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 45, 46, 47, 48, 50, 51 एवं 52 के प्रावधानों के अन्तर्गत वाहनों के द्वारा परिवहन किये जा रहे तथा ट्रान्सपोर्टरों के गोदामों में रखे हुए माल की जांच करना है। उनका अन्य उत्तरदायित्व बिलों का संकलन (संवेदनशील वस्तुओं एवं प्रमुख निर्माताओं के बिक्री के बिलों के संकलन को प्राथमिकता देते हुए) करना है। उनका कार्य प्रान्त के अन्दर फर्जी प्रपत्रों के आधार पर माल के परिवहन, रेल एवं सड़क मार्ग से आयातित माल के सन्दर्भ में हो रहे करापवंचन पर प्रभावी ढंग से जांच कार्यवाही कर अंकुश लगाना है। सचल दल इकाईयों का कार्य निर्धारित प्रपत्रों से अनाच्छादित माल का अभिग्रहण, परिवहन किये जा रहे कर योग्य माल के मूल्य का आंकलन एवं माल अवमुक्त किये जाने के पूर्व निर्धारित अर्थदण्ड का आरोपण / जमानत राशि³² की वसूली करना है।

हमने कमिश्नर, वाणिज्य कर के अभिलेखों³³ की नमूना जांच की ओर पाया कि जून³⁴ 2008 से पूर्व जब 83 जांच चौकियां अस्तित्व में थीं, मानकों के अनुसार 267 असिस्टेट

²⁸ माड्यूल्स—टी.डी.एफ. माड्यूल, ई-पेंटेंट माड्यूल, ई-रिटर्न माड्यूल, ई-पंजीयन माड्यूल, ई-फार्म माड्यूल (फार्म-38 आदि के लिए), आनलाइन एम.आई. एस.माड्यूल एवं आनलाइन जी.आर.सी. (ग्रीवांस रीड्सल सेल) माड्यूल।

²⁹ पंजी-5-एक रजिस्टर जिसमें वाहन संख्या, ट्रान्सपोर्टर का नाम व पता, वस्तु का नाम, माल का अनुमानित मूल्य तथा आरोपित अर्थदण्ड/जमानत का विवरण दर्ज किया जाता है।

³⁰ जहां पकड़े गये माल का मूल्य ₹ ३० लाख से अधिक था।

³¹ इन्वेयर्स/चालान की प्रति, टी.डी.एफ.—31/फार्म-38, व्यापारी का नाम, माल का मूल्य, वजन, माप अथवा संख्या आदि।

³² उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 48 (6) के अन्तर्गत निर्धारित।

³³ प्रवर्तन मैनुअल एवं विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन।

³⁴ उ0प्र0शासन के आदेश संख्या—कठनी0-4-1080/11-2008-400 (35)/91 दिनांक 10 जून 2008 एवं कठनी0-4-1459/11-2009-400 (137) / 2001 टी.सी.-5 दिनांक 30 जुलाई 2009 द्वारा जांच चौकियां समाप्त की गयीं।

कमिशनर तथा 422 वाणिज्य कर अधिकारी जांच चौकियों³⁵ पर तैनात किये जाने थे। जांच—चौकियों की समाप्ति के पश्चात प्रवर्तन कार्यों को सृदृढ़ करने के लिए सचल दल इकाईयों की संख्या 55 से बढ़ाकर 150 करते हुए 95 नयी सचल इकाईयां स्वीकृत³⁶ की गयीं। वर्ष 2012–13 के दौरान 144 सचल दल इकाईयां (मुख्यालय पर दो इकाईयां नियन्त्रण कक्ष हेतु सहित) संचालित थीं। एक सचल दल इकाई हेतु स्वीकृत जनशक्ति:— एक असिंक्रिय, दो वारकर्षियों एवं अन्य (चालक, लिपिक आदि) पाँच हैं।

हमने देखा कि जांच चौकियों की समाप्ति के पूर्व तथा बाद में प्रवर्तन कार्यों हेतु स्वीकृत कार्मिकों की संख्या में अन्तर है। यह दर्शाता है कि मुख्य प्रवर्तन शाखा हेतु कार्मिकों का नियोजन अनुकूलतम नहीं था। समाप्त की गयी जांच चौकियों³⁷ के शेष अधिकारी/कर्मचारी प्रवर्तन कार्यों पर नहीं लगाये गये थे। विवरण सारणी क्रमांक 2.14 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.14

विवरण	जांच चौकियों की समाप्ति के पूर्व स्वीकृत जनशक्ति			जांच चौकियों की समाप्ति के पश्चात सचल दल इकाईयों हेतु स्वीकृत जनशक्ति	अन्तर
	जांच चौकियों हेतु	सचल दल इकाईयों हेतु	योग		
असिंक्रिय	267	55	322	150	172
वारकर्षियों	422	110	532	300	232
अन्य	559	275	834	750	84

जांच चौकियों तथा सचल दल इकाईयों द्वारा पकड़े गये वाहनों की संख्या तथा अर्थदण्ड/जमानत के रूप में वसूले गये राजस्व का विवरण सारणी क्रमांक 2.15 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 2.15

(₹ लाख में)

वर्ष	जांच चौकियों			सचल दल इकाईयों			वर्ष के दौरान पकड़े गये वाहनों की संख्या		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
	जांच चौकियों की संख्या	पकड़े गये वाहनों की संख्या	वसूली गयी अर्थदण्ड/जमानत की राशि	सचल दल इकाईयों की संख्या	पकड़े गये वाहनों की संख्या	वसूली गयी अर्थदण्ड/जमानत की राशि	संख्या	वसूली गयी अर्थदण्ड/जमानत की राशि	
2007–08	83	5,84,282	14,988.01	55	20,817	6,480.79	6,05,109	21,468.80	(+) 8.35
2008–09 (अप्रैल 08 से जुलाई 08)	83	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	3,242.39	अनुपलब्ध	3,242.39'	अनुपलब्ध
2008–09 (अगस्त 08 से मार्च 09)	37	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2009–10	शून्य	शून्य	शून्य	136	15,990	6,859.15	15,990	6,859.15	(-) 68.05
2010–11	शून्य	शून्य	शून्य	136	21,693	9,079.67	21,693	9,079.67	(-) 57.70
2011–12	शून्य	शून्य	शून्य	136	21,446	11,294.50	21,446	11,294.50	(-) 47.39

* वर्ष 2008–09 के लिए जो आंकड़े विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये।

अनुपलब्ध = विभाग के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं।

उक्त से दृष्टव्य है कि :

- वर्ष 2009–10 से 2011–12 की अवधि के दौरान सचल दल इकाईयों की संख्या में वर्ष 2007–08 की तुलना में 147 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वास्तव में राजस्व वसूली में 47.39 से 68.05 प्रतिशत की कमी आयी।
- वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान (सचल दल इकाईयों की संख्या में वृद्धि के बावजूद) पकड़े गये वाहनों की संख्या लगभग समान रही। यह इंगित करता है कि सचल दल इकाईयों जांच—चौकियों का पूर्ण विकल्प नहीं थीं।

समापन गोष्ठी के दौरान (सितम्बर 2013) शासन ने बताया कि जांच—चौकियों के समय एक निरन्तर जांच की व्यवस्था थी, अतः अधिक जनशक्ति लगायी गयी थी। जांच—चौकियों की समाप्ति के उपरान्त सचल दल प्रणाली में आकस्मिक जांच की व्यवस्था है अतः कार्मिक आवश्यकतानुसार लगाये गये।

³⁵ बिक्री कर जांच चौकी/सचल दल मैनुअल के अध्याय (3)(3) में निर्धारित मानकों के अनुसार जांच चौकियों पर कार्मिक तैनात किये जाते थे।

³⁶ विज्ञाप्ति संख्या—कठीनी-4–1080/11–2008–400(35)/91 दिनांक 10 जून 2008 द्वारा।

³⁷ जांच चौकियों की संख्या 83, असिस्टेन्ट कमिशनर 267 एवं वाणिज्य कर अधिकारी 422।

हम सहमत नहीं हैं क्योंकि आकस्मिक जांच प्रणाली में भी कार्मिकों की पाली (शिफ्ट) में तैनाती आवश्यक होती है जिससे कि आकस्मिकता बनी रहे। सचल दल इकाईयों की स्वीकृत जनशक्ति एक पाली के आधार पर निर्धारित की गयी है। इस प्रकार सचल दल इकाईयां चौबीस घण्टे में केवल एक पाली के दौरान कार्य करती हैं जो कि जांच चौकियों की अपर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था का द्योतक है।

2.8.8.1 सचल दल इकाईयों की संचालनात्मक कमियां

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत सचल दल इकाईयां प्रदेश के अन्दर समुचित प्रपत्रों से अनाच्छादित माल के परिवहन की जांच हेतु उत्तरदायी हैं। सचल दल के कार्य व उत्तरदायित्व विभाग के प्रवर्तन मैनुअल में उल्लिखित किये गये हैं। सचल दलों की स्थापना वैध प्रपत्रों आदि से अनाच्छादित माल के परिवहन के दौरान किये जा रहे करापवंचन को रोकने तथा माल के अभिग्रहण के लिये की गयी है। प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-10 के पैरा 2(1)(xiii) में विशिष्टतया यह उल्लिखित है कि जोन में सचल दल इस तरह लगाये जायें कि सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी प्रवर्तन कार्य बाधित न हो।

के दिनों की संख्या 78 दिनों से 343 दिनों के मध्य थी। विवरण परिशिष्ट-I में दिये गये हैं।

इस प्रकार बिना व्यवधान के सचल दलों के संचालन द्वारा राजस्व के क्षरण को रोकने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि 24 घण्टे सड़क जांच सम्भव नहीं थी, क्योंकि वाहन/माल के अभिग्रहण के पश्चात, सचल दलों को भौतिक सत्यापन, कारण बताओ नोटिस निर्गत करना तथा जमानत धनराशि जमा कराना जैसी औपचारिकतायें भी पूर्ण करनी पड़ती हैं। इसलिए सचल दलों द्वारा सभी मार्गों पर सतत निगरानी सम्भव नहीं थी। साथ ही विभागीय उत्तर में लेखा परीक्षा द्वारा सूचित आँकड़े काल्पनिक कहे गये।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि विभागीय उत्तर प्रवर्तन मैनुअल में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। जहां तक आकड़ों की सत्यता का प्रश्न है, यह सम्बन्धित सचल दल इकाईयों को आवंटित वाहनों की लागबुक में दर्ज विवरण पर आधारित है।

प्रान्त में माल के अनियमित आयात/परिवहन द्वारा करापवंचन को रोकने में सचल दलों की प्रभावकारिता की जांच के उद्देश्य से हमने 35 सचल दल इकाईयों³⁸ के अभिलेखों³⁹ की नमूना जांच किया और पाया कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान सचल दल इकाईयां-प्रवर्तन मैनुअल में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं थीं। सचल दल इकाईयों के संचालन

³⁸ सचल दल इकाई 2,4,5,7 और 8 आगरा, सचल इकाई 1 और 2 बरेली, सचल दल इकाई बुलन्दशहर, सचल दल इकाई प्रथम चन्दौली, स0द0इकाई-4 गौतमबुद्धनगर नगर, स0द0 इकाई-1,2,3 एवं 4 गाजियाबाद, स0द0इकाई 1 एवं 2 झांसी, स0द0इकाई 1,2,3,8 एवं 12 कानपुर, स0द0इकाई 1 एवं 5 लखनऊ, स0द0इकाई-4 मधुरा, स0द0इकाई 2,4 एवं 5 मेरठ, स0द0इकाई 3 एवं 6 मुरादबाद, स0द0इकाई 1,5 एवं 6 नोयडा, स0द0इकाई 1 एवं 4 सहारनपुर और स0द0इकाई-4 वाराणसी।

³⁹ सचल दलों को आवंटित वाहन की लाग बुक।

2.8.8.2 असंचालित नियंत्रण कक्ष एवं उपकरणों की अनुपलब्धता

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-4 के पैरा 2 (सी) 3 (i) के प्रावधानान्तर्गत एक प्रभावी सूचनातंत्र के द्वारा प्रवर्तन कार्यों के अनुश्रवण हेतु जोनल स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना का उत्तरदायित्व ज्वाइंट कमिशनर (वि0अनु0शा0) का है।

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-10 के पैरा 1 व अध्याय-4 के पैरा 2 के अन्तर्गत असिस्टेंट कमिशनर (सचल दल) दैनिक रूप से डाउनलोड की गयी टी.डी.एफ. की सूचनायें इन्टरनेट से प्राप्त करके इनके वाहनों की जाँच हेतु उत्तरदायी हैं। ज्वाइंट कमिशनर (वि0अनु0शा0) नियोजन व अनुश्रवण के लिये उत्तरदायी हैं।

पाया कि पाँच जोनों⁴² में नियंत्रण कक्ष स्थापित नहीं थे। फलस्वरूप नियंत्रण कक्ष की स्थापना का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं हुआ। यह वर्ष 2009–10 से 2011–12 के मध्य सात जोनों⁴³ में जहाँ नियंत्रण कक्ष स्थापित/संचालित नहीं था, में पकड़े गये 21,999 मामलों की तुलना में उन चार जोनों⁴⁴ द्वारा जहाँ नियंत्रण कक्ष स्थापित था, समान अवधि में पकड़े गये 20,187 मामलों से परिलक्षित होता है। इस प्रकार उन जोनों की दक्षता बेहतर थी जहाँ नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये थे।

हमने आगे यह भी देखा कि सचल दल अधिकारियों को इण्टरनेट सुविधा से सुसज्जित कोई उपकरण⁴⁵ उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे वे वाहन में लदे माल के, व्यापारी के पते व टिन आदि की जाँच कर पाते। ऐसे उपकरणों की अनुपलब्धता व नियंत्रण कक्ष के असंचालित होने की दशा में रोड चेकिंग के दौरान वाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के विवरण के मिलान अथवा प्रतिसत्यापन हेतु सचल दल अधिकारियों के समक्ष कोई विकल्प नहीं था। विज्ञप्ति सं0 क0नि0-2-241/X1-9(295)/07-य०पी०एक्ट-5-2008-उ०प्र०म०संवर्धित कर, नियमावली-08-आदेश-(55)-2010 दिनांक 4 फरवरी 2010 द्वारा नियम 55(2) के प्रावधानों को समाप्त किये जाने के पश्चात् सचल दल प्रभारी को वाहन में लदे माल की प्रमाणिकता की जाँच हेतु वाहन के स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्रों की मांग का अधिकार नहीं रहा।

सचल दल अधिकारियों को केवल पंजीकृत व्यापारियों के टिन के सत्यापन और वाहन की टी.डी.एफ. के विवरण की जाँच हेतु पुश एण्ड पुल एस.एम.एस.⁴⁶ की सुविधा उपलब्ध थी किन्तु हमने देखा कि विभागीय अधिकारियों को उक्त हेतु कोई सी.यू.जी.⁴⁷ सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने बताया (सितम्बर, 2013) कि विभागीय अधिकारियों को उपकरण उपलब्ध नहीं थे तथा उन्हें उपकरण उपलब्ध कराने विषयक प्रस्ताव विचाराधीन था। आगे यह कहा कि मुख्यालय व जोनल स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ कार्यरत हैं।

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के मध्य 11 जोनों की 35 सचल दल इकाइयों की सम्परीक्षा के दौरान हमने पाया कि छ: जोनों⁴⁰ में नियंत्रण कक्ष स्थापित थे लेकिन इनमें से दो जोनों⁴¹ में संचालित नहीं थे क्योंकि नियंत्रण कक्ष में कोई कार्मिक तैनात नहीं था। साथ ही नियंत्रण कक्ष में टी.डी.एफ. के विश्लेषण व व्यापारियों के टिन व पते की जाँच हेतु इन्टरनेट कनेक्शन भी नहीं था। हमने

⁴⁰ आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर-I एवं II, वाराणसी

⁴¹ आगरा व गोरखपुर

⁴² बरेली, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर

⁴³ आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर

⁴⁴ गाजियाबाद, कानपुर-I एवं II, वाराणसी

⁴⁵ जैसे लैपटॉप, टेबलेट, स्मार्ट फोन आदि

⁴⁶ नियमित नम्बर पर एस.एम.एस.

⁴⁷ सी.यू.जी.-कामन यूजर युप नम्बर, जिनकी विलिंग एक ओत से होती है

2.8.8.3 सचल दल इकाईयों की तैनाती में अनुश्रवण की कमी

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-10 के पैरा 2 (I) के अनुसार नगर में वाहनों के प्रवेश मार्गों को चिन्हीकृत करके आवश्यकतानुसार (दो या दो से अधिक प्रवेश मार्गों से सम्बन्धित क्षेत्र को आच्छादित करते हुए) बीट बनाये जायें। बीट की संख्या सचल दल इकाईयों के अनुरूप रखी जाये। प्रत्येक बीट में एक सचल दल इकाई अपने अधिकार क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गों पर रोड चेकिंग का कार्य करेगी। इकाइयों में ड्यूटी साप्ताहिक रूप से परिवर्तित की जाये। प्रत्येक बीट की लिंक इकाई नामित कर दी जाये जो कि बीट इकाई के सचालित न रहने की स्थिति में अपनी बीट एवं लिंक इकाई की बीट में वाहन चेकिंग कर सके। सचल दल इकाइयों के पृथक पृथक अवकाश के दिवस इस प्रकार नियत किये जायें कि सभी इकाइयों को सप्ताह में एक दिन अवकाश मिल जाये और सार्वजनिक अवकाशों में भी प्रवर्तन कार्य बाधित न हो। रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डों के आस-पास भी सचल दल इकाइयों द्वारा गहन जाँच की जाये। रेंज में ज्याठकमि० (वि०अनु०शा०) सचल दल इकाइयों के प्रभारी अधिकारी होंगे।

तैयार किया गया था।

समापन विचार गोष्ठी में शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि सभी सम्बन्धित कार्मिकों को कमियों को दूर करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रवर्तन मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार एडीशनल कमिशनर ग्रेड-II अपने जोन में सचल दल इकाइयों हेतु मासिक ड्यूटी चार्ट तैयार करने व उसको क्रियान्वित करवाने के लिये उत्तरदायी हैं। चौदह जोनों के अन्तर्गत कार्यरत 42 सचल दल इकाइयों के अभिलेखों⁴⁸ की जाँच में हमने देखा कि छ: जोनों⁴⁹ में जिनमें उक्त 42 में से 15 सचल दल इकाइयां कार्यरत थीं, कोई ड्यूटी चार्ट तैयार नहीं किया गया। आठ जोनों⁵⁰ में जिनमें उक्त 42 में से 21 सचल दल इकाइयां कार्यरत थीं, ड्यूटी चार्ट

⁴⁸ ड्यूटी चार्ट

⁴⁹ गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर

⁵⁰ आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर- I एवं II और वाराणसी

2.8.8.4 अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में परिपत्र का निर्गमन

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 48 (7) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त प्रभारी अधिकारी सचल दल, यदि यह समझता है कि माल को अभिग्रहीत करने के पर्याप्त कारण हैं तो वह व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति को अभिग्रहण के तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक लिखित आदेश तामील करायेगा जिसमें ऐसी धनराशि संसूचित होगी, जो ऐसी धनराशि से अनधिक होगी जो संभावित रूप से आरोपित की जाने वाली शास्ति को आच्छादित करने के लिये पर्याप्त हो। उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत ऐसे प्रकरणों में शास्ति की धनराशि माल के मूल्य का चालीस प्रतिशत है। कमिशनर वाणिज्य करने परिपत्र संख्या च० पो०-२५ के –परिपत्र/2008/0809100 दिनांक 3 फरवरी 2009 द्वारा निर्धारित किया कि पंजीकृत व्यापारियों द्वारा बिना वैध प्रपत्रों के, प्रदेश के अन्दर या प्रदेश के बाहर से माल को परिवहित करते पाये जाने से सम्बन्धित अभिग्रहण के मामलों में वसूल की जाने वाली जमानत धनराशि क्रमशः देय कर के दो गुना अथवा तीन गुना अथवा माल के मूल्य का चालीस प्रतिशत जो दोनों में कम हो, होगी। यह आदेश परिपत्र संख्या च०पो०-२५क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र/2009-2010/0910060 दिनांक 5 नवम्बर 2009 द्वारा वापस ले लिया गया।

प्रावधानों का उल्लंघन करके परिपत्र निर्गत करने के परिणामस्वरूप ₹ 32.37 करोड़ कम जमानत राशि मात्र इन 34 सचल दल इकाइयों द्वारा वसूल की गयी।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि परिपत्र धारा 48 (7) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं था।

उत्तर अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि प्रावधान ऐसी धनराशि, जो शास्ति को आच्छादित करने हेतु पर्याप्त हो, के जमा हेतु निर्दिष्ट करता है, तथा ऐसे मामलों में धारा 54 (1) के अन्तर्गत शास्ति की धनराशि चालीस प्रतिशत निर्धारित है।

हमने 21 सचल दल इकाइयों⁵¹ के अभिलेखों की जाँच किया एवं 13 अन्य सचल दल इकाइयों⁵² से सूचनाएं एकत्रित किया और पाया कि फरवरी 2009 से नवम्बर 2009 के मध्य पंजीकृत व्यापारियों के 3031 मामलों में ₹ 128.97 करोड़ का माल इन सचल दल इकाइयों द्वारा अभिग्रहीत किया गया। इन मामलों में ₹ 19.22 करोड़ की जमानत राशि जमा करायी गयी जो कि देय कर का दो गुना या तीन गुना थी। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत 40 प्रतिशत आगणित जमानत धनराशि ₹ 51.59 करोड़ आरोपणीय थी। इस प्रकार कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 48 (7) के

⁵¹ स0द0 इकाई-2, आगरा, स0द0 इकाई 1 एवं 2 बरेली, स0द0 इकाई-2,3 एवं 4 गाजियाबाद, स0द0 इकाई-4, गौतमबुद्ध नगर, स0द0 इकाई-2, गोरखपुर, स0द0 इकाई 1 एवं 2 झासी, स0द0 इकाई-1,2 एवं 3 कानपुर, स0द0 इकाई-1, लखनऊ, स0द0 इकाई 1 एवं 4 मथुरा, स0द0 इकाई-6 मुरादाबाद, स0द0 इकाई 3 एवं 4 सहारनपुर, जादो इकाई मुगलसराय एवं नौबतपुर स्थित वाराणसी।

⁵² स0द0 इकाई 1,3,4,5,6,7 एवं 8 आगरा, स0द0 इकाई 9 एवं 11 कानपुर, स0द0 इकाई-3 एवं 4 लखनऊ, स0द0 इकाई 2 एवं 3 मथुरा।

2.8.8.5 पंजीकृत व्यापारियों के अभिग्रहण के मामलों का अनुश्रवण

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी सचल दल द्वारा यदि यह पाया जाता है कि माल को अभिग्रहीत करने के पर्याप्त कारण हैं तो वह व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति को एक लिखित आदेश तामील करायेगा जिसमें अभिग्रहण के तथ्यों का उल्लेख होगा और ऐसी धनराशि संसूचित होगी जो ऐसी धनराशि से अनधिक होगी जो संभावित रूप में आरोपित की जाने वाली शास्ति को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो अर्थात् माल के मूल्य का चालीस प्रतिशत। धारा 48 (5) के अन्तर्गत जमानत राशि जमा होने के पश्चात् माल अवमुक्त किया जाता है। पंजीकृत व्यापारियों के मामले सम्बन्धित खण्डों में अग्रेतर परीक्षण हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

इन मामलों का अनुश्रवण ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) द्वारा किया जाता है।

विवरण सारणी क्रमांक 2.16 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.16

वर्ष	अभिग्रहीत वाहनों की संख्या		योग	माल का मूल्य		योग	आरोपित शास्ति (अपंजीकृत)	खण्ड में कठनों प्राधिकारी को प्रेषित मामले	खण्ड में वसूली गयी शास्ति*	(₹ करोड़ में)
	पंजीकृत	अपंजीकृत		पंजीकृत	अपंजीकृत					
2007-08	3014	5662	8676	52.57	35.32	87.89	16.86	3014	0.17	
2008-09	6975	5563	12538	152.97	50.87	203.84	21.38	6975	1.90	
2009-10	7504	8463	15967	218.75	79.81	298.56	33.79	7504	2.06	
2010-11	4466	10725	15191	134.94	109.26	244.20	46.96	4466	1.70	
2011-12	4551	10668	15219	133.63	128.99	262.62	57.63	4551	1.88	
योग	26510	41081	67591	692.86	404.25	1097.11	176.62	26510	7.71	

श्रोत: सम्प्रेक्षा के दौरान एकत्रित सूचनाएँ

* विभाग के पास मात्र तीन जोन की सूचना (आगरा, अलीगढ़ और कानपुर-II) ही उपलब्ध थी।

17 सचल दल इकाइयों⁵³ के मामलों में हमने देखा कि अभिग्रहीत किये गये 17,151 वाहनों⁵⁴ में से 2,566 वाहन पंजीकृत व्यापारियों के थे जिनमें कुल ₹ 190.96 करोड़ मूल्य का माल लाया जा रहा था। प्रावधानों के अनुरूप ₹ 76.35 करोड़ शास्ति के रूप में वसूले जाने थे जबकि मात्र ₹ 36.71 करोड़ वसूले गये। इस प्रकार, जमानत के रूप में ₹ 39.64 करोड़ कम वसूल किया गया।

हमने यह भी देखा कि न तो सचल दल इकाइयों या उनके पर्यवेक्षीय अधिकारियों ने कर, निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर की गयी कार्यवाही अर्थात् सचल दल इकाइयों द्वारा रोड चैकिंग के दौरान पकड़े गये व्यापारियों पर आरोपित व वसूल की गयी कर की राशि की निगरानी हेतु कोई अभिलेख नहीं तैयार किया और न ही पंजीकृत व्यापारियों के अभिग्रहण के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ऐसे व्यापारियों पर आरोपित कर व उसकी वसूली की आवधिक प्रगति रिपोर्ट भेजने हेतु कोई कार्यप्रणाली विकसित की।

⁵³ आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर-I एवं II, लखनऊ-I एवं II, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी-I

⁵⁴ पंजी-5।

⁵⁵ स0द0इकाई 1 एवं 2, बरेली, स0द0इकाई-4 गोरखपुर, नगर, स0द0इकाई-2.3 एवं 4 गाजियाबाद, स0द0इकाई-3, गोरखपुर, स0द0इकाई 1 एवं 2 झांसी, स0द0इकाई-3 कानपुर, स0द0इकाई-1, लखनऊ, स0द0इकाई-5 एवं 6 मुरादाबाद, स0द0इकाई 3 एवं 4 सहारनपुर, स0द0इकाई-मुतासराय एवं नौबतपुर-2 चन्दोली स्थित वाराणसी।

⁵⁶ वर्ष 2008-09 से 2011-12 के मध्य (परिषत्र संख्या च०३०-२५-परिषत्र/2008/0809100 के अन्तर्गत सम्मिलित अवधि, फरवरी 2009 से नवम्बर 2009 तक अभिग्रहणों को छोड़कर)

बाहर जोनों⁵³ के अभिलेखों⁵⁴ की नमूना जाँच में हमने पाया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य सचल दल इकाइयों ने 41,081 वाहन पकड़े जिनमें ₹ 404.25 करोड़ का माल बिना निर्धारित प्रपत्रों के परिवहित किया जा रहा था और अपंजीकृत व्यापारियों के 41,081 मामलों में ₹ 176.62 करोड़ शास्ति आरोपित की गयी। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य पंजीकृत व्यापारियों के 26,510 मामले कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण प्राधिकारियों को भेजे गये।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने बताया (सितम्बर 2013) कि सचल दल इकाईयों द्वारा पकड़े गये प्रकरणों को अपलोड करने हेतु एक साफ्टवेयर बनाया गया है तथा करने वाले अधिकारियों को अगस्त 2013 में परिपत्र⁵⁷ के द्वारा संसूचित किया गया है। यद्यपि विभाग ने विवरणों के आनलाइन इन्ड्राज द्वारा संसूचित किया गया है। यद्यपि विभाग ने विवरणों के आनलाइन इन्ड्राज हेतु कार्यवाही की है लेकिन कम जमानत राशि वसूले जाने के हमारी प्रेक्षा का समुचित उत्तर नहीं दिया।

2.8.8.6 अभिग्रहीत माल की गैर नीलामी

उ0प्र0मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 48 (9) के प्रावधानान्तर्गत यदि अभिग्रहीत माल पर निर्धारित कर या आरोपित शास्ति की धनराशि को जमा न किया गया हो, वहाँ यथास्थिति माल को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी निर्धारित रीति से सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल बिकवायेगा। यद्यपि ऐसे माल के अभिग्रहण के पश्चात नीलामी हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

आरोपित जमानत/शास्ति की धनराशि जमा न करने किया गया। चूंकि व्यापारी दीर्घ अवधि तक प्रस्तुत नहीं हुए अतः विभाग ₹ 1.02 करोड़ मूल्य के माल का इकलौता मालिक हो गया। विवरण सारणी क्रमांक 2.17 में दिये गये हैं।

सारणी क्रमांक 2.17

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	मामलों की संख्या	माल का विवरण	माल का मूल्य
1	स0द0इकाई-4 गाजियाबाद	2005–06 से 2009–10	3	दवा, सिले हुए परिधान, परचून, प्लास्टिक दाना	8.28
2	स0द0इकाई-1 कानपुर	2009–10 से 2010–11	4	चमड़ा, दवा, विभिन्न माल आदि	1.37
3	स0द0इकाई-2 कानपुर	1998–99 से 2010–11	5	दवा, सुपाड़ी, गुटका	56.13
4	स0द0इकाई-3 कानपुर	1999–2000 से 2001–02	12	गुटका, तम्बाकू, दवा, चूड़ी, भिक्सर ग्राइन्डर, होजरी	7.09
5	स0द0 इकाई-1 लखनऊ	2001–02 से 2009–10	30	गुटका, दवा, लोहा, इत्यादि	28.73
गोग			54		101.60

हमने देखा कि अभिग्रहीत माल की नीलामी नहीं की गयी और माल गोदाम में पड़ा था जबकि अधिकांश माल नाशवान प्रकृति के थे जैसे—दवा, चमड़ा, सुपाड़ी, गुटखा इत्यादि। विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने के कारण अभिग्रहीत माल के मूल्य की वसूली नहीं की जा सकी।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि जोनल एडीशनल कमिश्नर (विझनुओशा०) को अभिग्रहीत माल के निस्तारण के लिये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

हम अनुशंसा करते हैं कि राजस्व हित में विभाग अभिग्रहीत माल के निस्तारण हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करे।

2.8.8.7 कर का अनारोपण

कमिश्नर वाणिज्य कर के परिपत्र संख्या: सचल दल/अर्थदण्ड/ क0नि०/ ट्रांजिटपास/ 10–11/ 101104/ वाणिज्य कर दिनांक 20 सितम्बर 2010 के अनुसार, यदि सचल दल इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा टी.डी.एफ. के मामले अभिग्रहीत किये जाते हैं, तो वह शास्ति आरोपित करने के साथ ही कर आरोपित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करेगा।

हमने 35 सचल दल इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और पाया कि 12 सचल दल इकाईयों⁵⁸ में बिना वैध पारगमन पत्र/टी.डी.एफ. के 68

⁵⁷ संख्या—आई.टी.—बिल संग्रहण कम्यूटराइजेशन—2013–14 / 642 दिनांक 30.08.2013

⁵⁸ स0द0इकाई- 2, आगरा, स0द0इकाई-2 एवं 3, गोरखपुर, स0द0इकाई 2 झांसी, स0द0इकाई-3 कानपुर, स0द0इकाई- 2 एवं 5, मेरठ स0द0इकाई-5 एवं 6 मुरादाबाद, स0द0इकाई 3 एवं 4 सहारनपुर, स0द0इकाई- नोबतपुर-2 रित्थ वाराणसी।

मामलों में ₹ 3.22 करोड़ मूल्य का माल सचल दल प्राधिकारियों द्वारा अभिग्रहीत किया गया और मात्र ₹ 1.41 करोड़ की शास्ति आरोपित की गयी। यद्यपि ₹ 17.55 लाख कर आरोपणीय था परन्तु सचल दल प्राधिकारियों द्वारा कर आरोपित नहीं किया गया।

समापन विचार गोष्ठी में शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि करारोपण की कार्यवाही की जा रही है। आगे की रिपोर्ट प्राप्त नहीं (दिसम्बर 2013) हुई थी।

2.8.8.8 धनराशि को बिलम्ब से जमा किया जाना

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय 11 के पैरा 5(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत सचल दल अधिकारी प्राप्त हुई धनराशि को यथा संभव प्रतिदिन अथवा सप्ताह में दो बार स्टेट बैंक आफ इण्डिया/कोषागार में जमा करेंगे। इस जमा का सत्यापन कोषागार से प्रत्येक माह किया जायेगा। तदुपरान्त सत्यापित चालानों के विवरण की एक प्रति ज्वाइंट कमिश्नर (विओनुओशा०) को प्रेषित की जायेगी।

तक थी। सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (विओनुओशा०) ने विवरण की जानकारी होने के बाद भी धनराशि का समय से जमा सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। शेष 21 इकाइयों में धनराशि समय से जमा की गयी थी। सचल दल इकाइयों व आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा कोषागार से चालान का समय से प्रतिसत्यापन की एक अच्छी परम्परा भी देखी गयी।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि अनुपालन के लिये निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

2.8.8.9 तिजोरी (कैश चेस्ट) की अनुपलब्धता

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के नियम 28 के अनुसार शासकीय धन मजबूत तिजोरी में रखा जाना चाहिए। तिजोरी को जमीन या दीवाल में चुनवा देना चाहिए।

हमने 35 सचल दल इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और पाया कि 14 इकाइयों⁵⁹ के 906 प्रकरणों में ₹ 4.23 करोड़ की धनराशि प्रवर्तन मैनुअल में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जमा नहीं की गयी थी। विलम्ब की अवधि 3 से 33 दिन

इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में हमने देखा कि मात्र तीन सचल दल इकाइयों⁶⁰ में नगद प्राप्ति को रखने हेतु तिजोरी थी। तिजोरी के अभाव में शेष 22 सचल दल इकाइयों ने मूल्यवान वस्तुओं का अभिग्रहण तथा जमानत/शास्ति के रूप में प्राप्त नगद धनराशि को राजस्व सुरक्षा के हितों से समझौता करके सामान्य लोहे की आलमारी में रखा।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि कोडल प्रावधानों के अनुपालन हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

सचल दल इकाइयाँ
मूल्यवान वस्तुओं का
अभिग्रहण,
जमानत
जमा/शास्ति की धनराशि
नगद प्राप्त करती हैं। 25

⁵⁹ स०द० इकाई 1 एवं 2, बरेली, स०द० इकाई-2 एवं 3, गाजियाबाद, स०द० इकाई-2 एवं 3, गोरखपुर, स०द० इकाई-1, लखनऊ, स०द० इकाई-2 एवं 5 मेरठ, स०द० इकाई-मुग्लसराय एवं नौबतपुर-2 चन्दौली स्थित वाराणसी।

⁶⁰ स०द० इकाई 2, बरेली, स०द० इकाई-1 एवं 2, कानपुर।

2.8.8.10 निर्धारित अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय 13 के प्रावधानानुसार सचल दल इकाइयों को भौतिक सत्यापन पंजी रखना चाहिए। रजिस्टर के पार्ट-ए में तिथि व श्रेणीवार, इन्द्राज किये जाते हैं जबकि पार्ट-बी में पल्लेदारी के मद में तिथिवार भुगतान व शेष का विवरण रखा जाता है।

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-10 के पैरा 2 (6) के अनुसार सचल दल अधिकारियों को वाहन मालिकों से बिलों की प्रति संग्रहीत कर उन्हें सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों को पृष्ठांकन तथा उसकी प्रविष्टि बिल प्रेषण रजिस्टर में करें। रोड चेकिंग रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में रखे जाने चाहिए।

मात्रा/भार और सत्यापन के दौरान देखे गये माल का मात्रा/वजन जैसे विवरण भरे नहीं गये।

- आठ सचल दल इकाइयों⁶⁴ में बिल प्रेषण रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं रखे गये और तिथि व समय, रोड चेकिंग का स्थान, कर निर्धारण प्राधिकारियों के नाम, प्रेषित पत्र संख्या व तिथि तथा प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर जैसे स्तंभ रजिस्टर में नहीं बनाये गये।
- छः सचल दल इकाइयों⁶⁵ में रोड चेकिंग रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं रखे गये और रोड चेकिंग का स्थान, रोड चेकिंग अधिकारी का नाम, दिनांक व समय, वाहन संख्या के ब्यौरे नहीं भरे गये।

अभिलेखों का अपूर्ण/समुचित रखरखाव न करने के कारण सचल दल इकाइयों द्वारा घोषित वाहनों के भौतिक सत्यापन, बिलों के प्रेषण एवं वाहनों की चेकिंग की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि अनुपालन हेतु दिनांक 02 सितम्बर 2013 को आदेश दे दिये गये हैं और अग्रेतर यह कहा कि सचल दल इकाइयों द्वारा पकड़े गये बीजकों, व्यापारियों, परिमाण (माल का विवरण आदि) अपलोड करने तथा पंजी-5 का विवरण दर्ज करने हेतु आनलाइन प्रणाली विकसित की गयी है तथा सचल दल इकाइयों को उक्त के अनुपालन हेतु अगस्त 2013 की परिपत्र⁶⁶ द्वारा आदेशित कर दिया गया है।

35 सचल दल इकाइयों⁶¹ में हमने देखा कि अभिलेखों के रखरखाव की प्रणाली का पालन नहीं किया गया।

- चौदह इकाइयों⁶² में देखा गया कि भौतिक सत्यापन पंजी के पार्ट ए का रखरखाव नहीं किया गया। तीन सचल दल इकाइयों⁶³ में पंजी के पार्ट-ए का रखरखाव नहीं किया गया और घोषित माल की बिल्टी संख्या,

⁶¹ असिंकमिं0स0द0इकाई-2, आगरा, असिंकमिं0स0द0इकाई 1 एवं 2, बरेली, असिंकमिं0स0द0इकाई, बुलन्दशहर, असिंकमिं0स0द0इकाई-1, 2, 3, एवं 4 गाजियाबाद, असिंकमिं0स0द0इकाई-1, 4, 5 एवं 6 गौतमबुद्ध नगर, असिंकमिं0स0द0इकाई-2 एवं 3, गोरखपुर, असिंकमिं0स0द0इकाई-1 एवं 4 मथुरा, असिंकमिं0स0द0इकाई-2, 2 एवं 3 कानपुर, असिंकमिं0स0द0इकाई-1, लखनऊ, असिंकमिं0स0द0इकाई-1 एवं 4 मथुरा, असिंकमिं0स0द0इकाई-3, 5 मेरठ, असिंकमिं0स0द0इकाई-3.5 एवं 6 मुरादाबाद, असिंकमिं0स0द0इकाई-1.3 एवं 4 सहारनपुर, असिंकमिं0स0द0इकाई-मुगलसराय, असिंकमिं0स0द0-1 चन्दौली स्थित वाराणसी, असिंकमिं0स0द0-2 नौबतपुर स्थित वाराणसी, असिंकमिं0स0द0इकाई-4, वाराणसी।

⁶² असिंकमिं0स0द0इकाई-8, आगरा, असिंकमिं0स0द0इकाई-1 एवं 2 बरेली, असिंकमिं0स0द0इकाई-3, गोरखपुर, असिंकमिं0स0द0इकाई-2 गाजियाबाद, असिंकमिं0स0द0इकाई-3 कानपुर, असिंकमिं0स0द0इकाई-4 गौतमबुद्धनगर, असिंकमिं0स0द0इकाई-2 मेरठ, असिंकमिं0स0द0इकाई-5 एवं 6 मुरादाबाद, असिंकमिं0स0द0इकाई-3 एवं 4 सहारनपुर, असिंकमिं0स0द0इकाई- मुगलसराय एवं नौबतपुर-2 स्थित वाराणसी।

⁶³ असिंकमिं0स0द0इकाई-3 एवं 4 गाजियाबाद, असिंकमिं0स0द0इकाई-6 मुरादाबाद।

⁶⁴ असिंकमिं0स0द0इकाई-4 गौतमबुद्ध नगर, असिंकमिं0स0द0इकाई-2, 3 एवं 4 गाजियाबाद, असिंकमिं0स0द0इकाई-5 एवं 6 मुरादाबाद, असिंकमिं0स0द0इकाई-3 एवं 4 सहारनपुर।

⁶⁵ असिंकमिं0स0द0इकाई-4 गौतमबुद्ध नगर, असिंकमिं0स0द0इकाई-2, 3 एवं 4 गाजियाबाद, असिंकमिं0स0द0इकाई-1 एवं 3 कानपुर।

⁶⁶ संख्या: आई. टी. बिल संग्रहण कम्प्यूटराइजेशन-2013-14 / 642 और संख्या: आई.टी.बिल संग्रहण कम्प्यूटराइजेशन-2013-14 / आई.टी. पंजी-5 स0द0 2013-14 / 643 दिनांक 30.08.2013

2.8.9 विशेष अनुसंधान शाखा की कार्यप्रणाली

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-4 के पैरा 2 (सी) के प्रावधानान्तर्गत ज्वाइण्ट कमिशनर (वि0अनु0शा0) सर्वेक्षित व्यापारियों के प्रतिवेदनों को सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी को भेजने तथा प्रेषित प्रतिवेदनों के आधार पर स्थायी/अस्थाई कर निर्धारण की स्थिति की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी हैं। प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-9 के अनुसार वि0अनु0शा0 इकाइयों को 12 स्तम्भीय रजिस्टर जिसमें कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित किये गये प्रतिवेदन का विवरण सर्वेक्षण के पूर्ण विवरण एवं उसके आधार पर कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों का सम्पूर्ण विवरण अंकित हो, तैयार करना होता है। प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-5 के पैरा 1 ए (vi एवं vii) के अनुसार डिप्टी कमिशनर (वि0अनु0शा0) और असि0 कमिशनर (वि0अनु0शा0) अपने द्वारा प्रेषित गोपनीय प्रतिवेदन से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों की समीक्षा करेंगे। वे कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर लम्बित वि0अनु0शा0 वादों का त्रैमासिक रूप से मिलान करेंगे। वाणिज्य कर अधिकारी (वि0अनु0शा0) छोटे व्यापारियों से सम्बन्धित परिवादों की जाँच असि0 कमिशनर (वि0अनु0शा0) के सहयोग से करेंगे तथा डिप्टी कमिशनर (वि0अनु0शा0) से अनुमोदित कराने के पश्चात जांच प्रतिवेदन सम्बन्धित खण्डाधिकारियों को प्रेषित करेंगे।

वि0अनु0शा0 इकाइयां अपने रेंज/जोन के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों/ट्रान्सपोर्टरों के भवनों/गोदामों में सर्वेक्षण, जांच व अभिग्रहण की कार्यवाही करती हैं। अभिग्रहीत दस्तावेजों के साथ प्रतिकूल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों को कर-निर्धारण एवं वसूली हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

प्रान्त में विशेष अनुसंधान शाखाओं द्वारा की गयी कार्यवाही के परिणाम सारणी संख्या 2.18 में दिये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.18

वर्ष	इकाईयों की संख्या	प्रतिकूल सर्वेक्षणों की संख्या	अभिग्रहीत अभिलेखों की संख्या	क0नि0प्रा0 को प्रेषित प्रतिवेदनों ⁶⁷ की संख्या	प्रेषित प्रतिवेदनों में समिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	क0नि0प्रा0 को प्रेषित प्रतिवेदनों में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में)	गत वर्ष की तुलना में धनराशि में वृद्धि (प्रतिशत में)
2007–08	39	5,024	2,316	6,994	7,547.48	14.36	73.49
2008–09	46	6,133	2,638	8,170	7,916.57	16.81	04.89
2009–10	46	7,031	3,180	8,244	9,008.05	00.91	13.79
2010–11	46	4,625	2,421	7,357	11,513.00	(-) 10.76	27.81
2011–12	46	4,513	2,505	6,979	13,015.00	(-) 05.14	13.04
योग		27,326	13,060	37,744	49,000.10	32.08	133.02

स्रोत : विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन

सारणी क्रमांक 2.18 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2009–10 से 2011–12 के मध्य प्रतिकूल सर्वेक्षणों में ग्यारह से पांच प्रतिशत की कमी आयी है तथा कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों में 10.76 से 5.14 प्रतिशत की कमी आयी है। कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों में समाहित धनराशि वर्ष 2008–09 में ₹ 7,916.57 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 13,015 करोड़ हो गयी। रजिस्टर⁶⁸ में वांछित विवरण अंकित न होने के कारण विभाग इन मामलों में वास्तविक वसूली की स्थिति बताने में असमर्थ रहा।

⁶⁷ कुल प्रेषित प्रतिवेदन प्रतिकूल सर्वेक्षण रिपोर्ट को शामिल करते हुये।

⁶⁸ क0नि0प्रा0धिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों का 12 स्तम्भीय रजिस्टर।

हमने नमूना जांच में देखा कि 11 विभागों⁶⁹ में वर्ष 2007–08 से 2011–12 के मध्य डिप्टी कमिश्नर (विभागों⁷⁰) ने 20,257 सर्वेक्षण किये जिनमें ₹ 24,698.07 करोड़ अपवंचित टर्नओवर कर निर्धारण प्राधिकारियों को संसूचित किया गया। विवरण सारणी क्रमांक 2.19 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 2.19

वर्ष	जोनों की संख्या	सर्वेक्षणों की संख्या	कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों की संख्या	(रु करोड़ में) अनुमानित अपवंचित टर्नओवर की सन्निहित धनराशि
2007–08	11	4,590	3,960	5,853.96
2008–09	11	4,845	4,268	4,378.36
2009–10	11	4,655	4,525	4,655.62
2010–11	11	3,188	3,278	4,481.95
2011–12	11	2,979	3,012	5,328.18
योग		20,257	19,043	24,698.07

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कर और उसकी वसूली का विवरण जो कि डिप्टी कमिश्नर (विभागों⁷⁰) द्वारा रखा जाना चाहिए, मात्र मुरादाबाद जोन के डिप्टी कमिश्नर (विभागों⁷⁰)⁷¹ द्वारा रखा गया तथा मुरादाबाद जोन के 2,395 मामलों में अपवंचित टर्नओवर पर आरोपित कर⁷² की वसूली⁷³ 22 से 25 प्रतिशत तक रही।

हम मात्र पांच जोन⁷⁴ के 21 व्यापारियों के कर निर्धारण आदेशों की जांच कर सके जिन्हें विभागों⁷⁰ अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रतिकूल सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, अन्तिम रूप दिया गया था और पाया कि :

- तीन व्यापारियों⁷⁴ के वर्ष 2007–08 से 2009–10 के बाद जिनमें ₹ 1.34 करोड़ का कर सन्निहित था, उत्प्र०मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 32 व उत्प्र० व्यापार कर अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण हेतु लम्बित थे।
- नौ व्यापारियों⁷⁵ के वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के बादों में, जिनमें ₹ 115.27 करोड़ का अपवंचित टर्नओवर और ₹ 6.18 करोड़ का कर सन्निहित था, प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा कर घटाकर ₹ 8.04 लाख कर दिया गया। सभी मामले अपील में लम्बित थे।
- दो मामलों⁷⁶ में व्यापारियों ने निर्धारित कर ₹ 1.5 लाख जमा कर दिया और एक मामले⁷⁷ में कर निर्धारण प्राधिकारी ने कोई अपवंचन नहीं पाया। चौथे मामले⁷⁸ में ₹ 8000 की आई.टी.सी. उत्क्रमित की गयी।
- वर्ष 2009–10 के एक मामले⁷⁹ में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अप्रैल 2012 में ₹ 88.30 लाख कर निर्धारित किया गया।
- शेष तीन मामलों⁸⁰ में जो वर्ष 2007–08 से 2009–10 की अवधि से सम्बन्धित थे तथा जिनमें ₹ 1.50 करोड़ का कर सन्निहित था, में जून 2011 से सितम्बर 2012 के मध्य वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये।

इन इककीस मामलों में हमने पाया कि विभागों⁷⁰ द्वारा संसूचित करापवंचन कर निर्धारण/अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर पोषणीय नहीं रहा।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2013) कि विभागों⁷⁰ इकाइयों को कर निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर की गयी कार्यवाही का विवरण

⁶⁹ आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झासी, कानपुर-I एवं II, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी-I

⁷⁰ जोन मुरादाबाद के डिप्टी, विभागों-ए, विभागों-बी एवं विभागों-बिजनौर।

⁷¹ निर्धारित कर ₹ 171.71 करोड़।

⁷² वसूला गया कर ₹ 41.19 करोड़।

⁷³ आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, लखनऊ एवं नोएडा।

⁷⁴ बंसल इस्पात गाजियाबाद, चेतना स्टील्स गाजियाबाद और गाजियाबाद आयरन एण्ड स्टील कम्पनी गाजियाबाद।

⁷⁵ गेल इण्डिया लिंगो आगरा, गोणेश इण्टरप्राइजेज आगरा, गिरीश राज किंशोर आगरा, वालाजी फूड प्राइवेट मधुरा, समय फूड प्राइलिंग नोएडा, मैनी स्टील वर्क्स नोएडा, नमिता अग्रवाल आगरा, नीलकंठ स्टील्स लखनऊ, कृष्ण इलेक्ट्रिक एवं हाउसवेयर नोएडा।

⁷⁶ स्टर्डेसी मैनेफैक्चरिंग (प्रा)लिंगो नोएडा एवं वैली हेत्थ प्राइवेट (प्रा)लिंगो नोएडा।

⁷⁷ बाबूलाल एण्ड सस्ट्र मधुरा।

⁷⁸ खण्डेलवाल स्टील सेट्टर गाजियाबाद।

⁷⁹ एस०जी०स्टील्स गाजियाबाद।

⁸⁰ राजगंगा डेवलपर्स लखनऊ, सुरेश चन्द्र रिपो कुमार मधुरा, ताज स्टील वर्क्स नोएडा।

अभिलिखित करना चाहिए साथ ही डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश के विश्लेषण करने एवं उसके विरुद्ध अपील करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त का अनुपालन न किये जाने के कारण पुनः 13 सितम्बर 2013 के परिपत्र⁸¹ द्वारा कड़े निर्देश दे दिये गये हैं।

2.8.10 एडीशनल कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

विशेष अनुशंधान शाखा के अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-5 के अन्तर्गत परिभाषित किये गये हैं। रेल व मण्डी समिति द्वारा परिवहित माल की सूचना, संवेदनशील वस्तुओं* से सम्बन्धित आँकड़े, निर्माता इकाईयों द्वारा बिजली उपभोग की सूचना आदि, कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित गोपनीय प्रतिवेदन की समीक्षा, कर निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर लम्बित वि0अनु0शा0 वादों का त्रैमासिक रूप से मिलान करना जैसे-कर्तव्य डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को निर्दिष्ट किये गये हैं।

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-4 के पैरा 2 (बी) के अन्तर्गत एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-II के भी कर्तव्य नियत किये गये हैं जिनमें ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) तथा असिस्टेंट कमिश्नर (सचल दल) द्वारा किये गये कार्यों की पाक्षिक समीक्षा तथा उनके कार्यालयों का सामयिक निरीक्षण करना, कर अपवंचन गतिविधियों में लिप्त ट्रान्सपोर्टरों को चिन्हित करके न्यूनतम एक ट्रान्सपोर्टर के गोदाम तथा उस दिन पूरे चौबीस घंटे तक उसके समस्त वाहनों की सघन जाँच करना, कर अपवंचन में लिप्त निर्माता इकाईयों की पहचान करके उनकी फैक्ट्री, गोदाम तथा शाखा का निरीक्षण करना, अन्य विभागों से करापवंचन की सूचना एकत्रित करके उसे कर निर्धारण प्राधिकारियों से साझा करना सम्मिलित है।

* जैसे— लोहा व इस्पात, सुपारी, गुटखा और परचून इत्यादि।

उपलब्ध कराये। तीन जोनों⁸⁸ से आँकड़े प्राप्त नहीं हुये।

उक्त के अतिरिक्त हमने एडीशनल कमिश्नर (वि0अनु0शा0) ग्रेड-II की कार्यप्रणाली में भी कमियां पायीं क्योंकि वि0अनु0शा0 इकाईयों को जारी दिशा निर्देशों का विवरण, संगोष्ठी के कार्यवृत का विवरण, किये गये सामयिक निरीक्षण का विवरण, न्यूनतम एक ट्रान्सपोर्टर के गोदाम तथा उस दिन पूरे चौबीस घंटे तक उक्त ट्रान्सपोर्टर के समस्त वाहनों की सघन जाँच का विवरण, रेलवे द्वारा परिवहित माल के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण, अन्य सरकारी विभागों जैसे—आयकर, केन्द्रीय उत्पाद तथा खाद्य एवं रसद विभाग, बड़े आपूर्तिकर्ताओं एवं विभिन्न राजकीय विभागों के ठेकेदारों के पैन के आधार पर संकलित सूचना का आदान प्रदान (साझा) करना संबंधी विवरण केवल

हमने 14 वि0अनु0शा0 जोनों द्वारा किये गये कार्यों के विवरण⁸² की जाँच करी और हमारी टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

(i) आठ जोन⁸³ के 12 डिप्टी कमिश्नरों (वि0अनु0शा0)⁸⁴ ने किये गये कार्यों का विवरण नहीं रखा। शेष छः जोन⁸⁵ के डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) कार्यालयों⁸⁶ से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ii) 10 वि0अनु0शा0 जोनों⁸⁷ ने कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित गोपनीय प्रतिवेदनों के आधार पर आरोपित कर और उसकी वसूली से सम्बन्धित विवरण को प्राप्त करने हेतु कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की। मात्र मुरादाबाद जोन ने कर वसूली से सम्बन्धित आँकड़े

⁸¹ परिपत्र सं0: ज्वाइकमि0 (वि0अनु0शा0) मु-57 / स0प0 / वि0अनु0शा0 व्यवस्था परिवर्तन/ 2013-14 / 1047 दिनांक 13.09.2013।

⁸² रेलवे कन्टेनर डिपो, रेलवे/मण्डी समिति द्वारा परिवहित माल की जाँच करके करापवंचन की सूचनाये एकत्रित करना, महत्वपूर्ण माल के सम्बन्ध में व्यापारियों का प्रोफाइल तैयार करना, निर्माताओं द्वारा उपभोग की गयी बिजली की सूचना एकत्रित करना, माल एवं संयंत्र तथा मशीनरी के राइट दू यूज के हस्तान्तरण की सूचना, अन्य सरकारी विभागों जैसे—आयकर, केन्द्रीय उत्पाद, खाद्य एवं रसद विभाग से करापवंचकों की सूचना एकत्र करना, ठेकेदारों के भेजे का संकलन, कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों पर आरोपित कर का मिलान करना।

⁸³ आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर I एवं II, मेरठ और सहारनपुर।

⁸⁴ आगरा ए एवं बी, बरेली ए एवं बी, झांसी, कानपुर ए, भी, उत्तर प्रदेश, मेरठ ए एवं बी, सहारनपुर ए

⁸⁵ गोतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद-1, गोरखपुर, लखनऊ-1, मुरादाबाद एवं वाराणसी।

⁸⁶ गोरखपुर ए एवं बी, मुरादाबाद एवं खुरु, झांसी ए एवं बी, सहारनपुर बी, वाराणसी ए एवं बी

⁸⁷ आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर 1 एवं 2, लखनऊ-1, सहारनपुर एवं वाराणसी-1

⁸⁸ गोतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद-1 एवं मेरठ

पाँच जोन⁸⁹ में उपलब्ध थे। इन पाँच जोनों में से केवल तीन जोनों⁹⁰ में निर्माता इकाइयों में किये गये सर्वेक्षण व अभिग्रहण के ही विवरण उपलब्ध थे। इस प्रकार पर्यवेक्षी व निगरानी नियंत्रण में निदेशन का अभाव था तथा उद्देश्यपूर्ण नहीं रहा। शेष नौ जोनों⁹¹ से सूचनायें/आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) तथा कहा कि मैनुअल में दिये गये प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन हेतु निर्देश निर्गत⁹² कर दिये गये हैं।

2.8.11 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा कानूनों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों को तर्कपूर्ण प्रभाव के साथ व्यवस्थित रूप से लागू करने में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह सामान्यतः परिभाषित है कि यह सभी नियंत्रणों पर नियन्त्रण है। आंतरिक नियन्त्रण तुरन्त एवं प्रभावी सेवाओं तथा करापवंचन एवं अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध उचित सुरक्षा के लिए वित्तीय और प्रबन्धन की विश्वसनीय सूचना प्रणाली के सृजन करने में भी मदद करता है।

हमने वर्ष 2010–11 से 2012–13 के मध्य आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित सचल दल इकाइयों के संबंध में सूचनायें कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर से एकत्र किया और पाया कि क्रमशः 129, 136, और 134 सचल दल इकाइयां आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित की गयीं। पुनः कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के अभिलेखों के परीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि इन इकाइयों द्वारा जमा का मात्र कोषागार से सत्यापन किया गया और अन्य कोई अभिलेख नहीं जाँचे गये थे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि सचल दल इकाइयों को विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित नहीं किया जाता है। विऽअनु०शा० इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी। चूंकि प्रवर्तन शाखा वाणिज्य कर विभाग का अभिन्न अंग है अतः इसके सभी पक्षों को आंतरिक लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को भविष्य में सचल दल इकाइयों के समस्त अभिलेखों जैसे डिटेंशन मेमो, कारण बताओ नोटिस, अभिग्रहण आदेश, गोदाम पंजी, पंजी–5, भौतिक सत्यापन रजिस्टर, मामलों की पत्रावलियां, नगद जमानत जमा करने का रजिस्टर, रोकड़ बही आदि की जाँच हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

2.8.12 निष्कर्ष

समीक्षा में उजागर हुआ कि टी.डी.एफ. एवं फार्म 38 के निर्गत करने एवं खारिज/जमा में कमियां थीं। सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि टी.डी.एफ. के आनलाइन प्रणाली में निवेश एवं वैधता नियंत्रण तथा आपदा प्रबंधन प्रणाली में खामियां थीं। सूचना प्रौद्योगिकी शाखा तथा प्रवर्तन शाखा के मध्य समन्वय का अभाव है तथा प्रवर्तन शाखा को डाटा एन्ट्री के आंकड़े समय से प्राप्त नहीं हो रहे थे। बारम्बार करापवंचन करने वाले व्यापारियों/ट्रान्सपोर्टरों को ढूँढ़ निकालने हेतु कोई माड़्यूल विद्यमान नहीं है। विद्यमान सचल दल इकाइयों में संचालनात्मक खामियां थीं, नियंत्रण कक्ष असंचालित थे तथा सचल दल अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में उपलब्ध सूचनाओं से प्रतिसत्यापन हेतु कोई उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गये थे। सचल दल इकाइयों द्वारा अभिग्रहण तथा विऽअनु०शा० द्वारा प्रतिकूल सर्वेक्षण के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अंतिम आरोपित अर्थदण्ड/कर सम्बन्धी अनुपालन एवं पर्यवेक्षण का अभाव था।

⁸⁹ आगरा, गाजियाबाद–1, झांसी, लखनऊ–1 एवं वाराणसी–1।

⁹⁰ गाजियाबाद–1, लखनऊ–1 एवं वाराणसी–1।

⁹¹ अलीगढ़, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, कानपुर 1 एवं 2, मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर।

⁹² परिपत्र सं: ज्या०कमि० (विऽअनु०शा०) मु-57 / स०प० / विऽअनु०शा० व्यवस्था परिवर्तन / 2013–14 / 1047 दिनांक 13.09.2013।

2.8.13 संस्तुतियाँ

कमियों में सुधार हेतु शासन निम्नलिखित संस्तुतियों के क्रियान्वयन पर विचार कर सकता है:

- फार्म-38 डाउनलोड करने के पूर्व संव्यवहार का विवरण आनलाइन भरने का प्रावधान अनिवार्य करना।
- टी.डी.एफ. हेतु एन्ट्री एवं वैधता नियंत्रण तथा आपदा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना।
- बारम्बार करापवंचन करने वाले व्यापारी/ट्रान्सपोर्टरों का डाटाबेस रखने हेतु माड्यूल विकसित करना।
- प्रवर्तन अधिकारियों को उचित उपकरण उपलब्ध कराना जिससे कि वे वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं/आंकड़ों का प्रयोग कर सकें।
- प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अभिग्रहण/सर्वेक्षण के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अंतिम आरोपित/वसूले गये कर के संबंध में निगरानी/अनुश्रवण तंत्र स्थापित करना।

2.9 लेखा परीक्षा प्रेक्षण

वाणिज्य कर विभाग के कर निर्धारण अभिलेखों की हमारी जाँच में अधिनियमों/नियमों को अमल में ना लाये जाने, कर/अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण, अनियमित करमुकित, कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने आदि के प्रकरण सहित अनेक मामले प्रकाश में आये जो कि इस अध्याय में आगे दिये गये प्रस्तरों में उल्लिखित हैं। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित हैं। कर निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर ऐसी त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु लेखा परीक्षा होने तक ये प्रकाश में नहीं आती हैं।

2.10 कर का अनारोपण/कम आरोपण

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की न्यूनतर दरें लागू की गयीं एवं कुछ मामलों में कोई कर आरोपित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.92 करोड़ के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ जैसा कि उत्तरवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है:

2.10.1 व्यापार कर/मूल्य संवर्धित कर की गलत दर लगाये जाने से कर का अनारोपण/कम आरोपण

उ0प्र0 व्यापार कर (उ0प्र0व्या0क0) अधिनियम 1948 की धारा 3 के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुएं निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम 2008 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत 1 जनवरी 2008 से अनुसूची-I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची-II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से तथा अनुसूची-III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची-IV में शामिल हैं शासन द्वारा समय-समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। वस्तुएं जो उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वो अनुसूची-V में शामिल हैं एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) अधिनियम 1956 के अन्तर्गत फार्म 'सी' या फार्म 'डी' में घोषणापत्र से अनाच्छादित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 31 मार्च 2007 तक 10 प्रतिशत अथवा राज्य में ऐसी वस्तु की खरीद या बिक्री पर आरोपणीय कर की दर दोनों में जो भी अधिक हो की दर से कर आरोपणीय है एवं 1 अप्रैल 2007 से उस दर से कर आरोपणीय है जो कि उस राज्य में लागू हो।

हुआ।

हमारे द्वारा इन मामलों को दिसम्बर 2008 एवं मई 2013 के मध्य विभाग/शासन को इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) 25 मामलों में ₹ 69.49 लाख कर आरोपित कर दिया जिसमें से ₹ 8.91 लाख की वसूली की जा चुकी है। छ: अन्य मामलों में विभाग द्वारा कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

हमने नवम्बर 2008 एवं मार्च 2013 के मध्य 75 वाणिज्य कर कार्यालयों (वा0क0का0)⁹³ में देखा⁹⁴ कि 95 व्यापारियों द्वारा ₹ 33.79 करोड़ मूल्य के माल की 2002–03 से 2009–10 के मध्य बिक्री पर वैट अनुसूची में दिये गये कर की दर के बजाय जुलाई 2007 से मार्च 2012 के मध्य उनका कर निर्धारण करते समय सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा दाखिल कर विवरणियों के अनुसार कर को स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.36 करोड़ व्यापार कर (व्या0क0)/मूल्य संवर्धित कर (मू0सं0क0) का अनारोपण/कम आरोपण

⁹³ डिक0 खण्ड-3 इलाहाबाद, डिक0 खण्ड-5 इलाहाबाद, असि0क0 खण्ड-11 इलाहाबाद, डिक0 खण्ड-8 आगरा, डिक0 खण्ड-10 आगरा, असि0क0 खण्ड-19 आगरा, डिक0 खण्ड-2 अमरोहा, डिक0 खण्ड-2 बाराबकी, डिक0 खण्ड-5 बरेली, डिक0 खण्ड-3 बहराइच, डिक0 खण्ड-3 एटा, डिक0 खण्ड-2 इटा, डिक0 खण्ड-1 फतेहगढ़, जाओका (कापौलसो), फजालाद, जाओका (कापौलजो) अ गाजियाबाद, डिक0 खण्ड-8 गाजियाबाद, डिक0 खण्ड-9 गाजियाबाद, डिक0 खण्ड-10 गाजियाबाद, डिक0 खण्ड-17 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-2 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-3 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-4 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-7 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-11 गाजियाबाद, डिक0 खण्ड-3 गोतमबुधनगर, असि0क0 खण्ड-1 गोतमबुधनगर, असि0क0 खण्ड-2 गोरखपुर, डिक0 खण्ड-9 गोरखपुर, असि0क0 खण्ड-4 गोरखपुर, असि0क0 खण्ड-5 गोरखपुर, असि0क0 खण्ड-10 गोरखपुर, डिक0 खण्ड-1 हरदोई, डिक0 खण्ड-5 कानपुर, डिक0 खण्ड-10 कानपुर, डिक0 खण्ड-17 कानपुर, डिक0 खण्ड-24 कानपुर, डिक0 खण्ड-27 कानपुर, डिक0 खण्ड-28 कानपुर, असि0क0 खण्ड-5 कानपुर, असि0क0 खण्ड-6 कानपुर, असि0क0 खण्ड-11 कानपुर, असि0क0 खण्ड-16 कानपुर, असि0क0 खण्ड-20 कानपुर, असि0क0 खण्ड-27 कानपुर, असि0क0 खण्ड-29 कानपुर, असि0क0 कौशाम्बी, डिक0 खण्ड-1 लखीमपुर खीरी, असि0क0 खण्ड-1 लखीमपुर खीरी, डिक0 खण्ड-2 लखनऊ, डिक0 खण्ड-5 लखनऊ, डिक0 खण्ड-13 लखनऊ, डिक0 खण्ड-14 लखनऊ, डिक0 खण्ड-16 लखनऊ, डिक0 खण्ड-17 लखनऊ, डिक0 खण्ड-20 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-16 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-17 लखनऊ, डिक0 खण्ड-7 मुरादाबाद, डिक0 खण्ड-6 मेरठ, असि0क0 खण्ड-6 मेरठ, असि0क0 खण्ड-8 मेरठ, डिक0 खण्ड-4 नाइडा, डिक0 खण्ड-5 नोएडा, डिक0 खण्ड-12 नोएडा, डिक0 खण्ड-14 नोएडा, असि0क0 खण्ड-6 नोएडा, असि0क0 खण्ड-14 नोएडा, असि0क0 खण्ड-3 ओराई, असि0क0 खण्ड-2 शहजाहापुर, असि0क0 खण्ड-4 सीतापुर, असि0क0 खण्ड-11 सहारनपुर, डिक0 खण्ड-3 वाराणसी एवं डिक0 खण्ड-15 वाराणसी।

⁹⁴ निर्धारिती द्वारा दाखिल कर विवरणी एवं कर निर्धारण पत्रावली।

2.10.2 आरजीजीवीवाई (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) योजना में माल की बिक्री पर कर का अनारोपण

उ0प्र0 व्यापार कर (उ0प्र0 व्या0क0) अधिनियम 1948 की धारा 3 के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय-समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुएं निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम की धारा 3 'एच' के अन्तर्गत ₹ 50.00 लाख से अधिक कुल वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के कर योग्य टर्नओवर पर 1 मई 2005 से 1 प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर (रा0वि0क0) आरोपणीय होगा। पुनर्शब्द, उ0प्र0 सरकार ने 13 जुलाई 2006 को जारी विज्ञप्ति के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) में ही प्रयोग के लिए राज्य के बाहर से आयातित इलेक्ट्रिकल गुड्स की बिक्री पर विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से योजना के पूर्ण होने की तिथि तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रदान की गई है।

2006 से प्रभावी थी। इस गलत कर मुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 4.77 करोड़ के कर का अनारोपण⁹⁸ हुआ।

हमारे द्वारा इस मामले को विभाग एवं शासन को मई 2012 को इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) ₹ 4.64 करोड़ का कर आरोपित कर दिया। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

2.10.3 माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त किराये पर कर का कम आरोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3 एफ सप्तित 14 नवम्बर 2000 की विज्ञप्ति के अनुसार 15 नवम्बर 2000 से किसी माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण पर पाँच प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त किराया ₹ 23.64 करोड़ पर त्रुटिपूर्ण चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.64 लाख का कम कर आरोपित हुआ।

हमारे द्वारा मामले को अगस्त 2012 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित करने पर विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और बताया कि ₹ 23.64 लाख कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

हमने मार्च 2012 में डि0क0 खण्ड-3 सीतापुर के अभिलेखों⁹⁵ की जाँच में देखा कि एक व्यापारी ने⁹⁶ वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 (12 जुलाई 2006 तक) की अवधि में आरजीजीवीवाई योजना के लिए कार्य कर रहे संविदाकारों को 12 जुलाई 2006 तक ₹ 43.33 करोड़ के इलेक्ट्रिकल गुड्स की बिक्री की। क0नि0प्रा0 ने जुलाई 2010 में कर निर्धारण के समय आरजीजीवीवाई योजना में वर्ष 2005–06 एवं 12 जुलाई 2006 तक प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल गुड्स की बिक्री पर करमुक्ति का गलत लाभ दिया जबकि करमुक्ति⁹⁷ 13 जुलाई

हमने डि0क0 खण्ड-13 इलाहाबाद के अभिलेखों की जून 2012 में जाँच के दौरान देखा⁹⁸ कि क0नि0प्रा0 ने एक व्यापारी का दिसम्बर 2011 में कर निर्धारण करते समय मशीनरी एवं उपकरणों के

⁹⁵ क0नि0प्रा0 एवं व्यापारी से सम्बन्धित प्रत्रावलियाँ।

⁹⁶ अधि0 आभि0 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम वस्तुगंज सीतापुर।

⁹⁷ क0नि0-2-1283/XI-9(24)/2006 उ0प्र0 अधिनियम/15-48 आदेश-(12)-2006 दिनांक 13 जुलाई 2006।

⁹⁸ व्यापार कर ₹ 4.33 करोड़ रा0वि0क0 ₹ 43.33 लाख।

⁹⁹ कर निर्धारण आदेश एवं व्यापारी से सम्बन्धित पत्रावली।

2.10.4 टाफी एवं कन्फेक्शनरी गुड्स की बिक्री पर कर का कम आरोपण

उत्तराधिनियम 2008 की धारा-4(1) के अन्तर्गत 1 जनवरी 2008 से अनुसूची-I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची-II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से तथा अनुसूची-III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची-IV में शामिल हैं समय-समय पर शासन द्वारा विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। वस्तुएं जो उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। टाफी एवं कन्फेक्शनरी की मदें अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं हैं।

हमने 11 वार्षिकों में देखा¹⁰⁰ कि करनियोंप्रा 0 ने अवधि 2007–08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008 तक) एवं 2008–09 के लिए 12 व्यापारियों का मार्च 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 8.01 करोड़ मूल्य के ब्रांडेड¹⁰¹ टाफी एवं कन्फेक्शनरी मदों की बिक्री पर गलत दर से कर आरोपित किया। इसके जो सारणी क्रमांक 2.20 में दर्शाया गया है:-

सारणी क्रमांक 2.20

(₹ लाख में)

क्रमांक	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1	डिलीक्ट खण्ड-8 वार्षिकों आगरा	1	2008–09 (मार्च 2012)	टाफी (v)	14.00	12.5/4	1.19
2	डिलीक्ट खण्ड-11 वार्षिकों अलीगढ़	1	2007–08 (वैट) (मार्च 2011)	कन्फेक्शनरी उत्पाद (v)	10.74	12.5/4	0.91
			2008–09 (जनवरी 2012)		33.91	12.5/4	2.88
3	वार्षिकों 030 खण्ड-9 वार्षिकों अलीगढ़	1	2008–09 (फरवरी 2012)	टाफी कन्फेक्शनरी (v)	10.81	12.5/4	0.92
4	आरेसिकों का 0 खण्ड-1 वार्षिकों छात्रपति शाहजहांजी महाराज नगर (गोरी गंगा)	1	2008–09 (फरवरी 2012)	कन्फेक्शनरी टाफी एवं च्यूंग गम (v)	1.27	12.5/4	0.11
5	आरेसिकों 0 खण्ड-8 वार्षिकों गाजियाबाद	1	2008–09 (जनवरी 2012)	कन्फेक्शनरी आइटम (v)	53.04	12.5/4	4.51
			2008–09 (जनवरी 2012)	कन्फेक्शनरी (v)	53.13	12.5/4	4.52
6	डिलीक्ट खण्ड-1 वार्षिकों गोण्डा	1	2008–09 (मार्च 2012)	टाफी एवं टाफी गम (कन्फेक्शनरी उत्पाद) (v)	22.16	12.5/4	1.88
7	डिलीक्ट खण्ड-2 वार्षिकों गोण्डा	1	2008–09 (अक्टूबर 2011)	कन्फेक्शनरी (v)	13.32	12.5/4	1.13
8	डिलीक्ट खण्ड-10 वार्षिकों गोरखपुर	1	2008–09 (सितम्बर 2011)	टाफी (v)	7.68	12.5/4	0.65
9	डिलीक्ट खण्ड-3 वार्षिकों कानपुर	1	2008–09 (नवम्बर 2011)	कन्फेक्शनरी (टाफी) (v)	60.06	12.5/4	5.10
10	आरेसिकों 0 खण्ड-10 वार्षिकों नोएडा	1	2008–09 (मार्च 2012)	कन्फेक्शनरी आइटम (v)	101.82	12.5/4	8.65
11	डिलीक्ट खण्ड-4 वार्षिकों सहारनपुर	1	2008–09 (मार्च 2012)	कन्फेक्शनरी (v)	418.85	12.5/4	35.60
योग		12			800.79		68.05

¹⁰⁰ निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणी एवं कर निर्धारण पत्रावलियाँ।¹⁰¹ एल्पेनलिवे, सेन्टर फ्रेश, बलोरमिट, फिली-फाली, फूटेला एवं मेन्टास इत्यादि।

हमारे द्वारा मामले को अगस्त 2012 एवं मई 2013 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित करने पर विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 3, 5, 6, 7, 9 एवं 11 में वर्णित मामलों में ₹ 53.66 लाख का कर आरोपित कर दिया। शेष मामलों में कर आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

2.10.5 अनियमित स्टाक ट्रान्सफर पर कर का अनारोपण

कोबिंको 0 अधिनियम 1956 की धारा 4 सपष्टित धारा 3 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट या अभिनिश्चित माल की दशा में जब विक्रय संविदा की जाय एवं अभिनिश्चित या विशिष्ट माल की दशा में विक्रेता या क्रेता द्वारा विक्रय संविदा के प्रति उसके विनियोग के समय चाहे दूसरे पक्ष की अनुमति ऐसे विनियोग के पूर्व या पश्चात की हो तो किसी राज्य के भीतर माल का विक्रय या क्रय हुआ माना जाता है तब ऐसा विक्रय या क्रय अन्य सभी राज्यों के बाहर हुआ समझा जायेगा। पुनर्श्च, सर्वश्री भारत कार्बन रिबन मैनफैक्चरिंग को 10 लिंग बनाम हरियाणा राज्य 2005 एन0टी0एन0 के मामले में ग्राहक के साथ हुए संविदा के अन्तर्गत निश्चित विशेषताओं के साथ निर्मित वस्तुओं की अन्ततः उसी ग्राहक को की गयी आपूर्ति एवं बिक्री को प्रान्त के बाहर डिपो शाखा को हस्तान्तरण स्टाक ट्रान्सफर नहीं माना गया।

इस तथ्य की जांच नहीं की कि पूर्व में किये गये क्रय वस्तुओं की आपूर्ति विशेष ग्राहकों को करना स्टाक ट्रान्सफर नहीं था। न्यायिक निर्णय एवं अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद कोनिंग्रा 0 ने उसे अनुचित रूप से स्टाक ट्रान्सफर मानते हुए उस पर कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.71 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ।

हमने मामले को विभाग/शासन को दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य प्रतिवेदित किया। उनके उत्तर कई अनुस्मारकों के उपरान्त भी प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2013)।

हमने अक्टूबर 2011 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट) नोएडा के अभिलेखों¹⁰² में देखा कि एक व्यापारी ने वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान अपने देहरादून एवं मोहाली स्थित शाखाओं को क्रय आदेश में दिये गये विशेषताओं के साथ माल के विवरण के अनुसार ₹ 67.67 करोड़ के माल (सीटीवी/डीवीडी कम्पोनेन्ट/प्रिन्टेड सरकिट बोर्ड) की आपूर्ति की। कोनिंग्रा 0 ने मार्च 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय आदेश के अनुसार निर्मित कम्पोनेन्ट/प्रिन्टेड सरकिट बोर्ड की आपूर्ति की।

कोनिंग्रा 0 ने मार्च 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय आदेश के अनुसार निर्मित

¹⁰² कर निर्धारण पत्रावलियों एवं निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणियों से।

2.10.6 धान की भूसी की खरीद पर कर का अनारोपण

उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम की की धारा 7 के अन्तर्गत अनुसूची-I में वर्गीकृत माल किसी भी बिन्दु पर कर योग्य नहीं है एवं जो वस्तुएं उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम की अनुसूची-II से IV तक वर्गीकृत नहीं हैं उन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। पुनश्च, उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत यदि अपंजीकृत व्यापारी से किसी वस्तु की खरीद की जानी है तो उस वस्तु पर उसी दर से जिस दर से उसकी बिक्री पर कर देय है कर के भुगतान का दायी होगा। पशु आहार एवं पशुचारा जिसमें हरा चारा, चूनी, भूसी, छिलका, चोकर, जवी, ज्वार, तेल रहित राइस पालिश, तेल रहित राइस ब्रान, तेल रहित राइस हस्क या धान का बाहरी छिलका शामिल है को अनुसूची-I के क्रमांक 4 के अनुसार कर मुक्ति प्रदान की गयी है। धान का बाहरी छिलका जो धान की भूसी के रूप में जाना जाता है, जो तेल रहित न हो एवं जिसका प्रयोग पशु आहार से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया हो इस प्रविष्टि से आच्छादित नहीं है एवं इस पर अधिनियम के अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5 की दर से कर देयता है।

ईंधन के रूप में प्रयुक्त धान की भूसी या धान के बाहरी छिलके की खरीद पर कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.30 करोड़ का कर आरोपित नहीं किया, जैसा सारणी क्रमांक 2.21 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.21

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	अनारोपित कर की धनराशि
1	ज्वा०क० (काम००००००) वा०क० इटावा मुख्यालय फिरोजाबाद	1	2008–09 (फरवरी 2012)		94.30	12.5/0	11.79
2	डिं०क० खण्ड-16 वा०क० कानपुर	1	2008–09 (दिसम्बर 2011)		149.28	12.5/0	18.66
3	डिं०क० खण्ड-2 वा०क० सम्मल	1	2007–08 (वैट) (नवम्बर 2010) 2008–09 (नवम्बर 2010)	ईंधन के रूप में प्रयुक्त धान की भूसी (अनुसूची-V)	331.32 2697.10	12.5/0 12.5/0	41.41 337.14
4	डिं०क० वा०क० सिकन्दराबाद	1	2008–09 (फरवरी 2011)		170.37	12.5/0	21.30
	योग	4			3442.37		430.30

हमारे द्वारा मामले को विभाग/शासन को अगस्त 2012 एवं मई 2013 के मध्ये प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने अगस्त 2013 में बताया कि धान के बाहरी छिलके में तेल नहीं होता है एवं यह अनुसूची-I के प्रविष्टि संख्या-4 से आच्छादित है। हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि पशु चारा के रूप में प्रयुक्त तेल रहित पैडी हस्क पर ही कर मुक्ति है इन प्रकरणों में पैडी हस्क का प्रयोग ईंधन के रूप में किया गया है न कि पशु आहार के रूप में। अतः इस खरीद/बिक्री पर ₹ 4.30 करोड़ का कर आरोपणीय था।

¹⁰³ कर निर्धारण पत्रावलियों एवं निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणियों से।

हमने चार वाणिज्य कर कार्यालयों में अक्टूबर 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य देखा¹⁰³ कि चार व्यापारियों ने वर्ष 2007–08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008) एवं 2008–09 के दौरान ₹ 34.42 करोड़ मूल्य के धान की भूसी अथवा धान के बाहरी छिलके की खरीद अपंजीकृत विक्रेताओं से खरीद कर इसका प्रयोग अपने निर्माण संयंत्रों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किया। धान की भूसी का प्रयोग ईंधन के रूप में किया गया, जबकि पशुचारा के रूप में ही तेल रहित धान की भूसी वैट से मुक्त है। क०नि०प्रा० ने नवम्बर 2010 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय

2.10.7 ट्रांसफार्मर एवं ट्रांसफार्मर के पुर्जों की बिक्री पर कर का कम आरोपण

जो वस्तुएं अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं उन 1 जनवरी 2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। ट्रांसफार्मर अनुसूची-II में दिनांक 29 सितम्बर 2008 तक वर्गीकृत था एवं चार प्रतिशत की दर से कर योग्य था। इस तिथि के पश्चात् ट्रांसफार्मर को अनुसूची-II से हटा दिया गया और यह 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हो गया। ट्रांसफार्मर के पुर्जे एवं ट्रांसफार्मर का तेल अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं हैं।

हमने पाँच वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों¹⁰⁴ की दिसम्बर 2011 एवं नवम्बर 2012 के मध्य जाँच में देखा कि पाँच व्यापारियों का वर्ष 2007–08 (वैट) से 2008–09 की अवधि का मार्च 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय क0निप्रा0 ने जनवरी 2008 से सितम्बर 2008 के मध्य

किये गये ₹ 5.20 करोड़ के ट्रांसफार्मर, इनके पुर्जों एवं ट्रांसफार्मर के तेल की बिक्री पर गलत दर से कर आरोपित किया। इस गलत करारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 44.22 लाख का कम कर आरोपित हुआ, जैसा कि सारणी क्रमांक 2.22 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.22

(₹ लाख में)

क्रमांक	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम कर आरोपित कर
1	डिओको खण्ड-5 वाइको कानपुर	1	2008–09 (मार्च 2012)	ट्रांसफार्मर के पुर्जे एवं तेल (v)	112.91	12.5 / 4	9.60
2	डिओको खण्ड-6 वाइको झांसी	1	2007–08 (वैट) (मार्च 2011)	ट्रांसफार्मर के पुर्जे (v)	30.66	12.5 / 4	2.61
3	डिओको खण्ड-16 वाइको लखनऊ	1	2007–08 (वैट) (मार्च 2011)	ट्रांसफार्मर का तेल (v)	13.42	12.5 / 4	1.14
4	डिओको खण्ड-6 वाइको मेरठ	1	2008–09 (फरवरी 2012)	ट्रांसफार्मर (v)	186.03	12.5 / 4	15.81
5	डिओको खण्ड-12 वाइको मेरठ	1	2008–09 (नवम्बर 2011)	ट्रांसफार्मर (v)	177.18	12.5 / 4	15.06
योग		5			520.20		44.22

हमने मामले को सितम्बर 2012 एवं नवम्बर 2012 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। उत्तर में (दिसम्बर 2013) उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 3 पर वर्णित एक मामले में विभाग ने हमारी आपत्ति स्वीकार करते हुए ₹ 1.14 लाख का कर आरोपित कर दिया। अनेक अनुस्मारकों के बावजूद भी शेष मामलों के उत्तर एवं वसूली की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2013)।

2.10.8 ट्रैक्टर के सहायक उपस्करों पर कर का कम आरोपण

जो वस्तुएं अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं उन पर 1 जनवरी 2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। ट्रैक्टर एवं अटैचमेंट अनुसूची-II में वर्गीकृत है एवं चार प्रतिशत की दर से कर योग्य है ट्रैक्टर के सहायक उपस्कर अनुसूची-II से IV में शामिल नहीं है।

हमने तीन वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2012 के मध्य परीक्षण में देखा कि पाँच व्यापारियों के मामले में वर्ष 2008–09 के लिए क0निप्रा0 ने जुलाई 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते

समय ₹ 3 करोड़ के ट्रैक्टर के सहायक उपस्करों की बिक्री पर गलत दर से कर

¹⁰⁴ निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणी एवं कर निर्धारण पत्रावलियाँ।

आरोपित किया। जैसा कि ट्रैक्टर के सहायक उपस्कर अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं है अतः उन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। हमने पाया कि व्यापारी द्वारा दाखिल विवरणियों/कर बीजकों में ट्रैक्टर के सहायक उपस्करों की खरीद बिक्री का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, परन्तु क0नि0अ0 ने तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया। कर की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 25.52 लाख के कर का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण सारणी क्रमांक 2.23 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 2.23

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1	डिओको खण्ड-14 वारोको आगरा	1	2008-09 (जुलाई 2011)	ट्रैक्टर के सहायक उपस्कर (v)	15.11	12.5 / 4	1.28
2	डिओको खण्ड-6 वारोको मेरठ	1	2008-09 (फरवरी 2012)		46.71 (प्रा0)	12.5 / 4	3.97
		1	2008-09 (फरवरी 2012)		99.93 (के0)	12.5 / 4	8.49
3	असिओको खण्ड-8 मेरठ	1	2008-09 (मार्च 2012)		84.92	12.5 / 4	7.22
		1	2008-09 (मार्च 2012)		3.69(प्रा0)	12.5 / 4	0.31
		1	2008-09 (मार्च 2012)		36.02 (के0)	12.5 / 4	3.06
		1	2008-09 (मार्च 2012)		13.98	12.5 / 4	1.19
		5			300.36		25.52

हमने प्रकरण विभाग/शासन को नवम्बर 2012 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य प्रतिवेदित किया, अनेक अनुस्मारकों के उपरान्त भी उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

2.10.9 पेन्ट पर कर का कम आरोपण

जो वस्तुएं अनुसूची-I से IV में सम्मिलित नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं उन 1 जनवरी 2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। पेन्ट अनुसूची-I से IV में सम्मिलित नहीं है। यह न्यायिक रूप से निर्णीत* है कि यदि किसी वस्तु का प्रयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इस पर उस विशिष्ट प्रविष्टि के अन्तर्गत कर देयता है जहां यह वस्तु वर्गीकृत है।

* सर्वश्री प्यूमा आयुर्वेदिक हर्बल (प्रा0) लिमिटेड बनाम कमिशनर केन्द्रीय उत्पाद के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

इपोक्सी रेजिन एवं केमिकल मिश्रण मानते हुए गलत दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ। जबकि सभी पाउडर कोटिंग एवं पेन्ट ड्रायर पेन्ट में कार्य में प्रयुक्त होता है एवं पेन्ट अनुसूची-I से IV में वर्गीकृत नहीं है इन वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था न कि चार प्रतिशत की दर से। पाउडर कोटिंग एवं पेन्ट ड्रायर के त्रुटिपूर्ण व्यवहार के परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। विवरण सारणी क्रमांक 2.24 में दर्शाया गया है:

हमने दो वाणिज्य कर कार्यालयों में फरवरी 2013 एवं मार्च 2013 के मध्य देखा कि दो व्यापारियों के मामले में वर्ष 2008-09 की अवधि का कर निर्धारण अक्टूबर 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य करते समय क0नि0प्रा0 ने ₹ 13.78 करोड़ के पेन्ट (पाउडर कोटिंग) एवं पेन्ट ड्रायर को अनुसूची-V में वर्गीकृत करने के बजाय इन्हें

सारणी क्रमांक 2.24

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1	डिंको खण्ड-5 वारोको मुरादाबाद	1	2008-09 (फरवरी 2012)	पेन्ट पाउडर कोटिंग (v)	142.57	12.5 / 4	12.12
2	ज्वारोको (कार्पो सो)-1 वारोको वाराणसी	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	पेन्ट ड्रायर (v)	1235.25	12.5 / 4	104.99
योग		2			1,377.82		117.11

हमने मामले को विभाग/शासन को अप्रैल 2013 एवं जून 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया। विभाग ने अगस्त 2013 में उत्तर में बताया कि ये वस्तुएँ पालिशिंग मैटीरियल/केमिकल का मिश्रण है जो अनुसूची-II ए के प्रविष्टि 29 में शामिल है। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि प्रविष्टि 29 में ये वस्तुएँ शामिल नहीं हैं। जैसा कि पेन्ट ड्रायर एवं पेन्ट (पाउडर कोटिंग) विशेष रूप से विशिष्ट प्रयोजन के प्रयोग के लिए पेन्ट कम्पनियों¹⁰⁵ को बेचे गये थे उपर्युक्त वर्णित न्यायिक अभिमत के आलोक में वे अवर्गीकृत हैं एवं उन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

2.11 क्रय कर का अनारोपण

उपरोक्त कर अधिनियम की धारा 3कक्कक के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यापारी जो किसी पंजीकृत व्यापारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति जिसके लिए वह कर योग्य है या नहीं से वह उस वस्तु के क्रय पर उसी दर से जिस दर से उसकी बिक्री पर कर देय है क्रय कर के भुगतान का दायी होगा।

हमने जून 2009 एवं मई 2011 के मध्य दो वारोको के अभिलेखों¹⁰⁶ में देखा कि दो व्यापारियों ने अवधि 2006-07 से 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) में अपंजीकृत व्यापारियों से ₹ 1.89 करोड़ की खरीद

की। करनियों ने नवम्बर 2008 एवं जनवरी 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय रिटर्नों की जांच नहीं की और अपंजीकृत व्यापारियों से क्रय किये गये ₹ 1.89 करोड़ के माल पर कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.13 लाख का कर अनारोपित रहा जैसा कि सारणी क्रमांक 2.25 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.25

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	अनारोपित कर
1	डिंको वारोको डिबाई बुलन्डशहर	1	2006-07 (नवम्बर 2008)	टिम्बर	52.79	2.5	0	1.32
2	डिंको खण्ड-8 वारोको कानपुर	1	2006-07 (अक्टूबर 2010)	टिन कन्टेनर	96.47	5	0	4.82
			2007-08 (1.4.07 से 31.12.07 तक) (जनवरी 2011)		39.79	5	0	1.99
योग		2			189.05			8.13

¹⁰⁵ पेन्ट बनाने वाली कम्पनी को बिक्री जिनके नाम हैं:— एशियन पेन्ट्स लिंग (विभिन्न इकाइयों), बर्जर पेन्ट्स इंडिया लिंग राजदूत डिवीजन जम्मू कामधेनु पेन्ट (कामधेनु इस्पात लिंग) का बिक्रीजन अलवर राजस्थान, मोनार्क पेन्ट्स, पंजाब पेन्ट्स कलर (प्रा) लिंग कानपुर, नेरोलेक पेन्ट्स लिंग कानपुर इत्यादि।

¹⁰⁶ व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियाँ।

हमने विभाग एवं शासन को जुलाई 2009 से जून 2011 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किया। विभाग ने आपत्ति को पूर्णरूप से स्वीकार करते हुए (अगस्त 2013) ₹ 8.13 लाख का कर आरोपित किया। वसूली के विवरण की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2013)।

2.12 अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसा कि अनियमित संव्यवहार लेखों से बाहर संव्यवहार उ0प्र0 व्या0क0 और उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि। यद्यपि कि अधिनियम अर्थदण्ड के आरोपण एवं ब्याज के प्रभारित किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.10 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण एवं ब्याज प्रभारित नहीं हुआ जैसा कि अग्रेतर प्रस्तरों में उल्लिखित है:

2.12.1 विलम्ब से कर जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा-15 ए (1)(ए) एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा-54 (1)(1) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने टर्नओवर का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है या इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कर को जमा करने में असफल रहा है तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि यदि उसके द्वारा कोई कर देय हो तो वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में ऐसे देय कर का न्यूनतम 10 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत यदि देय कर ₹ 10,000 तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत यदि देय कर ₹ 10,000 से अधिक हो उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत तथा देय कर का 20 प्रतिशत उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत अदा करें।

को नवम्बर 2009 एवं फरवरी 2013 के मध्य प्रकरणों को विभाग ने आपत्तियों को स्वीकार (अगस्त 2013) किया। शेष मामलों कार्यवाही प्रारम्भ व वसूली के विवरण की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2013)।

2.12.2 टर्नओवर/अपवंचित देय कर के छिपाये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम की धारा-15 ए (1)(सी) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि व्यापारी ने अपना टर्नओवर छिपाया है अथवा जानबूझकर अपने टर्नओवर के सम्बन्ध में गलत विवरण प्रस्तुत किया है जो वह ऐसे व्यापारी को कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार बचाये गये कर के 50 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु 200 प्रतिशत से अधिक की धनराशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

हमने अक्टूबर 2009 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य 22 वारोकोका¹⁰⁷ में देखा¹⁰⁸ कि 27 व्यापारियों ने अवधि 2006-07 से 2009-10 के लिए ₹ 5.49 करोड़ के अपने स्वीकृत कर को समय से जमा नहीं किया था विलम्ब की अवधि चार से 844 दिनों तक की थी क0नि0प्रा0 ने मार्च 2009 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय देय कर के अतिरिक्त ₹ 99.47 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

हमारे द्वारा विभाग/शासन प्रतिवेदित किये जाने पर और 12 मामलों में ₹ 79.61 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया।

2.12.2.1 हमने जुलाई 2009 एवं जून 2012 के मध्य सात वारोकोका¹⁰⁹ में देखा¹¹⁰ कि सात व्यापारियों ने अवधि 2000-01 से 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) के दौरान ₹ 4.21 करोड़ विक्रय टर्नओवर को छिपाया था, जिस पर क0नि0प्रा0 द्वारा

¹⁰⁷ डिको 2 खण्ड-2 इलाहाबाद, ज्या0क0 (कार्पोरेशन) बरेली, डिको 2 खण्ड-3 बुलन्दशहर, डिको 2 खण्ड-1 बसटी, डिको 2 खण्ड-4 बाराबंकी, डिको 2 खण्ड-3 एटा, ज्या0क0 (कार्पोरेशन)-अ गाजियाबाद, ज्या0क0 (कार्पोरेशन)-ब गाजियाबाद, ज्या0क0 (कार्पोरेशन)-गोतमबुद्ध नगर, डिको 2 खण्ड-6 झांसी, डिको 2 खण्ड-25 कानपुर, ज्या0क0 (कार्पोरेशन) जोन-1 लखनऊ, डिको 2 खण्ड-5 लखनऊ, डिको 2 खण्ड-14 लखनऊ, डिको 2 खण्ड-15 लखनऊ, डिको 2 खण्ड-22 लखनऊ, डिको 2 खण्ड-2 महाराजगंज, डिको 2 खण्ड-3 नोयडा, डिको 2 खण्ड-11 नोयडा, असिंहको 2 खण्ड-9 नोयडा, डिको 2 खण्ड-12 सहारनपुर।

¹⁰⁸ व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली।

¹⁰⁹ व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली।

फरवरी 2007 एवं जनवरी 2012 के मध्य ₹ 37.26 लाख का कर आरोपित किया गया परन्तु क०नि०प्रा० ने ₹ 18.63 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि सारणी क्रमांक 2.26 दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.26

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आवेश का माह एवं वर्ष)	छिपाया गया टर्नओवर	छिपाये गये टर्नओवर पर लगाया गया कर	न्यूनतम अर्थदण्ड
1	डिक०० खण्ड-1 वा०क० चन्द्रौली	1	2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) (जनवरी 2012)	55.46	2.22	1.11
2	असि०क० खण्ड-4 वा०क० गाजियाबाद	1	2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) (अगस्त 2011)	32.89	2.63	1.32
3	असि०क० खण्ड-29 वा०क० कानपुर	1	2005-06 (जुलाई 2010)	207.35	22.81	11.40
4	डिक०० खण्ड-1 वा०क० मऊ	1	2000-01 (फरवरी 2007)	5.23	0.57	0.28
			2001-02 (फरवरी 2007)	22.14	1.56	0.78
			2002-03 (फरवरी 2007)	12.24	1.28	0.64
5	असि०क० खण्ड-8 वा०क० मुरादाबाद	1	2000-01 (अगस्त 2002)	19.16	1.67	0.84
6	असि०क० खण्ड-8 वा०क० नोयडा	1	2005-06 (अप्रैल 2010)	31.00	3.10	1.55
7	डिक०० खण्ड-13 वा०क० वाराणसी	1	2000-01 (दिसम्बर 2010)	35.44	1.42	0.71
योग		7		420.91	37.26	18.63

हमारे द्वारा विभाग / शासन को सितम्बर 2009 एवं जुलाई 2012 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने अपने उत्तर में हमारी आपत्तियों (दिसम्बर 2013) को स्वीकार करते हुए तीन मामलों¹¹⁰ में ₹ 25.22 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया जिसमें से अब तक ₹ 1.55 लाख की वसूली हो चुकी है। विभाग ने दो अन्य मामलों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। अनेक अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद शेष दो मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम की धारा-54(1)(2) के अन्तर्गत जहां पर व्यापारी ने अपने आवर्त का विवरण छिपाया हो या ऐसे आवर्त का असत्य विवरण जानबूझकर प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है तो क०नि०प्रा० व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड का भुगतान करे।

2.12.2.2 हमने अगस्त 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य 44 वा०क०का०¹¹¹ के अभिलेखों¹¹² में देखा कि 55 व्यापारियों ने अवधि 2007-08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008) से 2010-11 के मध्य

₹ 23.57 करोड़ खरीद और बिक्री के टर्नओवर को छिपाया गया था। क०नि०प्रा० ने दिसम्बर 2009 एवं मार्च 2012 के मध्य उनका कर निर्धारण करते समय इस छिपाये गये टर्नओवर पर ₹ 1.09 करोड़ कर आरोपित किया। यद्यपि अपीलीय प्राधिकारियों ने

¹¹⁰ सारणी 2.26 के क्रम संख्या 3, 4 एवं 7

¹¹¹ डिक०० खण्ड-12 आगरा, असि०क० खण्ड-16 आगरा, डिक०० खण्ड-5 अलीगढ़, डिक०० खण्ड-2 बदायूं, डिक०० खण्ड-4 बाराबंकी, डिक०० खण्ड-3 बरेली, डिक०० खण्ड-4 बुलन्दशहर, डिक०० खण्ड-1 चन्द्रौली, असि०क० खण्ड-1 चन्द्रौली, डिक०० खण्ड-7 गाजियाबाद, डिक०० खण्ड-8 गाजियाबाद, डिक०० खण्ड-12 कानपुर, डिक०० खण्ड-16 कानपुर, डिक०० खण्ड-17 कानपुर, डिक०० खण्ड-12 गोरखपुर, डिक०० खण्ड-1 कानपुर, डिक०० खण्ड-2 कानपुर, डिक०० खण्ड-1 कानपुर, डिक०० खण्ड-2 कानपुर, असि०क० (इन्वार्जे) कौशाम्बी, असि०क० खण्ड-16 लखनऊ, डिक०० खण्ड-5 महाराजगंज, असि०क० खण्ड-5 मुरादाबाद, डिक०० खण्ड-2 कानपुर, असि०क० खण्ड-7 मुरादाबाद, असि०क० खण्ड-4 मुजाफरनगर, ज्याऽक० (कार्पोरेशन) 1 नजीबाबाद, डिक०० खण्ड-7 नजीबाबाद, डिक०० खण्ड-6 नोयडा, असि०क० खण्ड-8 नोयडा, डिक०० खण्ड-9 नोयडा, डिक०० खण्ड-10 नोयडा, असि०क० खण्ड-2 नोयडा, असि०क० खण्ड-6 नोयडा, डिक०० खण्ड-1 प्रतापगढ़, डिक०० खण्ड-6 सहारनपुर, डिक०० खण्ड-1 सोनभद्र एवं डिक०० खण्ड-8 वाराणसी।

¹¹² व्यापारियों का अलिम क०नि०प्रा०, स्वीकृत कर जो व्यापारियों द्वारा जमा कर दिया गया है और अपीलीय प्राधिकारियों का आवेदन।

(दिसम्बर 2010 और सितम्बर 2012 के मध्य) व्यापारियों द्वारा छिपाये गये टर्नओवर/देय कर का अपवंचन की पुष्टि की या व्यापारियों द्वारा इसे स्वीकार¹¹³ करते हुए छिपाये गये टर्नओवर पर देय कर जमा कर दिया गया, सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने ₹ 3.27 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

हमारे द्वारा विभाग/शासन को सितम्बर 2011 एवं मई 2013 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने उत्तर में हमारी आपत्तियों को स्वीकार (सितम्बर 2013) करते हुए 20 मामलों में ₹ 48.58 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया। अनेक अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद इन मामलों में वसूली की स्थिति और अन्य शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

2.12.3 मिथ्या घोषणा पत्र जारी करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्रा0व्या0क0 अधिनियम की धारा-15 ए (1)(एल) के अन्तर्गत कोई व्यापारी जो मिथ्या प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र जारी करता है या प्रस्तुत करता है, जिसके कारण कर आरोपणीय नहीं रह जाता तो वह कर के अतिरिक्त ऐसे कर की धनराशि जो बचा ली गयी होती के 50 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु 200 प्रतिशत से अधिक की राशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करेगा।

हमने नवम्बर 2009 एवं जुलाई 2011 के मध्य देखा¹¹⁴ कि दो व्यापारियों ने मिथ्या घोषणा पत्र जारी अथवा प्रस्तुत किया था जिसके कारण वर्ष 2002-03 तथा 2004-05 के मध्य की गई खरीद अथवा बिक्री ₹

11.43 लाख पर कर आरोपित नहीं हुआ तथापि क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2008 एवं मार्च 2011 के मध्य इन व्यापारियों का कर निर्धारण करते समय न्यूनतम ₹ 5.72 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। नीचे दी गई सारणी क्रमांक 2.27 में विवरण दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.27

क्र0 सं0	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	टर्नओवर	मिथ्या घोषणा पत्र जारी करके बचाया गया कर	(₹ लाख में) आरोपणीय न्यूनतम अर्थदण्ड
1	डिंको ५ खण्ड-५ वारोको मथुरा	2002-03 (अप्रैल 2008)	रोड़ी, गिटटी, बदरपुर एवं बालू	42.13	1.88	0.94
2	ज्या०को० (कार्पो०स०) वारोको० राबैट्सगंज सोनभद्र	2004-05 (मार्च 2011)	एलुमिनियम इन्गाट एवं रिडा राड्स	159.25	9.55	4.78
योग				201.38	11.43	5.72

हमारे द्वारा दिसम्बर 2009 एवं सितम्बर 2011 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने हमारे बिन्दु को स्वीकार (अगस्त 2013) किया और बताया कि अर्थदण्ड के आरोपण की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है; अब तक ₹ 46,000 की वसूली हो चुकी है।

¹¹³ डिंको ५ खण्ड-३ बरेली, के एक मामले व्यापारी द्वारा क0नि0प्रा0 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की गयी।

¹¹⁴ व्यापारी से सम्बन्धित क0नि0 आदेश एवं पत्रावलियाँ।

2.12.4 कम काटे गये/विलम्ब से जमा सकर्म संविदा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा-8 डी (6) एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संविदाकार को सकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरुद्ध किसी दायित्व निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो ऐसी सकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में असफल रहता है या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व तथा और कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

कर निर्धारण करते समय ₹ 2.88 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया, जैसा कि सारणी क्रमांक 2.28 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.28

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारि यों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डिको खण्ड-2 वार्को आजमगढ़	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	4.81	26 से 78	9.61
2	असिंको खण्ड-2 वार्को अमरोहा	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	4.17	120 से 181	8.34
3	डिको खण्ड-12 वार्को गाजियाबाद	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	3.67	117 से 362	7.34
			2007-08 (वैट) (मार्च 2010)	1.88	38 से 98	3.77
4	असिंको खण्ड-16 वार्को गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2012)	3.43	7 से 38	6.86
5	असिंको खण्ड-3 वार्को गौतमबुद्धनगर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2010)	30.68	6 से 421	61.36
			2007-08 (वैट) (दिसम्बर 2010)	11.28	16 से 690	22.56
6	असिंको खण्ड-4 वार्को गोण्डा	1	2008-09 (मार्च 2012)	28.18	13 से 115	56.35
7	ज्वारको (कार्पोर्सन)-2 वार्को कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	2.32	63 से 275	4.64
8	डिको खण्ड-12 वार्को लखनऊ	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	8.34	13 से 26	16.68
9	डिको खण्ड-7 वार्को लखनऊ	1	2008-09 (फरवरी 2012)	30.83	24 से 94	61.66
10	असिंको खण्ड-8 वार्को मुरादाबाद	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	3.49	19 से 1182	6.98
11	डिको खण्ड-11 वार्को नोएडा	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जुलाई 2010)	1.10	12 से 23	2.20
12	असिंको खण्ड-3 वार्को नोएडा	1	2005-06 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2009)	1.34	3 से 1285	2.68
13	असिंको खण्ड-1 वार्को रामपुर	1	2008-09 (अगस्त 2011)	8.52	17 से 53	17.04
योग		13		144.04		288.07

हमारे द्वारा विभाग/शासन को नवम्बर 2010 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि सात मामलों¹¹⁵ में ₹ 1.08 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया, शेष मामलों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

2.12.4.2 हमने अगस्त 2012 में डिओको खण्ड-8 के अभिलेखों¹¹⁶ में देखा कि वर्ष 2008–09 के दौरान एक व्यापारी¹¹⁷ द्वारा स्रोत पर ₹ 1.39 करोड़ की कटौती की गयी जबकि संविदाकार को ₹ 57.29 करोड़ का भुगतान किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्रोत पर चार प्रतिशत की दर से ₹ 2.29 करोड़ के कर की कटौती करके जमा किया जाना अपेक्षित था। मार्च 2012 में कोनिओप्रा० ने कर निर्धारण करते समय ₹ 90.52 लाख के स्रोत पर की गयी कर की कम कटौती पर ध्यान नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड के अलावा ₹ 90.52 लाख के कम कर का आरोपण हुआ।

हमने प्रकरण को दिसम्बर 2012 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने अपने उत्तर में हमारी आपत्ति को स्वीकार (सितम्बर 2013) करते हुए ₹ 1.81 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया। तथापि ₹ 90.52 लाख के कम आरोपित कर की वसूली का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्थदण्ड एवं कम आरोपित जमा कर की वसूली प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

2.12.5 केओबिओको के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण

केन्द्रीय बिक्रीकर (केओबिओको) अधिनियम की धारा 10 एवं 10 ए के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फार्म 'सी' की घोषणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल केओबिओको अधिनियम के अन्तर्गत उसको जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु करता है जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो व्यापारी अभियोजन योग्य होता है। यद्यपि अभियोजन के बदले यदि कोनिओप्रा० उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

पंजीयन प्रमाण पत्र और उपभोग किये गये फार्म 'सी' के बिना कोई निवारक कार्यवाही नहीं की गई, अतः ₹ 99.86 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं हुआ। विवरण सारणी 2.29 में दर्शाया गया है:

हमने अगस्त 2009 एवं सितम्बर 2012 के मध्य देखा¹¹⁸ कि वर्ष 2005–06 एवं 2009–10 के दौरान 10 व्यापारियों ने फार्म 'सी' की घोषणा के आधार पर ₹ 6.83 करोड़ का माल केओबिओको की रियायती दर पर खरीद जो कि उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था। कोनिओप्रा० ने मार्च 2009 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय विवरण की जांच नहीं की।

¹¹⁵ क्रम संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8 एवं 12।

¹¹⁶ व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण अदेश एवं पत्रावली।

¹¹⁷ अधिशासी अभियन्ता लखनऊ संभाग शारदा नहर लखनऊ।

¹¹⁸ व्यापारी से सम्बन्धित कोनिओप्रा० एवं पत्रावली।

सारणी क्रमांक 2.29

क्र० सं	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	पंजीयन प्रमाण पत्र से अनाच्छादित वस्तुओं के नाम	खरीद का मूल्य	कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपीय अर्थदण्ड की दर (प्रतिशत में)	आरोपीय अर्थदण्ड
1	डिं0क0 खण्ड-2 वाठक0 बासबंकी	1	2006–07 (मार्च 2009)	यार्न	13.30	8	12	1.60
2	डिं0क0 खण्ड-5 वाठक0 गोरखपुर	1	2007–08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	डी0जी0 सेट ट्रक ¹¹⁹ माउन्टेक्स, बैचिंग प्लाट्ट बैटोनाइट पाउडर और टाटा ट्रिपर (उ0प्र0 व्या0क0) बैटरी	397.02	10	15	56.85
3	डिं0क0 खण्ड-1 वाठक0 ग्रेटर नोएडा	1	2008–09 (मार्च 2012)	इंजन और शटरिंग मेटिरियल यू जैक टाइल्स और शटरिंग मेटिरियल	7.92 3.71 11.55	10 12 12.5	15 18 18.75	1.19 0.67 2.16
4	डिं0क0 खण्ड-18 वाठक0 कानपुर	1	2008–09 (मार्च 2012)	फिराये पर डी0जी0 सेट (उ0प्र0व्या क0) किराये पर डी0जी0 सेट (वेट)	29.20 20.86	10 4	15 6	4.38 1.25
5	असि0क0 खण्ड-1 वाठक0 लखीमपुर खीरी	1	2008–09 (फरवरी 2012)	डी0जी0 सेट	11.99	4	6	0.72
6	डिं0क0 खण्ड-19 वाठक0 लखनऊ	1	2006–07 (मार्च 2009)	डी0जी0 सेट	88.02	10	15	13.20
7	डिं0क0 खण्ड-4 वाठक0 मेरठ	1	2008–09 (मार्च 2012)	हाट मिक्स प्लाण्ट एयर कम्प्रेशर जनरेटर जे0सी0बी0डी0 एक्स वाइब्रेटर और वेट मिक्स पलट	23.72 53.63	12.50 12.50	18.75 18.75	4.45 10.05
8	असि0क0 खण्ड-09 वाठक0 नोएडा	1	2007–08 (मार्च 2011)	ट्रांसफार्मर के पार्ट्स एवं एसेसरीज डीजल इंजन स्पेयर पार्ट्स और केमीकल	4.66 0.62	12.50 4	18.75 6	0.87 0.04
9	डिं0क0 खण्ड-09 वाठक0 सहारनपुर	1	2007–08 (01.01.08 से 31.03.08) (अगस्त 2011)	बी0ओ0पी0पी0 ट्रेप (वेट) एडहेसिव/ गम एवं स्प्रिंक स्लीब्स (वेट) बी0ओ0पी0पी ट्रेप (उ0प्र0 व्या0क0) एडहेसिव (उ0प्र0 व्या0क0) स्प्रिंक स्लीब्स और प्लास्टिक बैग (उ0प्र0 व्या0क0)	0.24 0.61 0.24 0.18 2.29	4 12.50 5 12 10	6 18.75 7.50 18 15	0.01 0.11 0.02 0.03 0.34
10	डिं0क0 खण्ड-17 वाठक0 वाराणसी	1	2005–06 (मार्च 2009)	डी0जी0सेट और हाट गियर्ड ट्राली ग्राइन्डर बैस प्लेट	12.81	10	15	1.92
योग		10			682.57			99.86

हमारे द्वारा दिसम्बर 2009 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य विभाग/शासन को इंगित किये जाने पर विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) छः मामलों¹²⁰ में ₹ 22.18 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया और बताया कि शेष मामलों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

¹¹⁹ पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित अवधि के पर्व की अवधि में रियायती दर का दावा किया गया।

¹²⁰ क्रम संख्या 1, 5, 6, 8, 9 और 10।

2.13 प्रवेश कर का अनारोपण

उ0प्र0 माल के प्रवेश पर अधिनियम 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

व्यापारियों ने ₹ 31.17 करोड़ के मूल्य का माल स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीदा। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2010 एवं मई 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस मामले की जांच नहीं किया कि माल स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीदा गया था जिस पर प्रवेश कर आरोपणीय था, परिणामस्वरूप ₹ 61.46 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को मई 2011 एवं मई 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर¹²³ (सितम्बर 2013) में हमारी आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया कि सात व्यापारियों में से छः मामलों¹²⁴ में प्रवेश कर के रूप में ₹ 44.30 लाख आरोपित कर दिया गया है, जिसमें से ₹ 12.05 लाख की वसूली की जा चुकी है एवं एक मामले में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। अनेक अनुस्मारक निर्गत करने के पश्चात शेष वा0क0का0 से सम्बन्धित उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

2.14 के0बि0क0 में गलत करमुक्ति/छूट

2.14.1 फार्म 'एफ' के विरुद्ध गलत कर मुक्ति

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12(5) के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा एक कैलेण्डर मास की अवधि के दौरान यथास्थिति अपने कारोबार के किसी अन्य स्थान को या अपने एजेन्ट या मालिक को किया गया माल का अन्तरण एक ही फार्म 'एफ' पर की गयी घोषणा में सम्मिलित किया जा सकेगा।

₹ 5.59 करोड़ का माल राज्य के बाहर हस्तान्तरित किया। क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2007 एवं फरवरी 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही फार्म 'एफ' पर एक माह से अधिक संव्यवहार को मान्यता प्रदान की जबकि एक ही फार्म 'एफ' पर एक माह से अधिक के संव्यवहार पर छूट के दावे छूट के लिए अनुमन्य नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.53 लाख के संव्यवहार पर ₹ 1.61 करोड़ की गलत छूट दी गयी, जैसा कि सारणी क्रमांक 2.30 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.30

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निवारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	आपत्तिगत प्रपत्र से आक्षणित माल का कुल मूल्य	व्यापारी को लाभप्रद माह के संव्यवहार को अनुमन्य करने के पश्चात अक्षणित संव्यवहार की धनराशि	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	व्यापारी को अनुमन्य की गयी आनेयमित छूट
1	डिको0 वा0क0 ललितपुर	1	2004–05 (जनवरी 2007)	गेहूँ ज्वार	14.10	3.60	8	0.29
2	डिको0 खण्ड-5 वा0क0 नोएडा	1	2008–09 (दिसम्बर 2011)	सिलेसिलाये परिधान		1.94	4	0.08
3	डिको0 खण्ड-1 वा0क0 रायबरेली	1	2008–09 (फरवरी 2012)	एसबेरस्टस शीट	169.02	85.57	4	3.42
योग		3			375.38	69.90	12.5	8.74
					558.50	161.01		12.53

¹²¹ ज्वा0क0 (कार्पो0स0) इटावा, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) गौतमबुद्धनगर, डिको0 खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) रेन्ज 'ए' गाजियाबाद, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) रेन्ज 'ब' गाजियाबाद, डिको0 खण्ड-9 गाजियाबाद, डिको0 खण्ड-10 गाजियाबाद, डिको0 खण्ड-12 गाजियाबाद, डिको0 खण्ड-14 गाजियाबाद, डिको0 खण्ड-2 गोण्डा, असि0क0 खण्ड-4 गोरखपुर, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) झांसी, डिको0 खण्ड-17 कानपुर, असि0क0 काशाम्बी, डिको0 खण्ड-2 लखीमपुरखीरी, डिको0 खण्ड-4 मुरारा, डिको0 खण्ड-4 मेरठ, डिको0 खण्ड-1 मुजफ्फरनगर, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) नोएडा, डिको0 खण्ड-6 नोएडा, डिको0 खण्ड-1 रायबरेली एवं डिको0 खण्ड-2 सम्मत।

¹²² व्यापारियों से सम्बन्धित करनिया0 एवं पत्रवालियाँ।

¹²³ सात वा0क0का0 में शासित मात्र आठ व्यापारी— ज्वा0क0 (कार्पो0स0) गौतमबुद्ध नगर, डिको0 खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) 1 गाजियाबाद, डिको0 खण्ड-9 गाजियाबाद, डिको0 खण्ड-2 गोण्डा, डिको0 खण्ड-1 मुजफ्फर नगर एवं डिको0 खण्ड-1 रायबरेली।

¹²⁴ क्रम संख्या 2, 3, 4, 6, 18 एवं 21।

हमने अप्रैल 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य 22 वा0क0का0¹²¹ के अभिलेखों¹²² में देखा कि वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान 23

हमारे द्वारा इन मामलों को इंगित किये जाने पर विभाग ने हमारी आपत्ति स्वीकार करते हुए कहा कि कार्यवाही की जा रही है एवं एक मामले¹²⁵ में के0बि0क0 आरोपित करके वसूली कर ली गयी है। अन्य मामलों में वसूली प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

2.14.2 पारेषण बिक्री पर अनुचित कर मुक्ति

के0बि0क0 अधिनियम की धारा 6 ए सपष्टित के0बि0क0 नियमावली के नियम 12(5) के अन्तर्गत यदि एक व्यापारी पर कर निर्धारण के समय अन्तरिती (ट्रान्सफरी) से प्राप्त फार्म 'एफ' में एक घोषणा प्रस्तुत करता है जिसमें उसकी केन्द्रीय पंजीयन संख्या, वैधता की अवधि, क्रय आदेश की संख्या और तिथि का उल्लेख है तो वह करमुक्ति का हकदार होगा। एक फार्म 'एफ' पर एक कैलेन्डर मास का संव्यवहार आच्छादित होगा ऐसे मामलों में जहां संव्यवहार फार्म 'एफ' से अच्छादित नहीं है वहां ऐसी वस्तु की खरीद अथवा बिक्री पर लागू कर की दर से कर आरोपणीय है। उ0प्र0मू0सं0 कर नियमावली के नियम 45(2) के अन्तर्गत व्यापारी को अन्तरित बिक्री के विषय में पृथक सूचना मासिक विवरणी रूप पत्र-24 में दाखिल करना है। उ0प्र0मू0सं0 कर अधिनियम के अनुसूची-II के अन्तर्गत क्रापट पेपर पर चार प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹ 98 लाख के संव्यवहार हेतु फार्म 'एफ' प्रस्तुत नहीं किया गया। क0नि0अ0 ने ₹ 3.93 लाख कर¹²⁶ एवं साथ ही ₹ 2.95 लाख ब्याज आरोपित करने के बजाय फार्म 'एफ' से अनाच्छादित आवर्त पर अनुचित कर मुक्ति प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.88 लाख के कर एवं ब्याज की अनुचित करमुक्ति प्रदान की गई।

हमने प्रकरण को मई 2013 में विभाग/एवं शासन को इंगित किया। अनेक अनुस्मारकों के भेजे जाने के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

हमने मार्च 2013 में डि0क0 खण्ड-1 वा0क0 नजीबाबाद के अभिलेखों में देखा कि वर्ष 2007-08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008) के दौरान एक व्यापारी ने मासिक विवरणी रूप पत्र-24 में ₹ 2.97 करोड़ मूल्य के क्रापट पेपर की अन्तरित बिक्री घोषित की। क0नि0 के समय व्यापारी ने वर्ष 2007-08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008) के लिए ₹ 1.99 करोड़ के संव्यवहार से आच्छादित फार्म 'एफ' प्रस्तुत किया।

¹²⁵ ₹ 37,000 क्रम संख्या 1 पर।

¹²⁶ चार प्रतिशत की दर से

2.14.3 शीरे की अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री पर अनुचित कर मुक्ति

केंद्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत फार्म 'सी' से आच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री पर 1 अप्रैल 2007 से तीन प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है तथा केंद्रीय अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत फार्म 'सी' से अनाच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की बिक्री पर 1 अप्रैल 2007 से उस सन्दर्भित राज्य में ऐसी वस्तु की खरीद या बिक्री पर आरोपणीय कर की दर से कर आरोपणीय है। पुनश्च विज्ञप्ति संख्या दिनांक 15.01.2000 के अनुसार शीरे की बिक्री पर दिनांक 17 जनवरी 2000 से 31 दिसम्बर 2007 तक 20 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। यह न्यायिक* रूप से निर्णीत है कि यदि प्रशासनिक प्रभार का भुगतान किया गया है तो उत्तराधिनियम के अन्तर्गत बिक्री कर के भुगतान से मुक्त होगी, किन्तु यह कर मुक्ति अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री के मामले में लागू नहीं है। पुनश्च न्यायिक# रूप से यह भी निर्णीत है कि केंद्रीय अधिनियम की धारा 8 (2क) के प्रावधान वहीं लागू होंगे जहां वस्तुएं सामान्य रूप से कर से मुक्त की गयी हैं न कि कुछ विशेष परिस्थितियों में।

* सर्वश्री धामपुर शुगर मिल लिलो धामपुर बनाम कमिशनर व्यापार कर उत्तराधिनियम के मामले में मात्र उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय।

कमिशनर व्यापार कर बनाम मोहम्मद शीरे गाड़न के मामले में मात्र उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा दिया गया निर्णय एस०टी०आई० 2001 इलाहाबाद उच्च न्यायालय 97।

आलोक में इस केन्द्रीय बिक्री पर कर मुक्ति अनुमत्य नहीं है। इस प्रकार केंद्रीय अधिनियम ने ₹ 81.88 लाख की अनुचित कर मुक्ति प्रदान की।

हमने इस प्रकरण को मई 2013 में विभाग / शासन को प्रतिवेदित किया विभाग ने उत्तर में हमारी आपत्ति को स्वीकार (दिसम्बर 2013) करते हुए ₹ 81.88 लाख का कर आरोपित कर दिया। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2013)।

हमने मार्च 2013 में डिनोप्रैल 1 अप्रैल-1 नजीबाबाद के कर निर्धारण पत्रावलियाँ में देखा कि केंद्रीय अधिनियम ने मार्च 2011 में एक व्यापारी का वर्ष 2007-08 (1 अप्रैल 2007 से 31 दिसम्बर 2007) के लिए कर निर्धारण करते समय फार्म 'सी' से आच्छादित ₹ 3.96 करोड़ के शीरे की अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री पर ₹ 11.88 लाख एवं छुपाये गये टर्नओवर ₹ 3.50 करोड़ पर ₹ 70 लाख की अनुचित कर मुक्ति प्रदान करी। व्यापारी को प्रशासनिक खर्च का भुगतान किये जाने के आधार पर केंद्रीय अधिनियम द्वारा यह अनुचित कर मुक्ति प्रदान की गयी। क्योंकि शीरे की बिक्री पर कर मुक्ति सामान्य न होकर सशत¹²⁷ थी, मात्र उच्च न्यायालय के निर्णय के

¹²⁷ ऐसे शीरे पर प्रशासनिक प्रभार का भुगतान कर दिया गया है।

2.14.4 फार्म "एच" के विरुद्ध अनुचित कर मुक्ति

के0बिको 0 अधिनियम की धारा—5 सपष्टित के0बिको 0 नियमावली (पंजीकरण एवं आवर्त) के नियम 12(10) के अन्तर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में माल का विक्रय या क्रय हुआ तभी समझा जायेगा जब उस विक्रय या क्रय से ऐसा निर्यात होता है या वह विक्रय या क्रय भारत के सीमा शुल्क सीमान्तों से माल के पार हो जाने के पश्चात इस शर्त के साथ माल की हक दस्तावेजों के अन्तरण (ट्रांसफर) किया जाता है कि घोषणा प्रपत्र 'एच' में करेगा एवं कर निर्धारण के समय प्राधिकारी के समय प्रस्तुत करेगा। प्रपत्र 'एच' निर्यातक (क्रेता व्यापारी) द्वारा विक्रेता व्यापारी को जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र है कि उससे क्रय की गई वस्तु भारत के बाहर निर्यात कर दी गयी है। पुनश्च प्रपत्र 'सी' के लिए लागू त्रैमासिक प्रपत्र प्रस्तुत करने के नियम एवं शर्त प्रपत्र 'एच' में प्रमाण पत्र के लिए भी लागू होगी।

2010 के मध्य कर निर्धारण करते समय क0नि030 ने ₹ 10.47 लाख की अनुचित कर मुक्ति प्रदान किया जैसा कि सारणी क्रमांक 2.31 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.31

(रु लाख में)	अनारोपित कर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	एक त्रैमास से अधिक का संव्यवहार	प्रपत्र 'एच' से आच्छादित वस्तु का मूल्य	वस्तु का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	व्यापारी की संख्या	इकाई का नाम	क्रमांक संं
6.50	8	81.20	652.19	एसिड कैसिन, लैक्टोस, ग्रेड पाउडर	2007–08 (फरवरी 2010)	1	डिको 0 वार्को 0 कोसीकला	1	1
3.97	16	24.84	50.20	ग्लास वेयर	2007–08 (जुलाई 2010)	1	असिको 0 खण्ड-4 वार्को 0 मुरादाबाद	1	2
10.47	106.04	702.39					योग		2

हमारे द्वारा मामले को जनवरी 2011 एवं मई 2012 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किए जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि दोनों मामलों में ₹ 10.47 लाख कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2013)।

2.15 राज्य विकास कर का अनारोपण

उ0प्र0व्या0को 0 अधिनियम की धारा 3 ज सपष्टित कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 3 मई 2005 प्रभावी दिनांक 1 मई 2005 के अन्तर्गत ₹ 50 लाख से अधिक समेकित वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के कर योग्य टर्नओवर पर एक प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर (रा0वि0को) आरोपणीय होगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत देय कर के अतिरिक्त रा0वि0 को वसूल किया जायेगा।

हमने अक्टूबर 2008 एवं जुलाई 2012 के मध्य 9 वार्को 0 का 0 में 10 व्यापारियों के कर निर्धारण पत्रावलियों की जांच में देखा कि उनका समेकित वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 लाख से अधिक था। क0नि0प्रा0 ने अवधि 2005–06 से 2007–08

¹²⁸ व्यापारी से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं कर निर्धारण आदेश।

(दिसम्बर 2007 तक) के लिए कर निर्धारण¹²⁹ करते समय ₹ 81.21 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर रात्रिविवर 0 का आरोपित नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 81.21 लाख रात्रिविवर 0 का अनारोपित रहा जैसा कि सारणी क्रमांक 2.32 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.32

क्रमांक	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	कर योग्य टर्नओवर	(₹ लाख में) आरोपीय राज्य विकास कर
1	डिसेंबर 2007 का आगरा खण्ड-12	1	2006-07 (अक्टूबर 2011)	635.35	6.35
2	गाजियाबाद वार्षिक खण्ड-5	1	2007-08 (मार्च 2010)	111.00	1.11
		1	2007-08 (मार्च 2010)	87.00	0.87
3	गाजियाबाद वार्षिक खण्ड-15	1	2005-06 (फरवरी 2010)	62.89	0.63
4	गोरखपुर वार्षिक खण्ड-9	1	2005-06 (सितम्बर 2011)	96.76	0.97
5	गाजियाबाद वार्षिक खण्ड-28	1	2006-07 (दिसम्बर 2010)	143.97	1.44
6	गाजियाबाद वार्षिक खण्ड-1 कानपुर	1	2005-06 (फरवरी 2008)	6,377.87	63.78
7	गोरखपुर वार्षिक खण्ड-2 नोएडा	1	2006-07 (दिसम्बर 2011)	170.08	1.70
8	गाजियाबाद वार्षिक खण्ड-2 रामपुर	1	2006-07 (दिसम्बर 2010)	184.23	1.84
9	शिकोहाबाद वार्षिक खण्ड-1	1	2005-06 (जून 2008)	252.08	2.52
योग		10		8,121.23	81.21

हमारे द्वारा जनवरी 2009 एवं अगस्त 2012 के मध्य इन मामलों को इंगित किये जाने पर विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया और बताया कि छः मामलों (उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 5, 6 और 9) में ₹ 73.74 लाख का रात्रिविवर 0 का आरोपित कर दिया गया है। अनेक अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद शेष मामलों में वसूली की सूचना एवं उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

¹²⁹ फरवरी 2008 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य।

2.16 अपूर्ण सूचना होने पर भी वाद को डीम्ड घोषित किया जाना।

उ0प्र0मूसं0क0 अधिनियम 2008 की धारा-24 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी स्वनिर्धारित आवर्त और कर की विवरणी ऐसे प्रारूप में एवं रीति से समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जो निर्धारित किया गया हो, अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा व्यापारी जिसने वार्षिक विवरणी विहित प्रपत्र और रीति से दाखिल कर दी है, के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसका स्वकर निर्धारण स्वीकृत रूप से देय कर की धनराशि तक हो चुका है। उ0प्र0मूसं0क0 नियमावली 2008 के नियम 45 के अनुसार खरीद एवं बिक्री, जांच एवं अभिग्रहण व्यापार में माल का मिलान, कर योग्य खरीद/बिक्री की गणना एवं खरीद/बिक्री पर देय कर, अर्थदण्ड/अस्थायी कर निर्धारण इत्यादि एवं रिट/अपील के परिणाम, इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0/आर0आई0टी0सी0), कोषागार/बैंक में जमा कर इत्यादि के विवरण से सम्बन्धित सूचना कर विवरणी में होनी चाहिए।

एवं नियमित सुनवाई के पश्चात किया जाना अपेक्षित था। इन सभी मामलों में हमने देखा कि कर निर्धारण वादों को डीस्ड घोषित करते समय क००१०प्रा० ने विवरणी में लुप्त सूचनाओं की अनदेखी की। इस प्रकार अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं कर के अनारोपण की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

हमने मामले को जून 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया, विभाग ने सितम्बर 2013 में हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि आठ मामलों¹³² में ₹ 1.29 लाख का अर्थदण्ड एवं ब्याज आरोपित कर दिया गया है, एवं अब तक ₹ 31,096 की वसूली की जा चुकी है। 12 मामलों¹³³ में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है एवं शेष मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही करी गई है।

असिंको खण्ड-11 आगरा, डिको का खण्ड-11 अलीगढ़, डिको का खण्ड-3 इलाहाबाद, डिको का खण्ड-7 इलाहाबाद, डिको का खण्ड-12 इलाहाबाद
 असिंको का खण्ड-12 इलाहाबाद, डिको का खण्ड-2 अमरोहा, डिको का खण्ड-2 बरेली, असिंको का खण्ड-1 बरेली, असिंको का खण्ड-5 बरेली, डिको का
 खण्ड-2 बदायूं, असिंको का खण्ड-2 बदायूं, असिंको का सीएसएमो नाराम (गोरीपुर), डिको का खण्ड-2 इटावा, डिको का खण्ड-4 फैजाबाद, असिंको का
 खण्ड-2 फैजाबाद, असिंको का खण्ड-2 जीवीबो नगर, डिको का खण्ड-3 जीवीबो नगर, डिको का खण्ड-5 गाजियाबाद, डिको का खण्ड-6
 गाजियाबाद, डिको का खण्ड-7 गाजियाबाद, डिको का खण्ड-10 गाजियाबाद, डिको का खण्ड-14 गाजियाबाद, असिंको का खण्ड-5 गाजियाबाद,
 असिंको का खण्ड-6 गाजियाबाद, असिंको का खण्ड-7 गाजियाबाद, असिंको का खण्ड-8 गाजियाबाद, असिंको का खण्ड-10 गाजियाबाद, असिंको
 का खण्ड-18 गाजियाबाद, डिको का खण्ड-4 गोरखा, डिको का खण्ड-1 गोरखपुर, डिको का खण्ड-2 गोरखपुर, डिको का
 खण्ड-12 गोरखपुर, असिंको का खण्ड-10 गोरखपुर, डिको का खण्ड-4 हामुड़, डिको का खण्ड-12 हामरस, असिंको का खण्ड-2 हसनपुर, डिको का
 खण्ड-6 झाँसी, डिको का खण्ड-15 कानपुर, डिको का खण्ड-16 कानपुर, डिको का खण्ड-17 कानपुर, डिको का खण्ड-28 कानपुर, असिंको का खण्ड-10
 कानपुर, असिंको का खण्ड-15 कानपुर, असिंको का खण्ड-16 कानपुर, असिंको का खण्ड-18 कानपुर, असिंको का खण्ड-27 कानपुर, असिंको का खण्ड-29
 कानपुर, असिंको का खण्ड-30 कानपुर, जीजाको (कार्पोरेशन) लखनऊ, डिको का खण्ड-8 लखनऊ, असिंको का खण्ड-3 लखनऊ, असिंको का खण्ड-15
 लखनऊ, डिको का खण्ड-15 लखनऊ, डिको का खण्ड-16 लखनऊ, डिको का खण्ड-17 लखनऊ, असिंको का खण्ड-18 लखनऊ, डिको का खण्ड-4
 मेरठ, डिको का खण्ड-6 मेरठ, डिको का खण्ड-8 मेरठ, डिको का खण्ड-9 मेरठ, असिंको का खण्ड-10 मेरठ, डिको का खण्ड-11 मेरठ, असिंको का खण्ड-8
 मेरठ, डिको का खण्ड-2 मिर्जापुर, डिको का खण्ड-7 मुजफ्फरनगर, असिंको का खण्ड-5 मुजफ्फरनगर, वाकोका०३० खण्ड-7 मुजफ्फरनगर, डिको का
 खण्ड-3 नोएडा, डिको का खण्ड-4 नोएडा, असिंको का खण्ड-4 नोएडा, असिंको का खण्ड-6 नोएडा, असिंको का खण्ड-9 नोएडा, असिंको का खण्ड-9
 नोएडा, असिंको का खण्ड-13 नोएडा, वाकोका०३० खण्ड-4 नोएडा, डिको का पलियाकाला, डिको का खण्ड-1 रामपुर, असिंको का खण्ड-1 रामपुर, डिको का
 खण्ड-4 सहानुपुर, डिको का खण्ड-5 सहानुपुर, डिको का खण्ड-6 सहानुपुर, डिको का खण्ड-1 सोनमढ़, डिको का खण्ड-8 वाराणसी, डिको का
 खण्ड-14 वाराणसी, डिको का खण्ड-15 वाराणसी एवं असिंको का 8 वाराणसी।

¹³¹ लागू कर की दरों के अनुसार वस्तु का नाम मात्रा और कोड, आईटी०सी०/आर०आईटी०सी० की अशुद्ध गणना, कर का अशुद्ध आगणन, निर्धारित फार्म के निर्धारित कालम और अनेकजर अपर्ण और अशुद्ध हैं, आरभिक और अतिम रहतिया के सम्बन्ध में अलग से सचना आदि।

¹³² दिंको ० खण्ड-१२ इलाहाबाद, असिंको ० खण्ड-५ गयजियाबाद, असिंको ० खण्ड-१४ गयजियाबाद, दिंको ० खण्ड-४ गोण्डा, दिंको ० खण्ड-१ गोरखपर, दिंको ० खण्ड-१५ लखनऊ, डिंको ० खण्ड-३ नोएडा, असिंको ० खण्ड-३ नोएडा।

¹³³ गारखुप्पा, डिओको खण्ड-१८ लखनऊ, डिओको खण्ड-५ नालाडा, असिंको खण्ड-५ नारेला। असिंको खण्ड-१ अमेठी (गोरापांग), डिओको खण्ड-४ गाजियाबाद, डिओको खण्ड-६ गाजियाबाद, असिंको खण्ड-५ गाजियाबाद, असिंको खण्ड-७ गाजियाबाद, डिओको खण्ड-२ हाथरस, डिओको खण्ड-२२ कानपुर, असिंको खण्ड-२९ कानपुर, असिंको खण्ड-८ मेरठ, असिंको खण्ड-४ नोएडा, डिओको खण्ड-४ सहारनपुर, डिओको खण्ड-५ सहारनपुर।

हमने 88 वाणिज्य कर कार्यालयों¹³⁰ में स्वकर निर्धारण वादो में से वर्ष 2012-13 में 1693 मामलों की जांच की एवं पाया कि इनमें से 12 प्रतिशत मामलों में व्यापारियों ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए कर विवरणी के निर्धारित प्रपत्र में अपूर्ण/गलत सूचना¹³¹ दी। पूर्ण सूचना के अभाव में विक्रय या क्रय या दोनों का आवर्त विश्वसनीय नहीं रह जाता है एवं देय कर की धनराशि और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि भी संदिग्ध हो जाती हैं। अतः इन वादों का निस्तारण व्यापारियों के लेखा पुस्तकों के परीक्षण

2.17 ब्याज का प्रभारित न किया जाना

उपरोक्तम् 2008 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए। स्वीकृत रूप में देय कर यदि व्यापारी द्वारा देय तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो असंदर्भ धनराशि पर निर्धारित अंतिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक प्रतिमाह सवा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज आकर्षित होता है।

स्वीकृत कर विलम्ब से जमा किये जाने के कारण विलम्ब की तिथि तक ₹ 59.65 लाख का ब्याज आकर्षित होता है। कर विलम्ब से जमा कर निर्धारण करते समय यह प्रभारित नहीं किया गया। विवरण सारणी क्रमांक 2.33 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.33

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	स्वीकृत कर	विलम्ब की अवधि (दिन में)	ब्याज की दर प्रति वर्ष	(₹ लाख में) आरोपणीय ब्याज
1	डिको खण्ड-1 वार्को बदायूँ	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	1.18	1267	15	0.61
				1.88	1185	15	0.91
2	डिको खण्ड-3 वार्को एटा	1	2008-09 (मार्च 2012)	3.50	761	15	1.09
				0.73	844	15	0.25
				1.53	844	15	0.53
3	डिको खण्ड-4 वार्को फैजाबाद	1	2007-08 (वैट) (सितम्बर 2011)	1.43	1229	15	0.72
4	डिको खण्ड-4 वार्को फिरोजाबाद	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	5.28	1338	15	2.47
5	ज्वारको (कार्पोरेशन) जोन बी वार्को गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.81	606	15	0.45
			2008-09 (मई 2012)	4.85	1241	15	2.47
6	असिंको खण्ड-4 वार्को गाजियाबाद	1	2007-08 (उप्रोक्त्याको) (जून 2012)	0.94	92	14	0.03
			2008-09 (जून 2011)		1763	15	0.68
7	ज्वारको (कार्पोरेशन) वार्को गोरखपुर	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	3.50	435	15	0.63
8	डिको खण्ड-6 वार्को झांसी	1	2008-09 (फरवरी 2012)	38.75	966	15	15.39
			2009-10 (मार्च 2013)	75.58	601	15	18.67
9	डिको खण्ड-2 वार्को कानपुर	1	2007-08 (उप्रोक्त्याको) (मार्च 2010)	3.30	92	14	0.12
			2008-09 (मार्च 2010)		1180	15	1.39
10	डिको खण्ड-5 वार्को कानपुर	1	2007-08 (वैट) (सितम्बर 2011)	11.12	1368	15	6.25
11	डिको खण्ड-16 वार्को कानपुर	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	2.71	1340	15	1.49
12	डिको खण्ड-12 वार्को लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.43	1360	15	0.24
			2008-09 (मार्च 2012)	0.51	1403	15	0.29
			2008-09 (फरवरी 2012)	0.25	1336	15	0.14
			2008-09 (मार्च 2012)	1.12	1426	15	0.64
			2008-09 (मार्च 2012)	3.68	1428	15	2.16
13	डिको खण्ड-6 वार्को नोएडा	1	2008-09 (फरवरी 2012)	2.74	1407	15	1.53
14	डिको खण्ड-4 वार्को सहारनपुर	1	2008-09 (फरवरी 2011)	1.36	897	15	0.50
	योग	19		168.18			59.65

हमने जनवरी 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) पांच

134 व्यापारियों द्वारा दाखिल करने पर त्रावली एवं विवरण।

2.17.1 हमने दिसम्बर 2011 एवं जून 2013 के मध्य 14 वार्को का अभिलेख¹³⁴ की जांच में देखा कि 19 व्यापारियों द्वारा वर्ष 2007-08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008) से 2009-10 के दौरान स्वीकृत कर ₹ 1.68 करोड़ 434 दिन से लेकर 1763 दिनों तक विलम्ब से जमा किया।

मामलों¹³⁵ में ₹ 18.42 लाख के ब्याज की वसूली करते हुए ₹ 3.76 लाख की मांग सृजित की और सात मामलों¹³⁶ में ब्याज की वसूली हेतु कायवाही प्रारम्भ की।

2.17.2 बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद का नकदीकरण

2.17.2.1 बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के नकदीकरण पर ब्याज का प्रभारित न किया जाना

उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007, 2008 एवं 2009 में संशोधन के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय समय पर अधिसूचित कर की दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है। उक्त अधिनियम की धारा 13 के अनुसार उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 33 एवं उ0प्र0व्या0 कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों पर भी लागू है। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 33 (2) एवं उ0प्र0व्या0 कर अधिनियम की धारा 8 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे व्यापारी से जिस पर कर के भुगतान का दायित्व है अपेक्षा की जाती है कि वह देय तिथि की समाप्ति के पूर्व कर की धनराशि कोषागार में जमा करें ऐसा न करने पर निर्धारित अन्तिम तिथि के ठीक अगले दिन से जमा की तिथि तक जमा न की गई धनराशि पर सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज (उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की अवधि में 14 प्रतिशत वार्षिक) देय होता है। ऐसी वस्तुओं जिन पर प्रवेश कर आरोपणीय है, क0नि0प्रा0 द्वारा उ0प्र0 माल पर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 9(4) के अन्तर्गत आदेश पारित किये जाते हैं।

मा0 उच्च न्यायालय में अधिसूचित वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर आरोपित करने के उ0प्र0 सरकार की विधायी सक्षमता को चुनौती दी गयी। मा0 उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2007 एवं मई 2010 के मध्य मामले की प्रारम्भिक सुनवाई पर व्यापारियों को विवादित प्रवेश कर बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के रूप में जमा करने का आदेश दिया। मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश (दिसम्बर 2011) में उ0प्र0 सरकार के द्वारा उक्त प्रवेश कर आरोपित करने की सक्षमता को सही ठहराया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के क्रम में सम्बन्धित मामलों में कर बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के रूप में जमा करने का आदेश दिया।

मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश (दिसम्बर 2011) में उ0प्र0 सरकार के द्वारा उक्त प्रवेश कर आरोपित करने की सक्षमता को सही ठहराया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के क्रम में सम्बन्धित मामलों में

प्रवेश कर आरोपणीय/देय था। अतः जहां विवादित प्रवेश जमा रसीद के रूप में जमा की गयी थी उन मामलों में क0नि0प्रा0 द्वारा उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा-9 (4) के अन्तर्गत आदेश पारित करना अपेक्षित था।

हमने जुलाई 2012 एवं जुलाई 2013 के मध्य 17 वार्कोका¹³⁷ के अभिलेखों¹³⁸ में देखा कि मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के पश्चात क0नि0प्रा0 ने 30 व्यापारियों के मामले में बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद का नकदीकरण कराया।

हमने देखा कि मात्र पांच मामलों¹³⁹ में सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के नकदीकरण के पश्चात विलम्ब से जमा किये गये प्रवेश कर पर ₹ 46.40 लाख का ब्याज आरोपित किया। शेष 25 मामलों में यद्यपि बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद को भुना लिया गया था परन्तु क0नि0प्रा0 द्वारा विलम्ब से

¹³⁵ सारणी संख्या 2.33 के क्रम संख्या 1, 3, 6, 7 एवं 8।

¹³⁶ सारणी संख्या 2.33 के क्रम संख्या 2, 4, 9, 10, 12, 13, एवं 14।

¹³⁷ ज्या0क0 (कार्पॉस0) अलीगढ़, डिको खण्ड-10 अलीगढ़, ज्या0क0 (कार्पॉस0) 1 गाजियाबाद, ज्या0क0 (कार्पॉस0) 2 गाजियाबाद, डिको खण्ड-6 गाजियाबाद, डिको खण्ड-7 गाजियाबाद, डिको खण्ड-9 गाजियाबाद, डिको खण्ड-15 गाजियाबाद, ज्या0क0 (कार्पॉस0) 1 कानपुर, ज्या0क0 (कार्पॉस0) 2 कानपुर, डिको खण्ड-6 कानपुर, डिको खण्ड-14 कानपुर, डिको खण्ड-22 कानपुर, ज्या0क0 (कार्पॉस0) 1 लखनऊ, डिको खण्ड-1 मुजफ्फरनगर, डिको खण्ड-6 मुजफ्फरनगर एवं डिको खण्ड-8 वाराणसी।

¹³⁸ कर निर्धारण पत्रावलियां, मांग रजिस्टर।

¹³⁹ ज्या0क0 (कार्पॉस0) 1 गाजियाबाद के मै0 वर्ल्कूल आप इंडिया लिं0 एवं मै0 वर्लु ब्रेवरीज लिं0, ज्या0क0 (कार्पॉस0) 2 गाजियाबाद के मै0 हर्षो स्टील प्राइली, डिको खण्ड-6 गाजियाबाद के मै0 इंटरनेशनल टोबैकों कम्पनी लिं0 एवं डिको खण्ड-15 गाजियाबाद के मै0 मंगलम वायर्स प्राइली।

जमा प्रवेश कर पर आरोपणीय ब्याज नहीं प्रभारित किया गया। बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद भुनाने के पश्चात् मात्र देय प्रवेश कर एक बार जमा किया गया, जबकि बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद प्रश्नगत वर्षों के देय प्रवेश कर के लिए थी। यद्यपि स्वीकृत प्रवेश कर ₹ 52.02 करोड़ 20 माह 28 दिन से 55 माह सात दिन तक के विलम्ब के पश्चात् शासकीय कोषागार में जमा किया गया फिर भी क0नि0प्रा0 शासकीय खाते में विलम्ब से जमा पर ₹ 26.71 करोड़ ब्याज प्रभारित करने से विफल रहे जैसा कि परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा मामलों को अक्टूबर 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2013) कि 10 मामलों¹⁴⁰ में ₹ 5.90 करोड़ की मांग निकाली जा चुकी है तथा पांच मामलों में ₹ 34.09 लाख ब्याज की वसूली की जा चुकी है।

2.17.2.2 बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद का नकदीकरण न कराया जाना

हमने दिसम्बर 2012 एवं मई 2013 के मध्य तीन वर्षीय कर कार्यालयों के अभिलेखों¹⁴¹ में देखा कि तीन व्यापारियों के मामलों में वर्ष 2008–09 से 2009–10 के दौरान जमा बैंक गारण्टी मात्र उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उ0प्रा0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 9 (4) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय व्यापारी के द्वारा जमा बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद का क0नि0प्रा0 के द्वारा नकदीकरण कराया जाना था। हमने देखा कि मार्च 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य प्रकरणों को अंतिम रूप देते समय क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों को जमा कर का लाभ दिया परन्तु ₹ 1.27 करोड़ के बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के साथ ₹ 68.46 लाख के ब्याज का नकदीकरण नहीं कराया (लेखापरीक्षा की तिथि तक) विवरण सारणी क्रमांक 2.34 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.34

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारि यों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	अभिलेख का प्रकार	माल का मूल्य	आरोपित प्रवेश कर	चालान से जमा प्रवेश कर	बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के रूप में जमा प्रवेश कर	आरोपणीय ब्याज
1	ज्या0क0 (कार्पोरेशन)-1 कानपुर	1	2008–09 (जनवरी 2012)	मोटर वाहन	सावधि जमा रसीद	1,623.21	16.23	6.62	9.56	6.45
			2009–10 (मार्च 2012)	मोटर वाहन	सावधि जमा रसीद	3,405.85	34.06	0.00	34.09	17.89
2	ज्या0क0 (कार्पोरेशन) लखनऊ	1	2009–10 (जून 2012)	सीमेन्ट एवं हाई स्पीड डीजल	बैंक गारण्टी	3,451.22	77.46	0.00	75.69	39.08
3	डिंक0 खण्ड-19 वाराणसी	1	2008–09 (मार्च 2011)	सापट कॉक	बैंक गारण्टी	526.31	10.52	3.06	7.47	5.04
योग		3				9,006.59	138.27	9.68	126.81	68.46

हमारे द्वारा मामले को मार्च 2013 एवं जुलाई 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार (दिसम्बर 2013) करते हुए ₹ 41.82 लाख के ब्याज की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया।

¹⁴⁰ क्रम संख्या 3, 5, 6, 7, 9, 11 एवं 13।¹⁴¹ मांग पंचिका एवं कर निर्धारण पत्रावलियां।

2.18 कर की दर की गलत अनुमन्यता

हमने जून 2012 और मार्च 2013 के दौरान तीन वार्षिकों के व्यापारियों के वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए पारित करनियों एवं उनकी पत्रावलियां में देखा कि

करनियों ने वर्ष फरवरी 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य तीन व्यापारियों का कर निर्धारण करते समय फार्म 'डी' के विरुद्ध फर्नेस आयल एवं डीजल की रियायती दर पर की गई खरीद को अनुचित रूप से अनुमन्य किया। इसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड के अलावा ₹ 41.45 लाख की रियायती कर की दर अनुचित रूप से अनुमन्य की गयी। चूंकि केवल करयोग्य वस्तुओं का निर्माण करने वाले निर्माताओं को ही रियायती दर का लाभ अनुमन्य है, करमुक्त माल का निर्माण करने वाले क्रम संख्या 1 के व्यापारी को रियायती दर का लाभ दिया जाना गलत था। शेष दो मामलों में व्यापारी द्वारा निर्मित उत्पाद¹⁴² विनिर्माण की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। विवरण सारणी क्रमांक 2.35 में दर्शाया

उत्पादक संस्करण 2008 की धारा 4(1)(ग) के अन्तर्गत जारी अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 4(ख) के अनुसार डीजल पर 1 अप्रैल 2008 से 7 जून 2008 तक 21 प्रतिशत की दर से, 8 जून 2008 से 28 जनवरी 2009 तक 16.16 प्रतिशत की दर और 29 जनवरी 2009 से 31 मार्च 2009 तक 17.23 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। उसी अनुसूची से 7 (ख) के अनुसार फर्नेस आयल या अवशिष्ट फर्नेस आयल पर 29 सितम्बर 2008 तक 20 प्रतिशत की दर से और इसके बाद 21 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। क्रमशः प्रविष्टि संख्या 4 (क) एवं 7(क) के अनुसार केवल करयोग्य वस्तुओं के निर्माता को ही कमिशनर द्वारा निर्धारित फार्म-'डी' के विरुद्ध डीजल और फर्नेस आयल जिसके अन्तर्गत अवशिष्ट फर्नेस आयल सम्मिलित है, कि 29 सितम्बर 2008 तक की खरीद पर चार प्रतिशत की दर से और उसके बाद पांच प्रतिशत की रियायती दर से खरीद का हकदार है। न्यायिक[#] रूप से निर्णीत है कि बड़े पत्थर से छोटी गिट्टियां अथवा चूर्ण बनाना विनिर्माण की प्रक्रिया नहीं है। पुनर्शब्द, कमिशनर के परिपत्र दिनांक 30 मार्च 2007 के अनुसार तिल (सीसम) का प्रसंस्करण भी विनिर्माण की प्रक्रिया नहीं है। आगे अधिनियम की धारा 54 (1)(11) (1) के अनुसार यदि करनियों इस बात से संतुष्ट हैं कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन विहित मिथ्या या गलत प्रमाण पत्र जारी करता हो या प्रदान करता हो जिसके कारण विक्रय या क्रय पर कर उद्यग्नीय नहीं रह जाता है तो वह ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करें।
#एस०टी०आई० 2000 एस०सी० 53 उत्तर प्रदेश बनाम लालकुंआ स्टेन क्रशर प्राणियों।

गया है:

¹⁴² क्रमशः तिल एवं छोटी गिट्टियाँ।

सारणी क्रमांक 2.35

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	खरीद की अवधि	वस्तु का नाम	डीजल/फ० आ० का मूल्य	संदत्/संदेय कर की दर	प्राप्य अनियमित रियाती कर	आरोपीय अर्थदण्ड
1	डिंक० खण्ड-12 वाठ०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	01.04.2008 से 07.06.2008 तक	फरनेश आयल	17.41	20/4	2.78	8.71
				01.04.08 से 07.06.2008 तक		51.88	21/4	8.82	25.94
				08.06.2008 से 29.09.2008 तक		66.94	16.16/4	8.14	33.49
				30.09.2008 से 28.01.2009 तक		23.31	16.16/5	2.60	11.66
				29.01.2009 से 31.03.2009 तक		12.74	17.23/5	1.59	6.37
2	डिंक० खण्ड-2 वाठ०क० मुजफ्फर नगर	1	2008-09 (मार्च 2012)	01.04.2008 से 07.06.2008 तक	डीजल	15.32	21/4	2.60	7.66
				08.06.2008 से 29.09.2008 तक		3.62	16.16/4	0.44	1.81
				30.09.2008 से 28.01.2009 तक		24.41	16.16/5	2.71	12.21
				29.01.2009 से 31.03.2009 तक		12.69	17.23/5	1.55	6.35
3	डिंक० खण्ड-1 वाठ०क० नजीबाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	2008-09	डीजल	44.09	16.16/4	5.36	22.05
			2009-10 (फरवरी 2011)	2009-10		39.72	17.23/5	4.86	19.86
योग		3				312.13		41.45	156.11

हमने मार्च 2013 एवं मई 2013 के मध्य इस प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हुए (सितम्बर 2013) उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 2 पर वर्णित मामले में ₹ 7.32 लाख का कर एवं ₹ 28.02 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया। अनेक अनुस्मारक के बावजूद वसूली की सूचना एवं अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

2.19 टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना

उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम 2008 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत 1 जनवरी 2008 से अनुसूची-I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची-II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से तथा अनुसूची-III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची-IV में शामिल हैं समय समय पर शासन द्वारा विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। वस्तुएं जो उपरोक्त किसी भी सूची में वर्गीकृत नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत क०नि०प्रा० को व्यापारी के व्यापार और अन्य सुसंगत अभिलेखों से सम्बन्धित उसके द्वारा रखे जाने वाले खाते लेखे और अभिलेखों की जांच करके क०नि०प्रा० पारित किया जाना चाहिए।

हमने दिसम्बर 2011 और मार्च 2013 के मध्य आठ वाठ०क०का० के अभिलेखों की जांच में देखा कि नौ व्यापारियों के मामले में वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि में क०नि०प्रा० को प्रस्तुत अभिलेखों में इन व्यापारियों ने ₹ 8.20 करोड़ की बिक्री को टर्नओवर के रूप में दर्शाया। इन

व्यापारियों की संवंधित कर निर्धारण पत्रावलियों में छूटे हुए टर्नओवर का विवरण¹⁴³ उपलब्ध है, क०नि०प्रा० द्वारा कर निर्धारण करते समय इन विवरणों की जांच की जानी चाहिए थी। क०नि०प्रा० द्वारा मार्च 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय संज्ञान में नहीं लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 79.90 लाख का कर अनारोपित रहा। जैसा कि सारणी क्रमांक 2.36 में दर्शाया गया है:

¹⁴³ व्यापार और लाभ हानि खाता, वार्षिक बैलेन्स शीट, वर्तमान और पिछले वर्षों का कर निर्धारण आदेश आदि।

सारणी क्रमांक 2.36

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निधारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	अनारोपित कर
1	ज्यांक० (कार्पॉस०) वांक० आगरा	1	2008–09 (मार्च 2012)	यूज्ड कार (II)	12.54	4 / 0	0.50
2	डिंक० खण्ड-7 वांक० आगरा	1	2007–08 (01.01.08 से 31.03.08 तक) (जून 2010)	आटोमेटिक फिल्टर और लूब्रीकेंट आयल (V)	84.65	12.5 / 0	10.58
3	डिंक० खण्ड-10 वांक० बरेली	1	2007–08 (01.01.08 से 31.03.08 तक) (मार्च 2011)	कार ट्रक और आटो व्हीकल के टायर ट्यूब (V)	23.25	12.5 / 0	2.91
4	डिंक० खण्ड-4 वांक० फिरोजाबाद	1	2008–09 (मार्च 2012)	पेन्ट (V)	7.89	12.5 / 0	0.99
5	डिंक० खण्ड-7 वांक० झांसी	1	2007–08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	वैटरी और मोटर पार्ट्स (V)	3.39	12.5 / 0	0.42
				मशीनरी पार्ट्स (II)	5.52	4 / 0	0.22
			2007–08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	वैटरी और मशीनरी पार्ट्स (V)	10.53	12.5 / 0	1.32
				ट्रैक्टर पार्स (II)	8.31	4 / 0	0.33
6	ज्यांक० (कार्पॉस०) वांक० लखनऊ	1	2008–09 (सितम्बर 2011)	स्प्रेयर पार्ट्स और लूब्रीकेन्ट्स (V)	327.67	12.5 / 0	40.96
7	डिंक० खण्ड-1 वांक० मऊ	1	2008–09 (सितम्बर 2011)	लाइलोन फिलामेंट यार्न (II)	198.67	4 / 0	7.95
8	डिंक० वांक० मादी नगर	1	2006–07 और 2007–08 (उ0प्र०व्या०क०) (अप्रैल 2011)	डिंश ऐस्टीना और अदर इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स	137.16	10 / 0	13.72
	योग	9			819.58		79.90

हमारे द्वारा जनवरी 2012 और अप्रैल 2013 के मध्य प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और बताया कि उपरोक्त सारणी के दो मामलों (क्रम संख्या 4 और 7) में ₹ 8.53 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है। अनेक अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद भी शेष मामलों में वस्तु की सूचना और उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

2.20 कर की वापसी के द्वारा अनुचित वित्तीय लाभ

उ0प्र०व्या०क० अधिनियम की धारा 29 एवं उ0प्र०म०सं० कर अधिनियम 2008 की धारा 40 के अन्तर्गत किसी व्यापारी को उसके द्वारा कर शुल्क अथवा अन्य देयों के मद में अधिक जमा धनराशि की वापसी के प्रावधान है। पुनर्श्च, न्यायिक निर्णय* में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कर के भार को अन्य व्यक्ति पर अन्तरित कर देता है तो उस कर की वापसी उस व्यक्ति को अनुचित लाभ मानी जायेगी। साबित करने की जिम्मेदारी व्यापारी पर है।

* मै0 मफतलाल इण्डस्ट्रीज लिं0 बनाम यूनियन आफ इण्डिया इत्यादि (1996) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

हमने अगस्त 2011 और दिसम्बर 2012 के मध्य 20 वांक०का०¹⁴⁴ के 35 संविदाकारों से सम्बन्धित क०नि०आ० की जांच में देखा कि 20 व्यापारियों के मामले में वर्ष 2006–07 से 2009–10 की अवधि में क०नि०प्रा० द्वारा फरवरी 2010 और मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते

¹⁴⁴ असि०क० खण्ड-14 इलाहाबाद, असि०क० खण्ड-5 बरेली, डिंक० खण्ड-1 बस्ती, डिंक० खण्ड-1 धामपुर, असि०क० खण्ड-8 गाजियाबाद, डिंक० खण्ड-5 गाजियाबाद, डिंक० खण्ड-11 कानपुर, डिंक० खण्ड-13 कानपुर, डिंक० खण्ड-14 कानपुर, डिंक० खण्ड-22 कानपुर, डिंक० खण्ड-2 लखनऊ, डिंक० खण्ड-8 लखनऊ, डिंक० खण्ड-14 लखनऊ, डिंक० खण्ड-17 लखनऊ, डिंक० खण्ड-19 लखनऊ, डिंक० खण्ड-22 लखनऊ, असि०क० खण्ड-1 लखनऊ, डिंक० खण्ड-4 मेरठ, डिंक० खण्ड-2 मुजफ्फरनगर एवं असि०क० खण्ड-2 सहारनपुर।

समय स्रोत¹⁴⁵ पर की गयी कटौती का आरोपित कर में समायोजन किया गया, शेष अधिक जमा ₹ 71.62 लाख वापसी के आदेश पारित किये गये। न्यायिक निर्णय के आलोक में कोनोप्रा० से यह अपेक्षा की जाती है कि व्यापारी को अधिक जमा धनराशि की वापसी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि जिस व्यक्ति को अधिक जमा धनराशि की वापसी की जा रही है उसने अधिक जमा कर की राशि का भार किसी अन्य पक्ष पर अन्तरित तो नहीं कर दिया था और ऐसी वापसी के द्वारा कही अनुचित वित्तीय लाभ तो नहीं हुआ। केवल आठ मामलों¹⁴⁶ में कोनोप्रा० ने सही जांच करते हुए इन मामलों में धनराशि की वापसी नहीं की। अन्य 21 मामलों में अनियमित वापसी का विवरण सारणी क्रमांक 2.37 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.37

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाइ का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निघोरण वर्ष (कर निघोरण आदेश का माह एवं वर्ष)	कर की वापसी
1	असि०क० खण्ड-14 इलाहाबाद	1	2008-09 (फरवरी 2012)	1.13
		1	2008-09 (फरवरी 2012)	3.98
		1	2008-09 (मार्च 2012)	1.47
2	असि०क० खण्ड-5 बरेली	1	2006-07 (फरवरी 2010)	1.05
3	डिंक० खण्ड-1 बरती	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	1.64
		1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	2.49
		1	2008-09 (अगस्त 2011)	1.24
		1	2009-10 (अगस्त 2011)	1.21
4	डिंक० खण्ड-1 धामपुर	1	2008-09 (जनवरी 2012)	2.91
5	असि०क० खण्ड-8 गाजियाबाद	1	2009-10 (दिसंबर 2011)	1.46
6	डिंक० खण्ड-5 गाजियाबाद	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	2.36
7	डिंक० खण्ड-13 कानपुर	1	2008-09 (जुलाई 2010)	22.63
8	डिंक० खण्ड-14 कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	9.25
9	डिंक० खण्ड-17 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.86
10	डिंक० खण्ड-19 लखनऊ	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	3.45
11	डिंक० खण्ड-4 मेरठ	1	2007-08 (दिसंबर 2010)	0.51
12	डिंक० खण्ड-2 मुजफ्फर नगर	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	5.27
			2009-10 (फरवरी 2012)	4.10
13	असि०क० खण्ड-2 सहारनपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.91
		1	2008-09 (मई 2011)	0.61
		1	2008-09 (अप्रैल 2011)	0.47
		1	2008-09 (अप्रैल 2011)	0.62
योग		21		71.62

हमने ठेके देने वाले सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों¹⁴⁷ के अभिलेखों¹⁴⁸ के प्रतिसत्यापन में देखा और पाया कि संविदाकारों द्वारा अपने सम्बन्धित सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से जो कर की प्राप्ति की गयी थी, उसमें संविदा में दी गई सामग्री की दरों में कर भी शामिल था। इस प्रकार सम्बन्धित सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्रोत पर की गई कटौती को संविदाकारों द्वारा पहले

¹⁴⁵ डिंक० खण्ड-14 कानपुर के एक मामले में व्यापारी ने कर को नकद जमा किया लेकिन इसे खर्च के रूप में अपने लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया।

¹⁴⁶ डिंक० खण्ड-2 लखनऊ, डिंक० खण्ड-8 लखनऊ, डिंक० खण्ड-14 लखनऊ, डिंक० खण्ड-22 लखनऊ असि०क० खण्ड-1 लखनऊ, डिंक० खण्ड-11 कानपुर, डिंक० खण्ड-14 कानपुर एवं डिंक० खण्ड-22 कानपुर।

¹⁴⁷ लो०नी०वि० के विभिन्न खण्ड, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ०प्र० प्रोजेक्ट कार्पॉलिं, य०पी० स्टेट इण्डिस्ट्रियल कार्पॉलिं, उ०प्र० जल निगम आदि।

¹⁴⁸ संविदा/सहमति बन्धपत्र के उद्धरण, मात्रात्मक बिल, आशय पत्र, रनिंग बिल आदि।

ही अपने सम्बन्धित सरकारी विभागों/सर्वजनिक उपक्रमों में मूल्य उद्घरण¹⁴⁹ में कर तत्व को शामिल करते हुए प्राप्त किया गया था। इस प्रकार संविदाकारों को अदा किया गया अतिरिक्त कर सम्बन्धित सरकारी विभागों/सर्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित था और संविदाकारों को वापसी योग्य नहीं था क्योंकि संविदाकारों द्वारा पहले ही कर का भार पहले से अपने सम्बन्धित संविदी को अन्तरित कर दिया गया था, जिससे उन्होंने संविदा प्राप्त की थी। इस प्रकार अनुचित वित्तीय लाभ तात्पर्यित थी।

हमने अक्टूबर 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) दो मामलों¹⁵⁰ में वापसी आदेश को वापस ले लिया। विभाग ने आठ मामलों¹⁵¹ में कोई उत्तर नहीं दिया और बताया कि शेष पांच मामलों¹⁵² में कार्यवाही की जा रही है। छः अन्य मामलों¹⁵³ में विभाग ने बताया कि संविदी से प्राप्त पत्र, संविदाकारों द्वारा दाखिल शपथपत्र और संविदाकारों के संविदी द्वारा जारी टी0टी0एस0 प्रमाण पत्र के आधार पर मामलों की पुनः जांच करके कर की वापसी की गई थी। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि वापसी किये जाने के पूर्व क0नि0प्रा0 द्वारा संविदाकारों को केवल शपथपत्र और प्राप्त पत्र के आधार पर देखा गया, उनके द्वारा दिये गये कार्य आदेश/संविदा में दी गई शर्तों की जांच नहीं की गयी है इन संविदाकारों को कर वापसी नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने अपने खाते से कर का भुगतान नहीं किया था बल्कि इसे अपने संविदी से वसूला गया था।

2.21 गलत/मिथ्या आई0टी0सी0 के दावे के मामले

अगस्त 2011 और मार्च 2013 के मध्य हमने आई0टी0सी0 को ध्यान में रखते हुए 56 वाकोका0 द्वारा अक्टूबर 2010 और मार्च 2012 के मध्य पारित क0नि0 आदेश की जांच की। हमने पाया कि 82 मामलों में व्यापारियों ने अस्तित्वहीन व्यापारियों से की गई खरीद, अनियमित इनवाइसों, कर अदा न की गई खरीद पर प्राप्त रिबेट/छूट कम दर से अदा की गई वस्तु पर अधिक दर से कर मुक्त वस्तुओं, पूंजीगत वस्तु, विशेष आर्थिक क्षेत्र (विओआ०क्षो) को की गई बिक्री आदि पर मिथ्या/अनुचित तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया।

हमने आगे पाया कि 27 वाकोका0¹⁵⁴ में वैट परिपत्र-2 (2008–09)-774/080977/सी0टी0/दिनांक 31 अक्टूबर 2008 एवं पत्र सं0–जे0सी0 (एस0आई0बी0) /मू0/सं0प0/2009–10/1593/वाणिज्य कर दिनांक 18 सितम्बर 2009 के अनुसार आई0टी0सी0 सत्यापन किया गया जिसके परिणामस्वरूप क0नि0प्रा0 ने मिथ्या/अनुचित/कपटपूर्ण तरीके से दावाकृत आई0टी0सी0 की त्रुटि को संज्ञान में लेकर मिथ्या रूप से दावाकृत आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया गया। 41 मामलों में सम्बन्धित वाकोका0 द्वारा अनुचित दावाकृत आई0टी0सी0 को संज्ञान में नहीं लिया गया। हमारे परीक्षणों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

¹⁴⁹ पत्रक की गिरटी, बजरी, बालू, बिटूमिन, सीमेन्ट, ईट, आयरन और स्टील आदि।

¹⁵⁰ सारणी संख्या 2,37 के क्रमांक 5 और 10 पर वर्णित।

¹⁵¹ डिको खण्ड-14 इलाहाबाद (एक व्यापारी) डिको खण्ड-1 बस्ती (वार व्यापारी) डिको खण्ड-14 कानपुर (एक व्यापारी) डिको खण्ड-17 लखनऊ (एक व्यापारी) डिको खण्ड-4 मेरठ (एक व्यापारी)।

¹⁵² डिको खण्ड-13 कानपुर (एक व्यापारी) असिको खण्ड-2 सहारनपुर (वार व्यापारी)।

¹⁵³ डिको खण्ड-14 इलाहाबाद (दो व्यापारी) असिको खण्ड-2 मुजफरनगर, (एक व्यापारी)।

¹⁵⁴ ज्याको(कार्पो०स०) वाको० आगरा, डिको० खण्ड-12 वाको० आगरा, डिको० खण्ड-2 वाको० इटावा, डिको० खण्ड-5 वाको० गाजियाबाद, डिको० खण्ड-7 वाको० गाजियाबाद, डिको० खण्ड-10 वाको० गाजियाबाद, असिको० खण्ड-4 वाको० गाजियाबाद, असिको० वाको० खण्ड-11 वाको० गाजियाबाद, डिको० खण्ड-29 वाको० कानपुर, डिको० खण्ड-20 वाको० कानपुर, डिको० खण्ड-14 वाको० कानपुर, डिको० खण्ड-18 वाको० कानपुर, डिको० खण्ड-1 वाको० कानपुर, डिको० खण्ड-5 वाको० गाजियाबाद, डिको० खण्ड-1 वाको० कासगंज, डिको० खण्ड-1 वाको० कासगंज, डिको० खण्ड-20 वाको० लखनऊ, डिको० खण्ड-1 वाको० लखनऊ, डिको० खण्ड-13 वाको० महाराजगंज, डिको० खण्ड-2 वाको० महाराजगंज, डिको० खण्ड-1 वाको० मधुरा, डिको० खण्ड-12 वाको० मेरठ, डिको० खण्ड-7 वाको० मुजफरनगर, डिको० खण्ड-8 वाको० नोएडा, डिको० खण्ड-3 वाको० पीलीभीत एवं ज्याको० (कार्पो०स०) वाको० वराणसी।

2.21.1 कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा संज्ञान में न लिये जाने वाले मामले

उ०प्र०म०स०क० अधिनियम 2008 की धारा 13 सपष्टित उ०प्र०म०स०क० अधिनियम 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा टैक्स इनवाइस के विरुद्ध पंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीद पर दिये गये कर या अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर नकद जमा धनराशि पर उनके द्वारा की गई खरीद या बिक्री पर संदत या संदेय कर की सीमा तक आई०टी०सी० का लाभ अनुमन्य है। उक्त अधिनियम की धारा 14 सपष्टित उ०प्र०म०स०क० नियमावली के नियम 21, 22, 23 एवं 25 में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में दावाकृत आई०टी०सी० को उत्क्रमित किए जाने का प्रावधान है। वैट अधिनियम की धारा 54(1)(19) के अन्तर्गत यदि क०नि०प्रा० संतुष्ट है कि जहाँ, यथास्थिति, कोई व्यापारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति आई०टी०सी० के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है, वह निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति, उसके द्वारा देयकर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, अर्थदण्ड के रूप में आई०टी०सी० की धनराशि के पांच गुने के बाबर धनराशि का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14(2) के अन्तर्गत यदि किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आई०टी०सी० का दावा किया है। आई०टी०सी० का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक अनुमन्य नहीं है, उत्क्रमित किया जाएगा। उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट को जन्म देने वाली घटना जिस दिनांक को धनराशि जमा की गई हो को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से साधारण व्याज सहित उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट को जमा करने का दायी होगा। उ०प्र० मू०स०क० नियमावली के नियम 21(4) के अनुसार जिस धनराशि के लिए विक्रेता व्यापारी से क्रेता व्यापारी को क्रेडिट नोट मिला है उस धनराशि पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुमन्य नहीं है या इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत दावाकृत आई०टी०सी० जिस सीमा तक आई०टी०सी० का लाभ अनुमन्य नहीं वस्तु के सम्बन्ध में गलत ढंग से दावा की गयी ऐसी आई०टी०सी० उत्क्रमित की जायेगी और व्यापारी द्वारा पहले से दावा की गयी आई०टी०सी० में से ऐसी उत्क्रमित आई०टी०सी० की धनराशि को घटाया जायेगा।

आई०टी०सी०, अर्थदण्ड और व्याज आकर्षित होता है। दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा अगस्त 2011 एवं अप्रैल 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2013) कि छ: मामलों¹⁵⁵ में ₹ 5.88 लाख की आई०टी०सी० उत्क्रमित कर दी गयी थी और ₹ 16.11 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपित कर दिया गया जिसमें से ₹ 7.20 लाख की अब तक वसूली की जा चुकी है।

हमने वर्ष 2007–08 से 2010–11 की अवधि के दौरान देखा¹⁵⁵ कि 35 वा०क०का०¹⁵⁶ के 41 व्यापारियों ने 1.23 करोड़ की आई०टी०सी० का दावा किया था। क०नि०प्रा० ने फरवरी 2011 और मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा दावाकृत आई०टी०सी० का प्रति सत्यापन नहीं किया और ₹ 1.23 करोड़ की मिथ्या एवं कपटपूर्ण आई०टी०सी० को अनुमन्य की। यह आई०टी०सी० अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन मिथ्या/कपटपूर्ण आधार पर जैसे कि अस्तित्वहीन फर्मों से की गई खरीद, अनियमित इनवाइसों पर पूंजीगत वस्तुओं पर, कर मुक्त वस्तुओं पर जिन सब पर आई०टी०सी० का लाभ अनुमन्य नहीं है पर दावा किया गया था। इस प्रकार मिथ्या रूप से दावाकृत आई०टी०सी० पर ₹ 8.24 करोड़ की उत्क्रमित जैसा कि परिशिष्ट-III में

¹⁵⁵ व्यापारियों से संबंधित क०नि०प्रा० एवं प्रतावलियाँ।

¹⁵⁶ डिक० खण्ड-12 आगरा, ज्यात०क० (कार्प०स०) आगरा, डिक० खण्ड-2 आजमगढ़, ज्यात०क०(कार्प०स०)-ए बेरेली, डिक० खण्ड-1 बस्ती, डिक० खण्ड-1 छात्रपति शाहूजी महाराजनगर (गौरीगंज), डिक० खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, डिक० खण्ड-9 गाजियाबाद, डिक० खण्ड-7 गाजियाबाद, डिक० खण्ड-6 गाजियाबाद, डिक० खण्ड-4 गाजियाबाद, असि०क० खण्ड-6 गाजियाबाद, डिक० खण्ड-1 हसनपुर, डिक० खण्ड-2 हाथरस, डिक० खण्ड-5 गोरखपुर, डिक० खण्ड-2 कनौज, डिक० खण्ड-1 हायुड, डिक० खण्ड-1 हरदोई, डिक० खण्ड-1 हसनपुर, डिक० खण्ड-2 कानपुर, डिक० खण्ड-17 कानपुर, डिक० खण्ड-18 लखनऊ, डिक० खण्ड-18 लखनऊ, डिक० खण्ड-17 लखनऊ, असि०क० खण्ड-21 लखनऊ, असि०क० खण्ड-18 लखनऊ, असि०क० खण्ड-15 लखनऊ, असि०क० खण्ड-8 लखनऊ, डिक० खण्ड-4 मेरठ, डिक० खण्ड-4 पटना (कुशीनगर), डिक० खण्ड-1 रायबरेली, डिक० खण्ड-1 वाराणसी एवं डिक० खण्ड-4 वाराणसी।

¹⁵⁷ डिक० खण्ड-1 अमेठी, डिक० खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, डिक० खण्ड-6 गाजियाबाद, डिक० खण्ड-7 गाजियाबाद, डिक० खण्ड-4 हायुड एवं डिक० खण्ड-1 हरदोई।

अनेक अनुस्मारक के बावजूद शेष अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

2.21.2 ब्याज / अर्थदण्ड का अनारोपण

हमने 27 वारोकरा¹⁵⁸ में 32 व्यापारियों के मामले में देखा¹⁵⁹ कि अक्टूबर 2010 एवं जून 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय क0निप्रा0 द्वारा व्यापारियों द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0 के प्रति सत्यापन में पाया गया कि व्यापारियों ने कपटपूर्ण तरीके से ₹ 71.70 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया था। हमने पाया कि क0निप्रा0 द्वारा यद्यपि आई0टी0सी0 उत्क्रमित कर दी गई थी लेकिन उन्होंने न तो ₹ 47.79 लाख ब्याज और न ही ₹ 3.59 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया जैसा कि परिशिष्ट-IV में दर्शाया गया है:

हमने प्रकरण को अगस्त 2011 एवं अप्रैल 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। अनेक अनुस्मारक के बावजूद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

2.21.3 खरीदे गये माल पर गलत कर की दर दर्शाते हुए आई0टी0सी0 का अनुचित दावा किया जाना

उ०प्र०म०संक० 2008 की धारा 13 सप्तित उ०प्र०म०संक० नियमावली के नियम 24 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुसंगत खण्डों के अनुसार पुनर्बिक्री या पुनर्विक्रयार्थ माल के निर्माण में प्रयुक्त माल के लिए कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रान्त के अन्दर पंजीकृत व्यापारी से की गई खरीद पर संदेय कर की सीमा तक आईटी०सी० का लाभ अनुमन्य है। अधिनियम की अनुसूचि-I से V तक में प्रत्येक वस्तु के लिए लागू कर की दर को विहित किया गया है।

आठ वाँकोंका० में १०
व्यापारियों ने ₹ 4.76
करोड़ की खरीद पर
12.5 प्रतिशत की दर से
मिथ्या रूप से
आईटीसी० का दावा
किया। ये वस्तुएं
उ०प्र०म०स०क०
अधिनियम की
अनुसूची-II में वर्णित है
और उन पर लागू कर

की दर चार प्रतिशत है। कोनिओप्रा ने मार्च 2011 और मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया और बिना विस्तृत जांच किये और प्रतिसत्यापन किये व्यापारियों के चार प्रतिशत की करदेयता वाली वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से आईटी0सी0 के दावे पर, अधिक गैर अनुमन्य आईटी0सी0 को अनुमन्य किया। इस मिथ्या दावा किये जाने के कारण ₹ 2.69 करोड़ का उत्क्रमित आईटी0सी0, अर्थदण्ड और ब्याज आकर्षित होता है, जैसा कि सारणी क्रमांक 2.38 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.38

क्रो सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	लागू कर की दर/ गलत दरग से लागू	अनुक्रमित आईटी०सी० की धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड	प्रभासित ब्याज
1	ज्याठ० (कापो० स्तो०) इटावा	1	2008-09 (मार्च 2012)	एल्यूमिनियम वायर और कापर वायर (II)	45.37	4 / 12.5	3.86	19.28	2.03
2	ठिक० खण्ड-4 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	पम्प (II)	7.84	4 / 12.5	0.67	3.33	0.45
3	ठिक० खण्ड-7 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	डुप्लेक्स पेपर (II)	31.32	4 / 12.5	2.66	13.30	1.80
		1	2008-09 (मार्च 2012)	कापर कंबल स्ट्रॉप (II)	4.72	4 / 12.5	0.40	2.00	0.27

¹⁵⁸ ज्याठक (कार्योसी) आगरा, डिक० क खण्ड-12 आगरा, डिक० क खण्ड-2 इटावा, डिक० क खण्ड-5 गाजियाबाद, डिक० क खण्ड-7 गाजियाबाद, डिक० क खण्ड-10 गाजियाबाद, डिक० क खण्ड-19 गाजियाबाद, असि० क खण्ड-4 गाजियाबाद, असि० क खण्ड-11 गाजियाबाद, डिक० क खण्ड-1 कानपुर, डिक० क खण्ड-14 कानपुर, डिक० क खण्ड-18 कानपुर, डिक० क खण्ड-20 कानपुर, डिक० क खण्ड-21 कानपुर, डिक० क खण्ड-2 काशीरामनगर (कासापुर), डिक० क खण्ड-1 काशीपुर, डिक० क खण्ड-3 लखनऊ, डिक० क

¹⁵⁹ कार्पोरेशन द्वारा बिल्डिंग नं. १२, १८८५ से १९१२ तक बनायी गयी।

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	लागू कर की दर/ गलत दर से लागू	अनुक्रमित आईटी०सी० की घनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड	प्रभारित ब्याज
4	डिंको खण्ड-1 वारोको गौतमबुद्ध नगर	1	2008-09 (मार्च 2012)	पैकिंग बाक्सेज कैमिकल (II)	6.05	4 / 12.5	0.51	2.57	0.34
		1	2008-09 (मार्च 2012)	कैमिकल एण्ड होज पाइप (II)	6.18	4 / 12.5	0.52	2.62	0.35
5	डिंको खण्ड-2 वारोको गौतमबुद्ध नगर	1	2008-09 (मार्च 2012)	कापर पैकिंग मैट्रियल (II)	337.09	4 / 12.5	28.66	143.30	19.34
6	डिंको खण्ड-3 वारोको गौतमबुद्ध नगर	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	पी०प्य० फोम (II)	32.55	4 / 12.5	2.77	13.83	1.87
7	डिंको खण्ड-4 वारोको मुरादाबाद	1	2008-09 (मार्च 2011)	आइरन वेयर (II)	2.64	4 / 12.5	0.22	1.12	0.16
8	डिंको खण्ड-2 वारोको हसनपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	आइसक्रीम (II)	2.14	4 / 12.5	0.18	0.91	0.12
योग		10			475.90		40.45	202.26	26.73

हमने मई 2012 और जुलाई 2013 के मध्य प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और बताया कि दो मामलों में (क्रम सं० 2 एवं 3) ₹ 18.64 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है और ₹ 3.73 लाख की आईटी०सी० उत्क्रमित की गई है। अनेक अनुस्मारक के बावजूद शेष अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

2.22 जमा की पुष्टि न होना

उ०प्र०व्या०को अधिनियम की धारा 3(1) एवं उ०प्र०म०स०को अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी अपने कर योग्य माल के विक्रय या क्रय अथवा दोनों जैसा भी प्रकरण हो, के कर योग्य टर्नओवर पर प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित दर से कर के भुगतान का दायी होगा। परन्तु दोनों अधिनियमों में किसी योजना के अन्तर्गत बिना मूल्य दिये प्राप्त माल, जिस पर अधिकतम खुदरा मूल्य दर्ज हो, के विक्रय पर वसूले गये कर को सरकारी कोष में जमा किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

ने वस्तु के रूप में छूट की योजना¹⁶¹ के अन्तर्गत आने के कारण इन निःशुल्क दवाइयों पर कोई कर नहीं दिया था। इन व्यापारियों ने ₹ 110.61 करोड़ मूल्य की फ्री मेडिसिन को अपने खुदरा थोक व्यापारियों को कर योग्य दवाओं के साथ हस्तान्तरित किया।

हमने इन खुदरा/थोक क्रेता व्यापारियों के कर निर्धारण पत्रावलियों की जांच एवं प्रतिसत्यापन में पाया कि सम्बन्धित कर विवरणियों¹⁶² में इन व्यापारियों ने बिना मूल्य की प्राप्त दवाइयों की प्राप्ति को नहीं दर्शाया था। इसके अलावा हमने देखा कि ऐसे संव्यवहार पर कर की वसूली एवं जमा सुनिश्चित करने के लिए कमिश्नर वाणिज्य कर के 25 सितम्बर 2012¹⁶³ के आदेश का वारोकोका द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। केवल डिप्टी कमिश्नर खण्ड-5 नोएडा के मामलों में ऐसा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वारोकोका को पत्र जारी किये गये थे। इन संव्यवहारों के प्रति सत्यापन के अभाव में ₹ 4.42 करोड़ के प्रेषण पर न तो कर को सुनिश्चित किया जा सका है और

हमने मार्च 2011 एवं फरवरी 2013 के मध्य पांच वारोकोका के 17 व्यापारियों की जांच में देखा कि उनके द्वारा उ०प्र० के बाहर से ₹ 110.56 करोड़ मूल्य की दवा विक्रेता निर्माताओं द्वारा दवाओं की बिक्री बिना मूल्य चुकाये योजना¹⁶⁰ के अन्तर्गत प्राप्त किया। इन व्यापारियों

¹⁶⁰ दवा निर्माताओं की ऐसी योजना जिसमें दवाओं की कुछ मात्रा को बिना मूल्य लिये वितरकों/खुदरा व्यापारियों को दवाओं की खरीद पर दी जाती है।

¹⁶¹ जैसा कि मार्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 2003 में निर्णीत।

¹⁶² अनुलग्नक 'क' जो कि अपने वारोकोका को प्रस्तुत किये जाने वाले मासिक/वार्षिक विवरणी का भाग है।

¹⁶³ आठिंट महानेताकार 2012-13/15551/वाणिज्य कर।

न ही उ०प्र०म०सं०क० की धारा 33(2)¹⁶⁴ और 54(1)(2)¹⁶⁵ के अन्तर्गत छिपाये टर्नओवर पर आरोपणीय व्याज और अर्थदण्ड सुनिश्चित किया जा सका है, विवरण सारणी क्रमांक 2.39 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.39

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	फ्री बोनस के रूप में वितरित दवाओं का मूल्य	(₹ लाख में) फ्री बोनस पर कर का प्रभाव (चार प्रतिशत की दर से)
1	ज्या० क० (काप०० स०)-१ लखनऊ	मे० एलक्रेम लैबोरटरीज लि० सी-३१ ड्रांसपोर्टनगर लखनऊ	2008-09 (फरवरी 2012)	दवाएं	12,379.77	788.11	31.50
		मे० ल्यूप्रिन लि० ई-२०७ ड्रांसपोर्टनगर लखनऊ	2008-09 (फरवरी 2012)	दवाएं	16,080.13	937.00	37.48
		मे० सिपला लि० सी-२७ ड्रांसपोर्टनगर लखनऊ	2008-09 (सितम्बर 2011)	दवाएं	20,986.84	3797.12	151.88
		मे० रैनबैकर्सी लैबोरेटरीज लि० गगन पैलेस बाग न०-२ लखनऊ	2008-09 (नवम्बर 2011)	दवाएं	12,384.27	4019.82	160.79
		मे० अलेक्षिक लि० ३५ हैवलक रोड लखनऊ	2008-09 (मार्च 2012)	दवाएं	6,838.64	634.20	25.37
2	डिं०क० खण्ड-९ लखनऊ	मे० सिंध ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स ६७ विजय नगर कृष्णा नगर लखनऊ	2008-09 (मई 2011)	दवाएं	690.02	41.99	1.68
		मे० पंजाब फार्मलैशन लि० ई-१०४ ड्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2008-09 (अगस्त 2011)	दवाएं	618.13	29.08	1.16
		मे० सेन्ट्रल फार्मास्यूटिकल्स लि० ई-३२३ ड्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2008-09 (नवम्बर 2011)	दवाएं	604.56	77.08	3.08
		मे० पैनासिया बायोटेक लि० बाग न०-२ लखनऊ	2008-09 (नवम्बर 2011)	दवाएं	1,275.63	25.64	1.03
		मे० इंडिको रेमीडीज लि० ई-१३२ ड्रांसपोर्ट लगर लखनऊ	2008-09 (अक्टूबर 2011)	दवाएं	1,332.10	159.49	6.38
		मे० अन्मेट हेल्थ केयर प्रार्टिलि० सी-५१६ ड्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2009-10 (दिसम्बर 2011)	दवाएं	159.68	60.07	2.40
		मे० एस०एस० बायोटेक ५६५-५६६ विश्वामित्र कम्प्लेक्स लखनऊ	2008-09 (जनवरी 2012)	दवाएं	174.61	32.99	1.32
		मे० माप्रा लैबोरेटरीज प्रार्टिलि० ई०३/१० ड्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2008-09 (मई 2011)	दवाएं	443.63	56.33	2.25
		मे० फाइजर प्रोडक्ट्स प्रार्टिलि० सी-४३ ड्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2008-09 (जनवरी 2012)	दवाएं	1,080.94	12.59	0.50
3	डिं०क० खण्ड-२ लखनऊ	मे० क०सेट फार्मास्यूटिकल्स लि० ३५ हैवलक रोड लखनऊ	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	दवाएं	163.56	18.70	0.75
4	डिं०क० खण्ड-५ नोएडा	मे० मार्टिन एण्ड हैरिस प्रार्टिलि० श्रीजी कम्प्लेक्स शर्मा मार्केट सी-५ नोएडा	2008-09 (फरवरी 2012)	दवाएं	2,290.97	217.31	8.69
5	डिं०क० खण्ड-५ मेरठ	मे० ब्लू क्रास लैबोरेटरीज लि० ३८-ए पप्पल स्ट्रीट मेरठ	2008-09 (सितम्बर 2010)	दवाएं	1,558.07	153.97	6.16
	योग	17			79,061.55	11,061.49	442.42

चूंकि इन निःशुल्क दवाइयों पर कर सहित अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित था निःशुल्क दवाइयों का थोक/खुदरा व्यापारियों का वितरण कर की परिधि से बाहर छिपाई गई

¹⁶⁴ उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम 2008 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की घनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए। स्वीकृत रूप में देय कर यदि व्यापारी द्वारा देय तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अंतिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक प्रतिमाह सवा प्रतिशत की दर से साधारण व्याज आकर्षित होता है।

¹⁶⁵ उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम की धारा 54(1)(2) के अन्तर्गत जहां पर व्यापारी ने अपने आवर्त का विवरण छिपाया हो या ऐसे आवर्त का असत्त विवरण जानबूझकर प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिया कर विवरण प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवर्गन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है तो क०नीप्रा० व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की घनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड का भुगतान करे।

बिक्री है, क्योंकि थोक/खुदरा व्यापारियों द्वारा दाखिल मासिक और वार्षिक कर विवरणी के अनुलग्नक 'क' में इसे नहीं दिखाया गया है।

उदाहरण के लिए हम उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 4 पर अंकित व्यापारी¹⁶⁶ का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसका कर निर्धारण ज्याऽक० (कार्पो०स०)-१ लखनऊ द्वारा किया गया था। उसने ₹ 13.52 करोड़ की निःशुल्क दवाइयां डिओक० खण्ड-९ लखनऊ में पंजीकृत अपने अनुवर्ती व्यापारी¹⁶⁷ को देना दिखाया है। इस अनुवर्ती व्यापारी ने अपने विवरणी में कुल ₹ 12.50 करोड़ का टर्नओवर दिखाया था जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ₹ 13.52 करोड़ की निःशुल्क दवाइयों को उसके खाते में नहीं लिया गया था।

31 मार्च 2010 और 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इंगित किये जाने के बावजूद विभाग ने ऐसे संव्यवहार पर वसूले गये और जमा कर को सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक तंत्र की स्थापना नहीं की। हमने देखा कि ज्याऽक० (कार्पो०स०)-१ लखनऊ के केवल एक मामले में क०नि०प्रा० द्वारा फ्री बोनस के रूप में दी गई दवाओं को अनुमन्य न करते हुए कर आरोपित किया गया था।

हमने दिसम्बर 2011 एवं अप्रैल 2013 के मध्य इस प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने अगस्त 2013 में बताया कि विक्रेता व्यापारियों द्वारा क्रेता व्यापारियों को फ्री बोनस के रूप में दी गयी दवाएं उ०प्र०व्या०क० अधिनियम एवं उ०प्र०म०स०क० अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत दी गयी परिभाषा के अनुसार बिक्री टर्नओवर विक्रय मूल्य की परिधि में नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक न्यायिक निर्णयों के अनुसार मात्रात्मक छूट और निःशुल्क दवाओं की आपूर्ति, बिक्री के अन्तर्गत नहीं आते। दवाइयों की आपूर्ति में मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त न होने के कारण ऐसे संव्यवहार पर कोई कर आरोपणीय नहीं था। ऐसे संव्यवहार पर वसूले गये और जमा कर को सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक तंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में हमारी उठायी गई आपत्ति के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया।

इन 17 व्यापारियों में से परवर्ती क्रेता व्यापारियों की कर निर्धारण प्रत्रावलियों¹⁶⁸ का प्रतिसत्यापन और जांच में हमने पाया कि 86 मामलों में परवर्ती क्रेता व्यापारियों ने अपने वैट विवरणी में अपने द्वारा प्राप्त निःशुल्क दवाओं की प्राप्ति को नहीं दिखाया। इस प्रकार उनके द्वारा प्राप्त की गई निःशुल्क दवाइयों की आगे की जांच संभव नहीं है।

हम संस्तुति करते हैं कि सरकार कमिश्नर वाणिज्य कर कर्नाटक¹⁶⁹ की तर्ज पर एक ऐसा तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकती है, जिससे ऐसे संव्यवहारों पर कर की वसूली एवं उनका जमा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

¹⁶⁶ मे० रैन्डैक्सी लैबोरेटरीज लि० गगन पैलेस बाग नं-२ कानपुर रोड, लखनऊ।

¹⁶⁷ मे० सोरे फार्मसिया प्र०लि० कानपुर रोड, लखनऊ।

¹⁶⁸ 22 वाओक० में।

¹⁶⁹ कर्नाटक में कमिश्नर वाणिज्य कर ने एक परिपत्र संख्या सी०ल०आर०सी०आर०/१४९/०५-०६ दिनांक 28 जून 2006 को निर्गत करते हुए स्पष्ट किया है किसी व्यापारी के मामले में जिसने अन्य दवाओं के साथ मुक्त नमूनों की दवाओं की आपूर्ति क्रेता व्यापारियों को की है ऐसे निर्माता/आयातक/थोक विक्रेता व्यापारी फुटकर व्यापारी को मुक्त दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान करने का विकल्प तुन सकता है, जिसका प्रतिफल के बदले बिक्री करने की अनुमति मिली हो। यद्यपि उन्होंने खुदरा व्यापारी से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया हो ऐसी आपूर्ति मुक्त नमूनों की आपूर्ति पर यदि कर प्रभारित किया गया हो, तो फुटकर व्यापारी इनपुट टैस क्रेडिट के लिए पात्र होगा।

2.23 केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति

के0बि0क0 अधिनियम की धारा 7 (3) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो दूसरे राज्य से कर की रियायती दर से माल खरीदने के लिए अभिप्रेत हो, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। पंजीयन प्राधिकारी आवेदनकर्ता का पंजीयन करेगा, एवं विहित प्रारूप में उसे पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। जिसमें उस वर्ग या वर्गों के माल को निविदिष्ट करेगा जो उसके द्वारा पुनः विक्रय के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस नियमित बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या दूरसंचार नेटवर्क या खनन में या बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के लिए उत्पादन या वितरण में उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित है। पुनर्श्च कमिश्नर वाणिज्य कर (क0वा0क0) ने सभी कर निर्धारण अधिकारियों को परिपत्र सं0-17 दिनांक 4 दिसम्बर 1992 द्वारा यह निर्देशित किया था कि निर्माताओं/व्यापारियों को भवन निर्माण के लिए सीमेंट एवं अन्य भवन निर्माण सामग्रियों की फार्म 'सी' से खरीद की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।

विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण में प्रयोग नहीं होता है। एवं 2008-09 के दौरान ₹ 61.93 लाख के सीमेंट एवं बैटरी की खरीद पर के0बि0क0 की रियायती दर (2008-09 में 31 मई 2008 तक एवं 2007-08 के लिए तीन प्रतिशत) का दावा किया।

चूंकि व्यापारी का व्यापार विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण का था और उक्त के उत्पादन के लिए सीमेंट एवं बैटरी कच्चा माल/प्रसंस्करण सामग्री नहीं है। निर्माताओं के लिए फार्म 'सी' की सुविधा सिर्फ उन माल को क्रय करने के लिए है जिनका उपयोग उस माल के विनिर्माण व प्रसंस्करण में किया जाय जो बेचने के उद्देश्य से हो। क0नि0प्रा0 द्वारा के0प0प्र0प0 में सीमेंट की खरीद के लिए अधिकृत किया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होने के साथ ही साथ कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेशों के विरुद्ध भी था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2012 में वर्ष 2008-09 के लिए क0नि0आ0 पारित करते समय इस त्रुटि को संज्ञान में नहीं लिया। क0नि0प्रा0 की इस त्रुटि के परिणामस्वरूप व्यापारी को ₹ 5.78 लाख का अनुचित लाभ मिला।

हमने प्रकरण को नवम्बर 2012 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्ति को सीमेंट के मामले में स्वीकार किया (अगस्त 2013) लेकिन बैटरी की खरीद के सम्बन्ध में बताया कि इसका प्रयोग जनरेटर में किया जाता है जो कि प्लाण्ट एवं मशीनरी का अभिन्न अंग है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि इस थर्मल पावर प्लाण्ट के व्यापारी के के0प0प्र0प0 के साथ संलग्न सूची में बैटरी को प्लाण्ट एवं मशीनरी के भाग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

हमने सोनभद्र स्थित ज्वाइण्ट कमिश्नर (का०प०स०) वा०क० जॉन-II वाराणसी के अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2012) के दौरान देखा कि एक व्यापारी¹⁷⁰ को मार्च 1985 (संशोधित मार्च 1998)में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण के लिए प्रयुक्त माल की खरीद हेतु केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र (के0प0प्र0प0) प्रदान किया गया था। के0प0प्र0प0 में सीमेंट और बैटरी की खरीद भी शामिल थी जिसका

¹⁷⁰ मे० केन्द्रीय वित्तीय लेखा और बजट संगठन, एन०टी०पी०सी० अनपरा सोनभद्र।

2.24 आदेश के बावजूद इनपुट टैक्स क्रेडिट का सत्यापन न किया जाना

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा-13 में व्यापारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने एवं देय कर के विरुद्ध इसका समायोजन करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करती हैं। कमिशनर वाणिज्य कर उ0प्र0 में भी राजस्व के व्यापक हित में अक्टूबर 2008 एवं सितम्बर 2009 के द्वारा आई0टी0सी0 के सत्यापन तथा इसका डाटाबेस रखने के सम्बन्ध में क0नि0प्रा0 को निर्देश जारी किये थे। सभी डिप्टी कमिशनर के लिए आवश्यक है कि सर्वाधिक आई0टी0सी0 का दावा करने वाले 20 बड़े व्यापारियों की अनुलग्नक-'क' (क्रय सूची) का अनुलग्नक-'ख' (विक्रय सूची) से शतप्रतिशत सत्यापन कर लिया गया है एवं उपरोक्त विवरणों की वाह्य एजेन्सी अथवा विभागीय कर्मचारियों द्वारा प्रविष्टि कराकर एक डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त यादृच्छिक सांख्यकीय विधि से आच्छादित मामलों का शतप्रतिशत जांच एवं सत्यापन किया जाना था।

वाणिज्य कर विभाग ने विभाग की दक्षता में वृद्धि करने के लिए वेब आधारित सिटीजन सेन्ट्रिक सर्विसेज की उपलब्धता कराने हेतु कम्प्यूटरीकृत परियोजना पर ₹ 45 करोड़ का व्यय किया। विभाग से सम्बन्धित सभी सूचनाएं वेबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू कामटैक्स यू0पी0 एन0आई0सी0) पर जनसाधारण के लिए एवं व्यास (वाणिज्य कर आटोमेशन सिस्टम) पर विभागीय उपयोग के लिए उपलब्ध है। अवधि 2007-08¹⁷¹ से 2010-11

के लिए नमूना जांच (2012-13) के दौरान हमने देखा कि:

- क0नि0प्रा0 ने बिना आई0टी0सी0 के दावों के सत्यापन का प्रयास किये ही 38¹⁷² वा0क0का0 के 122 व्यापारियों के लिए ₹ 13.07 करोड़ के आई0टी0सी0 का समायोजन उनके देयकर के विरुद्ध करते हुए क0नि0आ0 पारित कर दिया।
- क0नि0प्रा0 ने 39¹⁷³ वा0क0क0 के से सम्बन्धित 122 व्यापारियों के लिए ₹ 23.33 करोड़ के आई0टी0सी0 का समायोजन उनके देयकर के विरुद्ध करते हुए क0नि0आ0 पारित कर दिया, परन्तु सत्यापन के लिए दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

क0नि0प्रा0 ने ₹ 36.40 करोड़ के आई0टी0सी0 के समायोजन सम्बन्धी आदेश बिना इनका सत्यापन किये ही पारित कर दिया।

हमारे द्वारा प्रकरण को मई 2012 और जनवरी 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने बताया कि (अगस्त 2013) में बताया कि विवरणियों

¹⁷¹ 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008 तक।

¹⁷² डि�0क0 खण्ड-7 इलाहाबाद, डि�0क0 खण्ड-12 आगरा, डि�0क0 खण्ड-2 अमरोहा, डि�0क0 खण्ड-1 औरेया, डि�0क0 खण्ड-1 बस्ती, डि�0क0 खण्ड-1 चन्दौली, डि�0क0 खण्ड-2 चन्दौली, डि�0क0 खण्ड-1 देवरिया, डि�0क0 खण्ड-1 धामपुर, डि�0क0 खण्ड-1 फतेहगढ़, डि�0क0 खण्ड-4 फिरोजाबाद, डि�0क0 खण्ड-6 गाजियाबाद, डि�0क0 खण्ड-7 गाजियाबाद, डि�0क0 खण्ड-8 गाजियाबाद, डि�0क0 खण्ड-2 लखनऊ, डि�0क0 खण्ड-8 लखनऊ, डि�0क0 खण्ड-10 लखनऊ, डि�0क0 खण्ड-13 लखनऊ, डि�0क0 महोबा, डि�0क0 खण्ड-4 लखनऊ, डि�0क0 खण्ड-12 मुरादाबाद, डि�0क0 खण्ड-3 औराई, डि�0क0 खण्ड-8 वाराणसी एवं डि�0क0 खण्ड-10 वाराणसी; असि0क0 खण्ड-12 इलाहाबाद, असि0क0 खण्ड-1 अलीगढ़, असि0क0-5 बरेली, असि0क0 खण्ड-1 चन्दौली, असि0क0 खण्ड-1 छत्रपति साहजीमहाराजन नगर, असि0क0 खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, असि0क0 खण्ड-6 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-7 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-10 कानपुर, असि0क0 खण्ड-4 लखनऊ एवं असि0क0 खण्ड-20 लखनऊ।

¹⁷³ ज्या0क0 (कार्पोसो)-2 वाराणसी, डि�0क0 खण्ड-22 आगरा, डि�0क0 खण्ड-1 चन्दौली, डि�0क0 खण्ड-2 चन्दौली, डि�0क0 खण्ड-1 धामपुर, डि�0क0 खण्ड-2 इटावा, डि�0क0 खण्ड-4 फैजाबाद, डि�0क0 खण्ड-1 फतेहगढ़, डि�0क0 खण्ड-4 फिरोजाबाद, डि�0क0 खण्ड-6 गाजियाबाद, डि�0क0 खण्ड-12 गोरखपुर, डि�0क0 खण्ड-4 गोणडा, डि�0क0 खण्ड-15 कानपुर, डि�0क0 खण्ड-21 कानपुर, डि�0क0 खण्ड-24 कानपुर, डि�0क0 खण्ड-25 कानपुर, डि�0क0 खण्ड-2 लखनऊ, डि�0क0 खण्ड-8 लखनऊ, डि�0क0 खण्ड-10 लखनऊ, डि�0क0 खण्ड-11 लखनऊ, डि�0क0 खण्ड-12 लखनऊ, डि�0क0 खण्ड-22 लखनऊ, डि�0क0 खण्ड-9 मेरठ, डि�0क0 खण्ड-3 औराई, डि�0क0 खण्ड-5 सहारनपुर, डि�0क0 खण्ड-1 उन्नाप, डि�0क0 खण्ड-15 वाराणसी; असि0क0 खण्ड-18 आगरा, असि0क0 खण्ड-19 आगरा, असि0क0 खण्ड-1 अलीगढ़, असि0क0 खण्ड-5 बरेली, असि0क0 खण्ड-2 बदायूँ असि0क0 खण्ड-12 गोरखपुर, असि0क0 खण्ड-22 कानपुर, असि0क0 खण्ड-1 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-2 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-4 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-22 लखनऊ एवं असि0क0 खण्ड-10 मेरठ।

की अत्यधिक मात्रा होने, अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओं एवं निधि की कमी एवं अन्य कठिनाइयों के कारण आई0टी0सी0 के दावों के प्रतिसत्यापन की कार्यवाही बाँचित तरीके से नहीं की जा सकी। यद्यपि विभाग यादृच्छिक संख्याओं के आधार पर आई0टी0सी0 के दावों का प्रतिसत्यापन कर रहा है और कई मामलों में गलत/मिथ्या आई0टी0सी0 के दावे प्रकाश में आये हैं।

2.25 कपड़े की बिक्री पर कर के प्रावधान का न होना

1957 के केन्द्रीय अधिनियम 58 कुछ वस्तुएँ जैसे चीनी, तम्बाकू कारखाना निर्मित कपड़ा आदि पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिए लागू किया गया। राज्य अपना अंश ऐसे संग्रहीत शुल्क से प्राप्त करते हैं और इस लिए वे इस पर बिक्री कर नहीं आरोपित करते हैं।

विज्ञप्ति संख्या 11/2006 केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 1 मार्च 2006 के द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएँ) अधिनियम, 1957 वापस ले लिया गया विज्ञप्ति संख्या के0ए0 एन0आई0—993/XI—9 (94)/07—ज0प्र0 अधिनियम—15—48—आदेश—(04)—2007 लखनऊ दिनांक 30 मई 2007 के अनुसार सभी प्रकार के अनिर्मित तम्बाकू तम्बाकू के अवशिष्ट आदि पर उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अंतर्गत 32.5 प्रतिशत की दर से एवं बाद में उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत चार प्रतिशत की दर से कर योग्य बनाया गया कर योग्य बनाया गया।

कपड़े की खरीद/बिक्री पर उ0प्र0व्या0क0/मू0सं0क0 आरोपित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया जबकि सरकार को कर आरोपित करने के लिए अधिकृत किया गया है परन्तु आज तक ऐसी कोई विज्ञप्ति निर्गत नहीं की गयी।

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त करने के कारण विभाग राजस्व कर सकती थी। यदि राज्य के इस प्रकार के सभी व्यापारियों के लिए आगणित किया जाता तो यह बहुत अधिक होता। यह स्पष्ट है कि 1 मार्च 2006 से कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त किये जाने के बाद से राज्य के विभाज्य राजस्व में कमी आयी है और सरकार को कारखाना निर्मित कपड़े की बिक्री पर कर लगाने पर विचार करना चाहिए।

हमारे द्वारा फरवरी 2013 में मामले को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया; विभाग ने अगस्त 2013 में उत्तर दिया कि किसी वस्तु पर कर की दर एवं कर देयता तय करने का राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। अनेक अनुस्मारकों के भेजे जाने के बाद भी शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

हम संस्तुति करते हैं कि अन्य राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं तमिलनाडु के समान सरकार भी कपड़े की बिक्री पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त करने के आलोक में उस पर कर आरोपित कर सकती है।

विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वापस लेने के पश्चात कारखाना निर्मित कपड़ों की बिक्री/खरीद पर उ0प्र0व्या0क0/मू0सं0क0 के अनारोपण के प्रभाव का हमने परीक्षण किया। हमने 13 वाणिज्य कर कार्यालयों¹⁷⁴ के कपड़ों के 27 व्यापारियों के वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक से सम्बन्धित क0नि0आ0 की जांच (अप्रैल 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य) किया एवं पाया कि ₹ 369.73 करोड़ के कपड़ों की बिक्री के कारोबार पर शासन द्वारा कोई मू0सं0क0 (वैट) आरोपित नहीं किया गया। मात्र इन 27 व्यापारियों के मामलों में 4 प्रतिशत की दर से कर लगाये जाने पर ₹ 14.79 करोड़ की वसूली होती, जो उक्त पर

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त करने के कारण विभाग राजस्व में हुई कमी को पूरा कर सकती थी। यदि राज्य के इस प्रकार के सभी व्यापारियों के लिए आगणित किया जाता तो यह बहुत अधिक होता। यह स्पष्ट है कि 1 मार्च 2006 से कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त किये जाने के बाद से राज्य के विभाज्य राजस्व में कमी आयी है और सरकार को कारखाना निर्मित कपड़े की बिक्री पर कर लगाने पर विचार करना चाहिए।

¹⁷⁴ डिको 11 आगरा, डिको 12 गाजियाबाद, डिको 2 कानपुर, असिको 6 लखनऊ, असिको 10 लखनऊ, वाको30 खण्ड-8 सरथना मंडल, असिको 8 सरथना मंडल, असिको 4 नोएडा, डिको 4 खण्ड-2 नोएडा, एवं असिको 2 नोएडा।

कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में क्या मुख्यांकित किया

इस अध्याय में हमने “नई आबकारी नीति और उसका राजस्व पर प्रभाव” पर एक प्रस्तर और उससे सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन, शास्ति का अनारोपण, विदेशी मदिरा की दुकानों के लाइसेंस फीस का कम आरोपण, ब्याज का कम आरोपण, अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित ₹ 192 करोड़ के निदर्शी मामले दर्शाये हैं।

कर संग्रह में अधिकता / कमी

राज्य आबकारी विभाग की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2012–13 में ₹ 9782.49 करोड़ थी, जिसमें गतवर्ष की तुलना में 20.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु यह बजट अनुमान से ₹ 285.79 करोड़ कम थी, जो (-)2.84 प्रतिशत है।

आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा / आन्तरिक नियन्त्रण

वर्ष 2012–13 के दौरान विभाग द्वारा 140 इकाईयों की लेखापरीक्षा चिह्नित की गयी जबकि केवल 119 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य आबकारी प्राप्तियों के 148 इकाईयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जॉच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 238.03 करोड़ के 317 मामले प्रकाश में आये, जो शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन, शास्ति का अनारोपण, विदेशी मदिरा के दुकानों के लाइसेंस फीस का कम आरोपण, ब्याज का कम आरोपण और अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित हैं।

विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 34 मामलों में ₹ 6.55 लाख स्वीकार एवं वसूल किये, जिसमें से ₹ 2.00 लाख के पांच मामले वर्ष 2012–13 के दौरान तथा शेष विगत वर्षों में इंगित किये गये थे।

हमारा निष्कर्ष

विभाग को आन्तरिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने सहित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है जिससे तन्त्र की कमियां पता लगे और हमारे द्वारा पकड़ी गई प्रवृत्तियों को भविष्य में टाला जा सके।

हमारे द्वारा इंगित किये गये वसूली न होने, कर के कम आरोपण, अर्थदण्ड आदि के विशेषतः उन मामलों में जहाँ विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकारा है, की वसूली के लिये भी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

अध्याय-III

राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर, अन्य मादक द्रव्यों जैसे चरस, भाँग एवं गांजा इत्यादि पर फीस आरोपित या आदेशित सम्पहरण उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0आ0अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत की जाती है। ये नियम मदिरा तथा अन्य मादक द्रव्यों की अवैध खरीद-बिक्री, अल्कोहल के आयात-निर्यात तथा उसके विधिविरुद्ध उत्पादन पर नियंत्रण करते हुए विभाग में राजस्व के रिसाव पर प्रबल नियंत्रण रखने हेतु बनाये गये हैं।

आसवनियों में अल्कोहल का उत्पादन मुख्यतः चीनी निर्माण के दौरान सहउत्पाद के रूप में प्राप्त शीरे से होता है। अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा (दे0म0) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) जैसे व्हिस्की, ब्राण्डी, रम एवं जिन निर्मित की जाती है। आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर आबकारी राजस्व का प्रमुख भाग होता है। आसवनी से मानव उपभोग हेतु मदिरा का निर्गम या तो बन्ध-पत्र के अधीन बिना आबकारी अभिकर के या निर्धारित दर पर उसके अग्रिम भुगतान पर होता है। आबकारी अभिकर के अलावा लाइसेन्स फीस भी आबकारी राजस्व का भाग होता है। जिला अधिकारी (जि0आ0), जिला आबकारी अधिकारी (जि0आ0आ0) की सहायता से, जिले में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन के लिए उत्तरदायी है।

3.2 प्राप्तियों का रुझान

राज्य आबकारी से वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल कर प्राप्तियों को सारणी क्रमांक 3.1 में दर्शाया गया है :

सारणी क्रमांक 3.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियों	अन्तर आधिक्य (+) कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों से प्रतिशत
2008-09	5,040.00	4,720.01	(-) 319.99	(-) 6.35	28,658.97	16.47
2009-10	5,176.45	5,666.06	(+) 489.61	9.46	33,877.60	16.73
2010-11	6,763.23	6,723.49	(-) 39.74	(-) 0.59	41,355.00	16.26
2011-12	8,124.08	8,139.20	(+) 15.12	0.19	52,613.43	15.47
2012-13	10068.28	9782.49	(-) 285.79	(-) 2.84	58098.36	16.84

स्रोत: उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखे।

राज्य आबकारी विभाग की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2012–13 में ₹ 9,782.49 करोड़ थी जिसमें गतवर्ष की तुलना में 20.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु यह बजट अनुमान से ₹ 285.79 करोड़ कम थी, जो (–) 2.84 प्रतिशत है।

3.3 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व बकाया ₹ 54.06 करोड़ था जिसमें से ₹ 48.51 करोड़ पॉच वर्ष से अधिक पुराने थे। वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में राजस्व बकाये की स्थिति सारणी क्रमांक 3.2 में वर्णित हैं:

सारणी क्रमांक 3.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाये का प्रारंभिक अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि	बकाये का अन्तिम अवशेष
2008-09	61.39	0.59	0.03	61.95
2009-10	61.95	1.35	0.07	63.23
2010-11	63.23	0.45	6.96	56.72
2011-12	56.72	0.03	1.93	54.82
2012-13	54.82	0.02	0.78	54.06

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

हम संस्तुति करते हैं कि बकाये की शीघ्र वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाने के लिए विचार करें।

3.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के लिये सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण सारणी क्रमांक 3.3 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 3.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष की संग्रह लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2010-11	6,723.49	95.72	1.42	3.64
2011-12	8,139.20	101.26	1.24	3.05
2012-13	9,782.49	116.88	1.19	2.98

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

हमने पाया कि राज्य आबकारी विभाग की संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से काफी कम है।

3.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह संगठन को विश्वस्त बनाता है कि निर्धारित प्रणालियां तक्रसंगत तरीके से कार्य कर रही हैं।

विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में एक वित्त नियन्त्रक, एक वरिष्ठ वित्त लेखाधिकारी, एक वित्त लेखाधिकारी, दो सहायक लेखाधिकारी, छ: वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं छ: लेखा परीक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष एक वरिष्ठ वित्त लेखाधिकारी, एक वित्त लेखाधिकारी, दो सहायक लेखाधिकारी, दो वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं तीन लेखा परीक्षक ही कार्यरत हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु कुल 140 इकाईयों योजित थीं, किन्तु आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा केवल 119 इकाईयों की ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई। उठाये गये निरीक्षण टीप की संख्या, उसमें निहित धनराशि, उसके अनुपालन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिसम्बर 2013 तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

3.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

3.6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान, हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 1360.37 करोड़ की कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के मामले दर्शाये

गये। विभाग द्वारा ₹ 8.53 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की गयी, जिसमें से मार्च 2013 तक ₹ 4.83 करोड़ की वसूली की गयी, विवरण सारणी क्रमांक 3.4 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 3.4

क्रम सं०	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तरों में शामिल धनराशि	स्वीकार किये गये प्रस्तरों की धनराशि	(₹ करोड में)	
				वर्ष के दौरान वसूल की गई धनराशि	
1	2007-08	1.26	0.76	0.26	
2	2008-09	1,344.56	4.24	3.93	
3	2009-10	1.44	0	0	
4	2010-11	1.03	3.04	0.52	
5	2011-12	12.08	0.49	0.12	
	योग	1,360.37	8.53	4.83	

उपरोक्त सारणी क्रमांक का विश्लेषण यह दर्शाता है कि स्वीकार किये गये प्रस्तरों और उनकी धनराशि की प्रतिशतता बहुत कम है। वसूली की धनराशि स्वीकार किये गये प्रस्तरों की धनराशि के सापेक्ष 57 प्रतिशत है।

3.6.2 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

2007-08 से 2011-12 के दौरान हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, अवनिर्धारण/राजस्व हानि, अनियमित छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 1240 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 1786.46 करोड़ का राजस्व निहित था। विभाग/शासन ने इनमें से 108 मामलों में शामिल ₹ 2.65 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की एवं इसकी वसूली की गई। विवरण सारणी क्रमांक 3.5 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 3.5

वर्ष	लेखा परीक्षा इकाईयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकार की गई धनराशि		वसूल की गई धनराशि		
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	
2007-08	82	93	18.80	12	0.06	12	0.06	
2008-09	118	189	1,372.36	9	0.20	9	0.20	
2009-10	119	140	66.93	20	0.95	20	0.95	
2010-11	190	435	231.03	46	1.33	46	1.33	
2011-12	200	383	97.34	21	0.11	21	0.11	
	योग	709	1240	1,786.46	108	2.65	108	2.65

उपर्युक्त सारणी क्रमांक का विश्लेषण करने पर देखा गया कि स्वीकार किये गये प्रस्तरों के धनराशि की प्रतिशतता काफी कम है। जबकि, स्वीकार किये गये प्रस्तरों के सम्बन्ध में वसूली की राशि शत प्रतिशत है।

3.6.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13)

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य आबकारी प्राप्तियों के 148 इकाईयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिताओं के ₹ 238.03 करोड़ के 317 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत सारणी क्रमांक 3.6 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 3.6

क्रम संख्या	श्रेणियां	मामलों की संख्या	(₹ करोड़ में)
			धनराशि
1.	नई आबकारी नीति एवं उसका राजस्व पर प्रभाव	1	188.80
2.	शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	10	24.60
3.	देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान न किया जाना	04	3.00
4.	लाइसेंस फीस का अनारोपण / कम आरोपण	101	11.75
5.	ब्याज का अनारोपण	07	0.25
6.	अन्य अनियमितताएं	194	9.63
	योग	317	238.03

वर्ष 2012–13 के दौरान, विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 34 मामलों में ₹ 6.55 लाख स्वीकार एवं वसूल किये, जिसमें से ₹ 2.00 लाख के पाँच मामले वर्ष 2012–13 के दौरान तथा शेष विगत वर्षों में इंगित किये गये थे।

प्रस्तर “नई आबकारी नीति एवं उसका राजस्व पर प्रभाव” और कुछ अन्य निर्दर्शी मामले जिनमें ₹ 192 करोड़ की धनराशि सन्निहित हैं, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

3.7 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

राज्य आबकारी विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में अल्कोहल का कम उत्पादन, अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण आदि के मामले प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

3.8 नई आबकारी नीति एवं उसका राजस्व पर प्रभाव

3.8.1 प्रस्तावना

राज्य आबकारी विभाग राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व प्राप्त करने वाला विभाग है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964 और नियमावलियों के अन्तर्गत और नई आबकारी नीति 2001 यथा संशोधित¹, द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को फीस के आरोपण और अल्कोहल के उत्पादन, स्वामित्व, परिवहन, विक्रय व क्रय पर आबकारी अभिकर के आरोपण की शक्ति प्रदान करते हैं।

आबकारी नीति के रूप में दिनांक 01 अप्रैल 2001 को प्रख्यापित “नई आबकारी नीति” ने नये शराब उद्यमियों के प्रवेश द्वारा शराब सिंडीकेट का एकाधिकार सीमित/समाप्त करने का उद्देश्य है। नीति की मुख्य विशेषता दुकानों का आबंटन नीलामी अथवा टेण्डर के स्थान पर सार्वजनिक लाटरी द्वारा किया जाना था। नीति यह भी सुनिश्चित करती है कि समुचित मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता की मदिरा उपभोक्ताओं को सुलभ हो। उपभोग आधारित आबकारी शुल्क के आरोपण से नई आबकारी नीति बनाई गयी जिसमें:

- मदिरा के अधिकतम थोक मूल्य (एम०डब्ल०पी०) व अधिकतम फुटकर मूल्य (एम० आर०पी०) का निर्धारण और मदिरा के थोक व फुटकर अनुज्ञापियों का लाभांश सीमित किया गया।
- मदिरा दुकानों के लिए लाइसेंसों के जारी करने की प्रक्रिया को सरल किया, और लाइसेंस फीस का निर्धारण किया गया।
- विभिन्न प्रकार की मदिरा पर आबकारी अभिकर की देयता निर्धारित करी गयी।
- उपभोक्ताओं को मानक मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और आबकारी राजस्व की चोरी रोकने हेतु होलोग्राम का लगाया जाना अनिवार्य किया गया।
- माडल शाप्स स्थापित करी गयी।

3.8.2 संगठनात्मक ढाँचा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, राज्य आबकारी, प्रशासनिक प्रमुख है। राज्य आबकारी विभाग का सम्पूर्ण नियन्त्रण व उत्तरदायित्व राज्य आबकारी आयुक्त (आ०आ०), उत्तर प्रदेश, मुख्यालय इलाहाबाद का है, जिनका सहयोग मुख्यालय स्तर पर दो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, तीन संयुक्त आबकारी आयुक्त, 10 उप आबकारी आयुक्त और छ: सहायक आबकारी आयुक्त करते हैं। वित्तीय मामलों में, आबकारी आयुक्त का सहयोग वित्त अधिकारी एवं मुख्य लेखा अधिकारी करते हैं। आबकारी आयुक्त पर आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के माध्यम से विभिन्न इकाईयों पर निगरानी रखने का भी उत्तरदायित्व है। प्रभावी प्रशासन के उद्देश्य से प्रदेश को पाँच जोन एवं 18 प्रभारों में

¹ दिनांक 10 जनवरी 2007, 04 मार्च 2008, 11 फरवरी 2009, 26 फरवरी 2010 और 12 मार्च 2011।

विभक्त किया गया हैं, जिसमें से प्रत्येक संयुक्त आबकारी आयुक्त और उप आबकारी आयुक्त के प्रभार में हैं, जिनका सहयोग प्रत्येक जनपद में एक सहायक आबकारी आयुक्त करते हैं। आबकारी प्राप्तियों के मामले में जनपद में जिला अधिकारी आबकारी प्रशासन का प्रमुख है।

3.8.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी कि:

- विभाग में आबकारी अभिकर और लाइसेंस फीस इत्यादि के आरोपण एवं वसूली की समुचित एवं पर्याप्त प्रक्रिया विद्यमान है, और ये शासकीय खाते में जमा किये जा रहे हैं,
- नई आबकारी नीति के प्रावधानों को समुचित और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है,
- विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण अस्तित्व में है, और यह समुचित और प्रभावी है।

3.8.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निम्नलिखित अधिनियमों, नियमावलियों और आदेशों के परिप्रेक्ष्य में नई आबकारी नीति एवं उसका राजस्व पर प्रभाव सम्बन्धी लेखापरीक्षा सम्पन्न की गईः

- (i) संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910,
- (ii) उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964,
- (iii) उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण नियमावली, 1974,
- (iv) नई आबकारी नीति, समय—समय पर यथा संशोधित,
- (v) शासकीय/विभागीय आदेशों/परिपत्रों और अधिनियमों² इत्यादि,

विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख सम्बन्धित प्रस्तरों में किया गया है।

3.8.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

इस लेखापरीक्षा हेतु हमने इकाईयों को अत्यधिक, मध्यम एवं लघु जोखिम क्षेत्र³ के रूप में विभाजन जिला आबकारी कार्यालयों द्वारा 2007–08 से 2011–12 की अवधि में राजस्व अर्जन के आधार पर किया। हमने अभिलेखों की जांच 14 जिला⁴ कार्यालयों का चुनाव अत्यधिक जोखिम, 27 जिलों में से सात जिला⁵ कार्यालयों का चुनाव मध्यम जोखिम और शेष 30 जिलों में से तीन जिला⁶ कार्यालयों का चुनाव लघु जोखिम क्षेत्र के रूप में किया। इकाईयों का मध्यम एवं लघु जोखिम वर्ग में चयन यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया। आबकारी आयुक्त के अभिलेखों की जांच की गयी, किन्तु शासन के अभिलेख⁷ अनेक प्रयासों के पश्चात् भी हमें उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखापरीक्षा अवधि सितम्बर 2012 से अप्रैल 2013 के दौरान सम्पन्न की गई।

² भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908, और उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997।

³ अत्यधिक जोखिम : जहाँ वार्षिक राजस्व प्राप्ति ₹ 100 करोड़ है।

मध्यम जोखिम : जहाँ वार्षिक राजस्व प्राप्ति ₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 100 करोड़ से कम है।

लघु जोखिम : जहाँ वार्षिक राजस्व प्राप्ति ₹ 10 करोड़ से कम है।

⁴ अलीगढ़, बरेली, जी०बी० नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, खीरी, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर और उन्नाव।

⁵ इलाहाबाद, बिजनौर, फिरोजाबाद, जौनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद और वाराणसी।

⁶ बदायूँ बागपत और कौशाम्बी।

⁷ वर्ष 2007–08 से 2012–13 के लिए नीति से सम्बन्धित पत्रावलियाँ।

दिनांक 20 नवम्बर 2012 को आबकारी आयुक्त के साथ प्रारम्भिक विचारगोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें इस लेखापरीक्षा के उद्देश्य पर चर्चा की गई थी और समापन विचार गोष्ठी 31 जुलाई 2013 को आयोजित की गई थी जिसमें प्रमुख सचिव/आबकारी आयुक्त और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल थे। हमारे प्रेक्षणों के प्रति विभाग/सरकार की प्रतिक्रिया को समुचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

3.8.6 अभिस्वीकृति

हम आबकारी आयुक्त (आ०आ०) द्वारा सूचना तथा लेखापरीक्षा हेतु अभिलेखों को प्रदान करने के लिए दिये गये सहयोग हेतु आभार व्यक्त करते हैं।

लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ

3.8.7 देशी मंदिरा का मूल्य निर्धारण

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 41 व उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मंदिरा की थोक बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 का नियम 13 प्रावधानित करता है कि आबकारी आयुक्त राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से देशी मंदिरा का तीव्रतावार (25 प्रतिशत, 36 प्रतिशत और 42.8 प्रतिशत वी/वी) मूल्य या मात्रा जिससे अधिक या कम पर किसी मादक पदार्थ की बिक्री या आपूर्ति न हो, निर्धारित करे।

आबकारी आयुक्त देशी मंदिरा के अधिकतम थोक एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य निर्धारण हेतु समिति^८ गठित करते हैं। मूल्य निर्धारण समिति निम्नलिखित को शामिल करते हुए अधिकतम थोक मूल्य एवं अधिकतम फुटकर मूल्य तय करते हैं:

- शीरे^९ का मूल्य तय करना,
- शीरे को अल्कोहल एवं ई एन ए में बदलने की लागत,
- जोड़ना : अल्कोहल के अपमिश्रण पर छीजन एवं श्रम लागत,
 - कैरेमलाइजेशन एवं एसेन्स लागत,
 - बोतल, लेबुल, कैप्सूल और पैकेजिंग लागत,
 - आसवनी से थोक गोदाम तक परिवहन लागत,
 - थोक अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का अधिभार एवं गोदाम व्यय,
 - होलोग्राम लगाने की लागत,
 - फुटकर बिक्रेता की बेसिक लाइसेंस फीस का अधिभार,
 - फुटकर बिक्रेता के व्यय एवं लाभ,

देशी मंदिरा के अधिकतम थोक मूल्य और अधिकतम फुटकर मूल्य प्राप्त करने हेतु।

चूंकि आबकारी अभिकर के आरोपण हेतु मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अतः हमने इस बात का परीक्षण करा कि मूल्य निर्धारण को शासन को भेजने के पूर्व मूल्य निर्धारण हेतु मूल्य निर्धारण समिति/विभाग द्वारा क्या सुनिश्चितता (डियू डिलिजेन्स) करी गयी। हमारे निष्कर्ष का विवरण निम्नलिखित उप-प्रस्तराओं में वर्णित है:

^८ इस समिति के सदस्य अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन), उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग), उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन), वित्त नियन्त्रक, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी और वरिष्ठ सांचिकी अधिकारी हैं।

^९ इसमें शीरा की लागत सहित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान, प्रशासनिक प्रभार और इसके परिवहन की लागत शामिल हैं।

3.8.7.1 देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य निर्धारण करते समय पूर्णांकन (राउण्डिंग आफ) में एकरूपता न होना

विदेशी मदिरा की दर सूची के अनुसार विदेशी मदिरा के अधिकतम मूल्य को पूर्णांकित करते हुए ₹ 5 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित कर अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में आबकारी राजस्व में समाहित किया जायगा। देशी मदिरा के मामलों में यह पूर्णांकित धनराशि सरकारी खाते में अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में नहीं जमा की जाती हैं। देशी मदिरा के मूल्य निर्धारण समिति ने अपने संस्तुति में वर्ष 2007–08 के लिए ₹ 15 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी), वर्ष 2008–09 से 2010–11 के लिए ₹ 20 और वर्ष 2011–12 से 2012–13 के लिए ₹ 21.50 की दर से फुटकर विक्रेता के व्यय व लाभांश निश्चित किये थे, और इसे देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य की गणना में शामिल किया था।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य की गणना में पूर्व आसवनी मूल्य में आबकारी राजस्व को जोड़ते हैं तत्पश्चात् योग के लिए फुटकर विक्रेता का लाभांश जोड़ते हैं। इसी योग को ₹ 5 के गुणांक में पूर्णांकित (राउण्ड आफ) करते हैं और इसको आबकारी राजस्व में अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में शामिल करा जाता है।

आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश और 18

आसवनियों¹⁰ के अभिलेखों¹¹ की अप्रैल 2007 से मार्च 2013 की अवधि की जांच में पाया गया कि देशी मदिरा की अधिकतम फुटकर मूल्य के निर्धारण में समान प्रक्रिया अपनायी गयी। लेकिन पूर्णांकित धनराशि को सरकारी खाते में अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में नहीं जमा किया गया, तथा इस पूर्णांकित धनराशि को आदर्श फुटकर लाभ (आपटिमम रीटेलर मार्जिन) में जोड़कर फुटकर विक्रेता का लाभ बढ़ाया गया। देशी मदिरा के मूल्य निर्धारण में इस पूर्णांकित धनराशि के भेदकारी व्यवहार से अतिरिक्त प्रतिफल फीस ₹ 481.20 करोड़ का राजस्व सरकार को अप्राप्त था, और यह धनराशि देशी मदिरा के फुटकर विक्रेता को दिया गया। विवरण परिशिष्ट-V में दर्शाया गया है। हमने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013)। शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2013) कि मूल्य निर्धारण समिति के विचार से पूर्णांकित धनराशि को परम्परागत रूप से फुटकर विक्रेताओं को दिया जाता है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि फुटकर विक्रेताओं को समिति के निर्धारित लाभांश से अधिक¹² लाभ दिये जाने के कारण, नीति का लाभांश को सीमित करने का उद्देश्य विफल रहा। पूर्णांकित धनराशि को समिति द्वारा निर्धारित किये गये लाभांश में जोड़ने से लाभांश बढ़ जाता है जिससे राजकोष को क्षति हुई।

हम संस्तुति करते हैं कि देशी मदिरा के पूर्णांकित धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में सरकारी राजस्व में जमा किया जाय जैसा कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा के मामलों में किया जाता है।

¹⁰ वेब आसवनी (अलीगढ़), केसर इण्टर प्राइजेज, सुपीरियर आसवनी (बरेली), सिम्मावली आसवनी, मोदी आसवनी (गाजियाबाद), लाईस आसवनी (गाजीपुर), सरैया आसवनी, आई जी एल आसवनी (गोरखपुर), पलिया आसवनी (लखीमपुर खीरी), दौराला आसवनी (भेरड), एन आई सी एल आसवनी (मुरादाबाद), शामली आसवनी, सर शालीलाल आसवनी (मुजफ्फर नगर), रामपुर आसवनी (रामपुर), पिलखनी आसवनी, शाकुम्हरी आसवनी, को आपरेटिव आसवनी टपरी (सहारनपुर) और उन्नाव आसवनी (उन्नाव)।

¹¹ मूल्य निर्धारण सूची, विक्रय विवरणियां और आबकारी नीति इत्यादि।

¹² उदाहरण : वर्ष 2010–11 के लिए कुल बिक्रीत बोतलों (750 एम एल की 36 प्रतिशत वी/वी) की संख्या = 3978180 आदर्श फुटकर मूल्य = अधिकतम थोक मूल्य. फुटकर बिक्रेता के ३००००००० का अधिभार. फुटकर बिक्रेता का व्यय व लाभ = (123.61 + 15.75 + 15) = ₹ 154.36

जबकि अधिकतम फुटकर मूल्य ₹ 158 निर्धारित था।

अधिकतम फुटकर मूल्य – आदर्श फुटकर मूल्य = ₹ 158 एवं ₹ 154.36 = ₹ 3.64 इस प्रकार राउण्डेड आफ धनराशि फुटकर बिक्रेता के लाभांश में जुड़ गया, जो बढ़कर ₹ 15 (₹ 20 प्रति बल्क लीटर की दर से 750 एम एल के लिए जो मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित थाद्व के स्थान पर ₹ 18.64 प्रति बोतल हो गया।

3.8.7.2 देशी मंदिर के थोक अनुज्ञापी को अदेय लाभ

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मंदिर बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003 के नियम-11 के अन्तर्गत देशी मंदिर से भरी बोतल के संचय के लिए गोदामों के लाइसेंस स्वीकृत किये जाते हैं। अभिवहन या बंधित गोदाम में संग्रहण के दौरान शराब के अर्द्धनारी अथवा किसी भी अन्य कारण से होने वाले क्षय, हानि या क्षति के लिए कोई छूट नहीं दी जायेगी। उक्त नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत अनुज्ञापी देशी मंदिर की आपूर्ति आसवनी से निर्धारित क्षमता और तीव्रता की बोतलों में जिनपर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम लगे हों, प्राप्त करेगा।

प्रतिशत गलत छीजन (वेस्टेज) अनुमन्य किया गया। उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मंदिर बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003 के नियम 4 और 11 देशी मंदिर से भरी बोतल पर छीजन अनुमन्य नहीं करता। अग्रेतर, उक्त छीजन पर तीन से एक प्रतिशत¹⁴ का अस्वीकार्य लाभ¹⁵ भी प्रदान किया गया। इन छूटों के कारण थोक विक्रेता को ₹ 111.57 करोड़ का अदेय लाभ प्रदान किया। देशी मंदिर के थोक विक्रेताओं को दिया गया अदेय लाभ परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है।

शासन ने उत्तर में कहा कि (जुलाई 2013) 0.5 प्रतिशत अभिवहन छीजन मंदिर के बल्क परिवहन¹⁶ पर अनुमन्य है। हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं, ये सभी मंदिर के टैंकर में बल्क परिवहन के प्रकरण नहीं हैं, वास्तव में ये देशी मंदिर से भरी बोतलें हैं जिनपर सुरक्षा होलोग्राम लगे हैं जिनका परिवहन किया गया। इसके अतिरिक्त आबकारी नियम देशी मंदिर से भरी बोतल पर किसी प्रकार का छीजन अनुमन्य नहीं करता।

3.8.7.3 देशी मंदिर के थोक विक्रेता द्वारा थोक लाइसेंस फीस की अधिक संग्रहीत धनराशि को राजकोष में जमा करने के प्रावधान का अभाव

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मंदिर की थोक बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के अनुसार लाइसेंस फीस का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-24 के अधीन थोक देशी मंदिर के विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किये जाने के निमित्त प्रतिफलन से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर जैसे कि आबकारी नीति द्वारा अधिसूचित किया जाये, देय होगी। मूल्य निर्धारण सूत्र के अनुसार देशी मंदिर के अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण में उक्त लाइसेंस फीस को आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक मूल्य में समायोजित किया जाता है।

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक की अवधि के अभिलेखों¹³ की जांच में पाया गया कि देशी मंदिर की मूल्य निर्धारण कमेटी ने देशी मंदिर के अधिकतम थोक मूल्य व अधिकतम फुटकर मूल्य के निर्धारण के समय थोक विक्रेता को पूर्व आसवनी मूल्य पर (आबकारी शुल्क को शामिल करते हुए) 0.5

थोक लाइसेंस फीस की गणना किसी आबकारी वर्ष में देशी मंदिर की अनुमानित बिक्री के आधार पर की जाती है, एवं लाइसेंसधारी से उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व अग्रिम रूप से संग्रहीत की जाती है। अधिकतम थोक मूल्य के निर्धारण के समय थोक अनुज्ञापी द्वारा भुगतान करी जाने वाली थोक लाइसेंस फीस को

¹³ मूल्य सूची, विक्रय विवरणी एवं आबकारी नीति इत्यादि।

¹⁴ वर्ष 2007–08 व 2008–09 में तीन प्रतिशत तथा वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में एक प्रतिशत।

¹⁵ उदाहरण : बोतलों की संख्या (36% वी/वी का 750एम एल) वर्ष 2010–11 में = 3978180
छीजन @ 0.5% + 1% छीजन पर लाभ (0.59 + 0.0059) = ₹ 0.5959। कुल लाभ जो छीजन पर दिया गया= 3978180 x 0.5959 = ₹ 2370597

¹⁶ टैंकर में शराब का बल्क परिवहन।

समायोजित किया जाता है। हमने देखा कि देशी मदिरा की वास्तविक बिक्री अनुमानित बिक्री से अधिक थी, अतः देशी मदिरा के थोक बिक्रेता द्वारा फुटकर बिक्रेताओं से, देशी मदिरा की वास्तविक बिक्री पर अधिक थोक लाइसेंस शुल्क की वसूली की गयी। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा गया कि दो वर्षों¹⁷ में थोक बिक्रेता द्वारा देशी मदिरा के फुटकर बिक्रेता से वसूल करी गयी तथा अधिकतम थोक मूल्य में समायोजित थोक लाइसेंस फीस, अपेक्षाकृत थोक अनुज्ञापी द्वारा सरकार को भुगतान किये गये थोक लाइसेंस फीस, से अधिक था। देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापी द्वारा अधिक लाइसेंस फीस वसूल कर अपने पास रखने का विवरण सारणी क्रमांक 3.7 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 3.7

वर्ष	देशी शराब का उपभोग बल्क लीटर में (36% वी/वी)	थोक बिक्रेता के थोक लाइसेंस फीस का अधिकार प्रति बल्क लीटर (36% वी/वी)	थोक बिक्रेता द्वारा थोक लाइसेंस फीस का भुगतान	थोक बिक्रेता द्वारा फुटकर बिक्रेता से वसूल किया गया थोक लाइसेंस फीस	थोक लाइसेंस फीस का सरकार को किये गये भुगतान से अधिक थोक लाइसेंस फीस का संग्रह (₹ में)
2009-10	229260962	1.46	327100000	334721005	7621005
2010-11	234546651	1.56	359810000	365892776	6082776
				योग	13703781 या ₹ 1.37 करोड़

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

थोक बिक्रेताओं द्वारा देशी मदिरा के फुटकर बिक्रेता से वसूल करी गयी अधिक समायोजित थोक लाइसेंस फीस स्वयं अपने पास रख ली गयी। चूंकि ऐसा कोई प्रावधान/नियम नीति में नहीं है कि उक्त धनराशि लाइसेंस फीस के रूप में जमा किया जाय।

शासन ने उत्तर में कहा (जुलाई 2013) कि अन्तर इस कारण उत्पन्न हुआ कि लाइसेंस फीस का निर्धारण अनुमानित आँकड़ों के आधार पर किया गया था। परन्तु शासन ने अधिक लाइसेंस फीस के समायोजन के बिन्दु पर कुछ नहीं कहा।

हम संस्तुति करते हैं कि शासन ऐसा नियम बनाने का विचार करें कि यह अन्तरीय थोक लाइसेंस फीस थोक, अनुज्ञापी से वर्ष के अन्त में वसूली जाये अथवा वर्ष के अन्त में थोक अनुज्ञापी के प्रतिभूति धनराशि से समायोजित कर के वसूल करी जाय। यह प्रस्तावित प्रक्रिया आबकारी नीति की उस प्रक्रिया के अनुरूप होगी जिसमें विदेशी मदिरा के बोतल भराई के लाइसेंस एफ एल-3 व एफ एल-3ए¹⁸ के नवीनीकरण फीस को अनुमानित बोतल भराई के आधार पर जमा कराया जाता है, तथा वास्तविक बोतल भराई अधिक होने पर अन्तरीय नवीनीकरण फीस आगामी वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल से पूर्व जमा कराया जाता है।

3.8.8 उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा के फुटकर बिक्रय लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 का अनुपालन न किया जाना

आबकारी नीति वर्ष 2007–08 से 2012–13 के प्रावधानों के अनुपालन का भी निरीक्षण किया गया और हमने ऐसे प्रकरणों जैसे बेसिक लाइसेंस फीस (बोला०फी०) एवं प्रतिभूति जमा का जब्त न किया जाना, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू०प्र०मा०) का कम उठान, न्यू०प्र०मा० में कम आधार पर वृद्धि, शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन, लाइसेंस फीस का कम आरोपण और ब्याज का अनारोपण आदि में अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में देखा। हमारे निष्कर्ष निम्न रूप में वर्णित हैं।

¹⁷ 2009–10 एवं 2010–11।

¹⁸ एफ एल-3: आसवक द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतल भराई लाइसेंस, एवं एफ एल-3ए : बाहरी आसवक, यवासवक या विन्टनर द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा व वाइन जिसपर अपना ब्राण्ड लेबल हो, बोतल भराई लाइसेंस।

3.8.8.1 बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति जमा का समपहरण न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मंदिर के फुटकर बिक्री के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के नियम 12 में प्रावधानित हैं, कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि, 10 कार्य दिवस के अन्दर आधी प्रतिभूति धनराशि एवं शेष धनराशि 20 कार्य दिवस के अन्दर जमा करनी होगी। विफलता के प्रकरण में, दुकान का चयन निरस्त कर दिया जायेगा, और बे०ला०फी० एवं प्रतिभूति जमा की धनराशि, यदि कोई हो, शासन के पक्ष में समपहृत हो जायेगी, और दुकान का पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।

हमने छ: जिला आबकारी कार्यालयों¹⁹ के अभिलेखों²⁰ के निरीक्षण में देखा कि वर्ष 2011–12 में 639 देशी मंदिर की दुकानों का व्यवस्थापन या नवीनीकरण किया गया था। इन अनुज्ञापियों द्वारा नियमों के अन्तर्गत आवश्यक बे०ला०फी० एवं प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी थी। विलम्बित अवधि 01 से 105 दिनों के मध्य थी। इस

विफलता में नियमों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

नियमों/प्रावधानों के अन्तर्गत कोई शिथिलता अनुमन्य नहीं है, विभाग के द्वारा कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप शासन ₹ 53.68 करोड़ की बे०ला०फी० एवं प्रतिभूति जमा की धनराशि जमा कराने से वंचित रहा।

हमने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013)। शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (जुलाई 2013), शासन ने यह भी बताया कि शायद परिचालन की कठिनाईयों के कारण, जिला कर्मचारियों द्वारा नियम-12 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी।

शासन के उत्तर से स्थापित हुआ कि धारा-12 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी थी।

3.8.8.2 देशी मंदिर की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी शुल्क की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मंदिर के फुटकर बिक्री के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के नियम 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रत्येक अनुज्ञापी, प्रत्येक लाइसेंस के लिए निर्धारित समस्त मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू०प्र०मा०) को उठाने के लिए उत्तरदायी है। असफल होने की दशा में लाइसेंस प्राधिकारी, अनुज्ञापी की जमा प्रतिभूति से लाइसेंस शुल्क की बकाया अवशेष धनराशि का समायोजन करेगा तथा अगले माह की तीसरी तारीख तक अनुज्ञापी को नोटिस भी देगा कि प्रतिभूति राशि में आयी कमी को, या तो देशी मंदिर की उतनी मात्रा, जिसमें समायोजित धनराशि के बराबर निहित शुल्क हो, उठाकर अथवा नकद जमा कर या फिर दोनों ही विकल्पों द्वारा पूरा करें। यदि अनुज्ञापी आगामी माह की 10 तारीख तक प्रतिभूति की राशि की कमी को पूरा करने में विफल रहता है तो उसका लाइसेंस निरस्त समझा जायेगा।

हमने मई 2012 में जिला आबकारी अधिकारी, मैनपुरी के अभिलेखों में देखा कि चार अनुज्ञापियों ने वर्ष 2011–12 की अवधि में न्यू०प्र०मा० 42560 ब० ली० के सापेक्ष 29381.70 ब०ली० देशी मंदिर का उठान किया। चूंकि वर्ष के दौरान देशी मंदिर की न्यू०प्र०मा० की सम्पूर्ण मात्रा का उठान नहीं किया गया था, अतः 13178.30 ब० ली० मंदिर के कम उठान

¹⁹ जिओआ०आ०—अलीगढ़, इलाहाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, कानपुर एवं कौशाम्बी।

²⁰ 12ग—एक प्रतिवेदन, जिसमें व्यवस्थापित दुकानों का विस्तृत विवरण हो।

के लिए ₹ 20.69 लाख²¹ अन्तरीय लाइसेंस फीस, अनुज्ञापियों से वसूल किया जाना था।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2012), शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा कहा कि वसूली की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

3.8.8.3 मार्च माह में देशी मंदिर की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी शुल्क की कम वसूली

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मंदिर के फुटकर बिक्री के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के अन्तर्गत, आबकारी आयुक्त के परिपत्र दिनांक 9 मार्च 2009 के अनुसार, अनुज्ञापी को माह मार्च में न्यूप्र०मा० का कम से कम 80 प्रतिशत उठान किया जाना है। यदि अनुज्ञापी इसे करने में असफल रहता है, तो लाइसेंस फीस अनुज्ञापियों की जमा प्रतिभूति से समायोजित किया जायेगा।

ब०ली० के सापेक्ष 1140947.58 ब०ली० देशी मंदिर का उठान किया। इस कम उठान के कारण लाइसेंस फीस की अन्तरीय धनराशि ₹ 5.51 करोड़ विभाग द्वारा अनुज्ञापियों की जमा प्रतिभूति से समायोजित नहीं की गयी।

हमने प्रकरण शासन को (जून 2013) प्रतिवेदित किया, शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (जुलाई 2013) और कहा कि ₹ 54.27 लाख की धनराशि की वसूली की जा चुकी है एवं शेष धनराशि की वसूली प्रक्रिया में है।

3.8.9 देशी मंदिर की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में कम आधार के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की वृद्धि किया जाना

संबन्धित वर्ष की आबकारी नीति के अन्तर्गत, वर्ष 2008–09 का न्यूप्र०मा० का निर्धारण, विगत वर्ष के न्यूप्र०मा० में वृद्धि करके किया जाना था। वर्ष 2008–09 में वृद्धि दर 7 प्रतिशत, वर्ष 2009–10 में 7 प्रतिशत (8 प्रतिशत विशिष्ट मेरठ जौन में), वर्ष 2010–11 में 3 प्रतिशत, एवं वर्ष 2011–12 में एक प्रतिशत थी। वर्ष में दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्त वृद्धि के अनुसार किया जाना था।

से 6.69 प्रतिशत से अधिक थी। वास्तविक उठान के बजाय विगत वर्ष के न्यूप्र०मा० के आधार के कारण वर्षों में 24.99 लाख ब०ली० न्यूप्र०मा० का कम निर्धारण हुआ, और शासन को ब०ला०फी० के रूप में ₹ 4.13 करोड़ के राजस्व प्राप्ति से वंचित होना पड़ा। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-VII में दर्शाया गया है।

हमने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013), शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2013) कि शासन द्वारा देशी मंदिर का न्यूप्र०मा० का निर्धारण आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। न्यूप्र०मा० का निर्धारण वास्तविक उठान के आधार पर सम्भव नहीं है।

हमने अगस्त 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य 15 जिला आबकारी कार्यालयों²² के अभिलेखों में देखा कि वर्ष 2007–08 2008–09 व 2009–10 के दौरान 902 अनुज्ञापियों ने माह मार्च 2008, 2009 व 2010 के लिए निर्धारित मासिक कोटे 1724353.05

हमने 13 जिला आबकारी कार्यालयों²³ के उपभोग पंजिका, 12–ग²⁴ एवं अन्य अभिलेखों का निरीक्षण किया और देखा कि न्यूप्र०मा० में वृद्धि विगत वर्ष के निर्धारित न्यूप्र०मा० में किया गया था, जबकि विगत वर्षों में वास्तविक खपत न्यूप्र०मा० से 0.001

²¹ कम उठाई गई मात्रा 13178.30 पर ₹ 157 प्रति ब०ली० की दर से।

²² जिओआ०आ०–अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बदायूं, बिजनौर, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर, कौशाम्बी, लखनऊ, सहारनपुर, उन्नाव एवं याराणसी।

²³ जिओआ०का०–इलाहाबाद, बदायूं बागपत, बरेली, बिजनौर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, कौशाम्बी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर एवं रामपुर।

²⁴ 12ग–एक प्रतिवेदन, जिसमें व्यवस्थापित दुकानों का विवरण हो।

हम संस्तुति करते हैं कि शासन वर्ष की समाप्ति पर बेंलाठी²⁰ के अन्तर की धनराशि वसूल किये जाने का अथवा वर्ष की समाप्ति पर फुटकर अनुज्ञापियों की प्रतिभूति से अन्तर की धनराशि का समायोजन करने हेतु प्रावधान बनाये। यह प्रक्रिया आबकारी नीति (वर्ष 2012–13 हेतु) के क्रम में होगा, जहाँ विदेशी मदिरा के बाटलिंग फीस की अग्रिम वसूली अनुमानित बोतलों के आधार पर है, किन्तु वास्तविक बोतलों की बिक्री के आधार पर नवीनीकरण फीस का अन्तर, अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की समाप्ति के पूर्व जमा करने का प्रावधान है।

3.8.10 शीरे से अल्कोहल के कम उत्पादन के फलस्वरूप राजस्व क्षति

शासनादेश संख्या 192/तेरह-18-91, दिनांक 5 अप्रैल 1991 के अनुसार प्रत्येक कुन्तल शीरे से 22.5 अल्कोहलिक लीटर (अ०ली०) (94% वी/वी) अल्कोहल के उत्पादन का मानदण्ड निर्धारित है जो कि राष्ट्रीय मानक^{*} के आधार पर देशी मदिरा की लागत की गणना उपर्युक्त मानक के आधार पर देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य के निर्धारण के समय आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964 के धारा 8(1) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त जो शीरा नियन्त्रक भी हैं, और आरक्षित शीरा देशी मदिरा निर्माता आसवकों को प्रदिष्ट (एलौट) करता है। उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण नियमावली, 1974 के नियम-21 के अनुसार नियन्त्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी प्रदेशन ग्रहीता को प्रदिष्ट शीरा का प्रयोग उस प्रयोजन के, जिसके लिए वह प्रदिष्ट किया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। एक कुन्तल शीरे से 22.5 अ०ली० (94% वी/वी) अल्कोहल के उत्पादन के मानक के आधार पर देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य का निर्धारण साथ ही साथ इसी आधार पर आबकारी शुल्क का आरोपण किया जाता है।

एक कुन्तल शीरे से 22.5 अ०ली० (94% वी/वी) अल्कोहल के उत्पादन के मानक के आधार पर देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य का निर्धारण किया जाता है, साथ ही साथ इसी आधार पर आबकारी शुल्क का आरोपण किया जाता है। अतः हमने आसवनियों द्वारा मानकों के अनुपालन न करने के प्रकरणों में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का परीक्षण किया।

हमने 19 आसवनियों²⁵ के सी०ओ०टी०²⁶ पंजिका जैसे अभिलेखों की जांच की और पाया कि अगस्त

2012 व मई 2013 के मध्य इन आसवनियों²⁷ द्वारा मानक के अनुरूप शीरे से न्यूनतम अल्कोहल का उत्पादन²⁸ नहीं किया गया। अप्रैल 2007 से मार्च 2013 की अवधि में इन आसवनियों द्वारा 239.79 लाख कुन्तल शीरे से 5071.49 लाख अ०ली० अल्कोहल उत्पादित होना चाहिए था, इसके विरुद्ध अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 4781.07 लाख अ०ली० हुआ था। जिसके परिणामस्वरूप, 290.42 लाख अ०ली० अल्कोहल का कम उत्पादन हुआ। इसे इन आसवनियों में उत्पादित कुल पेय एवं औद्योगिक अल्कोहल के समानुपात में बॉटने के उपरान्त, हमने पाया कि इससे 174.85 लाख अ०ली० पेय अल्कोहल का कम उत्पादन हुआ था, जिसमें ₹ 736.49 करोड़ का राजस्व सन्निहित था, कम उत्पादित अल्कोहल जिसे कि परिशिष्ट-VIII में दर्शाया गया है।

²⁵ वेब आसवनी (अलीगढ़), केसर इंटरप्रेजेज व सुपीरियर आसवनी (बरेली), रिम्भावली आसवनी, मोहन मीकिन आसवनी व मोदी आसवनी (गाजियाबाद), लाईस आसवनी (गाजीपुर), सरेया आसवनी व आई जी एल आसवनी (गोरखपुर), पलिया आसवनी (लखीमपुर खीरी), दौराला आसवनी (मेरठ), एवं आई सी एल आसवनी (मुरादाबाद), शमली आसवनी व सर शादीलाल आसवनी (मुजफ्फर नगर), रामपुर आसवनी (रामपुर), शाकुमारी आसवनी व को आपरेटिव आसवनी, टपरी (सहारनपुर), रोजा आसवनी (शाहजहांपुर) और उन्नाव आसवनी (उन्नाव)।

²⁶ आसवनी के प्रमाणी अधिकारी द्वारा प्रयुक्त शीरे का मिश्रित नमूना तीन छानिक आउट टर्न में लेकर और इस तीन समान भागों में बॉटकर प्रमाणी अधिकारी द्वारा अपने मुहर से इसे मुहरन्द किया जाता है।

²⁷ आबकारी आयुक्त द्वारा, पेय और अपेय अल्कोहल के निर्माण हेतु स्कीडूट पी औ-2 लाइसेंसारी आसवनियों।

²⁸ शोधित आसव (आर एस) या इक्स्ट्रा न्यूरूल अल्कोहल (ई एन ए)।

* 94 प्रतिशत वी/वी की अल्कोहल के विनिर्माण की लागत की गणना के लिए अपनाया गया सूत्र – = आरक्षित शीरे की लागत (क०० में) = एक लीटर 94 प्रतिशत वी/वी के अल्कोहल की लागत

^{22.5}

इस लागत में कनवर्जन लागत, श्रम लागत, छोजन इत्यादि शामिल कर आवश्यक लीप्रता (25, 36, अथवा 42.5 प्रतिशत) के अल्कोहल की लागत प्राप्त होती है। इसमें बाटलिंग, लेबुलिंग, कैप्सुलिंग, पैकेजिंग लागत, होलोग्राम की लागत जोड़ा गया है। तत्पश्चात आबकारी अभिकर जोड़ा जाता है, पुनः देवी मदिरा के अन्तिम अधिकतम फुटकर मूल्य निर्धारण की गणना में भाग, गोदाम व्यय, छोजन (0.5 प्रतिशत), थोक बिक्रीता के लाइसेंस फीस का अधिभार, थोक बिक्रीता का लाभ, फुटकर बिक्रीता के लाइसेंस फीस का अधिभार, फुटकर बिक्रीता का व्यय एवं लाभ शामिल किया जाता है।

हमने यह भी देखा कि आसवनी द्वारा आरक्षित शीरे²⁹ से उत्पादित अल्कोहल की इन्वेन्टरी का रख रखाव अलग से नहीं किया जाता। आरक्षित शीरे जिसे कि निर्धारित मूल्य पर जारी किया जाता हैं तथा जिसका उपयोग केवल देशी मदिरा के विनिर्माण में किया जाना है की इन्वेन्टरी का रख रखाव अलग से नहीं रखे जाने के परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन जाना नहीं जा सकता था।

हमने मामला शासन को (जून 2013) प्रतिवेदित किया। शासन ने उत्तर (जुलाई 2013) में कहा कि विभाग ने शीरे में स्थित किण्ठीय शक्ररा के प्रत्येक कुन्तल से न्यूनतम 52.5 अ०ली० अल्कोहल के उत्पादन का मानक निर्धारित किया है। उन आसवकों के विरुद्ध बैच में मानक के अनुरूप न्यूनतम अल्कोहल के उत्पादन में असफल होने पर नियमानुसार कार्यावधी की जाती है। प्रति कुन्तल शीरे से 22.5 अ०ली० (94% वी/वी) अल्कोहल के उत्पादन का मान, जिसको आधार मानकर एक लीटर (94% वी/वी) अल्कोहल की लागत की गणना मूल्य निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है, के सम्बन्ध में शासन का उत्तर अपने स्वयं के 1991 के शासनादेश की अनदेखी को प्रदर्शित करता है। उक्त लागत देशी मदिरा के अधिकतम थोक मूल्य व अधिकतम फुटकर मूल्य के निर्धारण का आधार है। इसके सिवाय देशी मदिरा निर्माता आसवनी द्वारा अन्य आसवनी से ₹०५००० क्रय करने पर देशी मदिरा निर्माता आसवनी के आरक्षित शीरे का समायोजन बिक्रेता आसवनी के पक्ष में इसी मानक के अनुसार किया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि यह एक मानक है जिसे आसवक द्वारा अल्कोहल के उत्पादन में पालन करना आवश्यक है। शीरे से अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन में असफल रहने पर अन्य शास्त्रियों के अतिरिक्त लाइसेंस रद्द किया जा सकता है तथा जमा प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है, जिसे वर्तमान प्रकरणों में नहीं किया गया।

3.8.11 अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण

हमने आबकारी नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सभी प्रकार की मदिरा के विक्रय पर आरोपणीय लाइसेंस फीस का निरीक्षण किया, और मदिरा की सभी तीन श्रेणियों³⁰ के थोक व फुटकर दुकानों से अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण/अनारोपण के प्रकरणों को देखा। हमारे प्रेक्षण निम्न वर्णित हैं:

3.8.11.1 बीयर के थोक आपूर्ति के लाइसेंस फीस का अनारोपण/कम आरोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय आपूर्ति हेतु लाइसेंसों के व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथा संशोधित) के नियम-४(ग) के अन्तर्गत विदेशी मदिरा, बीयर तथा वाइन की थोक बिक्री विमो-२ के अनुज्ञापियों द्वारा की जा सकेगी।

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन विमो-२ की फीस जनपद में पूर्व वर्ष में फुटकर दुकानों द्वारा विक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैं:

क्रम संख्या	जिले में वित्त वर्षों में फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा विक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या	लाइसेंस फीस (लाख ₹ में)
1	7 लाख बोतलों तक	05.00
2	7 लाख से 15 लाख बोतलों के मध्य	10.00
3	15 लाख से 25 लाख बोतलों के मध्य	20.00
4	25 लाख से 30 लाख बोतलों के मध्य	30.00
5	30 लाख बोतलों से अधिक	40.00

बीयर का थोक विक्रय भी उपरोक्त नियम से समर्थित है। पुनर्श्च, उपरोक्त नियमावली के नियम-४(च) के अनुसार केवल बीयर की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस प्रपत्र विमो-२-ख में ₹ 5.00 लाख लाइसेंस फीस के रूप में भूगतान करने पर स्वीकृत किया जायेगा।

हमने (अगस्त 2012 से मई 2013) के मध्य 20 जिला आबकारी कार्यालयों³¹ के अभिलेखों³² की नमूना जांच तथा आबकारी आयुक्त कार्यालय में एकत्रित सूचना में देखा, कि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में क्रमशः 17 व 20 जनपदों में विमो-२ के अनुज्ञापियों को विदेशी मदिरा के साथ-साथ फुटकर दुकानों को बीयर

²⁹ उत्तर प्रदेश शीरा नीति के अनुसार चीनी मिल द्वारा उत्पादित वर्ष दर वर्ष एक निश्चित प्रतिशत शीरा, देशी मदिरा के उत्पादन हेतु आरक्षित रखा जाता है, और इस आरक्षित शीरा का मूल्य आबकारी आयुक्त/शीरा नियन्त्रक द्वारा निर्धारित किया जाता है।

³⁰ देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर।

³¹ जिमा०३०-बदायूँ, बागपत, बेरेली, बिजनौर, इटावा, फैजाबाद, फतेहपुर, किरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुद्राबाद, मुजफ्फर नगर, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और उन्नाव।

³² अनुज्ञापन के व्यवस्थापन की पावालियां, विक्रय-खपत विवरण एवं जी-६ पंजिका।

की आपूर्ति हेतु भी अधिकृत किया गया था। वि०मो-२ के अनुज्ञापियों से लाइसेंस फीस की वसूली हेतु पिछले वर्ष की विदेशी मादिरा की अनुमानित बिक्रीत बोतलों की संख्या ही संगणना हेतु ली गई, जबकि अनुज्ञापियों द्वारा बेची गयी बीयर की बोतलों की संख्या सम्मिलित नहीं की गयी। इन जनपदों में अलग से कोई वि०मो-२ख के अनुज्ञापन भी निर्गत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप, ₹ 5.35 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई जैसा कि परिशिष्ट-IX में दर्शाया गया है।

हमने प्रकरण शासन को संदर्भित किया (जून 2013), शासन ने अपने उत्तर (जुलाई 2013) में कहा कि लाइसेंस फीस के निर्धारण में केवल बिक्रीत भा०नि०वि०मो की बोतलों की संख्या को ही लिया गया था। शासन ने पुनः बताया कि वर्ष 2013-14 से बीयर की थोक बिक्री वि०मो-२ख अनुज्ञापन के माध्यम से की जायेगी। शासन का उत्तर जिला आबकारी कार्यालयों की इस चूक पर मौन है, जिसके द्वारा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की आबकारी नीति के प्रस्तर 4(5)(6) के अनुसार करी जाने वाली कार्यवाही नहीं करी गयी। नीति प्रस्तर 4(5)(6) में प्रावधान है कि बीयर की थोक विक्रय के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण, भा०नि०वि०मो के विक्रय से सम्बन्धित उक्त नियम के अनुसार किया जाना चाहिए। हमारे द्वारा इंगित दुकानों से भा०नि०वि०मो एवं बीयर दोनों की बिक्री की जा रही थी, अतः नीति के अनुसार लाइसेंस फीस के निर्धारण में भा०नि०वि०मो व बीयर की दोनों की कुल बिक्रीत बोतलों की संख्या को लिया जाना चाहिए। इस चूक के कारण राजस्व की कम वसूली हुई।

इसी तरह का प्रकरण 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) के प्रस्तर 3.15 में इंगित किया गया है। विभाग/शासन द्वारा लाइसेंस फीस के निर्धारण में भा०नि०वि०मो एवं बीयर की बोतलों की कुल वास्तविक बिक्री की संख्या को नहीं लिया गया है।

3.8.11.2 बीयर की दुकानों का फुटकर अनुज्ञापन

उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत बीयर की फुटकर दुकानों के संबन्ध में वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क आलोच्य वर्ष में बिक्रीत बोतलों की संख्या के आधार पर आरोपणीय है। नयी आबकारी नीति वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के अनुसार बिक्रीत बोतलों की संख्या का आगणन 10 माह की वास्तविक बिक्री के आधार पर किया जाना था यथा अप्रैल से जनवरी की वास्तविक बिक्री तथा फरवरी एवं मार्च के लिए अप्रैल से जनवरी की बिक्री का 1/5। इसी प्रकार दिनांक 12 मार्च 2011 को वर्ष 2011-12 के लिए अधिसूचित आबकारी नीति के अनुसार बिक्रीत बोतलों की संख्या का आगणन 11 माह की वास्तविक बिक्री के आधार पर किया जाना था, यथा अप्रैल से फरवरी की वास्तविक बिक्री तथा मार्च के लिए अप्रैल से फरवरी की बिक्री का 1/11।

की गयी थी। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 हेतु लाइसेंस फीस, अप्रैल 2010 से फरवरी 2011 की वास्तविक बिक्री तथा मार्च 2011 की आगणित बिक्री के योग पर आधारित थी।

बीयर दुकानों के व्यवस्थापन के समय लाइसेंस फीस विगत 12 कैलेण्डर माहों में वास्तविक बिक्रीत बोतलों की संख्या (जिसमें विगत मार्च माह की बिक्री को सम्मिलित किया गया था) के आधार पर वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में, क्रमशः:

हमने (अगस्त 2012 और अप्रैल 2013 के मध्य) 20 जिला आबकारी कार्यालयों³³ के अभिलेखों में देखा, कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए राज्य की बीयर की सभी फुटकर दुकानों की वार्षिक लाइसेंस फीस 10 माह की वास्तविक बिक्री यथा पिछले वर्ष की अप्रैल से जनवरी तक की बिक्री तथा उसी वर्ष के फरवरी एवं मार्च की आगणित बिक्री के योग के आधार पर निर्धारित

³³ जि०आ०आ०- अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूँ, बिजनौर, फिरोजाबाद, जी बी नगर, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, रामपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

₹ 1.03 करोड़, ₹ 2.11 करोड़ व ₹ 11.70 करोड़ आगणित किया गया था, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा सम्बन्धित वर्षों में लाइसेंस फीस क्रमशः ₹ 0.81 करोड़, ₹ 2.02 करोड़ व ₹ 11.16 करोड़ निर्धारित किया गया था। हमने देखा कि गणना के आधार पर निर्धारित करते समय विभाग के पास गत 12 माह के दौरान वास्तविक बिक्रीत बोतलों की संख्या से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध थी। यद्यपि, गत वर्ष के माह मार्च में बिक्री अन्य 11 माहों की औसत बिक्री से 51.73 से 75.39 प्रतिशत उच्च³⁴ थी, यह उच्च बिक्री (क्रमशः 0.71 लाख बोतलों, 2.05 लाख बोतलों व 8.10 लाख बोतलों को) विभाग द्वारा लाइसेंस फीस के निर्धारण के समय अनदेखा किया गया और गणना के आधार के लिए वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के माहों में औसत बिक्री लिया गया। गणना से मार्च माह की बिक्री को अलग करने पर शासन को ₹ 85 लाख (₹ 22 लाख + ₹ 9 लाख + ₹ 54 लाख) लाइसेंस फीस के रूप में राजस्व प्राप्ति से वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान वंचित होना पड़ा। जिसको परिशिष्ट-X में दर्शाया गया है।

3.8.11.3 विदेशी मंदिरा की दुकानों का फुटकर अनुज्ञापन

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2001 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकानों का वार्षिक लाइसेंस फीस वर्तमान वर्ष में बिक्रीत बोतलों की संख्या के आधार पर आरोपणीय है। नई आबकारी नीति 2011–12 के अनुसार बिक्रीत बोतलों की संख्या का आगणन 11 माह की वास्तविक बिक्री के आधार पर किया जाना था, अर्थात् अप्रैल से फरवरी की वास्तविक बिक्री तथा मार्च के लिए अप्रैल से फरवरी की बिक्री का 1/11 भाग।

की माह मार्च की आगणित बिक्री³⁶ का योग के आधार पर निर्धारित थी। विदेशी मंदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन के समय विगत 12 कैलेंडर माहों में वास्तविक बिक्रीत बोतलों की संख्या के आधार पर लाइसेंस फीस, वर्ष 2012–13 के लिए ₹ 97.12 करोड़ आगणित किया गया था। गणना का आधार निर्धारित करते समय विभाग के पास गत 12 माह के दौरान वास्तविक बिक्रीत बोतलों की संख्या से संबन्धित सूचना उपलब्ध थी। यद्यपि, अन्य 11 माहों का औसत बिक्री से विगत मार्च माह की बिक्री के सापेक्ष 47.87 प्रतिशत अधिक³⁷ था, इस उच्च बिक्री (11.64 लाख बोतलों को) को लाइसेंस फीस के निर्धारण के समय विभाग द्वारा अनदेखा किया गया, तथा वर्ष 2011–12 के एक माह की आगणित बिक्री को गणना के आधार में लिया गया। इसके फलस्वरूप, शासन को वर्ष 2012–13 के दौरान लाइसेंस फीस के रूप में ₹ 5.24 करोड़ राजस्व प्राप्ति से वंचित होना पड़ा, जिसको परिशिष्ट-XI में दर्शाया गया।

हमने शासन को विदेशी मंदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों के लाइसेंस फीस के निर्धारण के प्रकरण को संदर्भित किया (जून 2013)। शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2013) कि आबंटन एवं लाइसेंस फीस का निर्धारण नीति के अनुसार किया गया और उन्होंने प्रकरण को वर्ष 2013–14 में संज्ञान में लिया जिसमें उन्होंने वर्ष 2012–13 की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि करके दुकानों का व्यवस्थापन किया। शासन का

हमने 24 जिला आबकारी कार्यालयों³⁵ के अभिलेखों में देखा कि सभी विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकानों का वार्षिक लाइसेंस फीस 11 माहों की बोतलों की वास्तविक बिक्री के आधार पर निर्धारित की गयी थी, अर्थात् वर्ष 2012–13 के लिए विगत वर्ष की अप्रैल से फरवरी एवं उस वर्ष

³⁴ वर्ष 2009–10 में मासिक औसत बिक्री 0.95 लाख बोतलों की गणना को सम्मिलित किया गया था, जबकि तुलनात्मक दृष्टि से मार्च 2008 की बिक्री 1.66 लाख बोतल थी। इसी तरह वर्ष 2010–11 नीति में मासिक औसत बिक्री 3.42 लाख बोतल के तुलना में माह मार्च 2009 में बिक्री 5.47 लाख थी, एवं वर्ष 2011–12 की नीति के लिए मासिक औसत बिक्री 15.66 लाख बोतलों की तुलना में मार्च 2010 में बिक्री 23.76 लाख बोतल थी (परिशिष्ट-X में इंगित जिला आबकारी कार्यालयों के लिए)।

³⁵ जिओआ०आ०—अलीगढ़, लालियाबाद, बद्रायूँ बागपत, बरेली, जिजौर, फिरोजाबाद, जी बी नगर, गजियाबाद, गजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर, कोशाली, लखनऊ, खीरी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, उन्नापुर, एवं वाराणसी।

³⁶ वर्ष 2012–13 हेतु आगणित बिक्री हेतु सूत्र का आधार – 11 माहों की वास्तविक बिक्री (अप्रैल से फरवरी) + 11 माहों की वास्तविक बिक्री की आगणित मासिक बिक्री का औसत।

³⁷ वर्ष 2012–13 की नीति में माहों का औसत बिक्री की संगणना 24.32 लाख बोतलों को सम्मिलित किया गया जबकि तुलनात्मक रूप में मार्च में बिक्रीत बोतलों की संख्या 35.96 लाख थी (परिशिष्ट-XI में इंगित जिला आबकारी कार्यालयों के लिए)।

उत्तर अगले वर्ष के लाइसेंस फीस में मार्च माह के बिक्री के उच्च औँकड़ों को सम्मिलित न करने के संबन्ध में मौन है, जो कि नये तरीके को भी प्रभावित करेगा।

3.8.11.4 बीयर बार लाइसेंस फीस जमा किये बिना बीयर की बिक्री किया जाना

विदेशी मदिरा का तात्पर्य माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका और मदिरा से हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मदिरा (बीयर और वाइन को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002 में परिभाषित है। बीयर उक्त परिभाषा में शामिल नहीं हैं। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के नियम 647 एवं 648 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक तथा फुटकर बिक्री) (तेरहवां संशोधन) नियमावली 2002 में कहा गया है कि होटल, डाक बंगला या जलपान गृहों के परिसरों में बीयर की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र-7(ख) में बीयर बार लाइसेंस आवश्यक है। नियम 10 के अनुसार लाइसेंस प्रपत्र एफ०एल०-6 सम्मिश्र, चार व पांच सितारा होटलों द्वारा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए, और एफ०एल०-6 लाइसेंस उपरोक्त के अतिरिक्त होटलों के लिए निर्गत किये जाते हैं। जलपान गृहों द्वारा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए एफ०एल०-7 लाइसेंस आवश्यक हैं। एफ० एल०-6 सम्मिश्र और एफ०एल०-7 के अन्तर्गत केवल ड्राफट बीयर की बिक्री अनुमन्य हैं न कि बोतल में भरी बीयर की।

होटलों/जलपान गृहों³⁸ को एफ०एल०-7ख लाइसेंस निर्गत किये गये, जिनसे ₹ 15.50 लाख लाइसेंस फीस प्राप्त हुआ। एफ०एल०-7ख के लाइसेंस फीस का आरोपण नहीं किये जाने से शासन ₹ 16.80 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा जैसा कि परिशिष्ट-XII में दर्शाया गया है।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013)। शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2013), कि विदेशी मदिरा की परिभाषा के लिए, विज्ञप्ति⁴⁰ दिनांक 20 दिसम्बर 1980 को संज्ञान में लिया जाता है, जिसमें विदेशी मदिरा की परिभाषा में बीयर शामिल है। शासन का उत्तर, उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री का अनुज्ञापन का व्यवस्थापन (बीयर और वाइन को छोड़कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002 के अनुसार नहीं हैं जहाँ विदेशी मदिरा की परिभाषा में बीयर शामिल नहीं हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा का थोक एवं फुटकर बिक्री का अनुज्ञापन) नियमावली 2002⁴¹ विशेष रूप से बीयर की फुटकर बिक्री हेतु अनुज्ञापन का उल्लेख करता है।

हमने अगस्त 2012 से मई 2013 के मध्य 19 जिला आबकारी कार्यालयों³⁸ के बार लाइसेंसों के अभिलेखों व जी-6 की जांच में पाया कि अप्रैल 2007 से मार्च 2013 के मध्य कुल 1370 होटल/जलपान गृह बार के लाइसेंस एफ०एल०-6, एफ०एल०-6ए सम्मिश्र और एफ०एल०-7 श्रेणी के लाइसेंस व्यवस्थित या नवीनीकृत किये गये, जहाँ कि बोतल में बीयर का उपभोग दर्शाया गया था।

इन होटलों/जलपान गृहों को आवश्यक बीयर की फुटकर बिक्री का लाइसेंस एफ०एल०-7ख निर्गत नहीं था। हमने देखा कि वर्ष 2011-12 के दौरान मात्र 11

³⁸ जि०आ०का०— अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूँ, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, जीवी नगर, कानपुर, लखनऊ, खीरी, मेरठ, मुमुक्षुबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, उनाव और वाराणसी।

³⁹ जि०आ०अ०— फिरोजाबाद (2), गाजियाबाद (1), और वाराणसी (8)।

⁴⁰ संख्या 8272-ई/तेरह-656-79, दिनांक 20 दिसम्बर 1980।

⁴¹ नोटिफिकेशन संख्या 17882/दस-लाइसेंस-9/चू बीयर-बार पालिसी-2002, दिनांक 24 नवम्बर 2002।

3.8.11.5 माडल शाप के लाइसेंस शुल्क की हानि

11 फरवरी 2009, 26 फरवरी 2010 एवं 12 मार्च 2011 को अधिसूचित आबकारी नीति के अनुसार वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 या इसके भाग के लिए माडल शाप के व्यवस्थापन की लाइसेंस फीस वर्ष 2009–10 व 2010–11 या इसके भाग के लिए ₹ 8 लाख और इसी तरह वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 या इसके भाग के लिए ₹ 9 लाख निर्धारित की गयी थी, या उसी वर्ष में नगर/कस्बे में व्यवस्थित विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की सम्मिलित सर्वोच्च लाइसेंस फीस की धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस जो भी अधिक हो, परन्तु इन वर्षों में क्रमशः ₹ 22 लाख एवं ₹ 25 लाख से अधिक नहीं हो सकती थी, निर्धारित की गयी थी।

- हमने अगस्त 2012 से मार्च 2013 के मध्य 26 जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों⁴² की जांच में देखा कि वर्ष 2009–10 से 2012–13 के लिए 393 विदेशी मदिरा एवं बीयर की 393 माडल शाप⁴³ की लाइसेंस फीस ₹ 87.90 करोड़ निर्धारित कर वसूली की गयी थी, जबकि आबकारी नीति के

अनुसार यह ₹ 95.41 करोड़ आती है। जिला आबकारी कार्यालयों ने नगर/कस्बों में व्यवस्थित फुटकर दुकानों की सर्वोच्च बिक्री की गणना में इन माडल शापों द्वारा पूरवर्ती वर्ष में की गयी वास्तविक बिक्री की अनदेखी की। उन्होंने लाइसेंस फीस निर्धारित करने के लिए नगर/कस्बे की दूसरी दुकानों की बिक्री को संज्ञान में लिया, जबकि ये माडल शाप भी व्यवस्थित फुटकर दुकानों की तरह हैं, इसलिए सीमा निर्धारण से पूर्व लाइसेंस फीस नियत किये जाने में माडल शाप की बिक्री को संज्ञान में लिया जाना आवश्यक था। इस प्रकार शासन ₹ 7.51 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

- हमने अगस्त 2012 से मार्च 2013 के मध्य 26 जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों⁴⁵ की जांच में देखा कि वर्ष 2009–10 से 2012–13 के लिए 393 विदेशी मदिरा एवं बीयर की माडल शापों⁴⁶ की लाइसेंस फीस ₹ 87.90 करोड़ निर्धारित एवं वसूल की गयी थी। इन माडल शापों की अकेले ही वास्तविक बिक्री पर वसूलनीय लाइसेंस फीस ₹ 150.72 करोड़ थी। माडल शाप की लाइसेंस फीस में अधिकतम सीमा ₹ 22 लाख व ₹ 25 लाख लगाने के कारण, विभाग को ₹ 62.82 करोड़ के लाइसेंस फीस की प्राप्ति से वंचित होना पड़ा, जबकि इन माडल शापों से वास्तविक बिक्री और वसूलनीय लाइसेंस फीस वास्तविक वसूल फीस से 0.06 प्रतिशत से 505.34 प्रतिशत अधिक थी।

हमने यह भी पाया कि अधिकतम सीमा लागू करना विभाग द्वारा शासन को भेजे गये प्रस्ताव का हिस्सा था। प्रारम्भिक रूप से अधिकतम सीमा में संशोधन⁴⁷ वर्ष 2009–10 में ₹ 20 लाख से ₹ 22 लाख और वर्ष 2011–12 व 2012–13 में ₹ 25 लाख किया गया था। विभाग ने इस सीमा के लागू होने के कारण राजस्व क्षति का परीक्षण नहीं किया, यद्यपि, सभी आँकड़े उनके पास उपलब्ध थे। विभाग द्वारा भेजा गया प्रस्ताव शासन द्वारा बगैर संशोधन के अनुमोदित कर दिया गया।

⁴² जिओआ०आ०— अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूँ बागपत, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, ज़ी शी नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, जालौन, जौनपुर, ज़े पी नगर, कानपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

⁴³ माडल शाप व्यवस्थापन पत्रावलियाँ, आबकारी नीतियों एवं विक्रय/विवरणियों।

⁴⁴ माडल शाप— न्यूनतम 600 वर्गफुट कारपेट क्षेत्रफल एवं उपभोग की भी सुविधा के साथ नगर निगम, शहर या नगर पालिका के व्यावसायिक रूप से स्वीकृत क्षेत्र में स्थित शहर की एक अनुज्ञापित दुकान है।

⁴⁵ माडल शाप व्यवस्थापन पत्रावलियाँ, आबकारी नीतियों एवं विक्रय/विवरणियों।

⁴⁶ माडल शाप— न्यूनतम 600 वर्गफुट कारपेट क्षेत्रफल एवं उपभोग की भी सुविधा के साथ नगर निगम, शहर या नगर पालिका के व्यावसायिक रूप से स्वीकृत क्षेत्र में स्थित शहर की एक अनुज्ञापित दुकान है।

⁴⁷ इस आधार पर कि सभी फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस में नियमित वार्षिक वृद्धि की जाती है, इसलिए माडल शापों की लाइसेंस फीस भी नियमित अनुराल पर संशोधित की जाय।

हमने प्रकरण शासन को संदर्भित किया (जून 2013)। शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2013) कि आबंटन एवं लाइसेंस फीस का निर्धारण नीति के अनुसार किया गया था, उन्होंने प्रकरण को वर्ष 2013–14 में संज्ञान में लिया, और उन्होंने माडल शाप की न्यूनतम लाइसेंस फीस का संशोधन ₹ 9 लाख से ₹ 11 लाख और अधिकतम सीमा को ₹ 25 लाख से ₹ 30 लाख संशोधित किया।

हमारा निरीक्षण दर्शाता है, कि माडल शाप की लाइसेंस फीस में की गयी 20 प्रतिशत की वृद्धि अपर्याप्त थी। क्योंकि इंगित 393 दुकानों में से 241 दुकानों के हमारे निरीक्षण में बिक्री की सीमा पहले से ही⁴⁸ ₹ 30 लाख से ₹ 1.57 करोड़⁴⁹ के मध्य थी।

3.8.12 प्रतिभूति जमा का समपहरण न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मंदिरा के माडल शाप के फुटकर लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 के पैरा 13, 14, एवं 16, उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मंदिरा के फुटकर बिक्री के लाइसेंसों (बीयर एवं वाइन को छोड़कर) का व्यवस्थापन नियमावली, 2001 तथा उत्तर प्रदेश (देशी मंदिरा के फुटकर बिक्री के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य, देशी मंदिरा/विदेशी मंदिरा/बीयर के बोतलों या कन्टेनरों के लेबुलों पर छपा जायेगा और अनुज्ञापी बोतल के लेबुल पर छपे अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ता से वसूल नहीं करेगा। इन नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस स्वीकृति की शर्तें बताती हैं कि फुटकर अनुज्ञापी छपे हुए अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य नहीं वसूलेंगे, फुटकर अनुज्ञापन के नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर या किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रापिक सबस्टेन्सेज अधिनियम, 1985 के सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत किसी शास्ति के अतिरिक्त अनुज्ञापी लाइसेंस रद्द होने एवं प्रतिभूति जमा के समपहरण का दायी होगा।

विरुद्ध अधिनियमों और नियमों में पारिभाषित अन्य कार्यवाही जैसे लाइसेंस को रद्द करने और प्रतिभूति जमा का समपहरण, नहीं की गयी थी। इन उल्लंघनों के लिये अकेले प्रतिभूति जमा का समपहरण की धनराशि ₹ 47.74 करोड़ है जैसा कि परिशिष्ट-XIII में प्रदर्शित है।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013)। शासन ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2013), कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 64/74 के अन्तर्गत लाइसेंस के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन होने पर ₹ 5,000 तक की शास्ति

हमने अगस्त 2012 और अप्रैल 2013 के मध्य, 19 जिला आबकारी कार्यालयों⁵⁰ के अप्रैल 2007 से मार्च 2012 की अवधि के ब्रीच पंजिका एवं जी-6⁵¹ में देखा कि विभाग द्वारा 1333 फुटकर बिक्रेताओं के विरुद्ध 1610 मामले प्रशमन⁵² के दर्ज किये गये थे, जहाँ मंदिरा अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक पर विक्रय की जा रही थी, और इन दुकानों पर केवल ₹ 50 से ₹ 10,000⁵³ तक की शास्ति आरोपित की गयी थी। हमने देखा कि 277 दुकानों द्वारा नियमों के उल्लंघन को एक से अधिक बार किया गया, फिर भी शास्ति लगाये जाने के अतिरिक्त उनके

⁴⁸ वर्ष 2009–10 से 2012–13 के मध्य।

⁴⁹ माडल शाप सी टी आई चौराहा (क्रासिंग), कानपुर नगर में।

⁵⁰ जिऽआ०क०१०—अलीगढ़, बदायूँ, बागपत, बरेली, बिजनौर, फिरोजाबाद, जीधी नगर, गाजियाबाद, जौनपुर, कानपुर, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुगादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, उन्नाव और वाराणसी।

⁵¹ जिला आबकारी कार्यालय में आबकारी प्राप्तियों के प्रपत्र जी-6 में रखे जाने वाली पंजिका।

⁵² ब्रीच : लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन।

⁵³ ₹10,000 की शास्ति केवल एक मामले में आरोपित की गयी थी।

आरोपित किये जाने का प्रावधान है। शास्ति आरोपित किये जाने के पश्चात् इन मामलों में लाइसेंस के निलम्बन एवं रद्द करने का कोई कानूनी आधार नहीं हैं। शासन का उत्तर अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं। लाइसेंसधारी द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अधिनियम की धारा 34 में आबकारी आयुक्त को लाइसेंस के निलम्बन/रद्द करने का अधिकार है। लाइसेंस की सामान्य और विशेष शर्तों में स्पष्ट है कि शर्तों के उल्लंघन के प्रकरण में शास्ति/प्रशमन के भुगतान के अलावा अनुज्ञापी प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने का दायी होगा। उल्लंघन के दोहराये गये मामलों सहित इन सभी मामलों में विभाग ने केवल शास्ति आरोपित व वसूल की किन्तु अवरोध (डिटरेन्स) के रूप में लाइसेंस को रद्द करने/प्रतिभूति जमा के समपहरण की कोई कार्यवाही नहीं की।

3.8.13 आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अन्तर्गत जहाँ कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है, वहाँ जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूलनीय होता है।

आबकारी विभाग के तीन कार्यालयों में देखा गया कि वर्ष 2003–04 से 2008–09 की अवधि का आबकारी राजस्व⁵⁴ ₹ 63.15 लाख माह अप्रैल 2007 और दिसम्बर 2011 के मध्य, 126 से 2823 दिनों के विलम्ब से जमा किया गया। विभाग द्वारा

विलम्बित भुगतान पर ब्याज की धनराशि ₹ 19.47 लाख का आरोपण नहीं किया गया, विवरण सारणी क्रमांक 3.8 के अनुसार :

सारणी क्रमांक 3.8

(₹ लाख में)					
क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	अवधि	धनराशि	विलम्ब की अवधि दिनों में	ब्याज की धनराशि
1	जिला आबकारी अधिकारी, इलाहाबाद	2008–09	30.76	126 – 513	1.84
2	सहायक आयुक्त, दौराला आसवनी, दौराला, मेरठ	2003–04 से 2006–07	24.00	398 – 1493	11.19
3	जिला आबकारी अधिकारी, मऊ	2003–04 से 2008–09	8.39	828–2823	6.44
योग			63.15	126 – 2823	19.47

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013)। शासन ने इस आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2013), और क्रम संख्या 2 और 3 के मामले में वसूली के लिए नोटिस जारी किया। क्रम संख्या 1 के सम्बन्ध में उत्तर दिया कि प्रतिभूति जमा कोषागार में जमा थी, और इस पर ब्याज आरोपणीय नहीं था। हम उत्तर के इस भाग से सहमत नहीं हैं, हमारी आपत्ति आबकारी ड्यूटी के विलम्ब से जमा किये जाने पर ब्याज के अनारोपण का था, जबकि विभाग ने उत्तर दिया कि प्रतिभूति जमा कोषागार में जमा थी। ये दोनों⁵⁵ भिन्न मदे हैं और विभाग का उत्तर हमारे अभिव्यक्ति से अलग बिन्दु पर है।

⁵⁴ आबकारी अभिकर ₹ 30.76 लाख, लाइसेंस फीस ₹ 32.39 लाख।

⁵⁵ प्रतिभूति जमा और आबकारी अभिकर।

3.8.14 गोदामों पर किराये का कम आरोपण व स्टाम्प शुल्क का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003 के नियम 5(2) व (3) के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किराये का भुगतान करने पर जिले के मुख्यालय पर स्थित आबकारी विभाग के गोदाम भवन में लाइसेंसधारी को बंधित गोदाम चलाने की अनुमति दी जायेगी। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम-4 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा व्यावसायिक सम्पत्तियों के किराये की दरें द्विवार्षिक निर्धारित की जाती हैं, जिसे सक्रिल रेट कहा जाता है। जब जिला मुख्यालय पर कोई सरकारी गोदाम न हो अथवा सरकारी गोदाम में पर्याप्त रक्तान्तरण न होने की स्थिति में बंधित गोदाम जिला मुख्यालय पर निजी परिसर में खोला जा सकता है, जिसे उस जिले के जिला अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के धारा-18 के उपबन्धों के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति की पट्टा जो कि एक वर्ष से अधिक अवधि की नहीं हैं पंजीयन कराना ऐच्छिक है। फिर भी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसूची एक खा के अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत एक वर्ष से अनधिक अवधि की पट्टा पर हस्तांतरण विलेख के समान देय सम्पूर्ण राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के धारा 33(1) के अन्तर्गत सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी (पुलिस अधिकारी के सिवाय), प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाय, या आ जाये, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हैं और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नहीं हैं, उसे जब्त करेगा और जिला कलेक्टर को मूल्यांकन के लिए भेज देगा।

वसूली की गयी।

- वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान हमने तीन जनपदों⁵⁸ के आठ प्रकरणों में देखा कि ₹ 10 व ₹ 100 के स्टाम्प पत्र पर पट्टा निष्पादित⁵⁹ किये गये परन्तु पंजीकृत नहीं कराया गया। इस प्रकार इन प्रकरणों में ₹ 1.62 लाख स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण किया गया।

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान छः जनपदों⁶⁰ के 29 प्रकरणों में यद्यपि जिला आबकारी अधिकारियों ने थोक अनुज्ञापियों को किराये पर आबकारी गोदाम आबंटित किया, परन्तु न तो किरायानामा निष्पादित किया गया और न ही स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 3.45 लाख स्टाम्प शुल्क का आरोपण किरायेनामे पर नहीं किया गया।

जनपद के जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा किरायेनामे पर सही किराया आरोपित करने व स्टाम्प शुल्क के भुगतान को सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया गया।

हमने अगस्त 2012 एवं अप्रैल 2013 के मध्य सात जिला आबकारी कार्यालयों⁶¹ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में देखा कि देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों को विभागीय गोदाम पट्टे पर दिया गया। दो जनपदों⁶² में निजी परिसर में स्थित गोदाम में थोक अनुज्ञापियों को गोदाम खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गयी। हमने निम्न-लिखित अनियमिततायें इन प्रकरणों में पायी :

- वर्ष 2007–08 से 2012–13 के मध्य देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों से गोदामों को दिये गये पट्टे पर अनुमोदित सक्रिल रेट के अनुसार सही किराया प्रभार्य नहीं किया गया, जिससे कि ₹ 66.79 लाख किराये की कम

⁵⁶ अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, जौनपुर, रामपुर, उन्नाव और वाराणसी।

⁵⁷ बरेली और लखनऊ।

⁵⁸ बरेली, लखीमपुर खीरी और लखनऊ।

⁵⁹ बरेली व लखनऊ (निजी परिसर), लखीमपुर खीरी (सरकारी गोदाम)।

⁶⁰ जिलाओं—अलीगढ़, बरेली, जौनपुर, रामपुर, उन्नाव और वाराणसी।

परिणामस्वरूप, शासन ₹ 71.86 लाख (₹ 66.79 कम किराया व ₹ 5.07 लाख स्टाम्प शुल्क) के राजस्व से वंचित रहा।

हमने मामला शासन को (जून 2013) प्रतिवेदित किया। शासन ने हमारी आपत्ति स्वीकार करते हुए कहा कि वसूली के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं। वसूली का विवरण प्रतीक्षित है।

3.8.15 देशी मदिरा के थोक बिक्रेता को अभिलेखों के रखरखाव में कमी के फलस्वरूप गोदाम व्यय अनुमन्य किया जाना

वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक देशी मदिरा के अधिकतम फूटकर मूल्य निर्धारण के समय थोक बिक्रेता को गोदाम परिव्यय अनुमन्य किया गया, जिसे देशी मदिरा के अधिकतम फूटकर मूल्य वर्ष 2007–08 में ₹ 1.30 प्रति बल्क लीटर वर्ष 2008–09 से 2010–11 में ₹ 1.39 प्रति बल्क लीटर एवं वर्ष 2011–12 में ₹ 1.53 प्रति बल्क लीटर की दर से सम्मिलित किया गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 के नियम-7 के उपनियम-3 के अनुसार लाइसेंसधारी प्रभारी अधिकारी को एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें अभिकर्ता तथा ऐसे समस्त कर्मचारियों के नाम होंगे जिनकी सेवायें गोदाम में आवश्यक हैं। गोदाम परिव्यय में, किराया, कर्मचारियों का वेतन, जल व विद्युत प्रभार सम्मिलित हैं।

नौ⁶¹ जिला आबकारी अधिकारियों के अभिलेखों⁶² की जांच में हमने देखा कि देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों को सात⁶³ जिला आबकारी अधिकारियों ने विभागीय गोदाम आबंटित किया एवं दो⁶⁴ जिला आबकारी अधिकारियों के पास निजी परिसर में गोदाम होने का विवरण था। संबंधित थोक अनुज्ञापियों⁶⁵ द्वारा उपलब्ध करायी गयी कर्मचारियों की सूची सभी नौ जिला आबकारी

कार्यालयों में उपलब्ध थी। हमने पाया कि गोदाम में कर्मचारियों की संख्या दो से चार⁶⁶ व वास्तविक किराया का खर्च देशी मदिरा के थोक बिक्रेता को आबंटित गोदाम परिव्यय, जो थोक बिक्रेता की मार्जिन का भाग है, का केवल 0.28 से 6.99 प्रतिशत की सीमा में था। इन नौ जनपदों में वर्ष 2007–08 व वर्ष 2011–12 के मध्य थोक बिक्रेताओं को अकेले ₹ 29.74 करोड़ गोदाम परिव्यय के रूप में अनुमन्य किया गया था। जब वास्तविक परिव्यय की तुलना उपलब्ध आकड़ों⁶⁷ से करते हैं तो वह बहुत उच्च प्रतीत होता है, जिसे परिशिष्ट-XIV में दर्शाया गया है।

जब हमने इसे इंगित किया तो, शासन ने अपनी सहमति प्रकट की कि गोदाम परिव्यय के संगणना के लिए कोई गणना-प्रपत्र नहीं था, और कहा कि किराया जल व विद्युत प्रभार, कम्प्यूटर, लेखन सामग्री और कर्मचारियों/श्रमिकों का वेतन को गोदाम परिव्यय के निर्धारण में संज्ञान में लिया जाता है। शासन के उत्तर से स्पष्ट है कि मूल्य निर्धारण समिति द्वारा वास्तविक व्यय की गणना नहीं की गयी है।

हम संस्तुति करते हैं कि गोदाम परिव्यय उचित अभिलेखों जैसे वास्तविक किराया, वेतन/मजदूरी इत्यादि जो कि पूर्व के वर्षों में भुगतान किया गया था, के आधार पर प्राक्कलित किया जाय।

⁶¹ जिऽआ०आ०—अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रामपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

⁶² गोदामों की लीज जीड़।

⁶³ जिऽआ०आ०—अलीगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, रामपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

⁶⁴ जिऽआ०आ०—बरेली एवं लखनऊ।

⁶⁵ सी एल-1सी (थोक अनुज्ञापन) विवरण में।

⁶⁶ वर्ष 2007–08 में बरेली में अपवादस्वरूप नौ को छोड़कर।

⁶⁷ लेखे में सम्मिलित नियमित जल व विद्युत प्रभार औसत 223.09 वर्ग मीटर गोदाम के लिए।

3.8.16 निष्कर्ष

हमारी लेखा परीक्षा ने भारत निर्मित विदेशी मदिरा व देशी मदिरा के अधिकतम खुदरा मूल्य के निर्धारण में एकरूपता न होना तथा नई आबकारी नीति लागू करने में वास्तविक प्राक्कलन पर अधिक संग्रहित थोक अनुज्ञापन शुल्क जमा करने के प्रावधानों की अनुपस्थिति जैसी कई कमियों को प्रकट किया। जारी किये गये नियमों का अनुपालन न किया जाना जैसे कि बेसिक लाइसेंस फीस का समपहरण न होना, प्रतिभूति का विलम्ब से जमा होना, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम उठान, शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन और थोक तथा फुटकर बिक्री की दुकानों के लाइसेंस फीस का अनारोपण / कम आरोपण के प्रकरण भी थे।

3.9 अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 के नियम-27 में प्रावधानित है, कि प्रभारी अधिकारी या नियम-26 के अधीन नियंत्रक द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी आसवनी की प्रयोगशाला की सहायता से प्रेषित माल की प्राप्ति पर तुरन्त ही शीरे की मात्रा एवं गुणवत्ता निर्धारित करेगा और सत्यापन के परिणामों और उसके द्वारा की गई नमूना जांचों को चीनी मिल से प्रेषित माल सहित दो प्रतियों में प्राप्त गेट पास फार्म एम०एफ०-४ के पीछे अंकित करेगा। आसवनी गेट पास की एक प्रति स्वयं रखेगा और दूसरी प्रति प्रभारी अधिकारी द्वारा चीनी मिल के प्राप्तकर्ता को इस तरह भेजेगा, कि आसवनी के गेट पर प्रेषित माल के पहुंचने के एक सप्ताह के अन्दर पहुंच जायें।

चीनी मिल में आबकारी विभाग के कर्मचारी द्वारा एम० एफ०-४ गेट पास वापसी प्राप्ति का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा, कि अधिकृत आसवनी द्वारा शीरे की प्राप्ति की गयी हैं, और एम०एफ०-४ गेट पास में मात्रा एवं गुणवत्ता को अंकित कर दिया गया हैं। शीरा नियंत्रण अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत किसी नियम या बनाये गये आदेश या निर्गत दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर कैद या दण्ड आरोपणीय होगा या अर्थदण्ड के साथ, जिसको दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, और सतत उल्लंघन पर अतिरिक्त अर्थदण्ड भी देय होगा, जिसको सतत उल्लंघन के दौरान सौ रुपये प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है।

करोड़ के अर्थदण्ड के आरोपण की कार्यवाही करने में विफल रहे।

हमारे प्रकरण उठाने (जून 2011 व जनवरी 2013 के मध्य) के पश्चात् शासन ने अगस्त 2013 में हमारे निरीक्षण को स्वीकार किया और बताया कि एम०एफ०-४ पासों

जनवरी 2011 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य 15 चीनी मिलों⁶⁸ की लेखापरीक्षा के दौरान हमने अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान 40 आसवनियों को निर्गत एम०एफ०-४ गेट पासों⁶⁹ का निरीक्षण किया। हमने देखा कि 26554 एम० एफ०-४ गेट पासों में से 3241 एम०एफ०-४ गेट पास (12.21 प्रतिशत) इन चीनी मिलों में सम्बन्धित आसवनियों से 71 दिनों के औसत विलम्ब से वापस प्राप्त हुए थे। आसवनियों इन गेट पासों की समय से वापसी के लिए उत्तरदायी थी। हमने देखा कि सभी प्रकरणों में विलम्ब अधिक था और एक से तीन वर्षों से अधिक समय तक लगातार यह कमियां थीं पर चीनी मिल के विभागीय अधिकारियों ने आसवनियों द्वारा गेट पासों की वापसी में हुए विलम्ब को संज्ञान में नहीं लिया, और ₹ 1.51

⁶⁸ किसान सहकारी चीनी मिल लिंग०, साठा, अलीगढ़, वेब आसवनी एवं विवरेज लिंग० अलीगढ़, जे के शुगर मिल, बरेली, किसान सहकारी चीनी मिल अनुपश्चात, बुलन्दशहर, सिम्मावली चीनी मिल लिंग०, गाजियाबाद, यूनाइटेड प्राविंस चीनी मिल सेवाराही, बुलीगांव, कांडिया चीनी मिल लिंग० कतानगंज, बुलीगांव, गंगा किसान को-ऑपरेटिव चीनी नियम लिंग०, मोरता मुजफ्फरनगर, तिताबी चीनी मिल, तिताबी, मुजफ्फरनगर, बजाज हिन्दुस्तान चीनी मिल लिंग०, पीलीभीत, एल एच शुगर फैब्री, पीलीभीत, राणा शुगर मिल्स, रामपुर, शाकुम्हरी शुगर टोडरपुर सहारनपुर, बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिंग० मकांदूदनपुर शाहजहांपुर, द किसान सहकारी चीनी मिल लिंग० तिलहर, शाहजहांपुर।

⁶⁹ नियम 25 पारिभावित करता है कि एम०एफ०-४ गेट पास के द्वारा आसवनी को चीनी मिल द्वारा शीरे को प्रेषित किया जाता है।

को शीरा निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर चीनी मिल में वापस प्राप्त हो जाने चाहिए। शीरा नियंत्रण अधिनियम की धारा-16 के अन्तर्गत चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोग / अर्थदण्ड से संबंधित कार्यवाही की जायेगी।

3.10 अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण परिहार्य व्यय

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम एवं वैट अधिनियम के अन्तर्गत टेण्डर फार्मों की बिक्री इन अधिनियमों में विहित दर पर कर की देयता को आकर्षित करता है। टेण्डर फार्म विक्रेता ऐसे फार्मों की बिक्री पर खरीदने वाले व्यक्ति से कर का आरोपण एवं संग्रहण करने और इसको कोषागार में जमा करने का दायी है।

हमने 29 जिला आबकारी कार्यालयों⁷⁰ के अभिलेखों⁷¹ की प्रति परीक्षा जांच में देखा (अप्रैल 2011 से जनवरी 2012) कि 1,25,664 टेण्डर फार्मों का विक्रय किया गया, और वर्ष 2007–08 से

2010–11 के दौरान प्रोसेसिंग फीस ₹ 3,864.66 लाख संग्रहीत की गयी। इस बिक्री पर आरोपणीय व्यापार कर/वैट की धनराशि ₹ 1.69 करोड़ जिला आबकारी कार्यालयों द्वारा फार्म के क्रेताओं से संग्रहीत नहीं की गयी थी।

हमारे द्वारा इसको इंगित किये जाने के पश्चात् (जून 2011 व फरवरी 2012 के मध्य) शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2013), कि आबकारी आयुक्त द्वारा वाणिज्य कर विभाग को इन फार्मों की बिक्री पर देय वैट के भुगतान हेतु प्रेषित मॉग के सापेक्ष जुलाई 2012 में शासन द्वारा ₹ 5.92 करोड़ की अनुदान आबंटित कर दी गयी हैं। शासन का उत्तर हमारी आपत्ति की पुष्टि करता है, कि विभाग ने क्रेताओं से कर का संग्रहण नहीं किया, और शासन पर इसका भार डाल दिया, जिसको अनुदान के रूप में स्वीकृत करना पड़ा। हमने यह भी देखा कि ₹ 5.92 करोड़ की मॉग प्रेषित किये जाने के कारणों में यह बताया गया कि आवेदकों से धनराशि की वसूली में असमर्थ हैं क्योंकि आवेदकों के पते उपलब्ध नहीं हैं। आवेदन के अभिलेखों का हमने निरीक्षण किया, व हमने देखा कि फार्मों में आवेदकों के नाम व पते स्पष्ट रूप से अंकित थे। इसलिए हमारे लेखापरीक्षा द्वारा यह स्थापित है, कि अनुदान हेतु उठायी गयी मॉग का आधार वास्तविक रूप में सही नहीं था।

अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने और आवेदकों से कर की वसूली हेतु समय से कार्यवाही न किये जाने के कारण शासकीय राजकोष पर परिहार्य भार पड़ा।

⁷⁰ जिंआ०का०—अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, औरैया, बागपत, बहराइच, बलिया, बांदा, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, एटा, गाजियाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, हरोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, मऊ, मेरठ, रमाबाई नगर, (कानपुर देहात), सहारनपुर, आवरती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर और सोनमढ़।

⁷¹ टेण्डर फार्म बिक्री पंजिका, रसीद बुक और रोकड़ बही।

कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में क्या मुख्यांकित किया

इस अध्याय में हमने ₹ 9.66 करोड़ के निदर्शी मामले प्रस्तुत किये हैं जो परिवहन विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाये गये थे। हमने माल एवं यात्री वाहनों से कर एवं शास्ति के न/कम वसूली होना, सीटिंग क्षमता के त्रुटिपूर्ण निर्धारण से वाहनों से देय कर की कम वसूली, अधिक भार ढोने वाले वाहनों पर शास्ति का अनारोपण, परमिट के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण शास्ति का अनारोपण, परमिट के आवेदन एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न होना, जब्त वाहनों से न/कम वसूली होना और कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर जो वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न थे, पर कर तथा अर्थदण्ड का अनारोपण, के कई मामले पाये।

कर संग्रह में अधिकता/कमी

वर्ष 2012–13 में पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में 25.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन बजट अनुमान से यह 1.54 प्रतिशत कम रहा।

आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा (आ०ल००प०शा०)

प्रमुख सचिव, परिवहन की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति का विभाग में गठन किया गया था, जो आ०ल००प०शा० के कार्यकलापों पर चर्चा के लिये आवधिक रूप से मिलती है। वर्ष 2012–13 के दौरान विभाग ने चार मामलों में आ०ल००प०शा० के दृष्टान्त पर ₹ 12.13 लाख की वसूली की।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

हमने 2012–13 की अवधि में परिवहन विभाग की 72 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और कर अवनिर्धारण और दूसरी अनियमितताओं, जिनमें ₹ 151.56 करोड़ सन्निहित था, के 668 मामले पाये। विभाग ने कर अवनिर्धारण और दूसरी कमियों के ₹ 10.30 लाख के मामलों को स्वीकार किया और ₹ 10.10 लाख की वसूली की।

हमारा निष्कर्ष

विभाग को आन्तरिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है जिससे तन्त्र की कमियां पता लगे और हमारे द्वारा पकड़ी गई प्रवृत्तियों को भविष्य में टाला जा सके।

हमारे द्वारा इंगित किये गये वसूली न होने, कर के कम आरोपण, अर्थदण्ड आदि के विशेषतः उन मामलों में जहाँ विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकारा है, की वसूली के लिये भी त्वरित कार्यवाही प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

अध्याय-IV

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 कर प्रशासन

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0 मो0या0क0 अधिनियम), उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998, मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा मोटरयान नियमावली, 1989 में विभिन्न प्रकार के करों जैसे माल कर, अतिरिक्त कर (यात्री कर) एवं फीस आदि के आरोपण का प्रावधान है।

शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन एवं पर्यवेक्षण परिवहन आयुक्त(प0आ0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में छः उप परिवहन आयुक्तों (उ0प0आ0), 19 सभागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0आ0) तथा 72 सहायक सभागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0आ0) (प्रशासन) द्वारा की जाती है।

4.2 प्राप्तियों का रुझान

माल एवं यात्री वाहनों पर कर की वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के साथ उक्त अवधि के दौरान कुल कर प्राप्ति को सारणी क्रमांक 4.1 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर आधिक्य (+) कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कूल कर प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियों का कूल कर प्राप्तियों के सापेक्ष प्रतिशत
2008–09	1,600.00	1,391.15	(-) 208.85	(-) 13.05	28,658.97	4.85
2009–10	1,574.89	1,674.55	(+) 99.66	6.33	33,877.60	4.94
2010–11	2,089.90	2,058.58	(-) 31.32	(-) 1.50	41,355.00	4.98
2011–12	2,329.95	2,380.67	(+) 50.72	2.18	52,613.43	4.52
2012–13	3,093.90	2,993.96	(-) 99.94	(-) 3.23	58,098.36	5.15

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

यह देखा जा सकता है कि बजट अनुमान वास्तविक है और राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 में वर्ष 2011–12 की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में 25.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है किन्तु यह बजट अनुमान से 3.23 प्रतिशत कम है।

4.3 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को ₹ 53.83 करोड़ का राजस्व बकाया था। वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक के राजस्व बकाये की स्थिति सारणी क्रमांक 4.2 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 4.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाये का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान संग्रहित धनराशि	बकाये का अन्तिम अवशेष
2008–09	71.74	1,380.02	1,391.15	60.61
2009–10	60.61	1,661.41	1,674.55	47.47
2010–11	47.47	2,040.78	2,058.58	29.67
2011–12	29.67	2,380.69	2,380.67	29.69
2012–13	29.69	3,018.10	2,993.96	53.83

स्रोत: वित्त लेखे तथा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

बकायों के अन्तिम अवशेष में वृद्धि हुई है। पाँच वर्ष से अधिक के पुराने बकाये और विभिन्न अवस्थायें जहाँ अवरोध बकाया राजस्व की वसूली नहीं हो पाई है, उसके बारे में बारम्बार अनुरोध के बाद भी विभाग द्वारा सूचना नहीं दी गयी (दिसम्बर 2013)।

4.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान माल एवं यात्री वाहनों पर कर का सकल संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के दौरान सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे अंकित है।

सारणी क्रमांक 4.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह के लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए संग्रह लागत की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008–09	1,391.15	50.43	3.62	2.58
2009–10	1,674.55	69.16	4.13	2.93
2010–11	2,058.58	78.13	3.80	3.07
2011–12	2,380.67	79.86	3.35	3.71
2012–13	2,993.96	95.45	3.19	2.96

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित लेखे तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना।

उपरोक्त से परिलक्षित है कि संग्रह लागत पर व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक क्रमशः कम होती गई किन्तु संग्रह की लागत वर्ष 2012–13 में अखिल भारतीय औसत से अभी भी अधिक है।

4.5 आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा

किसी संगठन की आन्तरिक नियंत्रण क्रियाविधि के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा (आ०ले०प०शा०) एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे सामान्यतः सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को सुनिश्चित करता है कि निर्धारित तन्त्र भलीभाँति कार्य कर रहे हैं।

विभाग में प्रमुख सचिव परिवहन की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो समय–समय पर आ०ले०प०शा० के कार्यकलापों पर चर्चा करती है। वर्ष 2012–13 में विभाग ने आ०ले०प०शा० के दृष्टान्त पर चार प्रकरणों में ₹ 12.13 लाख की वसूली की।

आ०ले०प०शा० में एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और तीन लेखा परीक्षक नियुक्त हैं। विभाग द्वारा शाखा की स्वीकृत पदों की संख्या, लेखा परीक्षा योजना का विवरण जैसे लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाइयों की संख्या, लेखापरीक्षा हुई इकाइयों की संख्या, वर्ष के दौरान उठाई गई एवं समाधानित आपत्तियों की संख्या एवं उनमें निहित धनराशि की सूचना नहीं दी गई।

हम संस्तुति करते हैं कि आ०ले०प०शा० को मजबूत किया जाय और वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाय।

4.6 लेखा परीक्षा का राजस्व प्रभाव

4.6.1 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

हमने वर्ष 2007–08 से 2011–12 से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में यात्रीकर/अतिरिक्त कर का न/कम आरोपण किया जाना, मार्ग कर/माल कर का अवनिर्धारण और दूसरी अनियमिताओं के मामले जिनमें ₹ 121.51 करोड़ की धनराशि सन्तुष्टि है, प्रतिवेदित किये थे। इनमें से विभाग ने ₹ 83.50 करोड़ की आपत्तियां

स्वीकार की थी और 31 मार्च 2013 तक ₹ 12.76 करोड़ वसूल कर लिया था। विवरण सारणी क्रमांक 4.4 में अंकित है:

सारणी क्रमांक 4.4

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गई धनराशि 31.03.2013 तक
2007–08	82.02	73.22	8.80
2008–09	5.80	0	0
2009–10	15.80	8.16	2.61
2010–11	2.46	1.28	0.62
2011–12	15.43	0.84	0.73
योग	121.51	83.50	12.76

विगत पाँच वर्षों के दौरान वसूल की गयी धनराशि स्वीकृत मामलों की तुलना में शून्य या बहुत कम रही।

हम संस्तुति करते हैं कि सरकार कम से कम उन आपत्तियों के विषय में जो स्वीकार की गयी हैं, वसूली की स्थिति सुधारने हेतु उपयुक्त कदम उठाये।

4.6.2 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान हमने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कर के कम आरोपण, कर की वसूली न होना / कम वसूली, अवनिर्धारण / राजस्व क्षति, गलत छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 1,819 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 399.45 करोड़ का राजस्व निहित था। इनमें से विभाग / शासन ने 459 मामलों में निहित ₹ 10.13 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की तथा 31 मार्च 2013 तक इन मामलों में निहित धनराशि वसूल कर ली थी। विवरण सारणी क्रमांक 4.5 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकृत धनराशि		वसूल की गई धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2007–08	62	213	94.45	4	0.25	4	0.25
2008–09	71	344	118.34	148	2.49	148	2.49
2009–10	71	245	26.46	40	0.85	40	0.85
2010–11	71	369	29.54	263	6.44	263	6.44
2011–12	96	648	130.66	4	0.10	04	0.10
योग	371	1819	399.45	459	10.13	459	10.13

अधिक मात्रा में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के लंबित रहने की दृष्टि से शासन नियमित अन्तराल में प्रस्तरों के त्वरित निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन करना सुनिश्चित करे।

4.6.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान परिवहन विभाग से सम्बन्धित 72 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के ₹ 151.56 करोड़ के

668 मामले प्रकाश में आये, जो सारणी क्रमांक 4.6 में दर्शायी निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

सारणी क्रमांक 4.6

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1	यात्री कर/अतिरिक्त कर का अनारोपण/ कम आरोपण	126	72.87
2	मार्ग कर का अवनिर्धारण	49	0.82
3	माल कर का अनारोपण/ कम आरोपण	72	7.61
4	अन्य अनियमिततायें	421	70.26
	योग	668	151.56

वर्ष 2012–13 के दौरान विभाग ने हमारे चार मामलों जिसमें ₹ 10.30 लाख की धनराशि सन्निहित थी, आपत्तियां स्वीकार की और इनमें से अवनिर्धारण और अन्य अनियमितताओं के मामलों से ₹ 10.10 लाख वसूल किये।

कुछ निदर्शी मामले जिसमें परिवहन विभाग में "मोटर यान अधिनियम/विभागीय आदेशों का अनुपालन न किये जाने" का प्रस्तर सम्मिलित है, तथा ₹ 9.66 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है।

4.7 मोटर यान अधिनियम/विभागीय आदेशों का अनुपालन न किया जाना

मोटरयान नियमावली, 1989 (मो०या०नियमावली) के नियम 86 से 90 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर चलने हेतु कोई वाहन एक निर्धारित प्रारूप में राष्ट्रीय परमिट हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारी को आवेदन देगा। मोटरयान अधिनियम, 1988 (मो०या०अधिनियम) की धारा 81 के अनुसार परमिट पाँच वर्ष के लिए वैध है। यद्यपि, मो०या० नियमावली के नियम 87(3) के अनुसार राष्ट्रीय परमिट का अधिकार पत्र एक वर्ष के लिये है।

राष्ट्रीय परमिट के नवीनीकरण का आवेदन इस परमिट की वैधता समाप्त होने के 15 दिन पहले देना होता है।

परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी प्राधिकार पत्र समाप्ति के 15 दिन के भीतर परमिट धारक को यह नोटिस निर्गत करेंगे कि वह यह स्पष्ट करें कि प्राधिकार पत्र नवीनीकरण न कराये जाने पर क्यों न उसका परमिट निरस्त कर दिया जाये। निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर परमिट निरस्त कर देगा।

कराया जाना शेष था।

इस तथ्य के बावजूद कि सभी सूचनाएं जैसे अधिकार पत्र की वैधता समाप्त होने की तिथि, जमा कर और राष्ट्रीय परमिट आच्छादित वाहन के अन्य विवरण, वाहन

4.7.1 मई 2012 और मार्च 2013 के दौरान हमने राज्य के सभी 19 स०प०क०¹ में नये राष्ट्रीय परमिट प्रणाली में प्रावधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में इससे सुसंगत अभिलेखों² की जाँच की। हमने देखा कि फरवरी 2010 और मार्च 2013 के मध्य 78,156 माल वाहन जिनको राज्य में राष्ट्रीय परमिट निर्गत किया गया था में से 2,939 वाहन³ का राष्ट्रीय परमिट के अधिकार पत्र का वार्षिक नवीनीकरण

¹ आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बांदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गोजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी।

² वाहनों की पत्रावलियां, परमिट रजिस्टर, रसीद बुक और रोकड़ बही।

³ 17 स०प०क० में।

साफ्टवेयर⁴ में उपलब्ध थे, इन प्रकरणों को विभाग द्वारा चिन्हित नहीं किया गया। विभाग द्वारा परमिट धारक को नोटिस निर्गत कर परमिट निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी जैसा कि परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश में वर्णित है।

हमने देखा कि केवल सहारनपुर⁵ में स०प०अ० द्वारा प०आ० के फरवरी 2000 में दिये आदेश के अनुसार कार्यवाही की गई और म०या० 1988 की धारा-86 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत की गई।

हमारे द्वारा इस बिन्दु को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने बताया⁶ (जनवरी 2014) कि :

- 842 वाहनों के परमिट निरस्त किये गये।
- 779 वाहनों के राष्ट्रीय परमिट के अधिकार पत्र ₹ 1.10 करोड़ समेकित फीस तथा नवीनीकरण फीस लेकर, नवीनीकृत किये गये।
- 1008 वाहनों के संबंध में म०या० 1988 की धारा-86 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

म०या० 1988 की धारा 81(1) प्रावधानित करता है कि धारा 87 के अधीन निर्गत अस्थाई परमिट या धारा 88 की उप धारा-(8) के अधीन निर्गत विशेष परमिट से भिन्न परमिट पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगा। धारा-81(2) के अधीन परमिट, वैधता अवधि समाप्ति के 15 दिन से पूर्व आवेदन कर नवीनीकृत कराया जा सकता है। उ०प्र०म० 1998 के नियम 22 के अनुसार वाहन को प्रयोग से हटाने पर परमिट और अन्य दस्तावेज अभ्यर्पित करना होगा। यदि परमिट और अन्य दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किया जाता तो यह समझा जायेगा कि मोटर वाहन प्रयोग में है।

4.7.2 हमने परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों⁷ से देखा (मई 2012) कि 55 बसों⁸ एवं 111 मोटर टैक्सियों⁹ के परमिट की वैधता जनवरी 2008 से मार्च 2012 के मध्य समाप्त हो गई थी। क्योंकि वाहन स्वामियों ने दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये, मोटर वाहन उ०प्र०म० 1998 के नियम 22 के अनुसार प्रयोग में समझे जायेंगे।

इस तथ्य के बावजूद कि सभी सूचनायें जैसे कि परमिट वैधता की समाप्ति की तिथि, जमा कर और वाहनों के अन्य विवरण वाहन साफ्टवेयर में उपलब्ध थे, इन प्रकरणों को विभाग द्वारा चिन्हित नहीं किया गया।

हमारे द्वारा इसे विभाग और शासन को जून 2012 में इंगित किये जाने पर विभाग ने वाहन साफ्टवेयर (सितम्बर 2013) कि परमिट का नवीनीकरण तभी किया जाता है जब इसके लिए परमिट धारक आवेदन करता है। इन प्रकरणों में कोई भी परमिट और आवेदन शुल्क नहीं वसूला गया क्योंकि परमिट धारक ने नवीनीकरण या निरस्तीकरण के लिए कभी भी आवेदन नहीं किया। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि परमिट की वैधता समाप्त हो गयी थी और परमिट/दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे। इस प्रकार यह मोटर वाहन उ०प्र०म० 1998 के नियम 22 के अनुसार प्रयोग में समझे जाने थे और विभाग को राजकोष के हित में वाहन स्वामियों को नोटिस निर्गत करने में सक्रियता से कार्यवाही करनी चाहिए थी।

⁴ वाहनों के विवरण जैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट, कर आदि के लिये निर्मित।

⁵ 194 वाहन।

⁶ स०प०क० 1998 की अलीगढ़, इलाहाबाद, बांदा, बरेली, फैजाबाद और गोण्डा का उत्तर प्रतीक्षित है।

⁷ परमिट रजिस्टर एवं सम्बन्धित फाइल।

⁸ 3359 वाहनों में से।

⁹ 34789 वाहनों में से।

राज्य सरकार मो0या0 अधिनियम/उ0प्र0मो0वा0 नियमावली अथवा फरवरी 2000 के विभागीय आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक तन्त्र विकसित करे जिससे कि राजस्व का क्षरण न हो।

4.8 निजी/कृषि कार्य हेतु पंजीकृत वाहनों का वाणिज्यिक उपयोग

उ0प्र0 मो0 यान अधिनियम, 1997 की धारा 4(2) के अन्तर्गत दिनांक 28 अक्टूबर 2009 को निर्गत अधिसूचना के अनुसार सन्निर्माण उपस्कर यान इकिवपमेन्ट कंस्ट्रक्शन वेहिकल या विशेष प्रकार के या विशेष उद्देश्य से निर्मित यान, जो वाणिज्यिक उद्देश्य से पंजीकृत हो अथवा उपयोग में लाये जाये, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए देय कर, ₹ 500 प्रति ट्रैमास अथवा ₹ 1800 प्रति वर्ष की दर से आरोपणीय है।

थे और केवल एकबारीय कर जमा किया था। चूंकि इन सभी वाहनों का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया था, इन वाहनों का निजी वाहन के रूप में पंजीकृत होना और एकबारीय कर का आरोपण किया जाना गलत था। विवरण सारणी क्रमांक 4.7 में दर्शित है :

सारणी क्रमांक 4.7

(₹ लाख में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	निजी रूप में पंजीकृत वाहनों की संख्या	₹ 1800 प्रति टन प्रति वर्ष की दर से आरोपणीय कर	एक बारीय जमा कर	पंजीकरण की अवधि
1	स0प0का0 आजमगढ़	04	8.64	5.23	02/2010 से 07/2012
2	स0प0का0 गाजियाबाद	04	8.50	5.11	07/2011 से 01/2012
3	स0स0प0का0 हरदोई	02	4.59	0.88	08/2011 से 12/2011
	योग	10	21.73	11.22	

पुनश्च, 14 वाहनों¹⁴ में स्वामियों द्वारा एक से आठ ट्रैमास का ट्रैमासिक कर भी नहीं जमा किया गया था और अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही थी। इसके फलस्वरूप ₹ 3.06 लाख के कर का अनारोपण हुआ जैसा कि सारणी क्रमांक 4.8 में दर्शाया गया है।

सारणी क्रमांक 4.8

(₹ लाख में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	निजी रूप में पंजीकृत वाहनों की संख्या	₹ 1800 प्रति टन प्रति वर्ष की दर से आरोपणीय कर	जमा कर	देय कर	पंजीकरण की अवधि
1	स0प0का0 लखनऊ	14	3.06	—	3.06	7/2010 से 3/2012
	योग	14	3.06	—	3.06	

¹⁰ आजमगढ़, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ।¹¹ हरदोई, महाराजगंज और मऊ।¹² टैक्स पोरिटंग रजिस्टर, पंजीयन रजिस्टर, कर रजिस्टर, अभियोजन पुस्तिका, अपराध एवं जब्ती रजिस्टर।¹³ जे.सी.बी. मशीन(1), क्रेन(1), अर्थ मूविंग मशीन(4), उत्खनक वाहन (4)।¹⁴ क्रेन(13), कैश वैन(1)।

हमारे द्वारा मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये जाने पर (जुलाई 2012 से फरवरी 2013) विभाग ने आजमगढ़, लखनऊ और हरदोई के मामले में हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और नोटिस निर्गत करने तथा वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। गाजियाबाद¹⁵ के मामले और हरदोई के एक वाहन (क्रेन) के विषय में विभाग ने बताया कि फर्म द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार, वाहनों का उपयोग गैर परिवहन/निजी वाहन के रूप में किया जा रहा है। उपरोक्त के विषय में हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि ये सभी वाहन व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि फर्म के लिए पंजीकृत की गई थीं और ये उत्खनक वाहन (एक्सकवेटर) तथा क्रेन थे।

कृषि कार्य से भिन्न वाणिज्यिक उद्देश्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर पर प्रत्येक मीट्रिक टन लदान रहित भार या उसके भाग पर ₹ 500 प्रति त्रैमास या ₹ 1800 वार्षिक की दर से कर देय है। अग्रेतर, मो०या० अधिनियम की धारा 192-अ के अनुसार जो कोई धारा-66 की उपधारा (1) के प्रावधानों के विपरीत अथवा उस उद्देश्य जिसके लिए वाहन का प्रयोग किया जा सकता है, उस पर प्रथम अभियोग के लिए ₹ 2500 जिसे दिनांक 25 अगस्त 2010 से उत्तर प्रदेश शासन की दिनांक 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना संख्या 1452/ 30-4-10-172/89 के द्वारा बढ़ाकर ₹ 4000 कर दिया गया है, से दण्डनीय है।

ने वाणिज्यिक रूप में प्रयुक्त इन वाहनों से अन्तरीय कर के आरोपण एवं वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की और न ही इन पर अधिनियम के उल्लंघन के लिए कोई आवश्यक दण्ड लगाया गया। इस प्रकार कार्यवाही न करने से कर और अर्थदण्ड के ₹ 4.31 लाख की वसूली नहीं हो पाई जैसा कि विवरण सारणी क्रमांक 4.9 में दिया गया है—

सारणी क्रमांक 4.9

(₹ लाख में)

क्रम सं०	इकाई का नाम	वाहन का लदान रहित भार (टन में)	वाहन संचालन की अवधि	वाहनों की संख्या	देय कर की धनराशि ₹ 500 प्रति त्रैमास प्रति टन लदान रहित भार का	देय शास्ति ₹ 4000 प्रति वाहन की दर से	कर और शास्ति की कुल धनराशि
1.	स०प०क०१ कानपुर नगर	02	04/2011 से 07/2012	07	0.07	0.28	0.35
		03		02	0.03	0.08	0.11
2.	स०स०प०३० महाराजगंज	02	03/2011 से 06/2011	37	0.37	1.48	1.85
3.	स०स०प०३० मऊ	02	08/2009 से 09/2010	40	0.40	1.60	2.00
	योग			86	0.87	3.44	4.31

हमारे द्वारा मामले को विभाग एवं शासन को (जुलाई 2012 से फरवरी 2013) प्रतिवेदित करने पर विभाग हमारे प्रेक्षण से सहमत नहीं हुआ और कहा (नवम्बर 2013) कि प्रवर्तन

¹⁵ गाजियाबाद में चार उत्खनक वाहन।

शाखा द्वारा वाहनों की जांच में कोई भी ट्रैक्टर उपखनिज ढोते हुए नहीं पाया गया। विभाग का उत्तर यह प्रदर्शित करता है कि विभाग ने वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे इन वाहनों पर कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं की जबकि इस बात के ठोस प्रमाण हमारे द्वारा खनन विभाग के अभिलेखों से उपलब्ध कराये गये हैं। यहाँ तक कि विभाग द्वारा जिला खान अधिकारियों के अभिलेखों से मिलान भी नहीं किया गया।

4.9 टाटा मैजिक वाहन की सीटिंग क्षमता कम ग्रहण किये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अन्तर्गत (28 अक्टूबर 2009 को संशोधित) उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवहन यान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक उसके सम्बन्धित अधिनियम की धारा-4 की उपधारा(2) के अन्तर्गत निर्धारित कर का भुगतान न कर दिया गया हो। मोटर कैब और मैकरी कैब पर (तीन पहिया मोटर कैब को छोड़कर) लागू कर की दर 7 नवम्बर 2010 तक ₹ 550 प्रतिसीट प्रतितिमाही तथा 8 नवम्बर 2010 से ₹ 660 प्रतिसीट प्रतितिमाही थी। परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 30 जुलाई 2007 और 24 मई 2010 के द्वारा 1000 किमी कर्ब भार के टाटा मैजिक वाहन (बेसिक मॉडल) के लिए कुल आठ सीट अनुमन्य की गयी थी।

पर निर्धारित करके वसूला गया। वाहन संबंधी विवरण विक्रय पत्र में अंकित रहता है जिसको पंजीकरण के समय स0स0प0का0 / स0प0का0 में प्रस्तुत करना होता है। इसको संबंधित स0स0प0अ0 / स0प0अ0 चिन्हित नहीं कर पाये जिसके फलस्वरूप ₹ 16.75 लाख का कर कम वसूला गया जैसा कि सारणी क्रमांक 4.10 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.10

क्रम सं0	इकाई का नाम	वाहन की संख्या (लदान रहित भार 1000 किमी)	अवधि	आरोपणीय कर	जमा कर	कम आरोपित कर	(₹ लाख में)
1	स0प0का0 बरेली	194	अप्रैल 2011 से मार्च 2012	18.31	15.69	2.62	
2	स0प0का0 झाँसी	90	अगस्त 2011 से जुलाई 2012	16.63	14.25	2.38	
3	स0स0प0का0 जालौन	166	जुलाई 2011 से जून 2012	30.68	26.29	4.39	
4	स0स0प0का0 जै0पी0 नगर	64	अप्रैल 2011 से अप्रैल 2012	12.15	10.41	1.74	
5	स0स0प0का0 महाराजगंज	120	अप्रैल 2011 से जून 2012	26.58	22.78	3.80	
6	स0स0प0का0 प्रतापगढ़	89	अगस्त 2011 से अगस्त 2012	12.72	10.90	1.82	
	योग	723		117.07	100.32	16.75	

¹⁶ स0प0का0 बरेली और झाँसी।

¹⁷ स0स0प0का0 जालौन, जै0पी0नगर, महाराजगंज और प्रतापगढ़।

¹⁸ यात्री कर रजिस्टर, वाहनों की पत्रावलिया और वाहनों का डाटाबेस।

हमारे द्वारा मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित (अप्रैल 2012 और अक्टूबर 2012) किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2013) हमारी आपत्ति को स्वीकार किया और 544 वाहनों से ₹ 9.58 लाख वसूल किया और बताया कि शेष वाहनों से वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। झाँसी के प्रकरण में विभाग ने बताया कि लेखा परीक्षा द्वारा उद्धृत 67 प्रकरणों में कोई अन्तर नहीं पाया गया और एक सूची जिसमें लदान रहित भार तथा अन्य विवरण थे उत्तर के साथ संलग्न की। हमने सूची का मिलान किया और पाया कि इन विवादित 67 वाहनों की पंजीयन संख्या वह नहीं थी जिसे हमने लेखा परीक्षा में इंगित किया था। इसलिए हम झाँसी के मामले में विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं।

4.10 वाहनों के बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालन के कारण राजस्व की वसूली न होना

केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम (केंद्रीय मोटरयान) 1988 के अधीन धारा-56 एवं केन्द्रीय मोटरयान (केंद्रीय मोटरयान) नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसे स्वस्थता प्रमाण-पत्र जारी न कर दिया जाय। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्ष के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है। इसके पश्चात तिपहिया, हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों का स्वस्थता प्रमाण पत्र क्रमशः ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 तथा ₹ 100 स्वस्थता जाँच की फीस का भुगतान करने पर जारी किया जाता है। विलम्ब की स्थिति में निर्धारित फीस के समतुल्य अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। बिना स्वस्थता प्रमाण-पत्र के संचालित वाहन, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-192 के अन्तर्गत ₹ 2500 प्रति अपराध की दर से शमनीय है जिसे अधिसूचना संख्या 1452 / 30-4-10-172 / 89 दिनांक 25 अगस्त 2010 द्वारा बढ़ाकर ₹ 4000 कर दिया गया है।

₹ 3.52 करोड़ शास्ति के रूप में आरोपणीय था क्योंकि ये बिना स्वस्थता प्रमाण-पत्र के संचालित हो रहे थे।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2012 और मई 2013), विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि बिना स्वस्थता प्रमाणपत्र के वाहनों के संचालन के प्रमाण के अभाव में शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। पुनर्श्च, विभाग ने बताया कि स्वस्थता फीस के रूप में कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वह नवीनीकरण के समय वसूल कर ली जायेगी।

हमने दस स०प०का०¹⁹ और 15 स०स०प०का०²⁰ के अभिलेखों²¹ का परीक्षण (अप्रैल 2012 और मार्च 2013 के मध्य) किया और देखा कि अप्रैल 2010 और फरवरी 2013 के मध्य 8,792 वाहन²² बिना वैध स्वस्थता प्रमाण-पत्र के संचालित थे और केवल देय कर वसूला गया था। विभाग के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि देयकर स्वीकार करने के समय वैध स्वस्थता प्रमाण-पत्र है। ऐसे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता है। ऐसे वाहनों पर ₹ 51.22 लाख का स्वस्थता शुल्क तथा

¹⁹ स०प०का० इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, मेरठ, मिर्जापुर, सहारनपुर और वाराणसी

²⁰ स०स०प०का० बदायूँ, बहराइच, बिजनौर, बुलन्दशहर, देहरादून, फतेहपुर, जैनपी० नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, मैनपुरी, महोबा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सोनभद्र और उन्नाव।

²¹ कर रजिस्टर, वाहनों की पत्रावलियां, वाहनों का डाटाबेस, रसीद बुक और रोकड़ बही।

²² ₹ 3.18 लाख वाहनों में से।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि ये वाहन संबंधित अवधि जिसमें वाहन बिना स्वस्थता प्रमाणपत्र के संचालित थे, कर जमा कर रहे थे। इस प्रकार हमारे द्वारा इंगित तथ्य अनुत्तरित रहा कि कर अदायगी के समय स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना विभाग ने सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा विभाग ने ₹ 19.05 लाख स्वस्थता शुल्क एवं ₹ 14.16 लाख शास्ति²³ वसूल किया और शेष प्रकरणों के हमारे द्वारा इंगित करने के बाद स्वस्थता शुल्क की वसूली हेतु वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किया। विभाग का उत्तर उसके द्वारा संलग्न की गई कार्यवाही के रिपोर्ट के अनुरूप नहीं है जहाँ विभाग ने स्वस्थता फीस के रूप में ₹ 19.05 लाख और शास्ति के रूप में ₹ 14.16 लाख वसूल किया और शेष प्रकरणों में स्वस्थता फीस की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया।

4.11 स्कूल वाहनों पर परमिट शुल्क का वसूल न किया जाना

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 27/2000 के सन्दर्भ में वर्ष 2000 में यथासंशोधित उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी शिक्षण संस्था अपने छात्रों के परिवहन हेतु बिना समुचित परमिट के वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा। अग्रेतर, उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 (31 दिसम्बर 2010 को यथा संशोधित) का नियम-125 नये परमिट के निर्गमन, उसके नवीनीकरण तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु ₹ 3,750 प्रावधानित करता है।

हमने एक स0प0का0²⁴ और चार स0स0प0का0²⁵ के अभिलेखों²⁶ की जाँच की (मई 2012 और जून 2012 के मध्य) और पाया कि मई 2011 से मई 2012 की अवधि में 255 स्कूल वाहन परिक्षेत्रों में बिना परमिट के संचालित हो रहे थे। इसके फलस्वरूप ₹ 9.56 लाख

की परमिट फीस की वसूली नहीं हुई जैसा कि सारणी क्रमांक 4.11 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.11

क्रम सं	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	प्रतिवाहन आरोपणीय परमिट फीस (₹)	(₹ लाख में) सन्निहित राजस्व की धनराशि
1	स0स0प0का0 अम्बेडकरनगर	31	3750	1.16
2	स0प0का0 बरेली	29	3750	1.09
3	स0स0प0का0 जै0पी0नगर	30	3750	1.12
4	स0स0प0का0 महोबा	09	3750	0.34
5	स0स0प0का0 लखीमपुर खीरी	156	3750	5.85
	योग	255		9.56

हमारे द्वारा मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित करने पर (जून 2012 और जुलाई 2012), विभाग ने हमारी आपत्ति स्वीकार की (अक्टूबर 2013) और 119 वाहनों से ₹ 4.46 लाख वसूल किये और कहा कि शेष वाहनों के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

²³ स0स0प0का0 उन्नाव ₹ 1.44 लाख और स0प0का0 वाराणसी ₹ 12.72 लाख।

²⁴ स0प0का0 बरेली।

²⁵ स0स0प0का0 अम्बेडकरनगर, जै0पी0नगर, लखीमपुर खीरी और महोबा।

²⁶ वाहनों की पत्रावलिया, परमिट रजिस्टर और वाहनों का डाटाबेस।

4.12 दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न होने का प्रभाव

उ०प्र०मो०या०क० अधिनियम, 1997 (2009 में यथा संशोधित) की धारा-8(1) के प्रावधानों के अनुसार किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो उत्तर प्रदेश सङ्क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (उ०प्र०स०प०दु०रा०नि०) कही जायेगी। धारा-4 के अधीन उद्ग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा-6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।

परिवहन आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों²⁷ से हमने देखा (मई 2012) कि अप्रैल 2011 और मार्च 2012 की अवधि के मध्य विभाग द्वारा माल और यात्री वाहनों से कर और अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 786.74 करोड़ वसूल किया गया। इस धनराशि का दो प्रतिशत ₹ 15.73

करोड उ०प्र०स०प०दु०रा०नि० में जमा किया जाना था लेकिन विभाग द्वारा इसे निधि में जमा नहीं कराया गया क्योंकि निधि की स्थापना अभी होनी है। अग्रेतर, हमने देखा कि वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान उ०प्र०रा०स०प०नि० की बसों की दुर्घटना में 1039 मामलों में यात्रियों या इन यात्रियों के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 61.90 लाख का भुगतान बजट के मुख्य शीर्ष “2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण” से किया गया। निधि की स्थापना न होने से अधिनियम के प्रावधान का उद्देश्य निष्प्रभावी रहा और क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य के राजस्व बजट से करना पड़ा।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2012)। उत्तर में विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि उ०प्र०स०प०दु०रा०नि० की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति में है। वसूला गया कर और अतिरिक्त कर शासन के कोषागार में जमा किया जा चुका है अतः शासन राजस्व से वंचित नहीं था। मुख्य शीर्ष “2235” से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया अतः कोई भी लाभार्थी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से वंचित नहीं रहा। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि विभाग कर एवं अतिरिक्त कर को, बजाय इसके दो प्रतिशत को उ०प्र०स०प०दु०रा०नि० में जमा करने के, पूर्णतया मुख्य शीर्ष “0041” में जमा करके बढ़ी हुई राजस्व आय दिखा रहा है। साथ-साथ निधि की स्थापना न किये जाने से अधिनियम के प्रावधान का उद्देश्य ही निष्प्रभावी हो गया।

²⁷ राजस्व प्राप्तियों का मासिक व्यौरा।

4.13 अधिक भार का परिवहन करने वाले वाहनों पर शास्ति का अनारोपण

मोटर यान अधिनियम, 1988 (मोया० अधिनियम) की धारा-113, भार की सीमा और प्रयोग की, जो कि परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित किये गये हैं जो राज्य में संचालित वाहनों के परमिट निर्गत करने के सम्बन्ध में संचालन हेतु शर्तें निर्धारित करता है। धारा-113(3) (ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पंजीयन प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट सकल यान से अधिक लदान वाली मोटर यान या ट्रेलर को न चलायेगा या चलने देगा।

मोया० अधिनियम, 1988 की धारा-194 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जो कोई अनुमन्य भार से अधिक के किसी मोटरयान को चलायेगा या मोटरयान का उपयोग करायेगा या किये जाने देगा, वह न्यूनतम दो हजार रुपये एवं अतिरिक्त प्रतिटन अधिक भार के लिये एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। इसके साथ-साथ अधिक भार उत्तरवाने हेतु देय प्रभार का दायी भी होगा।

विभिन्न प्रकार के वाहनों द्वारा परिवहन किये जाने वाले उपखनिजों के भार* की अधिकतम सीमा का निर्धारण, परिवहन आयुक्त द्वारा निर्गत पंजीयन पत्र में वाहनों का लदान भार निम्न रूप से निर्धारित किया गया है।

(भार टन में)					
क्रम सं०	उप खनिज	दो पहिया ट्रैक्टर	चार पहिया ट्रैक्टर	छ: पहिया ट्रक	दस पहिया ट्रक
1	साधारण बालू	3.00	5.25	13	19
2	मोरम	3.00	5.25	13	19
3	साधारण मिट्टी	3.00	5.25	13	19
4	बोल्डर/मिट्टी/स्टोन ग्रिट	3.00	5.25	13	19

*अधिकतम अनुमन्य लदान भार= सकल यान भार (स०या०भा०)-लदान रहित भार (ल०र०भा०)

से प्रमाणित था। अतः ये सभी वाहन मोया० अधिनियम, 1988 की अन्तर्गत कार्यवाही के योग्य थे।

हमने संबंधित स०प०का०/ स०स०प०का० की अभियोजन पुस्तिका, अपराध या जब्ती रजिस्टर की जाँच के बाद पाया कि ये वाहन ओवरलोड पाये जाने तथा अधिक भार को उत्तरवाने के प्रभार देय होने के रूप में अंकित नहीं थे। स०प०अ०/ स०स०प०अ० ने इन वाहनों को रोकने और अनुमन्य भार से अधिक ढोने के कारण दण्डित करने की कोई कार्यवाही नहीं की, अधिक भार लदे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा के साथ

²⁸ स०प०का० बांदा, गोरखपुर और सहारनपुर।

²⁹ स०स०प०का० अम्बेडकरनगर, औरेया, बदायू, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बुलन्दशहर, फरुखाबाद, जैपी० नगर, काशीरामनगर, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, सन्तरविदास नगर, सीतापुर और उन्नाव।

³⁰ आरोप पुस्तिका, अपराध और जब्ती रजिस्टर

³¹ बालू, स्टोन ग्रिट और साधारण मिट्टी।

³² आयतन का भार में परिवर्तन: बालू/मोरम १मी०³= 2 टन ; साधारण मिट्टी १मी०³= 1.70 टन।

³³ खनन पट्टा धारक या खनन परमिट या सम्भायित अनुच्छेद द्वारा निर्गत पास।

हमने अप्रैल 2012 और मार्च 2013 के मध्य तीन स०प०का०²⁸ और 20 स०स०प०का०²⁹ के अभिलेखों³⁰ और संबंधित जिला खान कार्यालयों द्वारा उप खनिजों³¹ को परिवहन करने हेतु निर्गत एम०एम०-11 प्रपत्र की जाँच की और देखा कि फरवरी 2009 से जनवरी 2013 के दौरान विभिन्न श्रेणी के वाहनों द्वारा 3,706 मामलों में उपखनिज बालू, ग्रिट और साधारण मिट्टी का परिवहन किया गया था।

इन सभी मामलों में वाहनों के प्रमाण-पत्र में दी गई अनुमन्य भार से अधिक भार³² का परिवहन किया गया जैसा कि निर्गत एम०एम०-11 प्रपत्र³³

समझौता है। इन वाहनों पर ₹ 2.97 करोड़ की शास्ति अरोपणीय थी जिसका ब्यौरा परिशिष्ट-XV में दिया गया है।

हमारे द्वारा इसे विभाग/शासन को प्रतिवेदित (मई 2012 और मई 2013 में मध्य) किये जाने के पश्चात विभाग ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि प्रवर्तन दलों द्वारा वाहनों की जांच में कोई भी वाहन सड़क पर संचालित नहीं पाये गये अतः शास्ति आरोपण मानने योग्य नहीं है। केवल दो कार्यालयों³⁴ में परिवहन अधिकारियों ने उन वाहनों से जो हमारी आपत्ति में दर्शायी गई है, ₹ 2.20 लाख की अभी तक वसूली की है और अन्य दो कार्यालयों³⁵ ने दोषियों को नोटिस निर्गत किया है।

विभाग ने स्वयं अपने प्रवर्तन दल की असफलता जैसा कि हमने इंगित किया था स्वीकारा है। जिले में अधिक भार लदे वाहनों के श्रेणीवार संचालन की सूचना के ठोस प्रमाण होने के बावजूद भी विभाग का प्रवर्तन दल इन संचालित हो रहे अधिक भार लदे वाहनों को नहीं पकड़ा और उन पर शास्ति का आरोपण नहीं किया।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग इसे जिला खान कार्यालयों से सत्यापन करने का तन्त्र विकसित करे और मो0या0 अधिनियम के उल्लंघन के कारण इन अधिक भार ढोने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करे।

4.14 परमिट के नियम और शर्तों के उल्लंघन के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 70 के अनुसार मोटर कैब से भिन्न ठेका पर चलने वाले वाहन स्वामियों द्वारा यात्रियों की सूची और वाहन के लाग बुक का ट्रैमासिक सारांश, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये गये परमिट की शर्तों और नियम में है, जमा करना होता है। मो0या0 अधिनियम की धारा—192 ए, परमिट की शर्तों के उल्लंघन के लिए शास्ति परिभाषित करती है। दिनांक 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना सं0 1452 / 30-4-10-172 / 89 द्वारा सरकार ने परमिट के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन को एक अपराध माना है जिसको ₹ 4,000 शास्ति आरोपित कर प्रशमित किया जा सकता है।

हमने अभिलेखों³⁶ से देखा (मई 2012) कि अवधि 2011–12 के दौरान 2,448 परमिट धारक उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण को वांछित अभिलेखों³⁷ को प्रस्तुत करने में असफल रहे। परमिट धारकों द्वारा वांछित अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण विभाग ने इनपर ₹ 97.92 लाख की

शास्ति का आरोपण और वसूली नहीं की जैसा कि सारणी क्रमांक 4.12 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.12

क्रम सं0	परमिट का प्रकार	सीटिंग क्षमता	परमिटों की संख्या	(₹ लाख में) ₹ 4,000 प्रति परमिट दर से शास्ति
1	सम्पूर्ण भारत बस परमिट	43–56	25	1.00
2	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश बस परमिट	43–56	376	15.04
3	सम्पूर्ण भारत मिनी बस परमिट	13–42	888	35.52
4	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मिनी बस परमिट	13–42	675	27.00
5	सम्पूर्ण भारत मेक्सी कैब परमिट	8–12	355	14.20
6	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मेक्सी कैब परमिट	8–12	129	5.16
योग				2,448
				97.92

³⁴ स०स०प०का0, गोरखपुर और स०स०प०का0, कुशीनगर।

³⁵ स०स०प०का0, सीतापुर और स०स०प०का0, उन्नाव।

³⁶ परमिट रजिस्टर और वहनों की व्यक्तिगत पत्रावलियां।

³⁷ प्रत्येक ट्रिप के लिए यात्रियों की सूची और ट्रैमासिक लाग बुक।

हमारे द्वारा बिन्दु को विभाग तथा शासन को जून 2012 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि लाग बुक और यात्रियों की सूची को प्रस्तुत न करने से शास्ति का आरोपण नहीं होता क्योंकि यह परमिट की शर्तों का उल्लंघन नहीं है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि मो0यान अधिनियम की धारा 192—ए स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है कि उ0प्र0मो0यान नियमावली, 1998 के परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर शास्ति का आरोपण होना है एवं उ0प्र0मो0यान नियमावली, 1998 के नियम 70 के अधीन परमिट की अतिरिक्त शर्तों में उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाना इंगित है।

4.15 जब्त वाहनों से न/कम वसूली किया जाना

उ0प्र0मो0यान0 अधिनियम की धारा—22 के प्रावधानों के अन्तर्गत, विभाग के प्रवर्तन शाखा द्वारा जब्त किये गये वाहन देय धनराशि तथा उन पर लगाये गये प्रशमन शुल्क के भुगतान के दायी होंगे तथा इन्हे अवमुक्त करायेंगे। यदि वाहन स्वामी देय राशि के भुगतान हेतु उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे वाहनों को जब्त किये जाने की तिथि से 45 दिनों के बाद नीलाम कर दिया जायेगा तथा वसूल की गयी धनराशि को कर, अतिरिक्त कर, अर्थदण्ड तथा ऐसे नीलामी में हुए व्यय के प्रति समायोजित कर दिया जायेगा। अतिशेष धनराशि, यदि कोई हो, वाहन स्वामी को वापस कर दी जायेगी।

हमने छ: स0स0प0का0 /स0प0का0 के अभिलेखों³⁸ की जाँच में पाया (अगस्त 2012 और दिसम्बर 2012 के मध्य) कि फरवरी 2006 से अक्टूबर 2012 के दौरान उ0प्र0मो0यान0 अधिनियम के अन्तर्गत 73 वाहनों को जब्त किया गया था जिनके विरुद्ध देय ₹ 44.23 लाख की धनराशि वसूली हेतु अवशेष थी। इन वाहनों के

स्वामियों ने जब्त होने के 45 दिन के अन्दर देयों का भुगतान नहीं किया। जब्त की तिथि से 22 से 80 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी संबंधित कार्यालयों³⁹ ने इन वाहनों पर अधिनियम के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जिससे इन वाहनों की नीलामी होकर देयों की वसूली हो पाये। 73 वाहनों का विवरण सारणी क्रमांक 4.13 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.13

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	वाहनों की संख्या	जब्ती की अवधि	वसूली योग्य कर/अतिरिक्त कर की धनराशि
1	स0स0प0का0 बिजनौर	16	11/2009 से 05/2012	2.66
2	स0स0प0का0 चन्दौली	24	02/2006 से 07/2011	3.61
3	स0स0प0का0 हमीरपुर	05	06/2007 से 10/2010	25.26
4	स0प0का0 कानपुर नगर	11	01/2011 से 07/2012	1.06
5	स0स0प0का0 कुशीनगर	04	07/2006 से 10/2012	6.34
6	स0स0प0का0 सोनभद्र	13	11/2008 से 11/2011	5.30
योग		73		44.23

इस प्रकार स0प0अ0 /स0स0प0अ0 द्वारा कोई कार्यवाही न करने के फलस्वरूप जब्त वाहनों से ₹ 44.23 लाख के देयों की वसूली नहीं हो पायी।

हमारे द्वारा इसे विभाग और शासन को फरवरी 2013 में इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि कार्यवाही की जा रही है और अभी तक ₹ 2.02 लाख की वसूली हो चुकी है।

³⁸ जब्ती रजिस्टर और सम्बन्धित पत्रावलियां।

³⁹ स0प0का0 कानपुर नगर, स0स0प0का0 बिजनौर, चन्दौली, हमीरपुर, कुशीनगर और सोनभद्र।

4.16 बकाये की वसूली हेतु निगरानी एवं अनुश्रवण क्रियाविधि का अभाव

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया, भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होगा। पुनश्च, कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के बकाये के लिए जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर, अतिरिक्त कर या शास्ति भी निहित रहेंगे, वाहन स्वामियों या संचालकों को निर्धारित प्रारूप में मांग पत्र जारी करेगा। यदि देयकों का भुगतान वाहन के जब्त या रोके जाने की तिथि से 45 दिन के अन्दर नहीं होता तो धारा-22 कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह इन वाहनों को जब्त एवं रोक कर, इनसे देयों की वसूली नीलामी द्वारा करे।

थे और इन अवशेष देयों की वसूली नहीं हो सकी। पत्रावलियों में राजस्व अधिकारियों से इन बकाये वसूली प्रमाण पत्रों के विरुद्ध वसूली हेतु नियमित अनुश्रवण का कोई प्रमाण दिखाई नहीं पड़ा। जिले के कराधान अधिकारी ने उन वाहन स्वामियों के विरुद्ध जो अपने देयों के प्रति दोषी थे, धारा-22 के अन्तर्गत वाहनों की जब्ती आदि की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। हमने पाया कि नियमों में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु कोई समयबद्ध प्रावधान नहीं था और विभाग के पास भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्गमन पर अनुश्रवण हो। आन्तरिक नियंत्रण और निगरानी क्रियाविधि के अभाव के फलस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हो पायी जैसा कि सारणी क्रमांक 4.14 में दर्शाया गया है :

सारणी क्रमांक 4.14

(₹ लाख में)

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	निर्गत वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या	वसूली प्रमाण पत्रों को निर्गत करने में लगा समय	वसूली प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि
1	स0प0का0 इलाहाबाद	147	8 से 92 महीने	56.21
2	स0प0का0 आजमगढ़	24	7 से 18 महीने	15.77
3	स0स0प0का0 बहराइच	5	21 से 69 महीने	1.82
4	स0स0प0का0 मथुरा	13	अंकित नहीं	59.99
5	स0प0का0 सहारनपुर	4	17 से 45 महीने	1.45
6	स0स0प0का0 सन्तकबीर नगर	30	8 से 58 महीने	10.49
7	स0स0प0का0 सन्त रविदास नगर	28	19 से 79 महीने	67.55
	योग	251		213.28

हमने इसे विभाग तथा शासन को इंगित किया (अगस्त 2012 और मार्च 2013 के मध्य) उत्तर में विभाग ने हमारी आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2013) और कहा कि ₹ 52.04 लाख की वसूली हो चुकी है और शेष प्रकरणों में वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

⁴⁰ स0प0का0 इलाहाबाद, आजमगढ़ और सहारनपुर।

⁴¹ स0स0प0का0 बहराइच, मथुरा, सन्तकबीर नगर और सन्त रविदास नगर।

⁴² कर रजिस्टर, बकाया रजिस्टर, वसूली प्रमाण पत्र निर्गमन रजिस्टर और वाहन पत्रावलियां।

हमने तीन स0प0का0⁴⁰ और चार स0स0प0का0⁴¹ के अभिलेखों⁴² की जाँच की (नवम्बर 2011 और मार्च 2013 के मध्य) और पाया कि 251 मामलों में जिनके लिए जनवरी 2010 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये थे, ₹ 2.13 करोड़ का कर/अतिरिक्त कर बकाया था। हमने देखा कि ये वसूली प्रमाण पत्र राजस्व की देय तिथि के सात महीने से 92 महीने के बाद निर्गत किये गये

4.17 तीन माह से अधिक समर्पित वाहनों के सम्बन्ध में कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना

उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 के नियम 22 (2009 में संशोधित) में व्यवस्था है कि जब परिवहन वाहन स्वामी को अपने मोटर वाहन को एक माह या अधिक अवधि के लिए प्रयोग नहीं करना हो, तो कराधान अधिकारी को मोटर वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र व परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अभ्यर्पित करेगा। कराधान अधिकारी एक कैलेण्डर वर्ष में, तीन कैलेण्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की सूचना स्वीकार नहीं करेगा। तथापि, यदि स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तीन कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अभ्यर्पण स्वीकार कर सकेगा।

यदि फिर भी ऐसा कोई वाहन स0प0अ0 द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेण्डर माह से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित बना रहता है, तो अभ्यर्पण रद्द माना जायेगा और वाहन स्वामी यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का दायी होगा। पुनश्च, उपनियम (4) में प्रावधानों के अधीन समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके वाहन का समर्पण पूर्व में स्वीकार किया गया है, किसी भी कैलेण्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा चाहे कराधान अधिकारी से समर्पित प्रमाण पत्र वापस किये गये हों अथवा नहीं।

प्रारम्भ नहीं की। जिसके फलस्वरूप ₹ 87.55 लाख के राजस्व की राजस्व की वसूली नहीं हो पायी।

हमारे द्वारा इसे विभाग और शासन को इंगित करने के पश्चात (जून 2012 से दिसम्बर 2012 के मध्य), विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर 2013) तथा ₹ 3.89 लाख की वसूली कर ली। शेष प्रकरणों के लिए वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जा चुके हैं।

हमने स0प0का0⁴³ और दस स0स0प0⁴⁴ के अभिलेखों⁴⁵ की जाँच की (अप्रैल 2012 और नवम्बर 2012 के मध्य) और देखा कि 179 वाहन मई 2011 से अक्टूबर 2012 की अवधि के दौरान तीन कैलेण्डर माह से अधिक अवधि से समर्पित थे। इस तथ्य के बावजूद भी कि तीन माह से अधिक समर्पण के विषय में सम्बन्धित स0प0का0 द्वारा विस्तार स्वीकार नहीं किया गया था, कराधान अधिकारियों⁴⁶ ने देय कर/अतिरिक्त कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही

⁴³ स0प0का0 बरेली।

⁴⁴ स0स0प0का0 औरेया, बिजनौर, फरुखाबाद, कन्नौज, कुशीनगर, महोबा, मथुरा, मऊ, मुज़फ़रनगर और सोनभद्र।

⁴⁵ समर्पण रजिस्टर वाहन पत्रावलियां, यात्री कर रजिस्टर और माल कर रजिस्टर।

⁴⁶ कराधान अधिकारी: उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत क्रमशः अपनी क्षेत्र की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत स0प0का0 या स0स0प0का0 को कराधान अधिकारी परिभाषित किया गया है।

कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में क्या मुख्यांकित किया है

इस अध्याय में हम विकासकर्ता अनुबन्ध के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस के कम आरोपण पर एक अलग प्रस्तर और 2012–13 के दौरान स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाये गये चुने हुए परीक्षणों से ₹ 6.14 करोड़ के कुछ अन्य विस्तृत प्रकरणों को प्रस्तुत करते हैं।

प्राप्तियों का रूझान

वर्ष 2012–13 के दौरान स्टाम्प और पंजीयन से कुल संग्रह ₹ 8,742.17 करोड़ था। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 13.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

**आन्तरिक लेखा
परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण**

आन्तरिक लेखा परीक्षा मार्च 2009 में रोक दी थी और जुलाई 2008 की शासकीय अधिसूचना द्वारा विभाग में तकनीकी लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ के नाम से एक नया सेट अप स्थापित किया गया जो आन्तरिक लेखा परीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर पदस्थ सहायक महानिरीक्षक अधीनस्थ कार्यालयों के अभिलेखों का निरीक्षण करते हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति 2012–13

हमने वर्ष 2012–13 के दौरान निबन्धन विभाग से सम्बन्धित 352 इकाईयों की अभिलेखों की नमूना जांच किया और दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण/सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन एवं अन्य अनियमितताओं के 1302 प्रकरणों में ₹ 211.37 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस की कमी पायी गयी। विभाग ने 15 प्रकरणों में ₹ 5.90 लाख के कम निर्धारण को स्वीकार किया।

हमारे निष्कर्ष

विभाग में तकनीकी लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने सहित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार की जरूरत है ताकि प्रणाली की कमजोरियों को व्यवस्थित किया जाये और हमारे द्वारा चिह्नित की गयी चूकों से भविष्य में बचाव हो।

हमारे द्वारा इंगित प्रेक्षणों में निहित धनराशि, विशेषतः उन मामलों में जिनमें हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया गया है, की वसूली के लिये त्वरित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय-V

स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

5.1 कर प्रशासन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा०स्टा० अधिनियम) 1899, भारतीय निबन्धन अधिनियम (भा०नि० अधिनियम) 1908, उ०प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (स्टा०स०म०) नियमावली, 1997 तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं परिपत्रों के अन्तर्गत राज्य में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस से प्राप्तियाँ विनियमित की जाती हैं। विलेखों के निष्पादन पर निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। स्टाम्प शुल्क का अपवंचन, सामान्यतः सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन, विलेखों को निबन्धन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत न किए जाने तथा निष्पादनकर्ताओं द्वारा निबन्धन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के कम/न भुगतान किए जाने के कारण होता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण और अनुश्रवण तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक निबन्धन (म०नि०नि०) विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं तथा विभाग के कार्यान्वयन पर समग्र अधीक्षण तथा नियंत्रण का संचालन करते हैं। उनकी सहायता एक अपर महानिरीक्षक (अ०म०नि०), मण्डल स्तर पर 24 उप महानिरीक्षक (उ०म०नि०), जिला स्तर पर 96 सहायक महानिरीक्षक (स०म०नि०) तथा जिला एवं तहसील स्तर पर 354 उप निबन्धक (उ०नि०) करते हैं।

5.2 प्राप्तियों का रुझान

5.2.1 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 के प्रावधान के अनुसार बजट बनाने में बजट का उद्देश्य वास्तविक प्राप्तियों एवं अनुमानित प्राप्तियों में यथासम्भव निकटता होनी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि बजट अनुमान में न केवल राजस्व एवं प्राप्तियों की सभी मर्दे होनी चाहिए बल्कि पिछले वर्षों के संग्रह हेतु यदि कोई बकाया हो तो उसको भी सम्मिलित करना चाहिए।

मुख्य लेखा शीर्ष 0030-स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस—गैर न्यायिक स्टाम्प से प्राप्ति के अन्तर्गत निर्धारित राजस्व संग्रह का लक्ष्य एवं वास्तविक प्राप्ति का विवरण सारणी क्रमांक 5.1 में दिया गया है:-

सारणी क्रमांक 5.1

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर (+/-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की प्राप्तियों का कुल कर	(₹ करोड़ में) कुल प्राप्तियों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2008–09	4,600	4,138.27	(-) 461.73	(-) 10.04	28,658.97	14.44
2009–10	4,800	4,562.23	(-) 237.77	(-) 4.95	33,877.60	13.47
2010–11	5,000	5,974.66	(+) 974.66	(+) 19.49	41,355.00	14.45
2011–12	6,612	7,694.40	(+) 1,082.40	(+) 16.37	52,613.43	14.62
2012–13	9,308	8,742.17	(-) 565.83	(-) 6.08	58,098.36	15.05

स्रोत: विभिन्न वर्षों के वित्तीय लेखों एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

यह देखा गया कि बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच का अन्तर क्रमशः (-) 10.04 और 19.49 प्रतिशत रहा।

विभाग ने बताया कि ऐसी गिरावट एवं वृद्धि की निगरानी के लिए कोई प्रणाली अस्तित्व में नहीं है।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार बजट अनुमान तैयार करे एवं अन्तर के कारणों की जाँच करे।

5.2.2 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को ₹ 586.67 करोड़ राजस्व का बकाया था। पाँच वर्ष से अधिक पुराने बकाये का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि का राजस्व बकाया की स्थिति का विवरण सारणी क्रमांक 5.2 में दिया गया है:—

सारणी क्रमांक 5.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया राशि का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान बकाये की अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान संग्रहित धनराशि	बकाया राशि का अन्तिम अवशेष
2008–09	213.24	448.88	109.07	553.05
2009–10	553.05	171.65	129.87	594.83
2010–11	594.83	(–) 3.03	132.16	459.64
2011–12	459.64	(–) 2.33	125.87	331.44
2012–13	331.44	417.80	162.57	586.67

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

हमने पाया कि बकाया ₹ 586.67 करोड़ में से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ₹ 382.75 करोड़ स्थगित किया गया था तथा ₹ 63.21 करोड़ कम किया गया था एवं शेष धनराशि ₹ 140.71 करोड़ विभाग द्वारा वसूल किया जाना अपेक्षित था। हालांकि इन बकायों के प्रकरणों की कुल संख्याओं का विवरण विभाग उपलब्ध कराने में विफल रहा।

हम अनुशंसा करते हैं कि वसूली के स्पष्ट मामलों, जो स्थगन आदेश के दायरे में न हों में विभाग बकाया राशि के शीघ्र वसूली के लिए उचित कदम उठाने का विचार करें।

5.2.3 संग्रह की लागत

वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस प्राप्तियों का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ ही साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के दौरान सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण सारणी क्रमांक 5.3 में दिया गया है।

सारणी क्रमांक 5.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	कुल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष की संग्रह लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2010–11	5,974.66	145.46	2.43	2.47
	2011–12	7,694.40	149.10	1.94	1.60
	2012–13	8742.17	232.33	2.66	1.89

स्रोत: विभिन्न वर्षों के वित्तीय लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से देख सकते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी एवं निबन्धन शुल्क की संग्रह की लागत वर्ष 2010–11 में अखिल भारतीय औसत से कम है जबकि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में यह अधिक थी।

शासन को संग्रह की लागत नीचे लाने के लिये उचित कदम उठाने की जरूरत है।

5.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा/आन्तरिक नियन्त्रण

आन्तरिक लेखा परीक्षा (आ०ले०प०) नियंत्रण तन्त्र का एक महत्वपूर्ण घटक है एवं सामान्य रूप से सभी नियंत्रण पर निगरानी रखने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे यह अभिनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित प्रणाली अच्छी तरह से कार्य कर रही है।

हमने देखा कि आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य मार्च 2009 से समाप्त कर दिया गया था एवं जुलाई 2008 की सरकारी अधिसूचना द्वारा एक नयी संरचना तकनीकी लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित की गयी जो आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर कार्यरत सहायक महानिरीक्षक निबन्धन अपने अधीनस्थ कार्यालयों के अभिलेखों का निरीक्षण करते हैं। प्रकोष्ठ में स्वीकृत पद, लेखा परीक्षित योजना का विवरण जैसे योजित लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या, लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या एवं उठायी गयी और निस्तारित की गयी आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि की सूचना विभाग द्वारा इस वर्ष नहीं दी गयी थी।

5.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

5.4.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान हमने अपने लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा स्टाम्प शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं के जिसमें ₹ 517.61 करोड़ का राजस्व निहित था, प्रतिवेदित किये। विभाग ने इनमें से ₹ 57.71 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की, जिसमें से ₹ 2.31 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। स्वीकृत किये गये एवं वसूली किये गये प्रकरणों का विवरण सारणी क्रमांक 5.4 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 5.4

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गयी धनराशि	स्वीकृत मामलों में वसूली का प्रतिशत
2007–08	87.09	50.53	—	—
2008–09	4.05	—	—	—
2009–10	0.69	0.44	0.02	4.55
2010–11	10.36	6.70	2.25	33.58
2011–12	415.42	0.04	0.04	100.00
योग	517.61	57.71	2.31	4.00

सिवाय वर्ष 2011–12 के विगत पांच वर्षों में वसूली का प्रतिशत या तो शून्य रहा अथवा अत्यन्त कम रहा।

हम अनुशंसा करते हैं कि कम से कम स्वीकार्य मामलों में शासन को वसूली की स्थिति सुधारने हेतु उचित कदम उठाने चाहिये।

5.4.2 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा स्टाम्प शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण एवं अन्य अनियमितता के जिसमें ₹ 5.91 करोड़ का राजस्व निहित था, को प्रतिवेदित किया। विभाग/शासन ने दिसम्बर 2012 तक इनमें

से ₹ 53.72 लाख की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की, जिसमें से ₹ 46.12 लाख की वसूली की जा चुकी है। विवरण सारणी क्रमांक 5.5 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 5.5

(₹ लाख में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	आपत्तिगत धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गयी धनराशि
2007–08	93.30	निरंक	निरंक
2008–09	10.74	7.73	0.13
2009–10	14.96	3.56	3.56
2010–11	11.73	37.79	37.79
2011–12	460.01	4.64	4.64
योग	590.74	53.72	46.12

यह देखा जा सकता है कि शासन/विभाग ने वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के निरीक्षण प्रतिवेदनों के स्वीकार्य मामलों के सापेक्ष पूरी वसूली की जबकि वर्ष 2008–09 के निरीक्षण प्रतिवेदन में स्वीकृत धनराशि ₹ 7.73 लाख के सापेक्ष केवल ₹ 13000 की वसूली की जा सकी।

5.4.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के 352 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण, /अवनिर्धारण से स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं में निहित ₹ 211.37 करोड़ के 1,302 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा सारणी क्रमांक 5.6 में दिया है:

सारणी क्रमांक 5.6

(₹ करोड. में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	विकासकर्ता अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क का आरोपण	1	2.32
2.	विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	303	8.95
3.	सम्पत्तियों के अवमूल्याकानन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	275	6.05
4.	अन्य अनियमितताएं	723	194.05
	योग	1302	211.37

वर्ष 2012–13 के दौरान, विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 15 मामलों¹ में ₹ 5.90 लाख स्वीकार्य किये, जो विगत वर्षों में लेखा परीक्षा द्वारा लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण /अवनिर्धारण से स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित थे।

¹ वर्ष 1997–98, 2004–05, 2007–08 और 2008–09 से सम्बन्धित एक प्रकरण, 2009–10 और 2010–11 के दो प्रकरण एवं 2011–12 के सात प्रकरण।

176 उप निबन्धकों के कार्यालयों एवं महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय (वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में प्राप्त मामलों सहित जो पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में चित्रित नहीं किये गये) की लेखापरीक्षा में निहित ₹ 6.14 करोड़ के महत्वपूर्ण प्रकरणों का वर्णन अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित है।

5.5 विकसित क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनारोपण

समय समय पर संशोधित उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128-अ के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी नगर पालिका/नगर पंचायत जिसे शासन द्वारा अधिसूचित किया गया है, की सीमा के अन्दर अचल सम्पत्ति के अन्तरण पर दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपणीय होगा। शासन ने सितम्बर 2008, दिसम्बर 2010 और अप्रैल 2011 में क्रमशः नगर पंचायत रसूलाबाद (उन्नाव), नगर पंचायत सहजनवा (गोरखपुर), परीक्षित गढ़ (मेरठ) को नगरीय क्षेत्र घोषित किया था।

हमने तीन उप निबन्धकों के अभिलेखों² (अगस्त 2011 से मार्च 2013 के मध्य) की जाँच की और पाया कि दिसम्बर 2008 और जनवरी 2013 के मध्य नगर पंचायत क्षेत्रों जैसे नगर पंचायत रसूलाबाद (उन्नाव), नगर पंचायत सहजनवा (गोरखपुर), परीक्षित गढ़ (मेरठ) में स्थित ₹ 5.94 करोड़ मूल्य की अचल

सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर दो प्रतिशत की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 11.87 लाख के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण नहीं किया गया।

हमने अक्टूबर 2012 और मई 2013 के मध्य प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि सम्बन्धित नगर पंचायतों से अधिसूचना के बारे में सूचना प्राप्त होने के बाद दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित करना शुरू कर दिया था। हम सहमत नहीं हुए क्योंकि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अधिसूचना की तिथि से आरोपणीय था। अग्रेतर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

² बही 1, खण्ड और पंजीकृत दस्तावेज।

5.6 स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद 23 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथासंशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है । उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार किसी जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि की बाजार दरें पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है । अग्रेतर महानिरीक्षक निबन्धन ने जून 2003 में जारी दिशा निर्देशों द्वारा स्पष्ट किया कि स्टाम्प शुल्क के आरोपण के लिये एक ही प्लाट (गाटा) की एक सम्पत्ति को विभिन्न उद्देश्यों के लिये एक से अधिक टुकड़ों में नहीं करना चाहिये अर्थात् एक कृषि और दूसरा गैर कृषिक के लिये । उसी दिशा निर्देश में इसका भी उल्लेख था कि यदि सम्पत्ति के चारों तरफ आवासीय सम्पत्ति हो तो उसका मूल्यांकन आवासीय सम्पत्ति की तरह किया जाना चाहिये ।

5.6.1 मई 2011 और फरवरी 2013 के मध्य 39 उप निबन्धकों³ के अभिलेखों⁴ की जांच में हमने पाया कि मार्च 2010 और नवम्बर 2012 के मध्य गैर कृषिक भूमि के 64 हस्तान्तरण विलेख कृषि दर से ₹ 9.95 करोड़ के मूल्यांकन से पंजीकृत कराये गये और ₹ 65.20 लाख स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का आरोपण किया गया ।

हमने पाया कि निम्नलिखित कारणों से मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिये था:

- उसी प्लाट का हिस्सा पूर्व में आवासीय दर से बेचा गया था (54 विलेख) ।
- उसी प्लाट का हिस्सा उसी दिन आवासीय दर से बेचा गया था (3 विलेख) ।
- प्लाट के चारों तरफ आवासीय प्लाटों के मालिक थे । (7 विलेख)

प्लाट कृषि दर से मूल्यांकित पाये गये जैसा ऊपर विवरण दिया गया है, उनका सही मूल्यांकन आवासीय दर से ₹ 50.82 करोड़ ओंकलित किया गया । इस पर स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस ₹ 3.08 करोड़ आरोपणीय था जबकि केवल ₹ 65.20 लाख स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का आरोपण किया गया था । सम्पत्ति का सही मूल्यांकन न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.43 करोड़ कम स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया ।

हमने मई 2011 और अप्रैल 2013 के मध्य प्रकरण को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया । विभाग ने उत्तर में हमारी आपत्तियों को स्वीकार (सितम्बर 2013) किया और प्रकरणों को सम्पत्ति के सही मूल्यांकन हेतु कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया ।

³ उ.नि. अतरौली अलीगढ़, उ.नि. खैर अलीगढ़, उ.नि. तृतीय अलीगढ़, उ.नि. करछना इलाहाबाद, उ.नि. सोरांव इलाहाबाद, उ.नि. आजमगढ़, उ.नि. बलरामपुर, उ.नि.तुलसीपुर बलरामपुर, उ.नि.उत्तरौला बलरामपुर, उ.नि.सदर बाराबंकी, उ.नि. आवला बरेली, उ.नि.इटाया, उ.नि. सोहाबल फैजाबाद, उ.नि. वादरी जी बी नगर, उ.नि. ग्रेटर नोएडा जी बी नगर, उ.नि. जेवर जी बी नगर, उ.नि. करनैलगंज गोण्डा, उ.नि. सवायजपुर हरदोई, उ.नि. मौदहा हमीरपुर, उ.नि. सदर हमीरपुर, उ.नि. छिबरामऊ कन्नौज, उ.नि. तिर्वा कन्नौज, उ.नि. प्रथम कानपुर नगर, उ.नि. तृतीय कानपुर नगर, उ.नि. चायल कोशाम्बी, उ.नि. सिराथू कोशाम्बी, उ.नि. प्रथम लखनऊ, उ.नि. चतुर्थ लखनऊ, उ.नि. माट मथुरा, उ.नि. प्रथम मेरठ, उ.नि. तृतीय मेरठ, उ.नि. काठ मुरादाबाद, उ.नि. तृतीय नोएडा, उ.नि. सदर पीलीगांव, उ.नि.सदर रामपुर, उ.नि.सदर सीतापुर, उ.नि. सिल्लौली सीतापुर, उ.नि. प्रथम वाराणसी और उ.नि. गंगापुर वाराणसी ।

⁴ बही 1, खण्ड और पंजीकृत दस्तावेज़ ।

कलेक्टर स्टाम्प ने पांच मामलों⁵ में ₹ 5.63 लाख स्टाम्प शुल्क की कमी को निश्चित किया। शेष मामलों में कार्यवाही बाकी है (दिसम्बर 2013)।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 के अनुसार एक जिले का कलेक्टर विहित प्रक्रिया के अनुश्रवण के बाद स्टाम्प शुल्क के आरोपण के उद्देश्य के लिये विभिन्न श्रेणियों की भूमि/सम्पत्ति (कृषि, आवासीय, व्यावसायिक इत्यादि) का न्यूनतम बाजार मूल्य (क्षेत्रवार दर) क्षेत्रवार एवं श्रेणीवार निर्धारित करता है।

5.6.2 मार्च 2012 से मार्च 2013 के मध्य चार उप निबन्धकों⁶ के अभिलेखों⁷ की जांच में हमने पाया कि कृषि/आवासीय दर से मूल्यांकित ₹ 1.31 करोड़ के गैर कृषिक भूमि के अन्तरण सम्बन्धी आठ विलेख फरवरी 2011 और जनवरी 2013 के

मध्य पंजीकृत थे और अनुमोदित क्षेत्रवार दरों के अनुसार ₹ 6.52 करोड़ के बाजार मूल्य की इन सम्पत्तियों पर आरोपणीय ₹ 40.50 लाख के स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस के सापेक्ष ₹ 8.13 लाख स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस आरोपित था।

- पंजीकरण के समय छ: प्लाट लागू सक्रिल दरों पर आवासीय घोषित थे (क्रमांक 1, 2 और 3 पर छ: विलेख)।
- दो प्लाट सड़क पर स्थित थे और पंजीकरण के समय लागू क्षेत्रवार दरों के सामान्य निर्देशों के अनुसार दिये गये विशेष दर (वाणिज्यिक दर) पर मूल्यांकित किये जाने थे (क्रमांक 4 पर दो विलेख)।

सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 32.37 लाख स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ जैसा सारणी क्रमांक 5.7 में दिखाया गया है:

सारणी क्रमांक 5.7

क्रम संख्या	इकाई का नाम	लेखपत्र संख्या/पंजीयन तिथि	खसरा संख्या/क्षेत्रवार दर लागू होने की तिथि	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)/मूल्यांकन (लेखपत्र के अनुसार)	लागू मूल्य (भूमि के अनुसार)	आवासीय/व्याव साधिक दर पर आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	कम आरोपण (₹ लाख में)
1.	उ. नि. सहसवान बदायूं	745/16.03.2012	102/31.07.2010	1680/6.96	75.60	5.59	0.58	5.01
		4716/17.12.2011	13/31.07.2010	1540/1.85	46.20	2.31	0.10	2.21
		4717/17.12.2011	13/31.07.2010	1050/1.26	31.50	1.58	0.06	1.52
		3067/12.08.2011	70/31.07.2010	1612.5/2.98	65.50	3.33	0.21	3.12
2.	उ. नि. हाथरस महामायानगर	2370/30.04.2012	236/24.10.2011	6160/64.68	147.84	7.49	3.23	4.26
3.	उ. नि. प्रथम मथुरा	2340/13.2.2012	125/01.09.2011	3790/37.93	170.55	12.04	2.76	9.28
4.	उ. नि. सदर मऊ	564/04.02.2012	321/01.06.2011	700/10.50	70.00	5.00	0.83	4.17
		2948/05.07.12	354/01.06.2011	753.3/4.52	45.20	3.16	0.36	2.80
गोण				17285.8/ 130.68	652.39	40.50	8.13	32.37

हमने अक्टूबर 2012 और मई 2013 के मध्य प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने सूचित (सितम्बर 2013) किया कि उप निबन्धक मऊ के प्रकरण में ₹ 49000 की वसूली की जा चुकी है और अन्य शेष प्रकरण सम्पत्ति के सही मूल्यांकन के लिये कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित किये जा चुके हैं। उसके आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

⁵ उ.नि. अतरौली अलीगढ़, उ.नि. चतुर्थ लखनऊ, उ.नि. करनैलगंज गोण्डा, उ.नि. बलरामपुर, उ.नि. सदर आजमगढ़।

⁶ उ.नि. सहसवान बदायूं उ.नि. हाथरस महामायानगर, उ.नि. प्रथम मथुरा और उ.नि. सदर मऊ

⁷ बही 1, खण्ड और पंजीकृत दस्तावेज

5.7 तथ्यों को छिपाने से सम्पत्ति का अवमूल्यांकन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दस्तावेज में तथ्य एवं परिस्थितियाँ, जो विलेख पर शुल्क की प्रभार्यता या उस प्रभार्य शुल्क की राशि को प्रभावित करते हों, को पूर्णतया एवं सत्यता पूर्वक व्यक्त किये जायें। अधिनियम की धारा 47-अ (3) के अन्तर्गत लेखपत्र यदि यथास्टाम्पित नहीं पाया गया तो कलेक्टर स्टाम्प को परीक्षण एवं सही मूल्यांकन हेतु सन्दर्भित किया जा सकता है।

फरवरी 2013 में एक उप निबन्धक के कार्यालय के अभिलेखों⁸ की जॉच में हमने पाया कि 23 दिसम्बर 2012 को एक विक्रय विलेख को निष्पादनकर्ता द्वारा दर्शायी गयी चौहदादी के आधार पर घोषित कृषि भूमि⁹ क्षेत्रफल 4090 वर्ग मीटर क्रय/विक्रय के लिये निष्पादित किया गया।

इसके पश्चात् 27 दिसम्बर 2012 को सम्पत्ति¹⁰ का एक पट्टा विलेख, जिसमें वह सम्पत्ति (गाटा क्रमांक 345) शामिल थी जिसका विक्रय विलेख 23 दिसम्बर 2012 को निष्पादित किया गया था, में इसका उल्लेख था कि विचाराधीन सम्पत्ति में भूतल एवं प्रथम तल में छः कमरे निर्मित थे। इन तथ्यों के आधार पर सम्पत्ति जिसका पंजीयन 23 दिसम्बर 2012 को किया गया था, को आवासीय एवं गैर कृषिक में वर्गीकृत किया जाना था।

तथ्यों को छिपाने के कारण निर्धारित आवासीय दर¹¹ की जगह विक्रय विलेख पर कृषि दर¹² से स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया। इसके अनुसार ₹ 7.77 लाख स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाना था जबकि केवल ₹ 45000 स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया था। तथ्यों को छिपाने के कारण भूमि के अवमूल्यांकन एवं कलेक्टर को संदर्भित न होने के परिणामस्वरूप ₹ 7.32 लाख स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ।

हमने जून 2012 और मई 2013 के मध्य प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने प्रकरण कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित (सितम्बर 2013) कर दिया। उसके आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

⁸ बही 1, खण्ड, विक्रय विलेख दिनांक 23.12.2012 और पट्टा विलेख दिनांक 27.12.2012

⁹ गाटा संख्या 345

¹⁰ गाटा संख्या 345, 346 और 347

¹¹ ₹ 3800 प्रति वर्ग मीटर

¹² ₹ 2200 प्रति एकर (100 वर्ग मीटर=1 एकर)

5.8 भूमि प्रयोग के अनियमित परिवर्तन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 प्रावधानित करता है कि जहाँ हस्तान्तरणीय अधिकारों के साथ एक भूमिधर* अपनी खेती या उसके भाग का असम्बद्ध प्रयोजन कृषि, बागवानी या पशुपालन के अलावा करता है तो परगने का प्रभारी स्वयं या प्रार्थना पत्र पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो नियत की जाय, उस आशय की घोषणा कर सकता है।

उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 144 प्रावधानित करता है कि यदि किसी भूमि का मालिक उक्त भूमि को गैर-कृषिक के रूप में नहीं उपयोग करना चाहता है, प्रार्थना पत्र पर या स्वप्रेरणा से सम्बन्धित एसडीएम भूमि की प्रकृति को गैर-कृषिक से कृषिक में परिवर्तित कर सकता है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-अ (3) प्रावधानित करता है कि कलेक्टर स्वप्रेरणा से या किसी न्यायालय या स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग से शासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के अभिदेश पर लेखपत्र, सम्पत्ति के बाजार मूल्य की सत्यता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये, निबन्धन की तारीख से चार वर्ष के भीतर मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और यदि ऐसे परीक्षण के पश्चात् उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि लेखपत्र में ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य ठीक प्रकार से नहीं दिखाया गया है तो वह ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य और उस पर देय शुल्क अवधारित कर सकता है।

*व्यक्ति जिसके पास हस्तान्तरणीय अधिकारों के साथ मुक्त भूमि हो।

तहसीलदार की सूचना में कहा गया कि परती और आवासीय भूमि अब कृषि कार्य के प्रयोग में लायी जा रही है। इस तरह एक ही भूमि की प्रकृति की छः महीने में दो बार परिवर्तित किया गया था। छः माह के अन्दर परती का आबादी के लिये भूमि उपयोग¹³ से प्रत्यावर्तन और उसके बाद तहसीलदार की क्रमिक सूचनाओं¹⁴ में कृषि उद्देश्य के लिये प्रयोग दिखाये जाने का परीक्षण पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया गया जिन्होंने भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 (3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित नहीं किया। इसके सापेक्ष ₹ 11.36 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण किया गया जैसा सारणी क्रमांक 5.8 में दिखाया गया है:

सितम्बर 2012 में उप निबन्धक सदर पीलीभीत के अभिलेखों¹⁵ की जांच में हमने पाया कि गैर-कृषिक भूमि सम्बन्धी हस्तान्तरण के दो विलेख कृषि दर से ₹ 32.80 लाख के लिये अप्रैल 2012 में पंजीकृत किये गये थे और ₹ 2.30 लाख स्टाम्प शुल्क आरोपित था। हमने पाया कि उक्त प्लाट एसडीएम¹⁶ द्वारा पूर्व में (सितम्बर 2011) गैर-कृषिक घोषित¹⁷ किया गया था और तत्पश्चात छः महीने बाद (मार्च 2012) पुनः गैर-कृषिक से कृषिक घोषित¹⁸ किया गया, दोनों बार भूमि मालिक की प्रार्थना¹⁹ पर। हमने पाया कि उक्त भूमि गैर-कृषिक घोषित करते समय (15 सितम्बर 2011) तहसीलदार की सूचना में स्पष्ट उल्लेख था कि भूमि परती थी एवं आबादी के लिये प्रयोग की जा रही थी और छः महीने के अन्दर कृषिक घोषित करते समय (31 मार्च 2012)

¹³ बही 1, खण्ड, पंजीकृत विलेख, उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 और 144 के अन्तर्गत आदेश

¹⁴ दिनांक 15 सितम्बर 2011 और 31 मार्च 2013 को एक ही अधिकारी एसडीएम के पद पर था।

¹⁵ दिनांक 15 सितम्बर 2011 को उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत आदेश संख्या 133/10-11 द्वारा

¹⁶ दिनांक 31 मार्च 2012 को उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश संख्या 03/11-12 द्वारा

¹⁷ मालिक ने पहले सितम्बर 2011 में भूमि उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने के लिये अनुरोध किया चूंकि प्लाट का आवासीय उपयोग किया जा रहा था और मार्च 2012 में पुनः प्लाट को कृषि में परिवर्तित करने का अनुरोध किया।

¹⁸ ऐसी एसडीएम द्वारा

¹⁹ तहसीलदार की सूचनाएं क्रमशः दिनांक 15 सितम्बर 2011 और 31 मार्च 2012

सारणी क्रमांक 5.8

क्रम संख्या	इकाई का नाम	गांव संख्या/रक्का (वर्ग मीटर)	लेखपत्र संख्या/पंजीयन तिथि	धारा 143/144 के अन्तर्गत आदेश की तिथि	मूल्यांकन (लेखपत्र के अनुसार)	लागू बाजार मूल्य (रुपये के अनुसार)	आवासीय/व्यावसायिक दर पर आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	(₹ लाख में) कम आरोपण
									लेखपत्र के अनुसार
1.	उ. नि. पीलीभीत	560/6110	3273/23.04.2012	15.9.2011/31.3.2011	20.54 ²⁰	122.20 ²¹	8.56	1.44	7.12
		558/3645	3274/23.04.2012	15.9.2011/31.3.2011	12.26	72.90	5.10	0.86	4.24
योग					32.80	195.10	13.66	2.30	11.36

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को अक्टूबर 2012 में प्रतिवेदित किया। विभाग हमारे परीक्षण से सहमत नहीं हुआ (सितम्बर 2013) और बताया कि हाल ही में किये गये जांच में कोई कमी नहीं पायी गयी थी। हम विभागीय उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि विभाग ने उन कारकों, जिन्होंने भूमि जो परती एवं आबादी हेतु प्रयोग में लायी जा रही थी, को छः माह में कृषि हेतु प्रयोग में परिवर्तित करने के लिये एसडीएम को प्रवृत्त किया, के परीक्षण हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 (3) के अन्तर्गत प्रकरण कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित नहीं किया। चूंकि एसडीएम दोनों अवसरों पर एक ही अधिकारी था, भूमि की प्रकृति में कृषि से परती एवं आबादी में परिवर्तन के कारणों का कलेक्टर स्टाम्प²² (जिलाधिकारी), जो एसडीएम का नियन्त्रक अधिकारी है, द्वारा अच्छी तरह से परीक्षण किया जा सकता था।

5.9 भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत किये गये मूल्यांकन में अनियमिततायें

भा० स्टा० अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत किसी अन्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य अथवा उसमें प्रदर्शित मूल्य, जो भी अधिक है आरोपणीय है। शासन ने आदेश द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत न्यायनिर्णयन प्रकरण में जिलाधिकारी की अधिकारिता को स्पष्ट किया, सम्बन्धित उप निबन्धकों की सूचना को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिये और ऐसी सूचना के प्रकाश में निर्णय लिया जाना चाहिये।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा जो पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले पर विचार करगा और उस पर ऐसा आदेश, जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझे, पारित करेगा और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा।

मार्च 2013 में उप-निबन्धक तृतीय एवं उप निबन्धक चतुर्थ आगरा कार्यालयों के अभिलेखों²³ की जाँच में हमने पाया कि 12 मार्च 2012 और 27 अप्रैल 2012 के मध्य तीन अन्तरण विलेखों में निहित 44351.46 वर्ग मीटर भूमि का पंजीयन किया गया था। सम्पत्ति का विक्रय प्रतिफल की धनराशि ₹ 3.81 करोड़ पर किया गया था। पंजीयन से पूर्व धारा 31 के अन्तर्गत दस्तावेज न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत हुआ था और अपर जिलाधिकारी (वि. एवं रा.) द्वारा जो

²⁰ ₹ 28,00,000 प्रति हेक्टेएर + विक्रीत क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत

²¹ ₹ 2,000 प्रति वर्ग मीटर विक्रीत क्षेत्रफल से गुण करने पर

²² भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(6) के अन्तर्गत परिभाषित कलेक्टर (जिलाधिकारी)

²³ बही 1, खण्ड, विक्रय विलेख और भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत आदेश

कलेक्टर स्टाम्प नामित था, तहसीलदार सदर आगरा के निरीक्षण आख्या को ध्यान में रखते हुए सम्पत्ति का मूल्य ₹ 3.81 करोड़ निर्धारित किया गया था।

हमने पाया कि:

- इस तथ्य के बावजूद कि सम्पत्ति उप निबन्धक तृतीय एवं चतुर्थ आगरा के दायरे में आती है दिसम्बर 1999 के शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में उप निबन्धक तृतीय एवं चतुर्थ आगरा से रिपोर्ट प्राप्त नहीं करी गयीं।
- क्षेत्रवार दर के अनुसार भूमि का वास्तविक मूल्य ₹ 8.66 करोड़ था जिसका निर्णय करते हुए अपर जिलाधिकारी (एडीएम) द्वारा ₹ 3.81 करोड़ निर्धारित किया गया।
- सभी तीन प्रकरणों में एक ही अधिकारी एडीएम (वि एवं रा) के पद पर था ने तहसीलदार आगरा की निरीक्षण आख्या के आधार पर सम्पत्ति का मूल्य कम कर दिया था। हमने पाया कि दिसम्बर 1999 के शासनादेश के उल्लंघन को विभाग द्वारा चुनौती नहीं दी गयी एवं सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा सीसीआरए/माननीय उच्च न्यायालय²⁴ के समक्ष अपील करने की पहल नहीं की। सीसीआरए/माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की पहल न करने के कारण ₹ 33.91 लाख के स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी जैसा सारणी क्रमांक 5.9 में दिखाया गया है:

सारणी क्रमांक 5.9

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	खण्ड/लेखपत्र संख्या	पंजीयन तिथि	बिक्रीत रकवा (वर्ग मीटर)	आरोपित दर (वर्ग मीटर)	आरोपित बाजार मूल्य ²⁵	स्टाम्प	आरोपणीय दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	आरोपणीय बाजार मूल्य ²⁶	देय स्टाम्प	अन्तर
1	उ. नि. तृतीय आगरा	4410/2365	12-3-2012	32570	525	170.99	11.97	1050	341.99	23.94	11.97
		4415/2433	14-3-2012	6474.25	1600	103.69	7.25	4000	258.97	18.13	10.88
2	उ. नि. चतुर्थ आगरा	2305/2496	27-4-2012	5307.21	2000	106.15	7.51	5000	265.37	18.57	11.06
योग				44351.46		380.83	26.73		866.33	60.64	33.91

प्रकरण मई 2013 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जायेगी। इसके आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

²⁴ धारा 31 के प्रकरण सामान्यतया सीधे माननीय उच्च न्यायालय को सन्दर्भित किये जाते हैं

²⁵ बिक्रीत क्षेत्रफल को आरोपित दर से गुणा किया

²⁶ बिक्रीत क्षेत्रफल को आरोपित दर से गुणा किया

5.10 भूमि के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 में प्रावधान है कि जहाँ हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ एक भूमिधर अपनी खेती या उसके भाग का असम्बद्ध प्रयोजन कृषि, बागवानी या पशुपालन के अलावा करता है तो परगने का प्रभारी स्वयं या प्रार्थना पत्र पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो नियत की जाय, उस आशय की घोषणा कर सकता है। पुनश्च, मुख्य सचिव ने अपने पत्र दिनांक 11 जून 2010 द्वारा, जो सभी आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सम्बोधित था, इस बात पर जोर दिया कि अगर भूमि पूरी तरह या आंशिक रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सम्बन्धित एस0डी0एम0 को स्वतः प्रेरणा से उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अधीन सम्पूर्ण भूमि को आबादी के रूप में घोषणा की जानी चाहिए। यदि उपरोक्त अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत भूमि गैर-कृषिक घोषित की गयी थी तो स्टाम्प शुल्क के आरोपण हेतु उसका मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिये।

आवासीय दर से ₹ 3.29 करोड़ किया जाना अपेक्षित था। सम्बन्धित उप निबन्धकों ने दस्तावेजों के पंजीयन में इन पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.69 लाख स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ जैसा कि सारणी क्रमांक 5.10 में दिखाया गया है:

सारणी क्रमांक 5.10

क्रम संख्या	इकाई का नाम	लेखपत्र संख्या/पंजीयन तिथि	आराजी संख्या/धारा 143 के अन्तर्गत आदेश की तिथि	षेषफल (वर्ग मीटर)/मूल्यांकन (लेखपत्र के अनुसार) ²⁷	लागू बाजार मूल्य (सूची के अनुसार) ²⁸	(₹ लाख में)		
						आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	कम आरोपण
1.	उ.नि. द्वितीय फिरोजाबाद	563/24.01.2013	335म/26.11.2012	5760/21.34	230.40	16.23	1.60	14.63
		3532/04.07.2012	1350/10.05.2012	4610/9.11	46.10	3.32	0.74	2.58
2.	उ.नि. प्रधान मेरठ	4022/12.04.2012	134म और 137/20.03.2012 योग	5180/31.30	52.76	3.79	2.31	1.48
				15550/61.75	329.26	23.34	4.65	18.69

प्रकरण विभाग एवं शासन को मई 2013 में प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि सम्पत्ति के सही मूल्यांकन के लिये प्रकरण कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित किये जा चुके हैं। उसके आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

²⁷ उ.नि. द्वितीय फिरोजाबाद और उ.नि. प्रधान मेरठ

²⁸ बही 1, खण्ड, विक्रय विलेख और क्षेत्रवाच दर

²⁹ विक्रीत षेषफल को लागू आवासीय दर से गुणा किया

अगस्त 2012 और मार्च 2013 के मध्य दो उप निबन्धकों²⁷ के अभिलेखों²⁸ की जांच में हमने पाया कि कृषि दर से मूल्यांकित करते हुए ₹ 61.75 लाख के प्रतिफल पर तीन विलेख अप्रैल 2012 और जनवरी 2013 के बीच पंजीकृत थे जिस पर ₹ 4.65 लाख के स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया था। हमने पाया कि तीनों विलेखों के पंजीयन तिथि से पूर्व ही सम्बन्धित आराजी संख्याओं को उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत गैर-कृषिक घोषित किया गया था। अतएव सम्पत्तियों का मूल्यांकन और स्टाम्प शुल्क ₹ 23.34 लाख आरोपणीय था। सम्बन्धित उप निबन्धकों ने दस्तावेजों के पंजीयन में इन पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.69 लाख स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ जैसा कि सारणी क्रमांक 5.10 में दिखाया गया है:

5.11 30 वर्षों से अधिक अवधि के निष्पादित पट्टे

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी विलेख पर जहाँ कि लीज 30 वर्ष से अधिक अवधि के लिये या शाश्वत अवधि के लिये तात्पर्यित न हो स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल पर हस्तान्तरण की भौति प्रभार्य है।

बीच पंजीकृत थे जिन पर औसत वार्षिक किराये के छः गुना प्रतिफल पर ₹ 6720 स्टाम्प शुल्क आरोपित था। चूंकि पट्टा विलेख 30 वर्ष से अधिक अवधि के थे, सम्पत्ति के बाजार मूल्य³⁰ के बराबर प्रतिफल के आधार पर ₹ 4.43 करोड़ मूल्यांकित करते हुए स्टाम्प शुल्क ₹ 22.66 लाख आरोपणीय था। 30 वर्ष से कम पट्टा अवधि की सही गणना न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 22.66 लाख स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 48000 निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया जैसा कि सारणी क्रमांक 5.11 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 5.11

क्रम संख्या	इकाई का नाम	खण्ड/लेखपत्र संख्या एवं रकमा (रुपा मीटर में)	पंजीयन का माह/ लीज अवधि	सम्पत्ति का मूल्य लागू होने योग्य/लागू किया गया	आरोपणीय/आरोपित स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस (₹ में)	(₹ लाख में)
						कम आरोपित स्टाम्प शुल्क
1.	उ. नि. सहसदान बदायूं	3459/2372 (743.49)	जुलाई 2012 से 01.07.2042 (30 वर्ष 1 दिन)	37.18/0.14	2,70,260/900	³¹ 2.69
		3398/1073 (353.16)	अप्रैल 2012 01.07.2012 से 01.07.2042 (30 वर्ष 1 दिन)	15.90/0.14	79,500/700	³¹ 0.79
		3398/1072 (297.4)	अप्रैल 2012 01.07.2012 से 01.07.2042 (30 वर्ष 1 दिन)	13.39/0.14	66,950/700	³¹ 0.66
2.	उ. नि. पूरनपुर पीलीमीत	2925/7490 (213.2)	अक्टूबर 2011 20.10.2011 से 19.10.2042 (31 वर्ष)	17.70/0.72	98,500/2,260	³¹ 0.97
3.	उ. नि. सिध्धौली सीतापुर	2225/2981 (7950)	अगस्त 2012 अगस्त 2012 से अगस्त 2042 (30 वर्ष 1 माह)	359.08/0.72	18,05,400/2,160	18.03
योग					443.25/1.86	23,20,610/6,720
						23.14

प्रकरण विभाग एवं शासन को अक्टूबर 2012 और मार्च 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 2 और 3 सही मूल्यांकन के लिये कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित किया जा चुका है। एक प्रकरण में उत्तर (सारणी की क्रम संख्या 1) एवं क्रम संख्या 2 और 3 के प्रकरणों में आगे की प्रगति नहीं प्राप्त हुई है (दिसम्बर 2013)।

³⁰ जैसे क्षेत्रवार दर में परिवर्तित

³¹ विलेखों में निर्मित क्षेत्रफल दिया है इसके बावजूद इन प्रकरणों में गणना के लिये निर्मित क्षेत्रफल के लिये उच्च दर ₹11500, ₹10500 और ₹10500 के स्थान पर खुले क्षेत्रफल का दर क्रमशः ₹ 5000, ₹ 4500 और ₹ 4500 प्रति वर्ग मीटर लगाया गया है।

5.12 विकासकर्ता अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क का आरोपण

5.12.1 परिचय

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची एक-ख का अनुच्छेद 5 (ख-1) प्रावधानित करता है कि एक अचल सम्पत्ति के विक्रय में जहां कब्ज का दिया जाना स्वीकार न किया गया हो और न ही हस्तान्तरण-पत्र का निष्पादन किये बिना दे दिये जाने का अनुबन्ध किया गया हो वही स्टाम्प शुल्क देय होगा जो हस्तान्तरण-पत्र पर करार में दी गयी प्रतिफल की रकम के आधे पर देय हो। अग्रेतर, इसी अधिनियम की अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद 5 (ख-2)³² के अन्तर्गत यदि किसी भूमि पर, किसी व्यक्ति द्वारा, जो ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न हो, किसी भवन के निर्माण से सम्बन्धित हो और उसमें ऐसा अनुबन्ध हो कि निर्माण के पश्चात् ऐसे भवन को यथार्थिति, ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार और उस अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायेगा या कि उनके द्वारा उसे संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायेगा और उसके शेष भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक बेचा जायेगा या कि उसके एक भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायेगा और उसके शेष भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या धनराशि के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र पर देय हो।

इस परीक्षण को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 5 के प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प शुल्क आरोपित था या कि विभिन्न प्रकृति के इन दस्तावेजों में सम्पत्ति के मूल्यांकन पर प्रभारित स्टाम्प शुल्क में कोई कमियाँ थीं, हमने उसके लिये एक लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

हमने 28 स्टाम्प एवं निबन्धन कार्यालयों³³, 12 विकास प्राधिकरणों³⁴ और दो नगर पालिकाओं³⁵ के अभिलेखों की जांच में पाया कि विकासकर्ता अनुबन्ध के दस्तावेजों के पंजीयन न होने, स्टाम्प शुल्क के अनारोपण एवं कम आरोपण के प्रकरण थे जिनका उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये प्रकरण विस्तृत हैं और हमारे द्वारा की गयी नमूना जांच पर आधारित हैं।

³² 1 सितम्बर 1998 से लागू अनुच्छेद 5 (ख-2) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 1997 के द्वारा जोड़ा गया।

³³ इलाहाबाद (उ.नि. प्रथम, द्वितीय), आगरा (उ.नि. प्रथम, तृतीय), बरेली (उ.नि. प्रथम, द्वितीय, तृतीय), बुलन्दशहर (उ.नि. खुर्जी), गाजियाबाद (उ.नि. प्रथम, द्वितीय), गोरखपुर (उ.नि. प्रथम, द्वितीय), कानपुर नगर (उ.नि. प्रथम, चतुर्थी), लखनऊ (उ.नि. प्रथम, तृतीय), मेरठ (उ.नि. प्रथम, तृतीय), मुजफ्फरनगर (उ.नि. प्रथम, द्वितीय), सहारनपुर (उ.नि. प्रथम, द्वितीय, तृतीय), समल (उ.नि. चन्दौसी), सुल्तानपुर (उ.नि. सदर) और वाराणसी (उ.नि. प्रथम, तृतीय, चतुर्थी)

³⁴ इलाहाबाद, आगरा, बरेली, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और वाराणसी

³⁵ समल और सुल्तानपुर

5.12.2 भूस्वामियों द्वारा विकासकर्ताओं को अन्तरित सम्पत्तियों का पंजीयन न किये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क का अनाआरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत, सार्वजनिक कार्यालय* का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नहीं है, उसे जब्त करेगा। रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के धारा 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी प्रतिफल या बिना प्रतिफल के हस्तान्तरण होने वाली स्थायी सम्पत्ति का पंजीयन अनिवार्य है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 73(अ)(1)के अन्तर्गत जहाँ कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि शुल्क से प्रभार्य कोई विलेख बिल्कुल प्रभारित न हो या इस अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय शुल्क से गलत रूप में प्रभारित हो, वहाँ वह या उसके द्वारा निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी परिसर में, जहाँ कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे लिखित से सम्बन्धित या उसके सम्बन्ध में कोई रजिस्टर, पुस्तकें, अभिलेख, कागजात आदि मानचित्र दस्तावेज या कार्यवृत्त रखे गये हों, प्रवेश कर सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है, और ऐसी टिप्पणी प्रतियां और उद्धरण, जिसे ऐसा अधिकारी आवश्यक समझे ले सकता है।

* सिंगिल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 के खण्ड 17 में सार्वजनिक कार्यालय परिभाषित है और इसमें किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन गठित कोई कानूनी निकाय या प्राधिकरण शामिल है।

हमने सात³⁶ उप निबन्धक कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच और उनके चार³⁷ विकास प्राधिकरणों एवं एक³⁸ नगर पालिका के अभिलेखों से मिलान किया और पाया कि अप्रैल 2009 और मई 2013 के मध्य निर्माणकर्ताओं एवं मालिकों के बीच आठ अनुबन्ध निष्पादित किये गये। हमने देखा कि यद्यपि उनके नक्शे विकास प्राधिकरण एवं नगर पालिका के कार्यालयों से अनुमोदित थे पर विकासकर्ता अनुबन्ध सम्बन्धित उपनिबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत नहीं थे। भूमि मालिकों/विकासकर्ताओं या विकास प्राधिकरणों, जिन्होंने लेआउट नक्शा अनुमोदित किया, ने भी इन अनुबन्धों के दस्तावेजों को पंजीकृत कराने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

हमने देखा कि विभागों में ऐसा कोई तंत्र स्थापित नहीं था जिससे पंजीयन अधिकारी यह पता कर सके कि ऐसे अनुबन्ध जिनके लेआउट नक्शे विकास प्राधिकरण/नगर पालिका द्वारा अनुमोदित हैं का पंजीयन किया गया है। जबकि ऐसे दस्तावेजों का पंजीयन आवश्यक था और अनुबन्धों का निष्पादन सही मूल्य के स्टाम्प ऐपर पर किया जाना चाहिये, उप निबन्धक कार्यालयों में भूमि मालिकों और निर्माणकर्ताओं व विकासकर्ताओं के बीच अनुबन्धों का पंजीयन न किये जाने के परिणामस्वरूप निबन्धन फीस के रूप में ₹ 1.41 करोड़ छोड़ दिया गया जैसा विवरण सारणी क्रमांक 5.12 में दिया है:

³⁶ उ.नि. प्रथम और उ.नि. द्वितीय बरेली, उ.नि. चन्दौसी, उ.नि. प्रथम गोरखपुर, उ.नि. प्रथम सहारनपुर, उ.नि. तृतीय और उ.नि. चतुर्थ वाराणसी

³⁷ बरेली, गोरखपुर, सहारनपुर और वाराणसी

³⁸ चन्दौसी

सारणी क्रमांक 5.12

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम/द्वारा अनुभोदित लैआउट योजना	सम्पत्ति का विवरण	मालिक का नाम	विकासकर्ता का नाम/विकासकर्ता नियुक्ति का तिथि	लगाया गया स्टाम्प	मूल्यांकन दर प्रति वर्ग मीटर	मूल्यांकन	देय स्टाम्प शुल्क/निबन्धन फीस	अन्तर स्टाम्प शुल्क/निबन्धन फीस	कुल अन्तर
1	उ० नि० प्रथम सहारनपुर / सहारनपुर विकास प्राधिकरण	ग्राम—मानकमठ परगना व जिला सहारनपुर, क्षेत्रफल—25000 वर्ग मीटर	श्रीमती मेघा—9730 वर्ग मीटर, श्रीमती नितिका—11590 वर्ग मीटर एवं श्रीमती पूजा आनन्द—3680 वर्ग मीटर	श्रीमती परवीन राणी/ 01.04.2009	750	2500	625.00	43.65/0.10	43.64/0.10	43.74
2	उ० नि० प्रथम बरेनी / बरेनी विकास प्राधिकरण	शेषपुर, संख्या नंगर बाइ पास रोड बरेनी, खसरा संख्या 279, 280, 281, 282, 291,293,294,295 क्षेत्रफल—22000 वर्ग मीटर	डा. शेरेन्द्र अग्रवाल एवं डा. जितेन्द्र अग्रवाल	कवालीटी एसोसिएट/ 01.10.2011	0	3000	660.00	46.20/0.10	46.20/0.10	46.30
3	उ० नि० प्रथम बरेनी / बरेनी विकास प्राधिकरण	बारू नाला बरेनी, खसरा संख्या 10/अ, 12 क्षेत्रफल—1891.72 वर्ग मीटर	श्री राजेश गुप्ता, घरेन्द्र गुप्ता, शिवम एसोसिएट्स	मे. संजय मेड डायरोनेस्टिक प्रा. लि./ 06.02.2013	100	4000	75.67	5.29/0.10	5.29/0.10	5.39
4	उ० नि० द्वितीय बरेनी / बरेनी विकास प्राधिकरण	सेदपुर हाईकिन्स तहसील सदर बरेनी खसरा संख्या 241, 242, 311, 312, 315 क्षेत्रफल—6960.61 वर्ग मीटर	श्री पुत्तन, श्री यासीन मिया एवं शिव कुमार शर्मा	मे. हिमालयन हाउसिंग प्रा. लि./ 03.10.2011	0	4000	278.42	19.49/0.10	19.49/0.10	19.59
5	उ० नि० चन्द्रसी / नगर पालिका सम्बल	ग्राम—देवरखेड़ा तहसील चन्द्रसी, सम्बल खसरा संख्या 796 से 800, 806 क्षेत्रफल—2187 वर्ग मीटर	बाला जी एसोसिएट्स	मे. विनायक फारमस/ 03.05.2012	0	3500	76.55	5.36/ 0.10	5.36/ 0.10	5.46
6	उ० नि० चतुर्थ चाराणसी/चाराणसी विकास प्राधिकरण	ग्राम—जौला बाड़ नगावाकुंडा परगना देहात अमानत तहसील सदर चाराणसी खसरा संख्या 36/ 1, 36/ 2 क्षेत्रफल—1510 वर्ग मीटर	श्रीमती कमला त्रिपाठी पत्नी श्री हरे राम त्रिपाठी एवं मृत्युजय त्रिपाठी पुत्र श्री हरे राम त्रिपाठी	विद्या देवी घली विन्ध्यासिनी मिश्रा/ 04.06.2009	0	4800	72.48	5.07/0. 10	5.07/0. 10	5.17
7	उ० नि० तृतीय चाराणसी/चाराणसी विकास प्राधिकरण	प्लाट संख्या भुवनेश्वर नगर कालानी क्षेत्रफल—25000 वर्ग मीटर	दुष्यन्त सिंह	दिग्विजय सिंह ठानामग चाराणसी/ 18.03.2013	0	14280	42.40	2.97/0. 10	2.97/0. 10	3.07
8	उ० नि० प्रथम गोरखपुर/गोरखपुर विकास प्राधिकरण	ग्राम—मानकमठ परगना व जिला सहारनपुर, क्षेत्रफल—25000 वर्ग मीटर	श्री माधव प्रसाद जालान एवं प्रेम प्रकाश जालान	मे. कामदगिरि डेवलपर्स, गोरखपुर/ 25.10.2012	800	6500	175.79	12.30/0.10	12.30/0.10	12.40
योग					1650		2006.31	140.34/0.80	140.32/0.80	141.12

*जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रवार दर के अनुसार

प्रकरण मई 2013 में विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि निबन्धन अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत दण्डात्मक प्रावधान का अभाव है और इस प्रकार के विलेखों के निष्पादन के लिये समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। अग्रेतर शासन स्तर पर नियमित मासिक बैठकों में सम्बन्धित विभागों के सक्षम अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा रहे हैं। लेकिन भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/नगर पालिकाओं को दिशा निर्देश जारी करने की भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 73 (अ) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही के विषय में विभाग मौन रहा।

5.12.3 स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद 23 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथासंशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तांतरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि की बाजार दरें पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है।

हमने उपनिबन्धक प्रथम मुजफ्फरनगर कार्यालय के अभिलेखों³⁹ की जांच की और उनका विकास प्राधिकरण के अभिलेखों⁴⁰ से मिलान में पाया कि निर्माणकर्ता और भूमि मालिक के मध्य बिना कब्जा का एक अनुबन्ध का निष्पादन जुलाई 2010 में किया गया। प्रतिफल की धनराशि⁴¹ ₹ 2 करोड़ पर ₹ 4 लाख

स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 10000 निबन्धन फीस आरोपित था। उस भूखण्ड की ले आउट योजना विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा आवासीय उद्देश्यों के लिये 16 मई 2011 को अनुमोदित की गयी थी। उस सम्पत्ति के विक्रय विलेख का निष्पादन दिसम्बर 2011 और जून 2012 के मध्य पहले से बिना कब्जे के अनुबन्ध विलेख में भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क को समायोजित करने के बाद कृषि दर पर विकासकर्ता के पक्ष में किया गया। हमने पाया कि विक्रय विलेख के पूर्व⁴² ही आवासीय ले आउट योजना अनुमोदित की जा चुकी थी, भूमि का मूल्यांकन कृषि दर के बजाय आवासीय दर⁴³ से किया जाना अपेक्षित था। भूमि के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप प्रतिफल की धनराशि ₹ 17.97 करोड़ कम निश्चित की गयी और उस क्रम में ₹ 1.26 करोड़ स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ जैसा सारणी क्रमांक 5.13 में दिया है:

सारणी क्रमांक 5.13

क्रम संख्या	लेखपत्र संख्या/निष्पादन तिथि	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	भूमि का विवरण	भूमि का मूल्यांकन	निबन्धन फीस/स्टाम्प शुल्क	मूल्यांकन आरोपित @ ₹5000 प्रति वर्ग मीटर	स्टाम्प शुल्क आरोपित	(₹ लाख में) अन्तर स्टाम्प शुल्क		
1	7600/01.06.2012	श्री मुश्ताक अहमद	ए. एस. जे. प्रमोटर्स & डेवलपर्स प्रा. लि.	खसरा संख्या 2263 & 2269 ग्राम-सूज़ूँ, क्षेत्रफल-1.1405 हेक्टेअर	57.14	0.10/4.00	570.25	39.92	35.92		
2	9199/29.06.2012	श्री मुश्ताक अहमद	ए. एस. जे. प्रमोटर्स & डेवलपर्स प्रा. लि.	खसरा संख्या 2263 & 2269 ग्राम-सूज़ूँ, क्षेत्रफल-1.1408 हेक्टेअर	57.14	0.10/4.00	570.40	39.93	35.93		
3	15040/31.12.2011	श्री मुश्ताक अहमद	ए. एस. जे. प्रमोटर्स & डेवलपर्स प्रा. लि.	खसरा संख्या 2263 & 2269 ग्राम-सूज़ूँ, क्षेत्रफल-0.5702 हेक्टेअर	28.57	0.10/2.00	285.10	19.96	17.95		
4	6114/07.06.2012	श्री मुश्ताक अहमद	ए. एस. जे. प्रमोटर्स & डेवलपर्स प्रा. लि.	खसरा संख्या 2263 & 2269 ग्राम-सूज़ूँ, क्षेत्रफल-1.1405 हेक्टेअर	57.14	0.10/4.00	570.25	39.92	35.91		
						योग	199.99	0.40/14.00	1996	139.73	125.71

* जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रवार दर के अनुसार

हमने मई 2013 में प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने सूचित (सितम्बर 2013) किया कि प्रकरणों को सम्पत्ति का बाजार मूल्य निश्चित करने और उन पर उचित शुल्क के भुगतान के लिये कलेक्टर को सन्दर्भित किया जा चुका है। उसके आगे की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2013)।

³⁹ बही 1 जिसमें पंजीकृत विलेखों का विवरण होता है

⁴⁰ लेआउट योजना की पत्रवली

⁴¹ भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची एक-१ के अनुच्छेद 5 (ख-१) के अनुसार प्रतिफल की धनराशि के पचास प्रतिशत पर स्टाम्प शुल्क प्रभारीय है।

⁴² 16 मई 2011

⁴³ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रवार दर ₹ 5000 प्रति वर्ग मीटर के अनुसार

5.12.4 कन्सोर्टियम अनुबन्ध के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद 5 ख-2 के प्रावधान के अन्तर्गत यदि किसी भूमि पर, किसी व्यक्ति द्वारा, जो ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न हो, किसी भवन के निर्माण से सम्बन्धित हो और उसमें ऐसा अनुबन्ध हो कि निर्माण के पश्चात् ऐसे भवन को यथास्थिति, ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार और उस अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक—पृथक धारित किया जायेगा या कि उनके द्वारा उसे संयुक्त रूप से या पृथक—पृथक बेचा जायेगा या कि उसके एक भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक—पृथक धारित किया जायेगा और उसके शेष भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक—पृथक बेचा जायेगा या कि उसके एक भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक—पृथक धारित किया जायेगा जो भूमि के मूल्य या धनराशि के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण—पत्र (भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत) पर देय हो।

हमने दो उप निबन्धक⁴⁴ कार्यालयों के अभिलेखों⁴⁵ की जाँच और उनके दो विकास प्राधिकरणों⁴⁶ के अभिलेखों⁴⁷ से मिलान किया और पाया कि अप्रैल 2006 और मई 2012 के मध्य एक या अधिक मालिकों के बीच कन्सोर्टियम अनुबन्ध के दो विलेख पंजीकृत किये गये। दो अनुबन्धों⁴⁸ में भूमि मालिकों ने एक कन्सोर्टियम का गठन किया और उनमें से एक को अग्रणी सदस्य नियुक्त किया। सभी

कन्सोर्टियम अनुबन्धों में विलेखों के लिखत दर्शाते हैं कि अनुबन्धों का एकमात्र उद्देश्य भूमि के मालिकों की अनुमति से आवासीय ले आउट परिसर का विकास करना था। विलेख के अनुसार प्रत्येक कन्सोर्टियम के लिये अग्रणी सदस्यों की नियुक्ति की गयी थी और उस परियोजना की सम्पूर्ण लागत अग्रणी सदस्य द्वारा वहन की गयी। भूमि का मूल्य शून्य दिखाते हुए इन दो अनुबन्धों पर केवल ₹ 2000 स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 10100 निबन्धन फीस आरोपित किया गया था। हमने पाया कि प्रत्येक प्रकरण में भूमि का मालिक कन्सोर्टियम से सम्बन्धित अग्रणी सदस्य को भूमि विकसित करने, आवासीय परिसर बनाने और ले आउट नक्शा इत्यादि स्वीकृत कराने का अधिकार दे रहा था। इसलिये यह भूमि के मालिकों से कन्सोर्टियम से सम्बन्धित अग्रणी सदस्य को भूमि का एक अन्तरण था। चूंकि भूमि के अन्तरण का मूल्य मालूम⁴⁹ था, क्षेत्रवार दर पर भूमि के मूल्य ₹ 9.75 करोड़ पर ₹ 90.94 लाख स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 20000 निबन्धन फीस आरोपणीय था। ₹ 91.02 लाख स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस कम आरोपित था जैसा सारणी क्रमांक 5.14 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 5.14

क्रम संख्या	इकाई का नाम/लेखपत्र संख्या/पंजीयन तिथि	सम्पादित का विवरण	मालिक का नाम	अग्रणी सदस्य का नाम	जमा स्टाम्प/निबन्धन फीस (₹ में)	मूल्यांकन दर प्रति हेक्टेएक्टर	मूल्यांकन*	दंड स्टाम्प/निबन्धन फीस	अन्तर स्टाम्प शुल्क	अन्तर निबन्धन फीस (₹ में)	कुल अन्तर
1.	उ.नि. प्रधम गाजियाबाद/4/839/162 पृष्ठ संख्या 259-276/14.05.2012	खेड़ेरा सरख्या -588, खड़वडीली, परमगढ़ा, ताहसील एवं जिला-मेरठ	1. म. उपहार कान्पट्टस्थान प्रा. लि. 2. मे. ए. बी. एस्टेट प्रा. लि.	जौनेथ टाउनशेप प्रा. लि.	1000/10000	180.00	219.80	15.39/0.10	15.38	0	15.38
2.	उ.नि. नोएडा 278/06 दिनांक 12.04.2006 बड़ी संख्या 4 दिनांक 13 मार्च 2013 के उप सहायिता सहारनपुर के प्रतिवेदन के बावजूद जनवरी 2014 तक उत्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी	क्षेत्रफल -13.7529 हेक्टेएक्टर एवं 11.3868 हेक्टेएक्टर ग्राम-मंडीकला, सावलपुर-नवादा, सहारनपुर	म. रिस्कफ़ोर्ड एंड प्रा. लि. 11 कम्पनियां	म. वैरामाउण्ट प्रा. लि.	1000/100	45.00 12.00	755.52	75.55/0.10	75.54	9900	75.64
योग					2000/10100		975.32	90.94/0.20	90.92	9900	91.02

* जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रवार दर के अनुसार

⁴⁴ बही 1

⁴⁵ उ.नि. प्रधम गाजियाबाद और उ.नि. नोएडा

⁴⁶ ले आउट योजना पत्रावली

⁴⁷ गाजियाबाद और सहारनपुर

⁴⁸ उ.नि. प्रधम गाजियाबाद-अग्रणी सदस्य जेनिथ टाउनशेप प्रा. लि. और उ.नि. नोएडा-अग्रणी सदस्य मे. वैरामाउण्ट प्रा. लि.

⁴⁹ ₹ 9.75 करोड़

प्रकरणों को केवल हमारे द्वारा मई 2013 में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि क्रम संख्या 1 स्टाम्प वाद⁵⁰ दर्ज करने हेतु सन्दर्भित किया गया है। क्रम संख्या 2 के प्रकरण में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जैसा कि सम्बन्धित दोनों सहायक महानिरीक्षकों⁵¹ ने सूचित किया कि सम्बन्धित उप निबन्धकों⁵² से इस तरह का स्टाम्प वाद दर्ज करने हेतु कोई सन्दर्भ नहीं प्राप्त हुआ है।

5.12.5 दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण (अखण्डनीय मुख्तारनामा को खण्डनीय मुख्तारनामा की तरह)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 5 के प्रावधान के अन्तर्गत कई अलग-अलग मामलों का समावेश करने वाले, या कई अलग-अलग मामलों से सम्बन्धित विलेख पर, शुल्कों की वह सम्पूर्ण राशि प्रभार्य होगी जो ऐसे प्रत्येक मामले के, जो उसमें समाविष्ट है, या जिससे वह सम्बन्धित है, अलग विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अधीन प्रभार्य होती। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद 48 च के अन्तर्गत जब मुख्तार को अचल सम्पत्ति का विक्रय करने के लिये अखण्डनीय अधिकार दिया जाये, ऐसे अधिकार की विषय-वस्तु के बाजारी मूल्य पर हस्तान्तरण [क्रमांक 23 उप प्रस्तर (अ)] के समान शुल्क प्रभारित होगा।

हमने उपनिबन्धक खुर्जा जिला बुलन्दशहर के अभिलेखों⁵³ की जांच की और पाया कि मुख्तारनामा का एक विलेख उसके शीर्षक के आधार पर अगस्त 2012 में पंजीकृत किया गया एवं तदनुसार ₹ 50 स्टाम्प शुल्क और ₹ 100 निबन्धन फीस आरोपित किया गया। इस विलेख के लिखत से मालूम हुआ कि मुख्तारनामा द्वारा मुख्तार को वित्तीय प्रबन्धन, भूमि का विकास,

भूमि का विक्रय एवं भूमि का कब्जा सहित भूमि के समस्त अनुसार पर यह विलेख स्पष्ट रूप से अखण्डनीय मुख्तारनामा था किन्तु खण्डनीय मुख्तारनामा की तरह वर्गीकृत किया गया। अनुमन्य दर के अनुसार भूमि का मूल्य ₹ 2.16 करोड़ आंकित किया गया जिस पर ₹ 15.15 लाख स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 10000 निबन्धन शुल्क आरोपणीय था। विलेख के अनुचित वर्गीकरण के फलस्वरूप ₹ 15.25 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित (मई 2013) किया गया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि प्रकरण कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित किये जा चुका था एवं इस प्रकरण में स्टाम्प वाद दर्ज हो गया था। उसके आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी गयी है।

5.12.6 निष्कर्ष

हमारी लेखा परीक्षा से पता चला कि विभाग, निबन्धन प्राधिकारियों ने सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/नगर पालिकाओं में विकासकर्ता अनुबन्ध के आधार पर अनुमोदित नक्शों के विवरण को जांचने और विनिश्चित करने कि सम्बन्धित उप निबन्धकों के कार्यालयों में सही मूल्य के स्टाम्प पर इनका पंजीकरण/निष्पादन किया जा रहा था, का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने तथ्यों का भी परीक्षण नहीं किया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों का पालन विकास प्राधिकरणों/नगर पालिकाओं

⁵⁰ क्रम संख्या 1 स्टाम्प वाद दर्ज करने के लिये 16 अगस्त 2013 को सन्दर्भित किया गया।

⁵¹ सहायक महानिरीक्षक प्रथम गौतम बुद्ध नगर और सहायक महानिरीक्षक सहारनपुर-दोनों सहायक महानिरीक्षकों द्वारा की गयी कार्यवाही की जांच की गयी व्यापक पंजीयन गौतम बुद्ध नगर में हुआ था जबकि भूमि सहारनपुर में स्थित थी।

⁵² उ.नि. नोएडा अथवा उ.नि. दितीय सहारनपुर

⁵³ बही 4

द्वारा नहीं किया गया है। इससे आगे प्रकरणों को विभाग की जानकारी में लाने के बाद भी भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 73-अ (1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी जो कि जिला स्टाम्प अधिकारी भी है, के माध्यम से विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। विभाग ने नियन्त्रण कार्यविधि और विकासकर्ता अनुबन्धों के पंजीकरण की जांच की निगरानी के लिये कोई प्रणाली नहीं बनायी। विकास प्राधिकरणों/नगर पालिकाओं और निबन्धन प्राधिकारियों के मध्य तालमेल का अभाव था।

5.12.7 अनुशंसा

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिकाओं से तालमेल के लिये एक कार्यप्रणाली विकसित करे ताकि सही मूल्य के स्टाम्प पर विकासकर्ता अनुबन्धों का पंजीकरण/निष्पादन हो।

5.13 अलाभकारी व्यय

हमने महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबन्धन इलाहाबाद के अभिलेखों की जांच किया (सितम्बर 2012) और पाया कि उप निबन्धक सलेमपुर, देवरिया को एक कार्यालय भवन उपलब्ध कराने हेतु शासन⁵⁴ द्वारा ₹ 42.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी और शासन द्वारा कार्य कार्यदायी संस्था⁵⁵ को आबंटित किया गया। इस स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 22.12 लाख 20 फरवरी 2009 में और शेष ₹ 20.65 लाख 16 मई 2011 को कार्यदायी संस्था को निर्गत किया गया।

धनराशि प्राप्त होने के आठ महीने विलम्ब से नवम्बर 2009 में कार्यदायी संस्था द्वारा उप निबन्धक सलेमपुर, देवरिया के कार्यालय भवन का कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में कार्य 31 मार्च 2009 तक पूर्ण करना था, पर विभाग के सचिव द्वारा कार्यदायी संस्था को मई 2012 तक का समय विस्तार दिया गया।

हमने पाया कि कार्य की प्रगति की निगरानी के लिये समिति/नियमित प्रगति प्रतिवेदन भेजने की प्रणाली नहीं थी। पहला संयुक्त निरीक्षण उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों के साथ केवल अगस्त 2012 में किया गया अर्थात् कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के तीन महीने बाद। निरीक्षण में यह प्रतिवेदित किया गया कि भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता बहुत खराब थी और मानक के अनुरूप नहीं थी क्योंकि बहुत सी कमियाँ⁵⁶ थीं। इन कमियों के कारण ₹ 42.77 लाख की धनराशि व्यय होने के बावजूद भवन बिना उपयोग के पड़ा था। निष्क्रियता/निगरानी के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 42.77 लाख का अलाभकारी व्यय हुआ।

हमने नवम्बर 2012 में प्रकरण विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने स्वीकार किया (सितम्बर 2013) कि भवन हस्तगत नहीं किया गया है और कमियों की जांच के लिये जो समिति गठित है उसका प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

⁵⁴ कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या क.नि.-5-4902/11-2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 द्वारा

⁵⁵ पैक्सफेड अर्थात् उ.प्र. सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि. लखनऊ

⁵⁶ छत और दीवारों पर बहुत सी दररें थीं, प्लास्टर उखड़े हुए थे एवं शौच और पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी। फिटिंग्स एवं निर्माण कार्य, कर्फ एवं शौचालय, सीढ़ी की रेलिंग का कार्य अचूरा छोड़ दिया गया था और मुख्य सड़क से कार्यालय भवन का सम्पर्क मार्ग नहीं बनाया गया था।

कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में क्या मुख्यांकित किया

मनोरजन विभाग एवं भूत्त्व तथा खनन विभाग के अभिलेखों की हमारी नमूना जाँच के दौरान पाये गये आपत्तियों में से ₹ 70.19 करोड़ के व्याख्यात्मक प्रकरणों को हम इस अध्याय में प्रस्तुत करते हैं। हमने, विभाग द्वारा कर, रायल्टी और ब्याज की न/कम वसूली के कई उदाहरण पाये।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

अवधि 2012–13 के दौरान हमने मनोरंजन कर विभाग एवं भूत्त्व एवं खनन विभाग के क्रमशः 24 एवं 73 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच सम्पन्न की और कर, रायल्टी, ब्याज और अन्य अनियमितताओं के न/कम वसूली के 490 प्रकरणों में सन्निहित धनराशि ₹0 665.93 करोड़ के प्रकरण को पाया।

विभाग ने अव–निर्धारण तथा अन्य कमियों को माना तथा ₹ 18.20 लाख वसूल किया।

हमारा निष्कर्ष

विभागों को आन्तरिक लेखापरीक्षा की मजबूती को सम्मिलित करते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है जिससे प्रणाली में कमियों का पता चले और हमारे द्वारा इंगित कमियों की प्रकृति से भविष्य में बचा जाय।

हमारे द्वारा इंगित न वसूले गये कर, कम कर के आरोपण अर्थदण्डों को वसूलने आदि की कार्यवाही शुरू करने भी की भी आवश्यकता है और विशेषकर उन प्रकरणों में जिन्हें विभागों ने हमारे प्रेक्षण में स्वीकार किया है।

अध्याय-VI

अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

6.1 लेखापरीक्षा का प्रभाव

वर्ष 2012–13 में मनोरंजन कर, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के क्रमशः 24 एवं 73 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹ 665.93 करोड़ के कर एवं ब्याज को वसूल न किया जाना आदि के 490 मामले प्रकाश में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि सारणी क्रमांक 6.1 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 6.1

क्रम सं०	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
मनोरंजन कर विभाग			
1.	ब्याज का न प्रभारित किया जाना	09	0.05
2.	कर का न वसूल किया जाना	18	1.52
3.	अन्य अनियमिततायें योग (क)	70 97	1.51 3.08
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग			
1.	रायल्टी का न वसूल किया जाना	102	26.52
2.	पट्टा घिलेख न निबन्धित कराये जाने से राजस्व की वसूली न होना	13	2.45
3.	अर्थदण्ड का अनारोपण	66	141.27
4.	उपखनिजों के मूल्य का न वसूला जाना	31	170.74
5.	अविवहन शुल्क का अनारोपण	23	85.31
6.	अन्य अनियमिततायें	158	236.56
	योग (ख)	393	662.85
	महायोग (क +ख)	490	665.93

वर्ष 2012–13 दौरान विभागों ने पांच मामलों में निहित ₹ 18.20 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार व वसूल किया।

अनुवर्ती प्रस्तरों में ₹ 70.19 करोड़ के कुछ निदर्शी मामले उल्लिखित हैं।

6.2 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

मनोरंजन कर, भूतत्व और खनिकर्म कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में लाइसेंस फीस, अनुरक्षण प्रभार, ब्याज एवं रायल्टी की वसूली नहीं/कम किए जाने, आवेदन शुल्क एवं दण्ड का अनारोपण, अवैध खनन पर खनिज मूल्य का न/कम आरोपण, अप्राधिकृत विदोहन, शासकीय आदेशों का अधिनियमों/नियमों में अनुरूपता न होना, फीस/अंतिरिक्त फीस की वसूली न किया जाना आदि के प्रकरण प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किए गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती है। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदूर करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

मनोरंजन कर विभाग

6.3 अनुज्ञापन शुल्क की वसूली न किया जाना

उ0प्र0 सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 (1956 का उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3) की धारा-4, उ0प्र0 सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली 1988 के नियम-12, 16 व 18 और उ0प्र0 सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम 18(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राधिकारी निम्न कालम-I में बताये गये जनसंख्या वाले स्थानीय क्षेत्र में कालम-II या III के में निर्दिष्ट दर पर एक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये, शुल्क के भुगतान पर, एक बार में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि से अनधिक के लिये वीडियो लाइब्रेरी/टेलीविजन सिग्नल रिसीवर की एजेन्सी हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत या नवीनीकृत कर सकता है।

कालम-I (स्थानीय क्षेत्र)	कालम-II (वीडियो लाइब्रेरी हेतु अनुज्ञा शुल्क)	कालम-III (टेलीविजन सिग्नल रिसीवर हेतु अनुज्ञा शुल्क)
(अ) नगर निगम नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा	पाँच हजार रुपये	दस हजार रुपये
(ब) नगर परिषद	तीन हजार रुपये	छः हजार रुपये
(स) टाउन एसिया/ अन्य स्थानों	एक हजार रुपये	तीन हजार रुपये

से वंचित रहा। विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है—

सारणी क्रमांक 6.2

क्रम सं0	जिले का नाम	टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी	वीडियो लाइब्रेरी	(₹ लाख में)	
				देय अनुज्ञा शुल्क	देय ब्याज (लेखापरीक्षा तिथि तक आगणित)
1	बरेली	—	72	1.90	0.09
2.	बिजनौर	14	—	0.91	0.13
3.	मुरादाबाद	13	—	1.27	0.26
4.	मुजफ्फरनगर	23	—	1.39	0.26
	योग	50	72	5.47	0.74

जून 2012 और फरवरी 2013 के मध्य प्रकरण विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकारा तथा कहा (अगस्त 2013) कि बरेली में अनुज्ञा शुल्क अब जमा कराया जा चुका है और 19 वीडियो लाइब्रेरी, जो संचालित पाये गये, उनसे विलम्ब शुल्क वसूला गया। विभाग ने अन्य तीन जिलों के बचे हुए प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है।

¹ म0क0आ0: बरेली और बिजनौर स0आ0म0: मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर।

² वीडियो लाइब्रेरी/टेलीविजन की अनुज्ञा शुल्क पंजिका।

³ 78 टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी तथा 113 वीडियो लाइब्रेरी में से।

जून 2012 और फरवरी 2013 के मध्य चार सहायक आयुक्त मनोरंजन कर/मनोरंजन कर कार्यालयों¹ की पत्रावलियों² में हमने पाया कि अप्रैल 2010 और फरवरी 2013 की अवधि में 50 टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी तथा 72 वीडियो लाइब्रेरी, जो कि जिले में संचालित थे, से कोई अनुज्ञा शुल्क³ नियमानुसार वसूल नहीं किया गया था। इस प्रकार, शासन देय अनुज्ञा शुल्क ₹ 5.47 लाख तथा ब्याज ₹ 74,000/- के राजस्व

6.4 रख—रखाव प्रभार जमा न किया जाना

उ०प्र० मनोरंजन कर एवं बाजीकर अधिनियम 1979 की धारा ३ए(१) के अन्तर्गत सिनेमा मालिकों को, सिनेमा हाल में प्रवेश करने वाले दर्शकों से क्रमशः ₹ ३/- प्रति सीट रखरखाव प्रभार के अतिरिक्त ६० पैसा वातानुकूलन एवं २५ पैसा वायुप्रशीतन सुविधा हेतु अतिरिक्त प्रभार के रूप में संग्रह करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। यह सुविधा उ०प्र० मनोरंजन एवं बाजीकर (संशोधन) घोषणा 2009 अधिनियम द्वारा १६ जून 2009 से वापस ले ली गई। मनोरंजन कर आयुक्त (म०क०आ०) ने भी (२००९) में स्पष्ट किया कि यदि १६ जून २००९ के बाद दर्शकों को वातानुकूलित/वायुप्रशीतन सुविधा या रखरखाव प्रभार के लिए अतिरिक्त प्रभार वसूल किया गया है तो इस राशि को शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिए था।

प्रारम्भ नहीं करी। जिसके परिणामस्वरूप सिनेमा स्वामियों को अनौचित्यपूर्ण धनलाभ हुआ।

प्रकरण शासन एवं विभाग को मई 2012 एवं जुलाई 2012 के मध्य प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया (अगस्त 2013) और कहा कि वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है, अलीगढ़ एवं इलाहाबाद के प्रकरण में ₹ २.८१ लाख^७ की राशि शासकीय खाते में जमा की जा चुकी है।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

6.5 ईंट भट्ठा मालिकों से रायल्टी व ब्याज का न वसूल किया जाना

दिसम्बर 2004 में जारी की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०एस०) में ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा ₹ ४०० प्रति ईंट भट्ठा प्रार्थना—पत्र शुल्क अदा कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद ईंट भट्ठा क्षेत्रों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित दरों पर रायल्टी की धनराशि एकमुश्त अदा करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त ओ०टी०एस०एस० में प्रावधान है कि यदि ईंट भट्ठा स्वामी रायल्टी की एकीकृत धनराशि अदा करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी ऐसे व्यवसाय को बन्द करा देगा और बकाया रायल्टी/अर्थदण्ड की वसूली के लिए ओ०टी०एस०एस० के पैरा ३ के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ करेगा। इसके अतिरिक्त किराया, रायल्टी फीस या अन्य देय रकम पर ओ०टी०एस०एस० के पैरा ग्राफ १(५) के अनुसार निर्धारित दर से ब्याज भी प्रभारित किया जा सकता है।

मई 2012 एवम् दिसम्बर 2012 के मध्य २२ जिला खान कार्यालयों^८ में हमने ईंट भट्ठा पंजिका और ईंट भट्ठा स्वामियों की पृथक पत्रावलियों में अनुरक्षित अन्य संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि अवधि 2009–10 से 2012–13 के दौरान १६५५ ईंट भट्ठे (कोटि)^९ अ : १०२८,

⁴ सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, अलीगढ़ और इलाहाबाद।

⁵ सिनेमा की रख रखाव पंजिका।

⁶ अलीगढ़ ₹ ३.८२ लाख इलाहाबाद ₹ १.७१ लाख।

⁷ अलीगढ़ ₹ १,३४,६५२ और इलाहाबाद ₹ १,४६,६०८।

⁸ अलीगढ़, इलाहाबाद, औरेया, आजमगढ़, बदायू़, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बुलन्दशहर, चन्दौली, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, जालौन, कर्नातक, कानपुर, महाराजगंज, मऊ, मुरादाबाद, पीलीभीत एवं सहारनपुर।

⁹ कोटि—अलीगढ़, औरेया, बदायू़, बागपत, बुलन्दशहर, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कानपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत एवं सहारनपुर।

कोटि¹⁰ बः 290 कोटि¹¹ सः 337) ईट भट्ठा काल¹² में संचालित थे। इन ईट भट्ठा स्वामियों ने ₹ 7.48 करोड़ की रायल्टी भी अदा नहीं की थी। बुलन्दशहर और गौतम बुद्ध नगर में 44 ईट-भट्ठा स्वामियों¹³ ने कुल तीन वर्षों की रायल्टी अदा नहीं करी थी। सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों द्वारा उनके व्यवसाय को रोकने की कार्यवाही शुरू नहीं की गयी। ईट-भट्ठों के अवैध संचालन को रोकने के लिये जिला खान अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 7.48 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज ₹ 2.74 करोड़ की वसूली नहीं हुई। जैसा कि परिशिष्ट XVI में दर्शाया गया है।

मई 2012 तथा मई 2013 के मध्य हमने मामले को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया (अगस्त 2013) और कहा कि दोषियों से रायल्टी व ब्याज को वसूलने के निर्देश कलेक्टर के माध्यम से जारी किये जा चुके हैं। आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

¹⁰ कोटि-ब इलाहाबाद, बाराबंकी, चन्दौली, फतेहपुर, जालौन एवं कन्नौज।

¹¹ कोटि-स आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, महराजगंज एवं मऊ।

¹² ईट भट्ठा काल प्रति वर्ष माह अक्टूबर से आगामी वर्ष के माह सितम्बर तक होता है।

¹³ आठ बुलन्दशहर में तथा 36 गौतमबुद्धनगर में।

6.6 ईंट मिट्टी का निकाला जाना

6.6.1 ईंट बनाने की मिट्टी के अवैध हटान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 व 57 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन अनुज्ञापत्र या खनन पट्टे में किये गये निर्बन्धनों और शर्तों के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन क्रिया संचालित नहीं करेगा।

खान एवम् खनिज (विनियम एवम् विकास) अधिनियम, 1957 (खान अधिनियम) की धारा-21 (1) और (5) प्रावधानित करता है कि किसी अवैध खनन के लिये उस अवधि के लिए जब ऐसे व्यक्ति द्वारा विधि सम्मत प्राधिकार के बिना भूमि अधिग्रहीत की गयी हो, खनिज मूल्य के साथ किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, भी देय होगा। आगे उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली का नियम 57 आपराधिक कार्यवाही जिसमें छः माह तक बढ़ायी जा सकने वाली साधारण सजा या अधिकतम ₹ एक हजार तक के दण्ड या दोनों सजायें आकृष्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रावधान करता है।

प्रकार, बिना खनन अनुज्ञापत्र के ईंट मिट्टी का खनन अवैध था। इस तथ्य के बावजूद कि खनन संक्रियायें की जा रही थी, विभाग ने उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुसार व्यवसाय को रोकने या अर्थदण्ड आरोपित करने की कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार, पर्यावरण के हानिकारक प्रभाव के अतिरिक्त रायल्टी का पाँच गुना खनिज मूल्य मानकर ₹ 30.75 करोड़¹⁸ का आरोपण नहीं किया गया।

इसे हमने शासन और विभाग को इंगित किया (सितम्बर 2012 और अप्रैल 2013 के मध्य)। विभाग ने हमारी आपत्तियों को माना (अगस्त 2013) और कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण ईंट भट्ठों का निरीक्षण नहीं किया गया, ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा अवैध मिट्टी के हटाने का पता नहीं लग पाया और यह भी कि ईंट भट्ठा स्वामी अन्यत्र से मिट्टी ला रहे हों। उत्तर से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि विभाग का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य के राजस्व हित से समझौता न हो और खान एवम् खनिज अधिनियम की धारा 21 (5) के प्रावधानों को कार्यान्वित करें, जिसमें खनिज मूल्य की वसूली अनिवार्य है।

जुलाई 2012 एवम् फरवरी 2013 के मध्य 13 जिला खान कार्यालयों¹⁴ में हमने ईंट भट्ठा स्वामियों की मॉग, संग्रहण और अनुज्ञापन पंजिका की नमूना जॉच में पाया कि अप्रैल 2009 से फरवरी 2013 की अवधि के दौरान 1400 ईंट भट्ठे (कोटि-अ¹⁵ : 560, कोटि ब¹⁶ : 712, कोटि स¹⁷ : 128) अनुज्ञापन स्वीकृति हेतु अपेक्षित शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र और मिट्टी खनन हेतु खनन अनुज्ञापन और रायल्टी की एकमुश्त धनराशि दिये बिना संचालित थे। इस

¹⁴ अलीगढ़, बाराबंकी, बदोंयू, चन्दौली, इटावा, फिरोजाबाद, जी0बी0 नगर, गोण्डा, हाथरस, मिर्जापुर, सोनभद्र और सुन्तानपुर और वाराणसी।

¹⁵ अलीगढ़, इटावा, फिरोजाबाद, जी0बी0 नगर और हाथरस।

¹⁶ बाराबंकी और चन्दौली।

¹⁷ गोण्डा, मिर्जापुर, सोनभद्र और सुल्तानपुर।

¹⁸ रायल्टी के पाँच गुना निर्धारित जैसा कि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21(2) में परिभाषित किया गया है।

6.6.2 ईंट बनाने की मिट्टी के हटान पर आवेदन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 का नियम 52 खनन अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रार्थना के तरीके का प्रावधान करता है। प्रार्थना पत्र शुल्क ₹ 400 निर्धारित थी, जिसे शासन की विज्ञप्ति संख्या 7338 / 86—2011—18 दिनांक 01 दिसम्बर 2011 द्वारा बढ़ाकर ₹ 2,000 कर दिया गया।

खनन अनुज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र शुल्क ₹ 2000 के स्थान पर संशोधन के पूर्व की दर ₹ 400 की दर से भुगतान किया और 150 ईंट भट्ठा स्वामियों ने किसी प्रार्थना पत्र शुल्क का भुगतान नहीं किया। सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों ने प्रार्थना पत्र शुल्क के कम/न भुगतान का पता नहीं लगाया और न उसे वसूलने की शुरुआत की। परिणामतः प्रार्थनापत्र शुल्क ₹ 7.76 लाख का न/कम आरोपण हुआ, जैसा कि सारणी क्रमांक 6.3 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 6.3

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	मामलों की संख्या	देय आवेदन शुल्क	जमा आवेदन शुल्क	अन्तर
1.	जिला खान अधिकारी, इलाहाबाद	2011–12	72	1.44	0.29	1.15
2.	जिला खान अधिकारी, आजमगढ़	2011–12	25	0.50	0	0.50
			49	0.98	0.23	0.75
3.	जिला खान अधिकारी, चन्दौली	2011–12	125	2.50	0	2.50
			45	0.90	0.18	0.72
4.	जिला खान अधिकारी, जौनपुर	2011–12	42	0.84	0.17	0.67
5.	जिला खान अधिकारी, लखनऊ	2011–12	26	0.52	0.10	0.42
6.	जिला खान अधिकारी, मऊ	2011–12	13	0.26	0.05	0.21
7.	जिला खान अधिकारी, शाहजहाँपुर	2011–12	31	0.62	0.12	0.50
8.	जिला खान अधिकारी, श्रावस्ती	2011–12	21	0.42	0.08	0.34
	योग		449	8.98	1.22	7.76

हमने इसे (सितम्बर 2012 और मई 2013 के मध्य) शासन और विभाग को इंगित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को माना और कहा कि वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है (अगस्त 2013)।

¹⁹ इलाहाबाद, आजमगढ़, चन्दौली, जौनपुर, लखनऊ, मऊ, शाहजहाँपुर और श्रावस्ती।

²⁰ ईंट भट्ठा पंजिका और सम्बन्धित पत्रावलियाँ।

6.7 अवैध खनन पर खनिज मूल्य का न/कम आरोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 व 57 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन अनुज्ञापत्र या खनन पट्टे में किये गये निर्बन्धनों और शर्तों के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन क्रिया संचालित नहीं करेगा।

खान एवम् खनिज (विनिमय एवम् विकास) अधिनियम, 1957 (खान अधिनियम) की धारा-21 (1) और (5) प्रावधानित करता है कि किसी अवैध खनन के लिये उस अवधि के लिए जब ऐसे व्यक्ति द्वारा विधि सम्मत प्राधिकार के बिना भूमि अधिग्रहीत की गयी हो, खनिज मूल्य के साथ किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, भी देय होगा। आगे उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली का नियम 57* आपराधिक कार्यवाही जिसमें छः माह तक बढ़ायी जा सकने वाली साधारण सजा या अधिकतम पच्चीस हजार रूपये तक के दण्ड या दोनों सजायें आकृष्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रावधान करता है।

* विज्ञप्ति संख्या 7338 / 86-2011-183 / 211 लखनऊ दिनांक 01 दिसम्बर 2011 द्वारा यथासंशोधित

प्रकरण विभाग के संज्ञान में थे, विभाग ने अवैध खनन की निर्दिष्ट रायल्टी की दर के पाँच गुना के खनिज मूल्य के आरोपण एवं उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुसार अर्थदण्ड के आरोपण की कोई कार्यवाही नहीं की। यह कार्यहीनता ₹ 2.78 करोड़ के खनिज मूल्य के न/कम आरोपण तथा अर्थदण्ड के न/कम आरोपण की ओर अग्रसर हुई जैसा कि सारणी क्रमांक 6.4 में वर्णित है।

सारणी क्रमांक 6.4

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला खान कार्यालय का नाम	खनिज का नाम	प्रकरणों की संख्या	खनिज मात्रा घनमीटर में	रायल्टी की दर (₹ में)	खनिज की रायल्टी	खनिज का मूल्य ²²	देय धनराशि	अदा/आरोपित धनराशि	भूगतान की जाने वाली शेष धनराशि	आरोपित अर्थदण्ड/ कम आरोपित/ अनारोपित
1.	अलीगढ़	सा. मिट्टी	1	32410	9	2.92	14.58	17.50	0	17.50	अनारोपित
		सा. मिट्टी	1	209700	9	18.87	94.37	113.24	37.75	75.49	आरोपित
2.	बिजनौर	बालू/ बजरी	1	84520	22	18.59	92.97	111.57	20.71	90.86	अनारोपित
		सा. मिट्टी	1	85050	9	7.65	38.27	45.93	7.65	38.27	अनारोपित
		बालू	1	17560	22	3.86	19.32	23.18	3.10	20.08	अनारोपित
3.	मेरठ	सा.मिट्टी	2	16222	9	1.46	7.30	8.76	0	8.76	अनारोपित
4.	श्रावस्ती	सा. मिट्टी	23	22997	9	2.07	10.35	12.42	0	12.42	अन्तरीय दर से आरोपित
		बालू	4	8099	22	1.78	8.91	10.69	0	10.69	अन्तरीय दर से आरोपित
5.	वाराणसी	बालू	1	3800	22	0.84	4.18	5.02	0.84	4.18	आरोपित
		योग	35	480358		58.04	290.25	348.31	70.05	278.25	

मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2012 से मार्च 2013)। विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2013) की अधिनियम एवम् नियमावली में खनिज मूल्य प्रभारित करने का कोई प्रावधान नहीं है और प्रावधान केवल अर्थदण्ड के आरोपण तक ही सीमित है। विभाग ने आगे बताया कि अर्थदण्ड आरोपित करना या खनिज मूल्य या रायल्टी वसूलना यह

²¹ अलीगढ़, बिजनौर, मेरठ, श्रावस्ती और वाराणसी।

²² खनिज मूल्य का 20 प्रतिशत रायल्टी है जैसा कि उ0प्र0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 21 (2) में निर्दिष्ट है।

जुलाई 2012 एवम् जनवरी 2013 के मध्य पाँच जिला खान कार्यालयों²¹ की अवैध खनन पत्रावलियों एवं पंजिकाओं में हमने पाया कि अप्रैल 2009 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य 35 प्रकरणों में 4,80,358 घनमीटर के उप खनिज को बिना विधि सम्मत प्राधिकार के निकाला गया।

बिना खनन अनुज्ञा/पट्टा के खनिजों की खुदाई न केवल अवैध थी बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित किया। बावजूद इसके कि अवैध खनन के ये

प्राधिकारी का विवेकाधिकार है, इसलिए इन मामलों में सक्षम प्राधिकारियों ने अपने विवेकाधिकार से खनिज मूल्य वसूलने के बजाय अर्थदण्ड आरोपित किया। विभाग का उत्तर अनुचित है क्योंकि खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21 (1) और (5) में अवैध खनन हेतु निर्दिष्ट दण्ड में किराया, रायल्टी या कर से पृथक् खनिज मूल्य की वसूली समाहित है। उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली इन मामलों में अर्थदण्ड के आरोपण और/या अपराधिक प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान है। खनिज मूल्य की वसूली न करके तथा अर्थदण्ड का अनारोपण करके विभाग ने अधिनियम एवम् नियमावली का उल्लंघन किया।

6.8 रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 58 (2) के अनुसार 30 दिवसों की नोटिस अवधि के बीत जाने पर किसी किराया, रायल्टी या सीमांकन शुल्क और राज्य सरकार के अन्य देयों के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज आरोपित की जायेगी। केवल ईंट भट्ठों से रायल्टी वसूली के प्रकरण में 18 मई 2009 के शासनादेश के तहत ब्याज की दर 24 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी थी। आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2011 द्वारा पुनः ब्याज दर बढ़ाकर 24 प्रतिशत कर दिया गया।

बावजूद विभाग ने विलम्ब से किये गये इन भुगतानों पर ब्याज के आरोपण और वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। परिणाम स्वरूप ब्याज के ₹ 19.10 लाख की वसूली नहीं हुई जिसका ब्यौरा सारणी क्रमांक 6.5 में है:

सारणी क्रमांक 6.5

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	देय अवधि	मामलों की संख्या	देय धनराशि	जमा धनराशि	आरोपणीय ब्याज ²³	ब्याज सहित देय कुल धनराशि	विलम्ब की अवधि दिनों में	(₹ लाख में) शुद्ध वसूलनीय ब्याज
1.	बागपत	2009-10	68	36.43	36.43	3.04	39.47	43 से 732	3.04
2.	बिजनौर	2009-10	88	45.43	45.43	4.19	49.62	91 से 851	4.19
		2010-11	5	2.62	2.62	0.33	2.95	142 से 290	0.33
		2011-12	2	1.023	1.02	0.03	1.05	37 से 85	0.03
3.	चन्दौली	2011-12	45	16.28	16.28	2.23	18.51	84 से 422	2.23
4.	गाजियाबाद	2009-10	62	34.06	34.06	1.89	35.95	60 से 324	1.89
5.	कौशाम्बी	2011-12	05	2.09	2.09	0.05	2.14	64 से 221	0.05
6.	मिर्जापुर	2011-12	24	7.37	7.37	1.01	8.38	126 से 398	1.01
7.	मुरादाबाद	2010-11	13	6.62	6.62	0.98	7.60	69 से 454	0.98
8.	संतरविदास नगर	2009-10	23	8.18	8.18	0.97	9.15	119 से 399	0.97
9.	वाराणसी	2009-10	139	39.44	39.44	3.70	43.14	65 से 562	3.70
	योग		493	207.33	207.33	19.10	226.43		19.10

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2012 और जनवरी 2013 के मध्य) विभाग ने हमारी आपत्तियों को अपने उत्तर (अगस्त 2013) में माना और कहा कि विलम्ब से जमा के लिये नोटिसें समय से जारी नहीं की गयी थीं। विभाग ने आगे बताया कि नियमावली में विहित समय सीमा के अन्तर्गत नोटिसे प्रेषित नहीं की गयी थी, इसलिये अब ब्याज की वसूली नहीं की जा सकती है। विभागीय उत्तर शासकीय देयताओं की वसूली के प्रति इसकी उदासीनता को दर्शाता है। विभाग को शीघ्रतापूर्वक नोटिसें जारी करने हेतु कदम उठाना चाहिए और विलम्ब से जमा रायल्टी पर देय ब्याज को

²³ बागपत, बिजनौर, चन्दौली, गाजियाबाद, कौशाम्बी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, संतरविदास नगर और वाराणसी।

²⁴ ब्याज दर 2009-10 में 18 प्रतिशत, 2010-11 में 24 प्रतिशत तथा 2011-12 में 24 प्रतिशत प्रति वर्ष।

वसूलना चाहिए तथा उन कर्मियों जिन्होंने समय से नोटिस निर्गत नहीं किया, का उत्तरदायित्व भी निर्धारित करना चाहिए।

6.9 अनधिकृत उत्खनन

खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 22ए में प्रावधान है कि खनन से संक्रियाएँ विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए और खनन पट्टा संचालन के दौरान स्वीकृत खनन योजना में संशोधन हेतु पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित है। खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब कभी कोई व्यक्ति विधिसम्मत प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से हटायेगा, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे उठाये गये खनिज या जहाँ ऐसा खनिज पूर्व में ही हटाया गया है, रायल्टी के साथ खनिज मूल्य वसूल कर सकती है। इसके अतिरिक्त उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली के नियम 21(2) के अन्तर्गत रायल्टी खनिमुख मूल्य का अधिकतम 20% की दर से निर्धारित है।

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली के नियम 34(2) के अन्तर्गत संगमरमर, चूने का पत्थर, इमारती पत्थर जैसे बालू पत्थर और ग्रेनाइट, स्टोन ब्लास्ट (मिट्टी), बजरी आदि, के प्रकरणों में पट्टाधारक द्वारा प्रपत्र एम०एम-१ (ए) में प्रार्थना पत्र के साथ खनन योजना संलग्न करना अपेक्षित है। नदी तल में पाये जाने वाले बालू और मोरम के लिए खनन योजना की आवश्यकता नहीं है।

रखा। जि०खा०अ० ने खनन योजना से अधिक उत्खनन के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की तथा निकाले गये खनिज के मूल्य ₹ 7.08 करोड़ और अर्थदण्ड को वसूलने की कोई कार्यवाही नहीं की जैसा कि सारणी क्रमांक 6.6 में वर्णित है:

6.9.1 हमने जिला खनन अधिकारी सोनभद्र के खनन पट्टो की पत्रावलियों की नमूना जाँच (सितम्बर 2012) में पाया कि पट्टाधारकों ने जुलाई 2003 से मार्च 2012 के दौरान 260049.66 घनमीटर स्टोन ब्लास्ट का उत्खनन अनुमोदित खनन योजनाओं में उल्लिखित मात्रा से अधिक का किया। इस प्रकार पट्टाधारकों द्वारा उपखनिज का उत्खनन अनधिकृत था और पट्टाधारकों से खनिज मूल्य ₹ 7.08 करोड़ वसूलनीय था। जि०खा०अ० द्वारा तथ्य को नहीं देखा गया तथा अनुमोदित मात्रा से अधिक खनिज के उत्खनन के बावजूद भी पट्टाधारकों को एम०एम-११ फार्म निर्गत करना जारी

सारणी क्रमांक 6.6

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	फर्म का नाम सर्वश्री	मामलों की संख्या	खनन योजना के अनुसार अनुमत्य मात्रा घनमीटर में	कुल उत्थनित मात्रा घनमीटर में	अधिक उत्थनन घनमीटर में	वसूली योग्य खनिज मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	सोनभद्र	ए.के.मौर्या	1	6000	77071.66	71071.66	131.43	0.25
		कै०क००स्टोन प्रोडक्ट	1	6000	79800	73800	184.68	0.25
		सौरभ क्रशर	1	30000	48178	18178	61.80	0.25
		बशीर बेग	1	20000	117000	97000	329.80	0.25
		योग	4	62,000	3,22,049.66	2,60,049.66	707.71	1.00

6.9.2 खनन योजना के नवीनीकरण के बिना उपखनिज का उत्थनन

जिला खान अधिकारी मिर्जापुर और सोनभद्र की पत्रावलियों से हमने पाया (सितम्बर 2012 एवं नवम्बर 2012 के मध्य) कि पट्टाधारकों ने उपखनिजों का उत्थनन और परिवहन अपनी खनन योजनाओं के नवीनीकरण/अनुमोदन के बिना किया। पट्टाधारकों की खनन योजना केवल 3 वर्ष के लिये अनुमोदित की गयी थी, फिर भी पट्टाधारकों ने खनन योजना की अवधि समाप्ति के पश्चात भी उपखनिजों का निकालना जारी रखा। अप्रैल 2003 एवम् मई 2012 के मध्य 1 दिन से लेकर 1,060 दिनों की अवधि में पट्टाधारकों द्वारा 6,26,783 घनमीटर उपखनिजों का अवैध उत्थनन किया गया। जिला खान अधिकारियों द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया तथा उन्होंने खनन योजना की समाप्ति के बाद भी पट्टाधारकों को एम०एम०-११ निर्गत करना जारी रखा।

जिला खान अधिकारियों ने अनधिकृत उत्थनन को रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की एवम् खनन किये गये खनिज जिसका मूल्य ₹ 18.82 करोड़ था तथा उस पर शास्ति दोनों की वसूली भी पट्टा धारकों से नहीं की।

इसे इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2012 एवम् दिसम्बर 2012), विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि खनन योजना/खनन योजना के नवीनीकरण के बिना किया गया उत्थनन का यह उल्लंघन अवैध न होकर उ०प्र०ख०प० नियमावली के नियम 34 का उल्लंघन है।

हम सहमत नहीं हैं क्योंकि खनन संक्रियायें अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना अपेक्षित था और विभाग को उत्थनित खनिज का मूल्य व इस उल्लंघन के लिये उस पर देय अर्थदण्ड की वसूली की कार्यवाही करनी थी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

6.10 अधिनियम/नियमों के साथ शासनादेशों का अनुरूप न होना

अधिनियम की धारा 4 (1-क) एवम् धारा 21 (1) से (5) के साथ पठित उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 का नियम 70(1) में प्रावधान है कि खनन पट्टा या अनुज्ञा का धारक या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपखनिज को किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पास फार्म एम0एम0 11 में निर्गत करें। नियम 70 (2) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी उपखनिज को उपनियम (2) के अन्तर्गत जारी फार्म एम0एम0 11 के बिना, (रेलवे को छोड़कर) किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से प्रदेश के अन्दर नहीं ले जायेगा। नियम 70(6) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो इन नियम के किसी प्रावधान का प्रतिषेध करता हुआ पाया जाता है, तो दोष सिद्धि पर, कारावास जिसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थदण्ड ₹ 25,000/- या दोनों दण्ड का भागी होगा। शासनादेश संख्या 594/ 77-5-2001-2002/77 ठी0सी0-1 लखनऊ दिनांक 02 फरवरी 2001 और शासनादेश संख्या 4951(1)/77-5-/2006-506/05 लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर 2006 में अधिशासी अधिकारी को, ऐसे प्रकरणों में जहाँ कार्यदायी संस्था को उप खनिजों की आपूर्ति बिना एम0एम0 11 के की गयी है, रायल्टी वसूलने या रायल्टी भुगतान के साक्ष्य के रूप में चालान की प्रति प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

शासनादेशों के अनुसार कार्यदायी संस्थायें, बिना एम0 एम0 11 के आपूर्ति किये गये खनिजों के मामलों में रायल्टी या रायल्टी के साक्ष्य के रूप में कोषागार चालान की प्रति प्राप्त करने के लिये अधिकृत थे। खान अधिनियम की धारा 21(5) और 21(1) के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली तथा अर्थदण्ड का आरोपण के नियम है। चूँकि खनिज मूल्य की वसूली एवम् अर्थदण्ड के आरोपण के बारे में शासनादेश चुप है। अतः ये आरोपित/वसूल नहीं किये जा रहे हैं। मात्र जिला खान अधिकारी फिरोजाबाद के प्रस्तुत प्रकरण में ही अवैध परिवहन के प्रत्येक प्रकरण में ₹ 25,000 के अर्थदण्ड के अतिरिक्त खनिज मूल्य ₹ 37.33 लाख आरोपणीय था।

इस प्रकरण को इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि कार्यदायी संस्थाओं ने नियम 68 में विहित शक्तियों के अन्तर्गत जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की है। खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के साथ शासनादेशों की असंगतता की हमारी विशेष आपत्ति पर विभाग ने उत्तर नहीं दिया। कथित शासनादेश खनिज मूल्य व अर्थदण्ड की वसूली के प्रावधान के बिना निर्गत किये गये, जिस पर खान अधिनियम की धारा 21 का मुख्य जोर है। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के प्रावधान कि बिना

फरवरी 2013 में जिला खान अधिकारी फिरोजाबाद की लेखा परीक्षा में हमने देखा कि सात कार्यदायी संस्थाओं²⁵ ने 15 लोक निर्माण कार्यों को ठेकेदारों के माध्यम से करवाया। इन सभी प्रकरणों में ठेकेदारों ने उनके द्वारा प्रयुक्त उपखनिजों के बिल के साथ एम0एम0 11 फार्म प्रस्तुत नहीं किया, इसलिये कार्यदायी संस्थाओं ने शासनादेश दिनांक 02 फरवरी 2001 व शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर 2006 के अनुसार उनके बिल से रायल्टी की कटौती कर ली और रायल्टी के बदले ₹ 7.47 लाख जमा किया।

हमने देखा कि उक्त शासनादेश खान अधिनियम और

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुरूप नहीं थे क्योंकि इन

²⁵ विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद, अ0अ0, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फिरोजाबाद, जिला पंचायत, अ0अधिकारी, नगर पालिका फिरोजाबाद, एस0एस0 पी0डब्ल्यू0डी0 फिरोजाबाद, अ0अ0लो0निर्विप्रारोख0 फिरोजाबाद और डी0डी0 कस्ट्रक्शन फिरोजाबाद।

वैध एम० एम० 11 के खनिजों के परिवहन करने पर व्यक्ति पर शास्ति और/या दण्ड आरोपित किया जायेगा, को शासनादेश में ध्यान नहीं दिया गया। खान अधिनियम और उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली के साथ शासनादेशों की असंगतता ने एक कमी छोड़ दी जिसके द्वारा उपखनिजों के अवैध परिवहन एवं अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों के अवैध खनन को स्वीकृति प्रदान की गयी क्योंकि खनिजों के इस अवैध परिवहन में कोई अवरोध नहीं है।

हम संस्तुति करते हैं कि शासन इन शासनादेशों को, खान अधिनियम और उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली के अनुरूप करने हेतु संशोधित करें।

बाट एवं माप विभाग

6.11 शुल्क/अतिरिक्त शुल्क की वसूली न किया जाना

बाट एवं माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (मा० बा० एवं मा०) के प्रावधानों के साथ पठित उत्तर प्रदेश मानक बाट एवं माप नियमावली, 1990 (उ०प्र०मा०बा० एवं मा०) के नियम 14 एवं 15 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व, नियंत्रक अथवा संरक्षण में कोई बाट एवं माप (क्षमता मापक संग्रहण टैकलारीज एवं डिस्पेसिंग माप आदि) हो, जिसे किसी लेन-देन या औद्योगिक उत्पादन में उपयोग करता हो, या उपभोग करने वाला हो, को सत्यापन या पुर्नसत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा और इन्हें पाँच वर्ष में कम से कम एक बार, जैसा भी मामला हो, निर्धारित फीस का भुगतान करके मुद्रांकित करायेगा। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर धारा 47 के अन्तर्गत शास्ति के साथ अर्थदण्ड, जिसे ₹ 500/- तक बढ़ाया जा सकता है, देय होगा। पुनर्श, उ०प्र० मानक बाट एवं माप नियमावली के नियम 17(3) के अन्तर्गत उ०प्र०मा०बा०नि० की अनुसूची बारह में निर्दिष्ट दर के आधी दर पर अतिरिक्त शुल्क भी पुर्नसत्यापन हेतु वैधता अवधि के समाप्ति के पश्चात् वर्ष के प्रत्येक त्रैमास या उसके भाग के लिये देय होगा।

सितम्बर 2012 और दिसम्बर 2012 मध्य एक चीनी मिल²⁶ और दो आसवनियों²⁷ के अभिलेखों²⁸ में हमने पाया कि इन चीनी मिलों और आसवनियों में दो प्रकरणों में शुरू से तथा एक प्रकरण²⁹ में पाँच वर्ष की समयावधि समाप्त होने के बाद बाट एवं माप विभाग द्वारा सत्यापन के बिना टंकियाँ/टैंकों का उपयोग हो रहा था। विभाग ने जैसा कि नियम 15(7) में अधिलिखित है, के अनुसार सत्यापन के लिये निरीक्षण नहीं किया और उपयोगकर्ताओं ने भी जैसा कि नियम 15(1) में अधिलिखित है

के अनुसार वैट्स/संग्रहण टैंकों का सत्यापन नहीं कराया। इसके परिणामस्वरूप आरोपणीय शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क की धनराशि ₹ 8.50 लाख के साथ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर आरोपणीय अर्थदण्ड की वसूली नहीं की गयी। चीनी मिलों और आसवनियों में नियुक्त आबकारी विभाग के कर्मियों ने हमारी आपत्तियों से सहमति जतायी कि वैट्स/संग्रहण टैंकों का निरीक्षण और सत्यापन नहीं कराया गया। वैट्स/संग्रहण टैंकों का अंशशोधन न करने से इनमें संग्रहीत मदिरा के आयतन के

²⁶ किसान सहकारी चीनी मिल लि०, साथा अलीगढ़।

²⁷ ननौता आसवनी ननौता सहारनपुर और नानपारा आसवनी नानपारा, बहराइच।

²⁸ वैट्स/टैंकों की सत्यापन पंजिका।

²⁹ 1-29 जनवरी 1990 से सितम्बर 2012 (खनेता आसवनी ननौता, सहारनपुर) ₹ 2.83 लाख।

2-स्थाना वर्ष 1976-77 से मार्च 2012 (किसान सहकारी चीनी मिल, साथा, अलीगढ़) ₹ 3.65 लाख।

3-स्थाना वर्ष जून 1992 से मार्च 2012 (नानपारा आसवनी, नानपारा, बहराइच) ₹ 2.03 लाख।

गलत निर्धारण का खतरा बना रहा जिसके परिणामस्वरूप गलत आबकारी शुल्क का निर्धारण हो सकता है।

अक्टूबर 2012 और जनवरी 2013 के मध्य हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया (अगस्त 2013) और कहा कि वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और सहारनपुर में ₹ 3.56 लाख अब तक जमा कराया जा चुका है।

लखनऊ
दिनांक:

(डॉ स्मिता एस० चौधरी)
महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा)
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्टयाँ

परिशिष्ट-१

सचल दल इकाइयों की संचालनात्क कमियां
 (सन्दर्भित प्रस्तर सं0. 2.8.8.1)

(₹ लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	वर्ष	वर्ष में कुल दिनों की सं0	जाँच किये गये दिनों की सं0	प्राप्त राजस्व	जाँच न किये गये दिनों की सं0
1	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-२ आगरा	2008-09	365	238	87.73	127
		2009-10	365	181	145.25	184
		2010-11	365	237	142.16	128
		2011-12	366	219	133.88	147
2	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-४, आगरा	2010-11	365	224	160.52	141
		2011-12	366	194	158.36	172
3	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-५, आगरा	2009-10	365	205	122.21	160
		2010-11	365	188	122.69	177
		2011-12	366	84	30.58	282
4	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-७, आगरा	2010-11	365	233	100.89	132
		2011-12	366	212	208.39	154
5	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-८, आगरा	2009-10	365	302	186.50	63
		2010-11	365	318	195.39	47
6	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-१, बरेली	2008-09	365	295	201.97	70
		2011-12	366	241	106.3	125
7	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-२, बरेली	2009-10	365	316	237.63	49
		2010-11	365	312	155.84	53
		2011-12	366	281	138.14	85
8	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-बुलन्दशहर	2010-11	365	193	142.02	172
		2011-12	366	205	148.91	161
9	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-१, चन्दौली	2009-10	365	316	105.58	49
		2010-11	365	283	142.39	82
		2011-12	366	321	146.79	45
10	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-४, गौतम बुद्ध नगर	2011-12	366	253	197.03	113
11	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-१ गाजियाबाद	2011-12	366	268	307.64	98
12	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-२ गाजियाबाद	2011-12	366	295	275.98	71
13	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-३, गाजियाबाद	2011-12	366	291	292.40	75
14	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-४, गाजियाबाद	2011-12	366	272	368.20	94
15	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-१ झाँसी	2009-10	365	210	82.56	155
		2010-11	365	254	100.19	111
		2011-12	366	220	148.50	146
16	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-२ झाँसी	2009-10	365	277	60.65	88
		2010-11	365	253	101.00	112
		2011-12	366	195	90.25	171
17	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-१, कानपुर	2009-10	365	307	186.90	58
		2010-11	365	187	150.33	178

क्रम सं०	इकाई का नाम	वर्ष	वर्ष में कुल दिनों की सं०	जाँच किये गये दिनों की सं०	प्राप्त राजस्व	जाँच न किये गये दिनों की सं०
		2011-12	366	136	117.70	230
18	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-२, कानपुर	2008-09	365	311	241.91	54
		2009-10	365	305	141.95	60
		2010-11	365	229	19.22	126
		2011-12	366	188	49.25	177
		2010-11	365	260	108.09	105
19	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-३, कानपुर	2011-12	366	239	144.35	127
20	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-८, कानपुर	2011-12	366	78	21.56	288
21	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-१२, कानपुर	2010-11	365	229	43.37	45
		2011-12	366	107	13.20	259
22	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-१, लखनऊ	2010-11	365	275	167.98	90
		2011-12	366	214	154.09	152
		2011-12	366	331	130.06	35
23	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-५, लखनऊ	2011-12	366	209	288.73	157
24	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-४, मथुरा	2010-11	365	266	182.35	99
		2011-12	366	296	236.98	70
		2011-12	366	265	211.68	101
25	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-४, मेरठ	2011-12	366	305	167.14	61
26	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-२, मेरठ	2009-10	365	148	99.69	217
		2010-11	365	205	75.16	160
		2011-12	366	202	118.39	164
27	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-५, मेरठ	2011-12	366	236	114.03	130
28	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-३, मुरादाबाद	2010-11	365	316	298.18	49
		2011-12	366	279	312.65	87
		2011-12	366	343	152.37	23
29	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-६, मुरादाबाद	2010-11 (15/09/2010 से)	198	172	281.20	26
		2011-12	366	301	338.02	65
		2009-10	365	256	131.62	109
30	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-१, नोएडा	2010-11	365	209	120.37	156
		2011-12	366	109	100.67	257
		2010-11	365	286	133.19	79
31	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-५, नोएडा	2011-12	366	268	117.68	97
		2009-10	365	242	118.51	124
		2011-12	366	209	120.37	156
योग			25,051	16,695	10,633.09	8,254

परिशिष्ट-II
बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के नकदीकरण पर ब्याज का प्रभारित न किया जाना
(सन्दर्भित प्रस्तर सं0. 2.17.2.1)

(₹ लाख में)

क्र0 स0	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर	नकदी करण का दिनांक	विलम्ब की अवधि	ब्याज की दर प्रतिवर्ष (प्रतिशत में)	आरोपित ब्याज	आरोपणीय ब्याज	ब्याज का अनारोपण
1.	ज्वांक0 (कार्पोस0) वांक0 अलीगढ़	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	2.55	17.04.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 17 दिन	15	0	1.26	1.26
2.	डिंक0 खण्ड-10 वांक0 अलीगढ़	1	2008-09 (मार्च 2010)	7.80	02.02.12 (बैंक गारण्टी)	37 माह 2 दिन	15	0	3.61	3.61
3.	ज्वांक0 (कार्पोस0) 2 वांक0 गाजियाबाद	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	12.83	06.01.12 (बैंक गारण्टी)	36 माह 6 दिन	15	0	5.80	5.80
		1	2008-09 (फरवरी 2012)	235.54	05.01.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 5 दिन	15	0	115.31	115.31
				228.46	06.01.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 6 दिन	15	0	111.93	111.93
			2007-08 (मार्च 2010)	282.01	05.01.12 (बैंक गारण्टी)	51 माह 5 दिन	14/15	0	179.47	179.47
		1	2008-09 (नवम्बर 2011)	39.54	05.01.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 5 दिन	15	0	19.36	19.36
		1	2008-09 (जून 2012)	8.36	03.01.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 3 दिन	15	0	4.09	4.09
		1	2008-09 (मार्च 2012)	10.53	05.01.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 5 दिन	15	0	5.15	5.15
			2009-10 (मार्च 2013)	28.15	31.12.11 (बैंक गारण्टी)	27 माह	15	9.70	9.70	0
4.	ज्वांक0 (कार्पोस0)-1 वांक0 गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	24.78	4.1.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह	15	12.08	12.08	0
		1	2009-10 (अप्रैल 2013)	36.28	4.1.12 (बैंक गारण्टी)	27 माह 4 दिन	15	15.36	15.36	0
5.	डिंक0 खण्ड-6 वांक0 गाजियाबाद	1	2007-08 (जनवरी 2012)	96.05	30.12.11 (बैंक गारण्टी)	45 से 48 माह	14/15	0	60.99	60.99
			2008-09 (मई 2012)	305.90	30.12.11 (बैंक गारण्टी)	39 माह	15	0	149.13	149.13
		1	2007-08 (मार्च 2010)	7.81	30.12.11 एवम 05.01.12 (बैंक गारण्टी)	48 माह 5 दिन	14/15	0	4.97	4.97
			2008-09 (मार्च- 2012)	8.13	05.01.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 5 दिन	15	0	3.98	3.98

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर	नकदी करण का दिनांक	विलम्ब की अवधि	ब्याज की दर प्रतिवर्ष (प्रतिशत में)	आरोपित ब्याज	आरोपीय ब्याज	ब्याज का अनारोपण
			2009-10 (मई 2013)	14.24	31.12.11 (बैंक गारण्टी)	27 माह	15	4.81	4.81	0
6.	डिंक0 खण्ड-7 वांक0 गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	55.92	31.12.11 (बैंक गारण्टी)	39 माह	15	0	27.26	27.26
7.	डिंक0 खण्ड-9 वांक0 गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	4.35	21.02.12 (बैंक गारण्टी)	37 माह 21 दिन	15	0	2.05	2.05
8.	डिंक0 खण्ड-15 वांक0 गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2013)	14.14	31.12.11 (बैंक गारण्टी)	37 माह 21 दिन	15	4.45	4.45	0
9.	ज्वांक0 (कार्पोरेशन)–1 वांक0 कानपुर	1	2008-09 (फरवरी 2011)	358.11	30.12.11 (बैंक गारण्टी)	39 माह	15	0	174.58	174.58
			2009-10 (अगस्त 2011)	377.95	30.12.11 (बैंक गारण्टी)	27 माह	15	0	127.56	127.56
		1	2007-08 (उत्तरांक0 क0) (नवम्बर 2011)	1264.65	02.01.12 (बैंक गारण्टी)	51 माह 2 दिन	14/15	0	804.09	804.09
			2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	1076.76	02.01.12 (बैंक गारण्टी)	44 माह 12 दिन	15	0	597.53	597.53
		1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	5.78	13.01.12 (सावधि जमा रसीद)	39 माह 13 दिन	15	0	2.85	2.85
			2009-10 (मार्च 2011)	34.74	13.01.12 (सावधि जमा रसीद)	27 माह 13 दिन	15	0	11.91	11.91
		1	2008-09 (फरवरी 2012)	10.89	04.01.12 (बैंक गारण्टी)	36 माह 4 दिन	15	0	4.92	4.92
			2009-10 (फरवरी 2012)	12.63	04.01.12 (बैंक गारण्टी)	27 माह 4 दिन	15	0	4.28	4.28
10	ज्वांक0 (कार्पोरेशन)–2 वांक0 कानपुर	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	52.87	28.03.13 (बैंक गारण्टी)	50 माह 28 दिन	15	0	17.05 ¹	17.05
			2009-10 (जुलाई 2012)	183.04	28.03.13 (बैंक गारण्टी)	41 माह 28 दिन	15	0	50.77 ²	50.77
		1	2008-09 (मार्च 2012)	17.38	11.01.12 (बैंक गारण्टी)	36 माह 11 दिन	15	0	7.90	7.90

¹₹ 16.61 लाख व्यापारी द्वारा पहले से जमा।

²₹ 45.13 लाख व्यापारी द्वारा पहले से जमा।

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर	नकदी करण का दिनांक	विलम्ब की अवधि	ब्याज की दर प्रतिवर्ष (प्रतिशत में)	आरोपित ब्याज	आरोपीय ब्याज	ब्याज का अनारोपण
			2009-10 (मई 2012)	50.15	11.01.12 (बैंक गारण्टी)	27 माह 11 दिन	15	0	17.15	17.15
			1 2008-09 (अप्रैल 2012)	8.98	23.02.13 (बैंक गारण्टी)	49 माह 23 दिन	15	0	5.58	5.58
			2009-10 (मार्च 2012)	85.04	23.02.13 (बैंक गारण्टी)	40 माह 23 दिन	15	0	43.33	43.33
			1 2008-09 (जून 2012)	15.44	31.12.11 (बैंक गारण्टी)	36 माह	15	0	6.95	6.95
11	डिंको खण्ड-6 वारको कानपुर	1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	0.30	21.03.12 (बैंक गारण्टी))	41 माह 21 दिन	15	0	0.15	0.15
				5.36	14.03.13 (बैंक गारण्टी)	50 माह 14 दिन	15	0	3.38	3.38
				2.61	14.03.13 (बैंक गारण्टी)	41 माह 14 दिन	15	0	1.36	1.36
12	डिंको खण्ड-14 वारको कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2011)	1.72	28.06.10 (बैंक गारण्टी)	20 माह 28 दिन	15	0	0.45	0.45
				6.15	23.03.11 (बैंक गारण्टी)	29 माह 23 दिन	15	0	2.29	2.29
				0.94	23.03.11 (बैंक गारण्टी)	29 माह 23 दिन	15	0	0.35	0.35
				5.85	30.03.11 (बैंक गारण्टी)	30 माह	15	0	2.19	2.19
13	डिंको खण्ड-22 वारको कानपुर	1	2007-08 (मार्च 2010)	1.42	07.05.12 (बैंक गारण्टी)	55 माह 7 दिन	14/15	0	0.97	0.97
14	ज्वारको (कार्पोरेशन)-1 वारको लखनऊ	1	2009-10 (जनवरी 2013)	87.77	17.01.12 (बैंक गारण्टी)	27 माह 17 दिन	15	0	30.23	30.23
			18.96	02.03.12 (बैंक गारण्टी)	51 माह 2 दिन	14/15	0	12.09	12.09	
		1	2007-08 (जनवरी 2011)	5.94	02.03.12 (बैंक गारण्टी)	47 माह 14 दिन	15	0	3.52	3.52
				7.05	02.03.12 (बैंक गारण्टी)	46 माह 13 दिन	15	0	4.09	4.09
				62.03	02.03.12 (बैंक गारण्टी)	34 माह 13 दिन से 45 माह 14 दिन	15	0	30.39	30.39
15	डिंको खण्ड-1 वारको मुजफ्फर नगर	1	2008-09 (जून 2012)	14.55	25.02.12 (बैंक गारण्टी)	37 माह 25 दिन	15	0	6.88	6.88

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर	नकदी करण का दिनांक	विलम्ब की अवधि	ब्याज की दर प्रतिवर्ष (प्रतिशत में)	आरोपित ब्याज	आरोपीय ब्याज	ब्याज का अनारोपण
16	डिंक0 खण्ड-6 वाठक0 मुजफ्फर नगर	1	2008-09 (फरवरी 2011)	0.40	23.02.12 (बैंक गारण्टी)	37 माह 23 दिन	15	0	0.19	0.19
17	डिंक0 खण्ड-8 वाठक0 वाराणसी	1	2008-09 (जनवरी 2012)	1.32	23.1.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 23 दिन	15	0	0.65	0.65
			2009-10 (दिसम्बर 2011)	2.34	23.1.12 (बैंक गारण्टी)	27 माह 23 दिन	15	0	0.81	0.81
	योग	30		5202.49				46.40	2717.20	2670.80

परिशिष्ट-III
कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा संज्ञान में न लिये जाने वाले मामले
(सन्दर्भित प्रस्तर सं. 2.21.1)

(₹ लाख में)

क्रमांक	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	गलत/मिश्या आईटी०सी० दावा की धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड	प्रभारित ब्याज
1.	डिंको खण्ड-12 वारको आगरा	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.40	1.99	0.27
2.	ज्वारको (कार्पो०सो) वारको आगरा	1	2008-09 (जनवरी 2012)	10.85	54.25	7.32
		1	2010-11 (अप्रैल 2012)	2.51	12.56	0.94
3.	डिंको खण्ड-2 वारको आजमगढ़	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.71	3.55	0.48
4.	ज्वारको (कार्पो०सो) ए वारको बरेली	1	2008-09 (जनवरी 2012)	6.69	33.42	4.52
5.	डिंको खण्ड-1 वारको बस्ती	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	1.17	5.86	0.79
6.	डिंको खण्ड-1 वारको छात्रपतिशाहू जी महाराज नगर गौरीगंज	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.82	4.08	0.55
7.	डिंको खण्ड-2 वारको गौतमबुद्धनगर	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	3.06	15.30	2.07
		1	2008-09 (मार्च 2012)	0.91	4.55	0.61
8.	डिंको खण्ड-9 वारको गाजियाबाद	1	2008-09 (फरवरी 2012)	23.24	116.21	15.69
9.	डिंको खण्ड-7 वारको गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2011)	1.13	5.65	0.76
		1	2008-09 (मार्च 2012)	3.71	18.55	2.50
10.	डिंको खण्ड-6 वारको गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.24	1.22	0.16
11.	डिंको खण्ड-4 वारको गाजियाबाद	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	2.86	14.30	1.93
12.	असिंको खण्ड-6 वारको गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.47	2.37	0.32
13.	डिंको खण्ड-1 वारको गोण्डा	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	1.00	5.00	0.73
14.	डिंको खण्ड-5 वारको गोरखपुर	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (फरवरी 2011)	1.27	6.34	0.95
15.	डिंको खण्ड-4 वारको हापुड़	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.48	2.40	0.32
16.	डिंको खण्ड-1 वारको हरदोई	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.14	0.70	0.09
17.	डिंको खण्ड-1 वारको हसनपुर	1	2007-08 (मार्च 2011)	0.26	1.30	0.19
18.	डिंको खण्ड-2 वारको हाथरस	1	2008-09 (मार्च 2012)	10.60	52.99	7.16
19.	डिंको खण्ड-2 वारको कनौज	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	0.23	1.13	0.20
20.	डिंको खण्ड-18 वारको कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	10.17	50.85	6.86
21.	डिंको खण्ड-12	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.16	0.80	0.11

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	गलत/मिथ्या आई0टी0सी0 दावा की धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड	प्रभारित ब्याज
	वांक0 कानपुर					
22.	असिंक0 खण्ड-9 वांक0 कानपुर	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (फरवरी 2011)	0.63	3.15	0.46
23.	डिंक0 खण्ड-20 वांक0 लखनऊ	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.56	2.80	0.38
		1	2009-10 (अगस्त 2011)	3.98	19.90	2.09
24.	डिंक0 खण्ड-18 वांक0 लखनऊ	1	2008-09 (अगस्त 2011)	11.08	55.40	7.48
25.	डिंक0 खण्ड-17 वांक0 लखनऊ	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	0.64	3.20	0.43
		1	2008-09 (सितम्बर 2011)	1.27	6.35	0.86
26.	असिंक0 खण्ड-21 वांक0 लखनऊ	1	2010-11 (जनवरी 2012)	0.84	4.22	0.32
27.	असिंक0 खण्ड-18 वांक0 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.47	7.34	0.99
28.	असिंक0 खण्ड-15 वांक0 लखनऊ	1	2008-09 (जनवरी 2012)	1.21	6.05	0.82
29.	असिंक0 खण्ड-8 वांक0 लखनऊ	1	2008-09 (जनवरी 2012)	14.41	72.05	9.73
30.	डिंक0 खण्ड-8 वांक0 मेरठ	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	1.36	6.80	0.92
31.	डिंक0 खण्ड-4 वांक0 मेरठ	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.57	2.85	0.38
32.	डिंक0 खण्ड-1 वांक0 पटरौना (कुशीनगर)	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	0.61	3.07	0.48
33.	डिंक0 खण्ड-1 वांक0 रायबरेली	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.22	6.10	0.82
		1	2008-09 (जनवरी 2012)	0.35	1.77	0.24
34.	डिंक0 खण्ड-4 वांक0 वाराणसी	1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	0.22	1.10	0.15
35.	डिंक0 खण्ड-1 वांक0 वाराणसी	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.17	0.87	0.11
	योग	41		123.67	618.39	82.18

परिशिष्ट-IV
व्याज / अर्थदण्ड का अनारोपण।
(सन्दर्भित प्रस्तर सं. 2.21.2)

(₹ लाख में)

क्र० सं	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	गलत/मिथ्या आईटी०सी० का दावा	आरोपणीय अर्थदण्ड	व्याज की धनराशि
1.	ज्वांको (कांप०सं०) वांको आगरा	1	2008-09 (मई 2012)	2.10	10.50	1.42
2.	डिंको खण्ड-12 वांको आगरा	1	2008-09 (मार्च 2012)	6.04	30.20	4.08
		1	2007-08(वैट) (मार्च 2012)	1.67	8.35	1.23
3.	डिंको खण्ड-2 वांको इटावा	1	2008-09 (मार्च 2012)	4.58	22.90	3.09
4.	डिंको खण्ड-19 वांको गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.14	0.72	0.09
5.	डिंको खण्ड-10 वांको गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.46	2.29	0.31
		1	2008-09 (मार्च 2012)	2.18	10.91	1.47
6.	डिंको खण्ड-7 वांको गाजियाबाद	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.29	1.47	0.20
7.	डिंको खण्ड-5 वांको गाजियाबाद	1	2010-11 (नवम्बर 2011)	1.08	5.38	0.41
8.	असिंको खण्ड-11 वांको गाजियाबाद	1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	0.31	1.57	0.21
			2009-10 (दिसम्बर 2011)	0.19	0.96	0.10
9.	असिंको खण्ड-4 वांको गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2012)	0.19	0.96	0.13
10.	डिंको खण्ड-29 वांको कानपुर	1	2008-09 (फरवरी 2012)	3.18	15.90	2.15
		1	2009-10 (दिसम्बर 2011)	3.89	19.45	2.04
11.	डिंको खण्ड-20 वांको कानपुर	1	2009-10 (जून 2012)	0.12	0.58	0.06
12.	डिंको खण्ड-14 वांको कानपुर	1	2009-10 (जनवरी 2012)	0.38	1.90	0.20
13.	डिंको खण्ड-18 वांको कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.50	2.50	0.34
		1	2008-09 (मार्च 2012)	0.22	1.10	0.15
14.	डिंको खण्ड-1 वांको कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	10.09	50.45	6.81
15.	डिंको खण्ड-2 वांको काशी राम नगर (कासगंज)	1	2008-09 (मार्च 2012)	12.38	61.88	8.36

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	गलत/मिथ्या आईटी०सी० का दावा	आरोपणीय अर्थदण्ड	ब्याज की धनराशि
		1	2008-09 (मार्च 2011)	0.60	3.00	0.41
16.	डिंक0 खण्ड-1 वार्क0 कासगंज	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.55	2.73	0.37
17.	डिंक0 खण्ड-20 वार्क0 लखनऊ	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	3.11	15.55	2.30
18.	डिंक0 खण्ड-11 वार्क0 लखनऊ	1	2008-09 (फरवरी 2012)	2.29	11.45	1.55
19.	डिंक0 खण्ड-3 वार्क0 लखनऊ	1	2009-10 (मार्च 2011)	0.80	4.02	0.42
20.	असिंक0 खण्ड-13 वार्क0 लखनऊ	1	2008-09 (जुलाई 2011)	4.47	22.35	3.02
21.	डिंक0 खण्ड-2 वार्क0 महाराजगंज	1	2008-09 (अक्टूबर 2010)	0.82	4.08	0.55
22.	डिंक0 खण्ड-1 वार्क0 मथुरा	1	2008-09 (फरवरी 2012)	3.16	15.80	2.13
23.	डिंक0 खण्ड-12 वार्क0 मेरठ	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	1.45	7.25	1.07
24.	डिंक0 खण्ड-7 वार्क0 मुजफ्फर नगर	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2012)	1.68	8.40	1.24
25.	डिंक0 खण्ड-8 वार्क0 नोएडा	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.29	1.46	0.20
26.	डिंक0 खण्ड-3 वार्क0 पीलीभीत	1	2008-09 (मार्च 2012)	2.33	11.65	1.57
27.	ज्वार०क्षि० (कार्प००स०)-२ वार्क0 वाराणसी	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.16	0.81	0.11
योग		32		71.70	358.52	47.79

परिशिष्ट-IV

देशी मंदिरा व भारत निर्मित विदेशी मंदिरा का अधिकतम फुटकर मूल्य निर्धारित करते समय पूर्णकन में एकरूपता न होना
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.7.1)

(₹ में)

वीक्रीता	25%				36%								42.80%				
धारिता	750 मिली	375 मिली	200 मिली	180 मिली	750 मिली	375 मिली	240 मिली	200 मिली	180 मिली	140 मिली	100 मिली	750 मिली	375 मिली	200 मिली	180 मिली		
2007-08																	
बोतलों की संख्या	1446876	9623944	8883500	195758796	6555702	30055174	9645203	19620840	731476478	अविक्रीत	अविक्रीत	28248	357024	विकी नहीं	46245229		
आ०फ०००० एवं ३०फ००० का अन्तर	3.94	1.88	0.72	0.15	8.96	2.39	2.65	1.45	1.22	—	—	9.83	2.83	—	1.63		
धनराशि ₹ में	5700691	18093015	6396120	29363819	58739090	71831866	25559788	28450218	892401303	—	—	277678	1010378	—	75379723	1213203689	
2008-09																	
बोतलों की संख्या	1258008	8236808	15856165	186723658	6464940	24405816	8379042	64872795	728592755	40000	अविक्रीत	अविक्रीत	110232	2602008	46273796		
आ०फ०००० एवं ३०फ००० का अन्तर	1.8	1.68	0.82	0.02	5.44	1.01	1.82	1.39	0.53	0.3	—	—	1.12	1.59	1.31		
धनराशि ₹ में	2264414	13837837	13002055	3734473	35169274	24649874	15249856	90173185	386154160	12000	—	—	123460	4137193	60618673	649126455	
2009-10																	
बोतलों की संख्या	634596	894144	3786934	235262118	4707276	12602832	14939988	18650816	860137027	अविक्रीत	9267350	अविक्रीत	42984	60750	95565409		
आ०फ०००० एवं ३०फ००० का अन्तर	0.95	0.7	0.18	0.54	3.1	0.78	1.08	1.09	0.45	—	0.36	—	1.09	0.86	0.84		
धनराशि ₹ में	602866	625901	681648	127041544	14592556	9830209	16135187	20329389	387061662	—	3336246	—	46853	52245	80274944	660611249	
2010-11																	
बोतलों की संख्या	62868	35880	3793350	254266950	3978180	13413768	14219982	111554160	775238338	अविक्रीत	5519190	अविक्रीत	60000	अविक्रीत	121050140		
आ०फ०००० एवं ३०फ००० का अन्तर	2.7	0.57	0.38	0.11	3.64	0.55	1.55	0.63	0.54	—	0.64	—	1.95	—	1.01		
धनराशि ₹ में	169744	20452	1441473	27969365	14480575	7377572	22040972	70279121	418628703	—	3532282	—	117000	—	122260641	688317899	

तीव्रता	28%				36%						42.80%					
	750 मिली	375 मिली	200 मिली	180 मिली	750 मिली	375 मिली	240 मिली	200 मिली	180 मिली	140 मिली	100 मिली	750 मिली	375 मिली	200 मिली	180 मिली	
2011-12																
बोतलों की संख्या	52320	69192	154689120	1030860	29427828	5087160	अविकृत	903717960	अविकृत	अविकृत	4014630	54780	55200	13199400	95267480	
आपूर्णम् एवं अपूर्णम् का अन्तर	5.76	1.93	0.5	0.39	3.1	1.61	—	0.72	—	—	0.5	3.01	2.06	2.43	1.06	
धनराशि ₹ में	301363	133541	77344560	402035	91226267	8190328	—	650676931	—	—	2007315	164888	113712	32074542	100983529	963619010
2012-13																
बोतलों की संख्या	अविकृत	अविकृत	193793364	अविकृत	72300	360000	अविकृत	633632490	अविकृत	अविकृत	252000	579984	1103064	330252210	23181470	
आपूर्णम् एवं अपूर्णम् का अन्तर	—	—	0.01	—	0.76	0.44	—	0.1	—	—	0.19	0.25	0.68	1.7	0.4	
धनराशि ₹ में	—	—	1937934	—	54948	158400	—	63363249	—	—	47880	144996	750084	561428757	9272588	637158835
																4812037138 या 481.20 करोड़

आपूर्णम् : आदर्श फुटकर मूल्य,

अपूर्णम् : अधिकतम फुटकर मूल्य,

नोट :— आसवनी द्वारा प्रत्येक धारिता एवं तीव्रता की बिक्रीत बोतलों की संख्या पर आधारित।

परिशिष्ट-VI
देशी मंदिर के थोक अनुज्ञापी को अदेय लाभ
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.7.2)

(₹ में)

तीव्रता	25%				36%				42.80%							
	धारिता	750 मिली	375 मिली	200 मिली	180 मिली	750 मिली	375 मिली	240 मिली	200 मिली	180 मिली	140 मिली	100 मिली	750 मिली	375 मिली	200 मिली	180 मिली
2007-08																
विकीत बोतलों की संख्या	1446876	9623944	8883500	195758796	6555702	30055174	9645203	19620840	731476478	अविक्रीत	अविक्रीत	28248	357024	विक्री नहीं	46245229	
छीजन @ 0.5% (₹ में)	0.30	0.16	0.09	0.08	0.41	0.22	0.14	0.12	0.11	—	—	0.48	0.25	—	0.13	
छीजन + 3% छीजन पर लाभ	0.309	0.1648	0.0927	0.0824	0.4223	0.2266	0.1442	0.1236	0.1133	—	—	0.4944	0.2575	—	0.1339	
घनराशि	447085	1586026	823500	16130525	2768473	6810502	1390838	2425136	82876285	—	—	13966	91934	—	6192236	121556506
2008-09																
विकीत बोतलों की संख्या	1258008	8236808	15856165	186723658	6464940	24405816	8379042	64872795	728592755	40000	अविक्रीत	अविक्रीत	110232	2602008	46273796	
छीजन @ 0.5% (₹ में)	0.33	0.18	0.10	0.09	0.46	0.24	0.16	0.13	0.12	0.10	—	—	0.28	0.16	0.14	
छीजन + 3% छीजन पर लाभ	0.3399	0.1854	0.103	0.0927	0.4738	0.2472	0.1648	0.1339	0.1236	0.103	—	—	0.2884	0.1648	0.1442	
घनराशि	427597	1527104	1633185	17309283	3063089	6033118	1380866	8686467	90054065	4120	—	—	31791	428811	6672681	137252177
2009-10																
विकीत बोतलों की संख्या	634596	894144	3786934	235262118	4707276	12602832	14939988	18650816	860137027	अविक्रीत	9267350	अविक्रीत	42984	60750	95565409	
छीजन @ 0.5% (₹ में)	0.36	0.19	0.11	0.10	0.50	0.26	0.17	0.14	0.13	—	0.08	—	0.30	0.17	0.15	
छीजन + 1% छीजन पर लाभ	0.3636	0.1919	0.1111	0.101	0.505	0.2626	0.1717	0.1414	0.1313	—	0.0808	—	0.303	0.1717	0.1515	
घनराशि	230739	171586	420728	23761474	2377174	3309504	2565196	2637225	112935992	—	748802	—	13024	10431	14478159	163660035
2010-11																
विकीत बोतलों की संख्या	62868	35880	3793350	254266950	3978180	13413768	14219982	111554160	775238338	अविक्रीत	5519190	अविक्रीत	60000	अविक्रीत	121050140	

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

तीव्रता	25%				36%						42.80%					
	धारिता	750 मिली	375 मिली	200 मिली	180 मिली	750 मिली	375 मिली	240 मिली	200 मिली	180 मिली	140 मिली	100 मिली	750 मिली	375 मिली	200 मिली	180 मिली
छीजन @ 0.5% (₹ में)	0.42	0.22	0.12	0.11	0.59	0.31	0.2	0.17	0.15	—	0.09	—	0.36	—	0.18	
छीजन + 1% छीजन पर लाभ	0.4242	0.2222	0.1212	0.1111	0.5959	0.3131	0.202	0.1717	0.1515	—	0.0909	—	0.3636	—	0.1818	
धनराशि	26669	7973	459754	28249058	2370597	4199851	2872436	19153849	117448608	—	501694	—	21816	—	22006915	197319221
2011-12																
विक्रीत बोतलों की संख्या	52320	69192	154689120	1030860	29427828	5087160	अविक्रीत	903717960	अविक्रीत	अविक्रीत	4014630	54780	55200	13199400	95267480	
छीजन @ 0.5% (₹ में)	0.55	0.28	0.16	0.09	0.69	0.36	—	0.2	—	—	0.11	0.81	0.42	0.23	0.21	
छीजन + 1% छीजन पर लाभ	0.5555	0.2828	0.1616	0.0909	0.6969	0.3636	—	0.202	—	—	0.1111	0.8181	0.4242	0.2323	0.2121	
धनराशि	29064	19567	24997762	93705	20508253	1849691	—	182551028	—	—	446025	44816	23416	3066221	20206233	253835781
2012-13																
विक्रीत बोतलों की संख्या	अविक्रीत	अविक्रीत	193793364	अविक्रीत	72300	360000	अविक्रीत	633632490	अविक्रीत	अविक्रीत	252000	579984	1103064	330252210	23181470	
छीजन @ 0.5% (₹ में)	—	—	0.16	—	0.7	0.36	—	0.2	—	—	0.11	0.82	0.42	0.23	0.21	
छीजन + 1% छीजन पर लाभ	—	—	0.1616	—	0.707	0.3636	—	0.202	—	—	0.1111	0.8282	0.4242	0.2323	0.2121	
धनराशि	—	—	31317008	—	51116	130896	—	127993763	—	—	27997	480343	467920	76717588	4916790	242103421
																1115727140 या ₹ 111.57 करोड़

परिशिष्ट-VII

देशी मंदिर के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में कम आधार पर न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की वृद्धि किया जाना
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.9)

(₹ में)

कम संख्या	इकाईयों का नाम	वर्ष	गतवर्ष की व्यवस्थित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	गतवर्ष की वास्तविक उठान की मात्रा	अन्तर (कॉलम 5 – कॉलम 4)	गतवर्ष के वास्तविक उठान के अन्तर का गतवर्ष के व्यवस्थित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर प्रतिशतता (कॉलम 6 × 100 / कॉलम 4)	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के वृद्धि की दर प्रतिशत में	गतवर्ष के वास्तविक उठान पर वृद्धि के पश्चात न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	वर्ष में वास्तविक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	अन्तर (कॉलम 9 – कॉलम 10)	बेसिक लाइसेंस फीस की दर	कम व्यवस्थित मात्रा पर बेसिक लाइसेंस फीस की राशि (कॉलम 9 × कॉलम 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ठलाहाबाद	2008-09	5208691	5223474.96	14783.96	0.284	7	5589118.21	5168965	14783.96	15	6302298
		2009-10	5168965	5214285.34	45320.34	0.877	7	5579285.31	5275723	45320.34	20	6071246
2	बगपत	2008-09	1277450	1335783	58333.00	4.566	7	1429287.81	1367250	58333.00	15	930567
		2009-10	1367250	1376466	9216.00	0.674	8	1486583.28	1476640	9216.00	20	198866
		2010-11	1476640	1478546	1906.00	0.129	3	1522902.38	1521260	1906.00	21	34490
3	ब्लेली	2008-09	5750695	5791574	40879.00	0.711	7	6196984.18	6032254	40879.00	15	2470953
		2010-11	6540220	6544324	4104.00	0.063	3	6740653.72	6737880	4104.00	21	58248
		2011-12	6737880	6737915	35.00	0.001	1	6805294.15	6805280	14.15	21	297
4	विजनौर	2008-09	4231510	4294013.86	62503.86	1.477	7	4594594.83	4528520	66074.83	15	991122
		2009-10	4528520	4558828.28	30308.28	0.669	8	4923534.54	4891380	32154.54	20	643091
		2010-11	4891380	4898898	7518.00	0.154	3	5045864.94	5038820	7044.94	21	147944
		2011-12	5038820	5038886.53	66.53	0.001	1	5089275.40	5089270	5.40	21	113
5	बदायूँ	2008-09	3530640	3531116	476.00	0.013	7	3778294.12	3683250.00	95044.12	15	1425662
		2010-11	3977910	3979493	1583.00	0.040	3	4098877.79	4098490.00	387.79	21	8144
6	गाजियाबाद	2008-09	9425750	9754330.54	328580.54	3.486	7	10437133.68	10086430	350703.68	15	5260555
		2009-10	10086430	10093097.6	6667.64	0.066	8	10900545.45	10894020	6525.45	20	130509
		2010-11	10894020	10896255.3	2235.30	0.021	3	11223142.96	11221440	1702.96	21	35762
7	गजीपुर	2008-09	3111595	3135419	23824.00	0.766	7	3354898.33	3296611	58287.33	15	874310

क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	वर्ष	गतवर्ष की व्यवस्थित न्यूनतम प्रत्याघृत मात्रा	गतवर्ष की वास्तविक उठान की मात्रा	अन्तर (कॉलम 5 – कॉलम 4)	गतवर्ष के वास्तविक उठान के अन्तर का गतवर्ष के व्यवस्थित न्यूनतम प्रत्याघृत मात्रा पर प्रतिशत (कॉलम 6 × 100 / कॉलम 4)	न्यूनतम प्रत्याघृत मात्रा के बृद्धि की दर प्रतिशत में	गतवर्ष के वास्तविक उठान पर बृद्धि के पश्चात न्यूनतम प्रत्याघृत मात्रा	वर्ष में वास्तविक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याघृत मात्रा	अन्तर (कॉलम 9 – कॉलम 10)	वैसिक लाइसेंस फीस की दर	कम व्यवस्थित मात्रा पर वैसिक लाइसेंस फीस की राशि (कॉलम 9 × कॉलम 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010-11	3522394	3569979	47585.00	1.351	3	3677078.37	3642290	34788.37	21	730556
8	गोरखपुर	2008-09	3731951	3981643	249692.00	6.691	7	4260358.01	3981643	278715.01	15	4180725
		2009-10	3981643	4165144	183501.00	4.609	7	4456704.08	4260576	196128.08	20	3922562
		2010-11	4260576	4319140	58563.56	1.375	3	4448713.75	4386589	62124.75	21	1304620
9	कौशाम्बी	2008-09	269652	271147.02	1495.02	0.554	7	290127.31	275894	14233.31	15	213500
		2010-11	300331.25	312509.64	12178.39	4.055	3	321884.93	315413.04	6471.89	21	135910
10	मेरठ	2008-09	6440153	6548269	108116.00	1.679	7	7006647.83	6816220	190427.83	15	2856417
		2009-10	6816220	6819100	2880.00	0.042	8	7364628.00	7361620	3008.00	20	60160
		2010-11	7361620	7368146	6526.00	0.089	3	7589190.38	7582970	6220.38	21	130628
		2011-12	7582970	7583116	146.00	0.002	1	7658947.16	7658870	77.16	21	1620
11	मुरादाबाद	2008-09	5610600	5615288.75	4688.75	0.084	7	6008358.96	6004200	4158.96	15	62384
		2010-11	6484620	6490521.95	5901.95	0.091	3	6685237.61	6679700	5537.61	21	116290
12	मुजफ्फर नगर	2008-09	4043020	4063380.77	20360.77	0.504	7	4347817.42	4326950	20867.42	15	313011
		2010-11	4673117	4673889.5	772.50	0.017	3	4814106.19	4813940	166.19	21	3490
13	श्रामपुर	2008-09	1638020	1698025	60005.00	3.663	7	1816886.75	1771986	44900.75	15	673511
		2009-10	1771986	1806728	34742.00	1.961	8	1951266.24	1921110	30156.24	20	603125
		2010-11	1921110	1939185	18075.00	0.941	3	1997360.55	1979330	18030.55	21	378642
गोण					1453575.39					2498800.57		41271327 या ₹ 4.13 करोड़

परिशिष्ट-VIII

**शीरे से कम अल्कोहल के उत्पादन से राजस्व क्षति
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.10)**

(₹ में)

क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	अवधि	बैचों की संख्या	प्रयुक्त शीरा की मात्रा (कुन्तल में)	वास्तविक उत्पादन (अ० ली० में)	मानक के अनुसार उत्पादन (कॉलम 5 x 22.5 x 94%) (अ० ली० में)	कम उत्पादन (अ० ली० में)	कम उत्पादन के प्रतिशतता की श्रेणी	आसवनी द्वारा कुल अल्कोहल उत्पादन के सापेक्ष प्रेय अल्कोहल उत्पादन की प्रतिशतता (अ० ली० में)		प्रेय अल्कोहल पर निर्धारित दर से निहित आबकारी अधिकार
									प्रतिशत	मात्रा	
1	वेब आसवनी, अलीगढ़	2009-10	12	409260	8116044.7	8655849	539804.3	1.64 - 10.88	100	539804.30	227020500
		2010-11	39	1175710	22532672.8	24866266.5	2333593.7	3.29 - 19.74	100	2333593.70	981417911
		2011-12	35	1045400	20999845	22110210	1110365	0.39 - 6.20	100	1110365.00	518862150
		2012-13	18	389120	7972507.74	8229888	257380.26	0.79 - 6.33	100	257380.26	138311822
2	केशर इण्टरप्राइजेज लिं, बहेड़ी, वरली	2007-08	14	277890	5486871.3	5877373.5	390502.2	1.43 - 8.73	27.53	107505.26	7841512
		2008-09	12	195180	3922571.3	4128057	205485.7	0.32 - 12.24	37.89	77858.53	30925118
		2010-11	8	120690	2470861.02	2552593.5	81732.48	0.73 - 5.08	44.44	36321.91	15275571
		2011-12	7	102690	2076073.7	2171893.5	95819.8	0.02 - 15.82	44.16	42314.02	19772908
		2012-13	14	181230	3745489.3	3833014.5	87525.2	0.02 - 6.59	53.82	47106.06	25314006
3	सुपीरियर आसवनी, वरली	2007-08	34	394522	7688509	8344140.3	655631.3	0.48 - 15.64	26.47	173545.61	19227203
		2008-09	15	159047	3119532.1	3363844.05	244311.95	0.82 - 16.80	60.09	146807.05	58311212
		2009-10	12	85622	1661756.4	1810905.3	149148.9	4.57 - 14.21	96.25	143555.82	60373941
		2010-11	13	70561	1351030.7	1492365.15	141334.45	2.42 - 21.58	98.17	138748.03	58351975
		2011-12	23	105512	2117575	2231578.8	114003.8	0.32 - 14.89	76.53	87247.11	40769677
4	मोटी आसवनी, मोटीनगर, गाजियाबाद	2011-12	13	76356	1580772.99	1614929.4	34156.41	0.39 - 4.21	52.43	17908.21	8368320
		2012-13	11	66801	1384100.9	1412841.15	28740.25	0.07 - 5.79	58.72	16876.27	9069026
5	मोहन भीकिन आसवनी, गाजियाबाद	2011-12	1	2385	41271.1	50442.75	9171.65	0.07 - 5.79	100	9171.65	4285818
		2012-13	3	4890	82271.5	103423.5	21152	16.61 - 25.26	100	21152.00	11366729
6	सिम्मावली आसवनी, सिम्मावली, गाजियाबाद	2007-08	2	41070	841439.4	868630.5	27191.1	0.26 - 4.27	29.54	8032.25	448056
		2008-09	1	13345	260091.4	282246.75	22155.35	7.85	46.17	10229.13	4062970
		2009-10	1	13700	287899.8	289755	1855.2	0.64	41.32	766.57	322389

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	अवधि	ईचॉ की संख्या	प्रयुक्त शीर्ष की मात्रा (कुन्तल में)	वास्तविक उत्पादन (अ० ली० में)	मानक के अनुसार उत्पादन (कॉलम 5 x 22.5 x 94%) (अ० ली० में)	कम उत्पादन (अ० ली० में)	कम उत्पादन के प्रतिशतता की श्रेणी	आसवी द्वारा कुल अल्कोहल उत्पादन के साथै प्रतिशतता (अ० ली० में)		प्रेय अल्कोहल पर निर्धारित दर से निहित आबकारी अभिकर
									प्रतिशत	मात्रा	
7	लाईंस आसवनी, नन्दगांज, गाजीपुर	2011-12	5	106340	2210037.6	2249091	39053.4	0.24 - 3.76	28.09	10970.10	5126215
		2007-08	28	260477	5237890.27	5509088.55	271198.28	0.29 - 10.71	85.92	233013.56	45633604
		2008-09	29	279305	5563525.39	5907300.75	343775.36	0.09 - 10.08	90.77	312044.89	123943065
		2009-10	34	221615	4171469.67	4687157.25	515687.58	1.77 - 14.86	99.74	514346.79	216314072
		2010-11	43	231725	4408931.54	4900983.75	492052.21	1.96 - 14.47	99.93	491707.77	206792989
		2011-12	30	117214	2184059.38	2479076.1	295016.72	5.59 - 17.49	100	295016.72	137858280
		2012-13	34	172997	3300540.09	3658886.55	358346.46	0.79 - 13.44	99.56	356769.74	191722054
8	आई जी एल आसवनी, गोरखपुर	2007-08	5	336939	7082538.1	7126259.85	43721.75	0.01 - 1.29	1.03	450.33	142218
		2008-09	7	341947	6923440.4	7232179.05	308738.65	0.07 - 7.84	6.98	21549.96	8559563
		2009-10	8	354873	6957713.2	7505563.95	547850.75	0.44 - 10.59	4.64	25420.27	10690770
		2010-11	24	1166125	23910853.2	24663543.75	752690.55	0.42 - 6.78	17.14	129011.16	54257030
		2011-12	34	1493097	30495199.2	31579001.55	1083802.35	0.05 - 14.26	16.4	177743.59	83057750
		2012-13	30	1314404	26395859.1	27799644.6	1403785.5	0.003 - 14.62	21.94	307990.54	165508934
9	सरेया आसवनी, सरदार नगर, गोरखपुर	2007-08	19	600625	12331675.2	12703218.75	371543.55	0.54 - 5.64	34.84	129445.77	22762155
		2008-09	12	276728	5630913.1	5852797.2	221884.1	0.74 - 10.78	51.11	113404.96	45044028
		2009-10	33	490256	9717955.6	10368914.4	650958.8	0.25 - 16.37	65.09	423709.08	178195409
		2010-11	46	633144	12300802.4	13390995.6	1090193.2	0.60 - 15.30	20.25	220764.12	92844725
		2011-12	44	640512	12653945.3	13546828.8	892883.5	0.13 - 15.23	54.86	489835.89	228895275
		2012-13	52	1013496	19828332.7	21435440.4	1607107.7	0.96 - 17.04	44.73	718859.27	386302881
10	पलिया आसवनी, लखीमपुर खीरी	2009-10	7	133940	2682372.8	2832831	150458.2	0.24 - 8.25	92.03	138466.68	58233651
		2010-11	26	480540	9570995.1	10163421	592425.9	0.10 - 14.69	80.07	474355.42	199495269
		2011-12	12	175700	3481450.9	3716055	234604.1	0.12 - 18.17	87.24	204668.62	95639541
		2012-13	2	41000	850244	867150	16906	1.80 - 2.14	76.35	12907.73	6936398
11	दौराला आसवनी, मेरठ	2007-08	15	281940	5613111.6	5963031	349919.4	1.07 - 8.86	72.67	254286.43	26644490
		2008-09	8	171241	3529664.9	3621747.15	92082.25	0.03 - 6.21	51.38	47311.86	18792094
		2009-10	8	68598	1399885.2	1450847.7	50962.5	0.14 - 7.93	52.73	26872.53	11301530

क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	अवधि	बैचों की संख्या	प्रयुक्त शीर्ष की मात्रा (कुन्तल में)	वार्षिक उत्पादन (अ० ली० मे०)	मानक के अनुसार उत्पादन (कॉलम 5 x 22.5 x 94%) (अ० ली० मे०)	कम उत्पादन (अ० ली० मे०)	कम उत्पादन के प्रतिशतता की श्रेणी	आसवी द्वारा कुल अल्कोहल उत्पादन के साथै पेय अल्कोहल उत्पादन की प्रतिशतता (अ० ली० मे०)		प्रेय अल्कोहल पर निर्धारित दर से निहित आबकारी अभिकर
									प्रतिशत	मात्रा	
		2010-11	10	194916	3902044.7	4122473.4	220428.7	0.51 - 10.28	67.94	149759.26	62982866
		2011-12	10	132423	2691518.6	2800746.45	109227.85	0.69 - 5.11	69.57	75989.82	35509259
12	एन आई सी एल आसवनी, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद	2007-08	20	313614	6110683.9	6632936.1	522252.2	2.42 - 12.93	58.32	304577.48	9420088
		2008-09	11	159369	3216637.9	3370654.35	154016.45	0.40 - 9.68	98.58	151829.42	60306077
		2009-10	4	31332	629009.8	662671.8	33662	2.52 - 7.03	96.96	32638.68	13726546
		2010-11	2	21084	433131.2	445926.6	12795.4	1.33 - 5.58	92.03	11775.61	4952358
		2011-12	13	157416	3172460.7	3329348.4	156887.7	0.20 - 8.04	54.34	85252.78	39837746
13	शामली आसवनी, शामली, मुजफ्फर नगर	2007-08	4	23246	481073.2	491652.9	10579.7	1.75 - 2.74	17.7	1872.61	222249
		2008-09	19	121362	2543416	2566806.3	23390.3	0.15 - 2.78	30.68	7176.14	2850338
		2009-10	6	37633	792783.8	795937.95	3154.15	0.09 - 2.08	16.19	510.66	214762
14	सर शादीलाल आसवनी, मंसूरपुर, मुजफ्फर नगर	2007-08	12	178628	3643616	3777982.2	134366.2	0.06 - 13.21	71	95400.00	5053491
		2008-09	22	353973	7203079	7486528.95	283449.95	0.84 - 7.93	73.22	207542.05	82434928
		2009-10	13	166447	3330532	3520354.05	189822.05	2.72 - 9.32	87.31	165733.63	69701060
		2010-11	26	406708	8313605	8601874.2	288269.2	0.10 - 6.95	66.51	191727.84	80633206
		2011-12	16	265244	5363270	5609910.6	246640.6	2.69 - 7.57	51.83	127833.82	59735431
		2012-13	5	87163	1762231	1843497.45	81266.45	2.47 - 8.43	53.56	43526.31	23390307
15	रामपुर आसवनी, रामपुर	2009-10	13	620990	12694610	13133938.5	439328.5	0.21 - 6.49	55.11	242113.94	101823618
		2010-11	20	1153385	23267575.4	24394092.75	1126517.35	0.97 - 8.37	42	473137.29	198982971
		2011-12	30	1615926	31590075.7	34176834.9	2586759.2	0.71 - 27.86	36.19	936148.15	437452409
16	को आपरेटिव आसवनी, टपरी, सहारनपुर	2009-10 & 2011-12	27	76182	1508783.8	1611249.3	102465.5	18.18	100	102465.50	44553603
17	शाकुम्भरी आसवनी, सहारनपुर	2007-08	12	139532	2662779.3	2951101.8	288322.5	0.52 - 21.28	1.04	2998.55	143931
18	रोजा आसवनी, शाहजहाँपुर	2008-09	6	111380	2268022	2355687	87665	2.79 - 5.42	7.07	6197.92	2461789
19	उन्नाव आसवनी, उन्नाव	2009-10 to 2011-12	41	391250	8141877.4	8274937.5	133060.1	0.02 - 6.07	100	133060.10	55959855
		21012-13	18	140275	2613979.2	2966816.25	352837.05	0.80-19.13	100	352837.05	189608695
	योग		1321	23978677	478107083.8	507149018.6	29041935			17485378.03	7364934982 या ₹ 736.49 करोड़

परिशिष्ट-IX

बीयर के थोक आपूर्ति के अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण/अनारोपण (संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.11.1)

(लाख ₹ में)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	2011-12						2012-13						वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान कुल राजस्व क्षति
		वर्ष 2010-11 के दौरान विदेशी मदिरा के बिक्रीत बोतलों की संख्या	वर्ष 2010-11 के दौरान बीयर के बिक्रीत बोतलों की संख्या	वर्ष 2010-11 के दौरान विदेशी मदिरा एवं बीयर की बिक्रीत कुल बोतलों की संख्या	देय लाइसेंस फीस	वसूल किया गया लाइसेंस फीस	राजस्व क्षति	वर्ष 2011-12 के दौरान विदेशी मदिरा के बिक्रीत बोतलों की संख्या	वर्ष 2011-12 के दौरान बीयर के बिक्रीत बोतलों की संख्या	वर्ष 2011-12 के दौरान विदेशी मदिरा एवं बीयर की बिक्रीत कुल बोतलों की संख्या	देय लाइसेंस फीस	वसूल किया गया लाइसेंस फीस	राजस्व क्षति	
1	बगपत	1300945.00	1017024.00	2317969.00	20	शून्य	20	1415316.00	1324346.00	2739662.00	30	शून्य	30	50
2	बरेली	2525284.00	2330309.00	4855593.00	40	20	20	3012547.00	3256460.00	6269007.00	40	30	10	30
3	बिजनौर	2764043.68	2081061.23	4845104.91	40	20	20	2875884.54	2538360.24	5414244.78	40	30	10	30
4	बदायूँ	1151472.04	473241.31	1624713.35	20	10	10	1395444.00	716647.83	2112091.83	20	10	10	20
5	इटावा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	774994.00	755869.00	1530863.00	20	10	10	10
6	फैजाबाद	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	902758.00	765754.00	1668512.00	20	10	10	10
7	फतेहपुर	796612.08	719603.42	1516215.50	20	5	15	1039267.12	999480.92	2038748.04	20	5	15	30
8	फिरोजाबाद	1966880.00	2217763.00	4184643.00	40	20	20	2353812.00	3128127.00	5481939.00	40	20	20	40
9	गजीपुर	682429.00	704044.00	1386473.00	10	5	5	795421.00	930857.00	1726278.00	20	10	10	15
10	गोरखपुर	2985172.44	4971088.35	7956260.79	40	20	20	3179382.00	6003998.00	9183380.00	40	20	20	40
11	जौनपुर	1160767.00	1362123.00	2522890.00	30	10	20	1236702.00	1519515.00	2756217.00	30	10	20	40
12	कौशास्त्री	227163.71	160678.84	387842.55	5	शून्य	5	277187.48	218176.48	495363.96	5	शून्य	5	10
13	लखीमपुर खीरी	भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन में शामिल किया जा चुका है।						1249256.00	1151657.00	2400913.00	20	शून्य	20	20
14	मैनपुरी	834641.00	957382.00	1792023.00	20	10	10	922257.00	1102018.00	2024275.00	20	10	10	20
15	झुराबाद	2265461.12	1861705.45	4127166.57	40	20	20	2601890.72	2231274.74	4833165.46	40	20	20	40
16	मुजफ्फर नगर	2684136.76	2624817.37	5308954.13	40	30	10	2907679.64	3416026.11	6323705.75	40	30	10	20
17	श्रामपुर	550301.00	530261.00	1080562.00	10	5	5	620797.00	679461.00	1300258.00	10	5	5	10
18	स्वारनपुर	2675974.00	1989442.00	4665416.00	40	30	10	2876561.00	2596471.00	5473032.00	40	30	10	20
19	शाहजहांपुर	1061073.50	608052.09	1669125.59	20	10	10	1168220.90	765782.16	1934003.06	20	10	10	20
20	उन्नाव	2094571.00	2354322.00	4448893.00	40	10	30	1996819.00	2632055.00	4628874.00	40	10	30	60
	योग				475	225	250				555	270	285	535 या ₹ 5.35 करोड़

परिशिष्ट-X

बीयर की दुकानों के फुटकर लाइसेंस फीस का कम आरोपण
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.11.2)

(₹ में)

क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के दौरान कुल कम आरोपित लाइसेंस फीस
		फरवरी 2008 से जनवरी 2009 तक 12 माह के वास्तविक बिक्री पर आरोपणीय लाइसेंस फीस	आरोपित एवं वसूल लाइसेंस फीस	कम आरोपित लाइसेंस फीस	फरवरी 2009 से जनवरी 2010 तक 12 माह के वास्तविक बिक्री पर आरोपणीय लाइसेंस फीस	आरोपित एवं वसूल लाइसेंस फीस	कम आरोपित लाइसेंस फीस	मार्च 2010 से फरवरी 2011 तक 12 माह के वास्तविक बिक्री पर आरोपणीय लाइसेंस फीस	आरोपित एवं वसूल लाइसेंस फीस	कम आरोपित लाइसेंस फीस	
1	जि0आ0आ0,अलीगढ़	945668	916000	29668	354900	326200	28700	13138416	12766000	372416	430784
2	जि0आ0आ0,इलाहाबाद	837612	723720	113892	3041395	2939800	101595	7411180	7119300	291880	507367
3	जि0आ0आ0,बदायूँ			0	551630	516900	34730	984834	891900	92934	127664
4	जि0आ0आ0,बिजनौर	5478954	3582500	1896454	2424862	2264200	160662	6728419	6188400	540019	2597135
5	जि0आ0आ0,फिरोजाबाद				1041455	990600	50855	3124573	3023700	100873	151728
6	जि0आ0आ0,जी0बी0नगर			0	1675937	1608300	67637	7768496	7529600	238896	306533
7	जि0आ0आ0,गाजीपुर			0	278990	257500	21490	1439939	1412900	27039	48529
8	जि0आ0आ0,गोरखपुर			0	976175	950100	26075	8240268	7714000	526268	552343
9	जि0आ0आ0,जौनपुर			0	1099714	1044100	55614	5603015	4700400	902615	958229
10	जि0आ0आ0,कानपुर			0	3212160	3124300	87860	9737166	9599100	138066	225926
11	जि0आ0आ0,कौशांखी	298406	285175	13231	0	0	0	0	0	0	13231
12	जि0आ0आ0,लखीमपुर खीरी			0				3559738	3361200	198538	198538
13	जि0आ0आ0,लखनऊ			0	3362433	3248121	114312	12499691	11825400	674291	788603
14	जि0आ0आ0,मेरठ			0			0	19310757	18569600	741157	741157
15	जि0आ0आ0,मुरादाबाद	147430	141500	5930	534752	520900	13852	971164	941900	29264	49046
16	जि0आ0आ0,मुजफ्फर नगर	2514306	2329700	184606	2435108	2329700	105408	4721487	4533700	187787	477801
17	जि0आ0आ0,रामपुर	79568	76200	3368	152560	119500	33060	254526	228600	25926	62354
18	जि0आ0आ0,शाहजहांपुर			0			0	861978	830600	31378	31378
19	जि0आ0आ0,उन्नाव			0			0	1514198	1448700	65498	65498
20	जि0आ0आ0,वाराणसी			0			0	9147882	8956400	191482	191482
	गोग	10301944	8054795	2247149	21142071	20240221	901850	117017727	111641400	5376327	8525326 या ₹ 0.85 करोड़

परिशिष्ट-XI
विदेशी मदिरा के दुकानों का फुटकर अनुज्ञापन
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.11.3)

क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	माह मार्च 2011 से फरवरी 2012 तक 12 माह की वास्तविक बिक्री (बोतलों में)	प्रति बोतल लाइसेंस फीस की दर	12 माह की वास्तविक बिक्री पर आरोपणीय लाइसेंस फीस	आरोपित लाइसेंस फीस	(₹ में) कम आरोपित लाइसेंस फीस
1	जि0आ0आ0,अलीगढ़	2012-13	82	2672109	32	85507488	82311000	3196488
2	जि0आ0आ0,इलाहाबाद	2012-13	93	2007704	32	64246528	62372356	1874172
3	जि0आ0आ0,बागपत	2012-13	19	805642	32	25780544	25281000	499544
4	जि0आ0आ0,बरेली	2012-13	12	382126	32	12228032	12086600	141432
5	जि0आ0आ0,बिजनौर	2012-13	52	1676961	32	53662752	49686900	3975852
6	जि0आ0आ0,बदायूँ	2012-13	15	164488	32	5263616	5018900	244716
7	जि0आ0आ0,फिरोजाबाद	2012-13	63	1480577	32	47378464	45519882	1858582
8	जि0आ0आ0,जी0बी0नगर	2012-13	15	432049	32	13825568	13351600	473968
9	जि0आ0आ0,गाजियाबाद	2012-13	58	3371556	32	107889792	102470200	5419592
10	जि0आ0आ0,गाजीपुर	2012-13	38	538792	32	17241344	16743100	498244
11	जि0आ0आ0,गोरखपुर	2012-13	43	1004380	32	32140160	30591300	1548860
12	जि0आ0आ0,जौनपुर	2012-13	65	839710	32	26870720	23721000	3149720
13	जि0आ0आ0,कानपुर	2012-13	84	3502647	32	112084704	109453050	2631654
14	जि0आ0आ0,कौशाम्बी	2012-13	34	218151	32	6980832	6447000	533832
15	जि0आ0आ0,लखीमपुर खीरी	2012-13	59	925320	32	29610240	27276900	2333340
16	जि0आ0आ0,लखनऊ	2012-13	74	2109683	32	67509856	64592530	2917326
17	जि0आ0आ0,मेरठ	2012-13	46	1953615	32	62515680	61534800	980880
18	जि0आ0आ0,मुरादाबाद	2012-13	63	2437551	32	78001632	63802300	14199332
19	जि0आ0आ0,मुजफ्फर नगर	2012-13	2	83583	32	2674656	2657700	16956
20	जि0आ0आ0,रामपुर	2012-13	2	4777	32	152864	144500	8364

क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	माह मार्च 2011 से फरवरी 2012 तक 12 मह की वास्तविक बिक्री (बोतलों में)	प्रति बोतल लाइसेंस फीस की दर	12 मह की वास्तविक बिक्री पर आरोपणीय लाइसेंस फीस	आरोपित लाइसेंस फीस	कम आरोपित लाइसेंस फीस
21	जिओआ०आ०,सहारनपुर	2012-13	41	1280053	32	40961696	38171100	2790596
22	जिओआ०आ०,शाहजहाँपुर	2012-13	9	152646	32	4884672	4812700	71972
23	जिओआ०आ०,उन्नाव	2012-13	39	433309	32	13865888	12692800	1173088
24	जिओआ०आ०,वाराणसी	2012-13	73	1873714	32	59958848	58074100	1884748
	योग		1081	30351143		971236576	918813318	52423258 या ₹ 5.24 करोड़

परिशिष्ट-XII

**बिना बीयर बार लाइसेंस फीस जमा किये बीयर की बिक्री किया जाना
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.11.4)**

(₹ में)

इकाईयों का नाम	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			कुल योग
	वि०म०-६ /६सी/७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७वी आरोपणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ /६सी/७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७वी आरोपणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ /६सी/७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७वी आरोपणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ /६सी/७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७वी आरोपणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ /६सी/७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७वी आरोपणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस				
जि०आ०३०, अलीगढ़	5	110000	550000	4	110000	440000	4	110000	440000	4	110000	440000	5	150000	750000	7	150000	1050000	3670000
जि०आ०३०, इलाहाबाद	13	110000	1430000	13	110000	1430000	13	110000	1430000	14	110000	1540000	14	150000	2100000	15	150000	2250000	10180000
जि०आ०३०, बदायूँ	1	85000	85000	1	85000	85000	1	85000	85000	1	85000	85000	1	100000	100000	1	100000	100000	540000
जि०आ०३०, बरेनी	17	110000	1870000	18	110000	1980000	18	110000	1980000	18	110000	1980000	19	150000	2850000	19	150000	2850000	13510000
जि०आ०३०, बिजनौर	5	85000	425000	5	85000	425000	5	85000	425000	5	85000	425000	5	100000	500000	5	100000	500000	2700000
जि०आ०३०, फिरोजाबाद	4	85000	340000	4	85000	340000	4	85000	340000	4	85000	340000	6	100000	600000	6	100000	600000	2560000
जि०आ०३०, जी०बी०नगर	35	110000	3850000	42	110000	4620000	53	110000	5830000	58	110000	6380000	65	150000	9750000	61	150000	9150000	39580000
जि०आ०३०, गाजियाबाद	10	110000	1100000	11	110000	1210000	12	110000	1320000	17	110000	1870000	23	150000	3450000	23	150000	3450000	12400000
जि०आ०३०, गोरखपुर	5	110000	550000	5	110000	550000	5	110000	550000	5	110000	550000	5	150000	750000	5	150000	750000	3700000
जि०आ०३०, कानपुर	16	110000	1760000	16	110000	1760000	19	110000	2090000	19	110000	2090000	19	150000	2850000	शून्य	शून्य	शून्य	10550000
जि०आ०३०, खीरी	2	85000	170000	2	85000	170000	2	85000	170000	3	85000	255000	3	100000	300000	4	100000	400000	1465000
जि०आ०३०,	19	110000	2090000	21	110000	2310000	23	110000	2530000	23	110000	2530000	29	150000	4350000	29	150000	4350000	18160000

इकाईयों का नाम	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			कुल योग
	वि०म०-६ /६सी/७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७वी आरोपणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ /६सी/७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७वी आरोपणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ /६सी/७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७वी आरोपणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ /६सी/७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७वी आरोपणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ /६सी/७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७वी आरोपणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस				
लखनऊ																			
जिहावार्ड, मेरठ	12	110000	1320000	11	110000	1210000	11	110000	1210000	11	110000	1210000	12	150000	1800000	13	150000	1950000	8700000
जिहावार्ड, मुरादाबाद	17	110000	1870000	17	110000	1870000	17	110000	1870000	17	110000	1870000	17	150000	2550000	17	150000	2550000	12580000
जिहावार्ड, मुजफ्फरनगर	2	110000	220000	2	110000	220000	2	110000	220000	2	110000	220000	2	150000	300000	2	150000	300000	1480000
जिहावार्ड, रामपुर	1	85000	85000	1	85000	85000	1	85000	85000	1	85000	85000	2	100000	200000	2	100000	200000	740000
जिहावार्ड, सहारनपुर	10	110000	1100000	9	110000	990000	9	110000	990000	11	110000	1210000	11	150000	1650000	11	150000	1650000	7590000
जिहावार्ड, उन्नाव	शून्य	85000	शून्य	1	100000	100000	1	100000	100000	200000									
जिहावार्ड, वाराणसी	21	110000	2310000	22	110000	2420000	24	110000	2640000	24	110000	2640000	25	150000	3750000	26	150000	3900000	17660000
महायोग	195		21125000	204		22115000	223		24205000	237		25720000	264		38700000	247		36100000	16796500 या ₹ 16.80 करोड़

परिशिष्ट-XIII

ओवर रेटिंग होने पर भी प्रतिभूति जमा का समपहरण न किया जाना (संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.12)

(₹ में)

क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	अवधि	मामलों की संख्या	दुबारा पकड़े गये मामलों की संख्या	आरोपित शास्ति	शास्ति की श्रेणी	समपहरण योग्य प्रतिपूति जमा की राशि
1.	जि03आ030, अलीगढ़	2011-12	32	0	37150	300-2000	10744820
2.	जि03आ030, बागपत	2009-10 से 2011-12	168	25	546650	50-5000	39748531
3.	जि03आ030, बरेली	2009-10 से 2011-12	83	11	160200	200-5000	36596930
4.	जि03आ030, बिजनौर	2009-10 से 2010-11	218	55	118000	500-5000	53377140
5.	जि03आ030, बदायूँ	2009-10 से 2011-12	104	19	241000	1000-5000	27263267
6.	जि03आ030, फिरोजाबाद	2007-08 एवं 2011-12	3	0	2000	500-1000	866550
7.	जि03आ030, जी0बी0नगर	2009-10 से 2011-12	128	26	387500	200-5000	35798640
8.	जि03आ030, गाजियाबाद	2009-10 से 2011-12	19	1	95000	5000	12430173
9.	जि03आ030, जौनपुर	2010-11 से 2011-12	34	0	96500	2000-5000	8622815
10.	जि03आ030, कानपुर	2010-11 से 2011-12	249	65	436200	100-2000	82779925
11.	जि03आ030, खीरी	2009-10 से 2011-12	69	8	118500	1500-2000	7594056
12.	जि03आ030, मेरठ	2010-11 से 2011-12	73	7	365000	5000	36974713
13.	जि03आ030, मुरादाबाद	2010-11 से 2011-12	71	18	355000	5000	49255352
14.	जि03आ030, मुजफ्फर नगर	2009-10 से 2011-12	78	7	372500	1500-5000	14284826
15.	जि03आ030, रामपुर	2009-10 से 2011-12	105	8	139600	250-5000	7412301
16.	जि03आ030, सहारनपुर	2009-10 से 2011-12	66	8	202000	1000-5000	25916950
17.	जि03आ030, शाहजहांपुर	2009-10 से 2011-12	49	13	141400	200-5000	9647193
18.	जि03आ030, उन्नाव	2009-10 से 2011-12	31	4	59800	500-3500	6740047
19.	जि03आ030, वाराणसी	2007-08, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12	30	2	84800	700-10000*	11326044
	योग		1610	277	3958800	50-10000	477380273 या ₹ 47.74 करोड़

नोट : केवल एक मामले में ₹ 10,000 शास्ति आरोपित की गयी थी।

परिशिष्ट-XIV
गोदाम परिव्यय
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.15)

(₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	गोदाम का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्राप्तियाँ			विवाद को गोदाम कियाये के रूप में भुगतान की गई धनराशि	भुगतान नियुक्त कर्मचारियों की संख्या, वेतन	योग	प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय की प्रतिशतता	अन्तर
				देशी मदिसा का उपभोग बल्क लौटर में (36% वी/वी)	प्रति बल्क लीटर गोदाम व्यय की स्थैकृत दर	धोक बिक्रेता द्वारा गोदाम व्यय की प्राप्त धनराशि					
1.	अलीगढ़	2007-08	227.57	5212598.00	1.30	6776377	61359	2 से 4	61359	0.91	6715018
		2008-09	227.57	5134295.00	1.39	7196670	61359	2 से 4	61359	0.85	7135311
		2009-10	227.57	5576447.00	1.39	7751261	61359	2 से 4	61359	0.79	7689902
		2010-11	227.57	5722628.00	1.39	7954452	61359	2 से 4	61359	0.77	7893093
		2011-12	227.57	5800255.00	1.53	8874390	61359	4	61359	0.69	8813031
2.	इलाहाबाद	2007-08	735.63	5223475.00	1.30	6790517	474924	2 से 4	474924	6.99	6315593
		2008-09	293.68	5214285.00	1.39	7247856	227590	2 से 4	227590	3.14	7020266
		2009-10	409.66	5348746.00	1.39	7434756	290040	2 से 4	290040	3.90	7144716
		2010-11	281.61	5516682.00	1.39	7668187	222060	2 से 4	222060	2.90	7446127
		2011-12	286.61	5586257.00	1.53	8546973	243936	2 से 4	243936	2.85	8303037
3.	बरेली	2007-08	43	5791574.00	1.30	7529046	162300	9	162300	2.16	7366746
		2008-09	43	6052284.00	1.39	8412674	82560	2	82560	0.98	8330114
		2009-10	43	6544324.00	1.39	9096610	82560	2	82560	0.91	9014050
		2010-11	43	6737915.00	1.39	9365701	82560	2	82560	0.88	9283141
		2011-12	उपलब्ध नहीं	6805320.00	1.53	10412139	165000	2	165000	1.58	10247139
4.	जौनपुर	2007-08	163.33	3744326.56	1.30	4867625	52728	2 से 4	52728	1.08	4814897
		2008-09	82.29	3936165.55	1.39	5471270	37645	2 से 4	37645	0.69	5433625
		2009-10	163.33	4231079.31	1.39	5881200	52800	4	52800	0.90	5828400
		2010-11	163.33	4286404.36	1.39	5958102	52800	2	52800	0.89	5905302
		2011-12	163.33	4330988.18	1.53	6626412	52800	2	52800	0.80	6573612
5.	खीरी	2009-10	78.8	1706206.80	1.39	2371627	113472	3	113472	4.78	2258155
		2010-11	78.8	1763644.37	1.39	2451466	113472	2	113472	4.63	2337994
		2011-12	78.8	1780916.89	1.53	2724803	113472	2	113472	4.16	2611331
6.	लखनऊ	2009-10	उपलब्ध नहीं	12347556.59	1.39	17163104	825000	4	825000	4.81	16338104
		2010-11	उपलब्ध नहीं	12690198.03	1.39	17639375	825000	4	825000	4.68	16814375
		2011-12	उपलब्ध नहीं	13124903.48	1.53	20081102	990000	4	990000	4.93	19091102
7.	रामपुर	2007-08	427	1698025.00	1.30	2207432	99240	2 से 4	99240	4.50	2108192
		2008-09	427	1807044.00	1.39	2511791	99240	4	99240	3.95	2412551
		2009-10	427	1939275.00	1.39	2695592	99240	4	99240	3.68	2596352
		2010-11	427	1979339.00	1.39	2751281	99240	4	99240	3.61	2652041
		2011-12	427	2014346.00	1.53	3081949	99240	4	99240	3.22	2982709
8.	उन्नाव	2007-08	75.79	2937913.16	1.30	3819287	15636	2 से 4	15636	0.41	3803651
		2008-09	75.79	3121805.23	1.39	4339309	15636	2 से 4	15636	0.36	4323673
		2009-10	75.79	3381885.90	1.39	4700821	13250	2 से 4	13250	0.28	4687571
		2010-11	75.79	3434529.08	1.39	4773995	15900	2 से 4	15900	0.33	4758095
		2011-12	75.79	3469871.00	1.53	5308903	15900	4	15900	0.30	5293003

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	गोदाम का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्राप्तियाँ			भुगतान			प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय की प्रतिशतता	अन्तर
				देशी मदिशा का उपभोग बल्क लीटर में (36% बी / बी)	प्रति बल्क लीटर गोदाम व्यय की स्थैन्कत दर	धोक विकेता द्वारा गोदाम व्यय की प्राप्त धनराशि	विवाग को गोदाम किराये के रूप में भुगतान की गई धनराशि	नियुक्त कर्मचारियों की संख्या, वेतन	योग		
9.	वाराणसी	2007-08	598.29	6749957.21	1.30	8774944	402484	2 से 4	402484	4.59	8372460
		2008-09	158.92	6634313.83	1.39	9221696	123120	2 से 4	123120	1.34	9098576
		2009-10	286.71	6939283.99	1.39	9645605	197592	4	197592	2.05	9448013
		2010-11	286.71	7248434.11	1.39	10075323	222120	2	222120	2.20	9853203
		2011-12	286.71	7321129.56	1.53	11201328	222120	2	222120	1.98	10979208
			8420.34	210886627.19		297402953	7309472		7309472		290093481

औसत क्षेत्रफल :- 8254.26 / 41 = 200.881 वर्ग मीटर

परशिष्ट-XV
अधिक भार का परिवहन करने वाले वाहनों पर शास्ति का अनारोपण
(सन्दर्भित प्रस्तर सं 4.13)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वाहन जिससे अधिक भार ढोया गया	परिवहित उपचानिज	अवधि जिनमें ओवरलोड वाहन संचालित थे	वाहन द्वारा ढोया गया भार (टन में, घम्फीटर से बदलने के बाद)	वाहनों के प्रमाण पत्रों द्वारा अनुमत्य ढोये जाने वाला भार (टन में)	अनुमत्य सीमा से अधिक परिवहित भार (टन में)	प्रत्येक वाहन पर आरोपीय शास्ति	वाहनों की संख्या	(₹ में) आरोपीय शास्ति की धनराशि जो आरोपित और वसूल नहीं की गयी
1.	स०स०प०क०, अम्बेडकरनगर	ट्रैक्टर (चार पहिया)	बालू	12/2011, और 03/2012	6	5.25 ³	0.75	3000	40	120000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	03/2011 और 04/2011	30	19	11	13000	70	910000
2.	स०स०प०क०, औरेया	ट्रैक्टर (चार पहिया)	बालू	03/2010, 05/2010 and 06/2010	6	5.25	0.75	3000	74	222000
		ट्रक (छः पहिया)	बालू	03/2010 और 06/2010	24	13	11	13000	100	1300000
3.	स०स०प०क०, बदायूँ	ट्रैक्टर (चार पहिया)	बालू	06/2011	6	5.25	0.75	3000	22	66000
		ट्रक (छः पहिया)	बालू	10/2010, 12/2010, और 06/2011	24	19	5	7000	200	1400000
4.	स०स०प०क०, बागपत	ट्रैक्टर	बालू	12/2011, 01/2012, 03/2012, 04/2012	10	5.25	4.75	7000	149	1043000
		ट्रक (छः पहिया)	बालू	01/2012 और 04/2012	20	13	7	9000	109	981000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	01/2012, 03/2012 और 04/2012	40	19	21	23000	118	2714000
5.	स०स०प०क०, बहराइच	ट्रैक्टर	बालू	11/2010, 12/2010, 02/2011,	6	5.25	0.75	3000	12	36000
6.	स०स०प०क०, बलरामपुर	ट्रैक्टर	बालू	12/2011, 01/2012, 08/2012, और 10/2012	6	5.25	0.75	3000	81	243000
		ट्रक (छः पहिया)	बालू	06/2012 और 10/2012	20	13	7	9000	109	981000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	09/2012 और 10/2012	30	19	11	13000	120	1560000
7.	स०स०प०क०, बांदा	ट्रैक्टर	बालू	12/2011, 01/2012 और 02/2012	8	5.25	2.75	5000	110	550000

³ पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकतम अनुमत्य लदान भार = सकल यान भार (स०या०भा०) – लदान रहित भार (ल०२०भा०)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वाहन जिससे अधिक भार ढोया गया	परिवहित उपखनिज	अवधि जिनमें ओवरलोड वाहन संचालित थे	वाहन द्वारा ढोया गया भार (टन में, घनमीटर से बदलने के बाद)	वाहनों के प्रमाण पत्रों द्वारा अनुमत्य ढोये जाने वाला भार (टन में)	अनुमत्य सीमा से अधिक परिवहित भार (टन में)	प्रत्येक वाहन पर आरोपीय शास्ति	वाहनों की संख्या	आरोपणीय शास्ति की धनराशि जो आरोपित और वसूल नहीं की गयी
		ट्रैक्टर	बोल्डर/गिटी	02/2011 से 12/2011 और 10/2012	6.8	5.25	1.55	4000	37	148000
		ट्रक (छ: पहिया)	बालू	02/2011 और 05/2011	28	13	15	17000	108	1836000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	04/2011	24	19	5	7000	100	700000
8.	स0स0प0क0, बाराबंकी	ट्रैक्टर	बालू	08/2012, 09/2012 और 10/2012	6	5.25 ⁴	0.75	3000	55	165000
		ट्रक (छ: पहिया)	बालू	09/2012 और 01/2013	24	13	11	13000	95	1235000
9.	स0स0प0क0, बुलन्दशहर	ट्रक (दस पहिया)	सधारण मिट्टी	02/2011	20.41	19	1.41	4000	47	188000
10.	स0स0प0क0, फरुखखाबाद	ट्रैक्टर	बालू	02/2011	6	5.25	0.75	3000	100	300000
11.	स0स0प0क0, जी0बी0नगर	ट्रक (छ: पहिया)	बालू	03/2012, 04/2012 और 05/2012	24	13	11	13000	98	1274000
12.	स0स0प0क0, गोरखपुर	ट्रैक्टर	बालू	03/2012, 04/2012 05/2012 और 07/2012	6	5.25	0.75	3000	104	312000
13.	स0स0प0क0, काशीशाम नगर	ट्रैक्टर	बालू	03/2010, 04/2010, 08/2010, 09/2010 और 10/2011	6	5.25	0.75	3000	130	390000
14.	स0स0प0क0, कुशीनगर	ट्रैक्टर	बालू	06/2012 और 07/2012	6	5.25	0.75	3000	110	330000
		ट्रक (छ: पहिया)	बालू	10/2012	14	13	1	3000	50	150000
15.	स0स0प0क0, ललितपुर	ट्रैक्टर	बोल्डर/गिटी	09/2011, 10/2011, 11/2011	6	5.25	0.75	3000	50	150000
		ट्रक (छ: पहिया)	बालू	08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012 और 01/2013	20	13	7	9000	200	1800000
		ट्रक (छ: पहिया)	बोल्डर/गिटी	10/2012, 11/2012, और 12/2012	16.62	13	3.62	6000	100	600000

⁴ पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकतम अनुमत्य लदान भार = सकल यान भार (स0या0भा0) – लदान रहित भार (ल0र0भा0)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वाहन जिससे अधिक भार ढोया गया	परिवहित उपखनिज	अवधि जिनमें ओवरलोड वाहन संचालित थे	वाहन द्वारा ढोया गया भार (टन में, घनमीटर से बदलने के बाद)	वाहनों के प्रमाण पत्रों द्वारा अनुमत्य ढोये जाने वाला भार (टन में)	अनुमत्य सीमा से अधिक परिवहित भार (टन में)	प्रत्येक वाहन पर आरोपणीय शास्ति	वाहनों की संख्या	आरोपणीय शास्ति की धनराशि जो आरोपित और वसूल नहीं की गयी
16.	स०स०प०क०, महाराजगंज	ट्रैक्टर	बालू	02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, और 06/2011	6	5.25	0.75	3000	105	315000
		ट्रक (छ: पहिया)	बालू	03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010 07/2011 और 08/2010	20	13	7	9000	133	1197000
17.	स०स०प०क०, मैनपुरी	ट्रैक्टर	बालू	09/2011 और 10/2011	6	5.25	0.75	3000	85	255000

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वाहन जिससे अधिक भार ढोया गया	परिवहित उपखनिज	अवधि जिनमें ओवरलोड वाहन संचालित थे	वाहन द्वारा ढोया गया भार (टन में, घम्फीर से बदलने के बाद)	वाहनों के प्रमाण पत्रों द्वारा अनुमत्य ढोये जाने वाला भार (टन में)	अनुमत्य सीमा से अधिक परिवहित भार (टन में)	प्रत्येक वाहन पर आरोपणीय शास्ति	वाहनों की संख्या	आरोपणीय शास्ति की धनराशि जो आरोपित और वसूल नहीं की गयी
18.	स०स०प०क०, मऊ	ट्रैक्टर	मिटटी/बालू	08/2009, 11/2009, 03/2010, 04/2010 07/2010, और 09/2010	6	5.25 ⁵	0.75	3000	66	198000
19.	स०स०प०क०, प्रतापगढ़	ट्रक (छ: पहिया)	बालू	04/2010	24	13	11	13000	76	988000
20.	स०स०प०क०, सहारनपुर	ट्रक (छ: पहिया)	बालू	09/2012	20	13	7	9000	100	900000
21.	स०स०प०क०, सन्तररविदास नगर	ट्रक (छ: पहिया)	बालू	02/2009 से 07/2009, और 09/2009 से 12/2009	18	13	5	7000	162	1134000
22.	स०स०प०क०, सीतापुर	ट्रैक्टर	बालू	10/2011	8	5.25	2.75	5000	18	90000
		ट्रक (छ: पहिया)	बालू	09/2009, 10/2009 और 09/2011	24	13	11	13000	12	156000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	09/2011	24	19	5	7000	8	56000
23.	स०स०प०क०, उन्नाव	ट्रक (छ: पहिया)	साधारण मिटटी	05/2012 और 06/2012	15.3	13	2.3	5000	50	250000
		ट्रक (दस पहिया)	साधारण मिटटी	07/2011 और 12/2011	20.4	19	1.4	4000	4	16000
		ट्रक (दस पहिया)	साधारण मिटटी	07/2011 और 12/2011	22.12	19	3.12	6000	34	204000
		ट्रक (दस पहिया)	साधारण मिटटी	07/2011 और 12/2011	23.8	19	4.8	7000	32	224000
								योग	3706	29748000

⁵ पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकतम अनुमत्य लदान भार = सकल यान भार (स०या०भा०) – लदान रहित भार (ल०२०भा०)

परिशिष्ट संख्या XVI

ईट भट्ठा मालिकों से रायल्टी व ब्याज का न वसूल किया जाना
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 6.5)

क्र.सं.	जिला	कुल ईट भट्ठों की संख्या	2009–10			2010–11			2011–12			2012–13			कुल रायल्टी	कुल ब्याज	कुल योग
			ईट भट्ठों की संख्या	रायल्टी	ब्याज 18% प्रतिवर्ष की दर से 30.06.2009 से 31.03.2013 (45 माह)	ईट भट्ठों की संख्या	रायल्टी	ब्याज 24% प्रतिवर्ष की दर से 15.1.2011 से 31.03.2013 (26.5 माह)	ईट भट्ठों की संख्या	रायल्टी	ब्याज 24% प्रतिवर्ष की दर से 15.12.2011 से 31.03.13 (15.5 माह)	ईट भट्ठों की संख्या	रायल्टी	ब्याज 24% प्रतिवर्ष की दर से 15.12.2012 से 31.03.13 (3.5 माह)			
1.	अलीगढ़	354			177	94.44	50.05	177	94.40	29.27					188.88	79.32	268.20
2.	इलाहाबाद	41						41	15.52	4.81					15.52	4.81	20.33
3.	ऑरेया	89			89	48.00	25.44								48.00	25.44	73.44
4.	आजमगढ़	13						13	3.43	1.06					3.43	1.06	4.49
5.	बादायूँ	14						14	6.82	2.11					6.82	2.11	8.93
6.	बागपत	48	4	2.07	1.4			44	24.93	7.73					27.00	9.13	36.13
7.	बलिया	17						17	4.18	1.3					4.18	1.30	5.48
8.	बलरामपुर	7						7	1.92	0.59					1.92	0.59	2.51
9.	बाराबंकी	11						11	4.60	1.43					4.60	1.43	6.03
10.	बुलन्दशहर	57	10	5.13	3.46	21	10.66	5.65	26	13.25	4.11				29.04	13.22	42.26
11.	चन्दौली	125						125	46.48	14.41					46.48	14.41	60.89
12.	फतेहपुर	83						83	31.05	9.63					31.05	9.63	40.68
13.	गोतमबुद्धनगर	205	37	20.34	13.73	84	47.94	24.94	84	47.06	14.59				114.45	53.26	167.71
14.	हाथरस	30						30	16.07	4.98					16.07	4.98	21.05
15.	जालौन	4						4	1.48	0.46					1.48	0.46	1.94
16.	कर्णोज	8						8	3.31	1.03					3.31	1.03	4.34
17.	कानपुर	2						2	1.03	0.32					1.03	0.32	1.35
18.	महराजगंज	150						150	33.66	10.43					33.66	10.43	44.09
19.	मऊ	150						150	36.68	11.37					36.68	11.37	48.05
20.	मुरादाबाद	145						145	75.52	23.35					75.32	23.35	98.67
21.	पीलीभीत	19						19	9.64	2.99					9.64	2.99	12.63
22.	सहारनपुर	65										65	49.56	3.47	49.56	3.47	53.03
	योग	1637	51	27.54	18.59	371	200.15	106.08	1150	470.87	105.97	65	49.56	3.47	748.12	274.11	1022.23